लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1996/25 अग्रहायण, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (1)	*नीचे से 6*	*सरकारी जलाशय*	*सकरी जलाशय*
113	नीचे से 10	3388	3368
144	नीचे से 4	* 3409	3409
197	नीचे से 13	भापोल	भोपाल
259	नीचे से 2	श्री भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया	श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया
268	15	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के
280	7 और 8 के बीच "(व्यवधान)" पढ़िए ।		
348	नीचे से 2 और 3	25 अग्रहायण	26 अग्रहायण

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 18, सोमवार, 16 दिसम्बर, 1996/25 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		
बंगलादेश के मुक्ति दिवस की पच्चीसवीं वर्षगांठ के बारे में		2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	341, 345, 347 और 351	3—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	342 से 344, 346, 348 से 350 और 352 से 360	26—51
अतारांकित प्रश्न संख्या	3285 से 3517	51—233
सभा पटल पर रखे गये पत्र		234—240
विधेयक-पुरःस्थापित		
(एक) धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक		240—241
(दो) चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) विधेयक		241
विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर में आयोजित मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण से संबंधित पत्रों के बारे में		241—244
नियम 377 के अधीन मामले		265—269
(एक) बिहार के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर कुजु में बाईपास के निर्माण की आवश्यकता — श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा		265
(दो) सौराष्ट्र क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की आवश्यकता — श्री रतिलाल कालीदास वर्मा		265—266
(तीन) बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्कों में "बायोस्फीयर सेंटर" स्थापित करने की आवश्यकता — श्री के.पी. सिंह देव		266
(चार) नेपाल की ओर से बिहार में बहने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण के मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाने की आवश्यकता — श्री नवल किशोर राय		267
(पांच) तमिलनाडु में अरियालुर और सेलम के बीच नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता — श्री ए. राजा		267
(छह) बिहार की सरकारी जलाशय परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने और इसे पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करने की आवश्यकता — श्री रमेन्द्र कुमार		268
(सात) महाराष्ट्र के एरेनडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक डाक घर खोलने की आवश्यकता — श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल		268

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(आठ)	पूर्वोत्तर राज्यों की भांति हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री के.डी. सुल्तानपुरी	268—269
नियम 193 के अधीन चर्चा		
(एक)	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	269—292
(दो)	विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर घोषणा पत्र के संबंध में भारत का दृष्टिकोण	297—348
	श्री श्रीकान्त जेना	298—302
	श्री रमेन्द्र कुमार	302—305
	डा. मुरली मनोहर जोशी	305—317
	डा. देवी प्रसाद पाल	317—321
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	321—330
	श्री रूप चन्द पाल	330—335
	श्री सी. नारायण स्वामी	335—338
	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	339—341
	श्री चित्त बसु	341—344
	लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	344—348
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव		292—297
	श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम	292—294
	श्री शिवानन्द एच. कोजलगी	294
	श्री चमन लाल गुप्त	294—295
	श्री संतोष कुमार गंगवार	295—296
	श्री सत्य पाल जैन	296—297
कार्य मंत्रणा समिति		
नौवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		339
सदस्य की गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण		348

लोक सभा

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1996/25, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमसे यह वायदा किया गया था कि सिंगापुर सम्मेलन में वित्त मंत्री महोदय का वक्तव्य हमें दिया जायेगा। हमारे घरों पर कुछ भी नहीं भेजा गया। आज हमारे स्थान पर हमको केवल सिंगापुर मंत्री स्तरीय घोषणा का प्रारूप ही रखा मिला है।...**(व्यवधान)** उस दिन अपने भाषणों में जिन पत्रों का जिक्र हमने किया था वे यहां नहीं हैं।...**(व्यवधान)** जब तक पत्र यहां नहीं होंगे तो हम चर्चा कैसे कर पायेंगे।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल को सस्पैंड करने का नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 72 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम देना तय किया है। मिल असोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : यह बहुत अहम मसला है। हाई कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है गन्ने का प्राइस तय करने का। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप नोटिस दे दीजिए। मैं देख लूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : हमने क्वश्चन आवर को ससपेण्ड करने का नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो प्राइस तय करेगी वही इनको देना होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इन पत्रों के बिना हम चर्चा में भाग कैसे ले पायेंगे?

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया था कि शनिवार तक हमें सभी पत्र मिल जायेंगे।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : महोदय, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब मैं सर्वप्रथम सभा में आया। मुझे अपनी मेज पर घोषणा के साथ मंत्री का वक्तव्य मिला। उन पत्रों को अन्ततः मेज पर से हटा लिया गया। यह समस्या उस समय सुलझ जायेगी यदि वे पत्र हमें उपलब्ध करा दिये जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा क्यों है कि कोई वक्तव्य यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का दृष्टिकोण वक्तव्य में दिया गया होगा। मैं यह देखूंगा कि यह सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारे सदस्यों द्वारा वहां पर दिये गये भाषणों के अभिप्रमाणित अंशों को हम देखना चाहते हैं। वे हमें उपलब्ध क्यों नहीं कराये जा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सत महाजन : सभा के नेता अथवा प्रधानमंत्री कहां हैं। इसका उत्तर कौन देगा?

अध्यक्ष महोदय : आज बंगला देश का 25 वां स्वतंत्रता दिवस है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप बंगला में बोल सकते हैं।

अपरान्ह 11.05 बजे

बंगला देश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव

अपरान्ह 11.05 बजे

बंगलादेश के मुक्ति दिवस की पच्चीसवीं वर्षगांठ के बारे में

***अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यो, आज बंगलादेश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ है। आज हम उस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं जब बंगलादेश के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप एक स्वतंत्र सार्वभौमिक राज्य बंगलादेश का उदय हुआ था। हमारी सेना, नौसेना, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल द्वारा उस घटना के दौरान प्रदान की सेवाओं वास्तव में अपनी परम्पराओं पर खरी उतरती हैं। भारत की जनता उन लोगों, जिन्होंने अपनी जान दी थी, के बलिदान को अभूतपूर्व गर्व और सम्मान के साथ सदैव याद करेगी।

सीमा की अखण्डता और सार्वभौमिकता का सम्मान, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता। वे मूल बातें हैं जिसका दोनों देश प्रसार और अनुपालन करते हैं। यह वास्तव में एक ऐसी समान बात है जो दोनों देशों के बीच एक अच्छे मित्र और पड़ौसी के संबंध निभाने में मार्गनिर्देश देते हैं।

मुझे विश्वास है कि रजत जयंती के इस अवसर को याद करने और वहां के लोगों, संसद और बंगलादेश की सरकार को शुभकामनायें प्रेषित करने में सभा मेरे साथ होगी।

---

* मूलतः बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस पर आपकी क्या व्यवस्था है?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह 4 बजे लिया जायेगा। प्रश्नकाल के पश्चात् मैं सरकार से सभी सामग्री देने के लिये कहूंगा।

श्री पी.सी. चाको (मुकुन्दपुरम) : महोदय, युद्ध बंदी पाकिस्तान की जेलों में हैं। जब वे विजय दिवस मना रहे हैं जब संसद इस अवसर का स्मरण कर रही है, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाह रहा हूं कि 40 से अधिक युद्ध बंदियों को पाकिस्तान की सेना ने बंदी बना लिया है आज क्या हो रहा है, आज भी...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत खराब है। वहां मिलें बंद होने जा रही हैं और किसान हड़ताल करने जा रहे हैं। इस पर तुरंत विचार किया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह आज के लिये काफी है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नोटिस देते, देते थक गया हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं आपके नोटिस पर ध्यान दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बांधों तथा जलाशयों की क्षमता

***341. डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1996 तक देश में निर्मित बांधों तथा जलाशयों की क्षमता कितनी है तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी सिंचाई क्षमता सृजित हुई है, इसका राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में स्थिति क्या है तथा इसके लिए कितनी वित्तीय और अन्य सहायता मांगी गई है तथा इस परियोजना की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 से देश में वृहद और मध्यम परियोजनाओं के जरिए बनाए गये बांधों तथा जलाशयों की क्षमता तथा उसके परिणामस्वरूप सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा राज्य-वार और वर्ष-वार क्रमशः अनुबन्ध-I और अनुबन्ध-II में दिया गया है।

(ख) और (ग). नर्मदा सागर परियोजना को योजना आयोग द्वारा 6.9.1989 को 1993.67 करोड़ रुपए के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान की गई। नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय परियोजना के रूप में करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 1996-97 के दौरान "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के तहत परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है और 25.00 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है। परियोजना के 2010 ई. सन् तक पूरा हो जाने की आशा है।

अनुबंध-I

वृहद और मध्यम परियोजनाओं के जरिए बनाये गये बांधों तथा जलाशयों की क्षमता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान सक्रिय भण्डारण सृजित क्षमता (मि.घ.मी.)				
		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	गुजरात	239	221	185	237	-
2.	कर्नाटक	1062	494	1546	960	-
3.	मध्य प्रदेश	983	1086	691	323	-
4.	महाराष्ट्र	1057	505	-	506	-
5.	उड़ीसा	352	-	363	97	-
6.	राजस्थान	-	113	398	139	-
7.	त्रिपुरा	-	312	-	-	-

मि.घ.मी = मिलियन घन मीटर

अनुबन्ध–II

वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर)				
		1991–92	1992–93	1993–94	1994–95(प्र.)	1995–96(प्र.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	6.35	9.49	98.04	120.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	30.00	5.55	9.55	10.50	9.00
4.	बिहार	—	4.00	23.00	33.00	50.00
5.	गोवा	—	—	—	0.53	0.96
6.	गुजरात	22.00	29.18	19.57	28.34	33.00
7.	हरियाणा	8.00	12.00	18.00	8.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	0.21	0.24	0.25	0.26
9.	जम्मू व कश्मीर	—	14.10	0.30	0.50	0.40
10.	कर्नाटक	42.00	44.04	69.99	83.17	99.85
11.	केरल	—	12.89	13.30	61.32	63.00
12.	मध्य प्रदेश	72.00	70.00	60.00	72.00	74.40
13.	महाराष्ट्र	8.00	46.39	60.00	60.00	50.00
14.	मणिपुर	—	2.80	3.00	5.70	10.00
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	41.00	17.56	12.79	18.56	44.14
19.	पंजाब	9.00	14.70	21.20	27.52	37.30
20.	राजस्थान	33.00	44.36	58.87	67.37	56.67
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	1.62	0.58	2.18
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	55.00	54.00	62.00	54.00	53.36
25.	पश्चिम बंगाल	94.00	9.08	29.00	41.38	47.43
	कुल (राज्य)	374.00	387.21	471.92	670.76	772.75
	संघ राज्य क्षेत्र	7.00	0.13	1.16	1.00	1.00
	कुल योग	381.00	387.34	473.08	671.76	773.75

प्र. = प्रत्याशित

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई की योजनाओं के बारे में और जल संसाधन का उपयोग करने के बारे में हम सभी चिंतित हैं। किंतु स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना को योजना आयोग ने 6 सितम्बर, 1989 को 1993.67 करोड़ के निवेश की स्वीकृति दी है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति हुई है। किंतु अभी तक उसको 25 करोड़ रुपया ही मिला है। इतनी बड़ी योजना जिसमें 1993.67 करोड़ रुपया खर्च होना है उसका 25 करोड़ की सहायता से इस योजना का क्या होने वाला है, यह एक चिंता का विषय है। सिंचाई और बिजली की कमी की आपूर्ति करने के लिए जल विद्युत बहुत सस्ता बिजली उत्पादन का स्रोत भी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना को जिसको कि हम त्वरित मान रहे हैं, सिंचाई के लिए 25 करोड़ की सहायता बिलकुल कम है, और इसलिए इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृत कर इस योजना को पूरा करने के लिए क्या आप अधिक सहायता देने वाले हैं, यही मेरा प्रश्न है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के पास किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की कोई योजना नहीं है, यह राज्य का विषय है। दूसरी बात कि त्वरित सिंचाई योजना के तहत जो 50 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है, उसकी आधी राशि यानी 25 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए निर्मुक्त किया गया है। जो राशि केन्द्र से राज्य सरकारों को दी जाती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार को भी लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार यह 50 करोड़, 50 करोड़ मिलकर सौ करोड़ हो जाता है। अभी यदि 25 करोड़ पर वह काम करेंगे तो वह 50 करोड़ का काम होगा और जब वह पूरा हो जायेगा तो दूसरी राशि दे दी जायेगी।

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बताया गया है कि 50 करोड़ का एडजस्टमैंट किस प्रकार करने वाले हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के संसाधन के लिए उपाय करने के लिए पैसा नहीं है और यदि यह पैसा केन्द्र सरकार देती है तो निश्चित रूप से बिजली उत्पादन का काम बढ़ता है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा जल बंटवारा हुआ है उसमें 182.5 लाख एकड़ फीट पानी बंटवारे में लाभ के लिए मिला हुआ है। किंतु यदि पानी का उपयोग नहीं होता है तो इसको राष्ट्रीय क्षति के रूप में ही माना जायेगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस योजना पर बाकी की योजनाएं भी निर्भर हैं-नर्मदा शिप्रा जोड़ो योजना इस पर निर्भर है। नर्मदा छोटी काली सिंध जोड़ो योजना इस पर निर्भर है, नर्मदा बड़ी काली सिंध जोड़ो योजना इस पर निर्भर है। इसलिए यह आधारभूत योजना है और इस आधारभूत योजना को पूरा करने की दृष्टि से और सिंचाई को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस पर काफी चिंता करना जरूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी जल संसाधन की जो राष्ट्रीय नीति है क्या इस प्रकार की कोई नीति आप बनाने वाले हैं और यदि बनाने वाले हैं तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, यही मेरा प्रश्न है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी, उस योजना के तहत भी इसी तरह राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी और उनके लिए जो एक हजार करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। जहां तक अब की बार जो राशि दी गई है, राज्य सरकार ने जितना अपनी तरफ से खर्च करने को कहा और जो मांगा, उसी को मैच करते हुए यह दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर कमी रहती है और राज्य सरकार लिखती है कि हम और खर्च करेंगे और अपना परिव्यय दिखाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सत्य पाल जैन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ प्रदेश है, उसकी अपनी कोई नदी वहां से नहीं गुजरती है। उसके पास जो घग्घर नदी है, चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पीने के पानी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी इसके संबंध में केन्द्र सरकार को कई बार लिखा है कि उस पर बांध बनाकर पानी को रेस्टोर करने की व्यवस्था की जाए। ताकि इस प्रदेश की पानी और सिंचाई से संबंधित दोनों कठिनाइयां दूर की जा सकें। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस योजना पर विचार कर रही है और यदि कर रही है तो कब तक इस पर निर्णय हो जाएगा?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता, इसलिए अलग से सूचना की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : माननीय मंत्री महोदय ने सभापटल पर एक विवरण रखा है जिसमें बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में राज्यवार सृजित की गई सिंचाई क्षमता के बारे में ब्यौरा दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जैसाकि विवरण में दिया गया है क्या कृषि, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिये जल उपलब्ध हो पायेगा?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा हमने अपने विवरण में लिखा है, वह स्थिति 1991 से 1995 तक की है जिसमें सिंचाई, बिजली और पीने का पानी सब आता है।

[अनुवाद]

विशेषज्ञ अभियंताओं का पैनल

+

***345. श्री आई.डी. स्वामी :**

श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने, पानी का समुचित ढंग से उपयोग करने और देश में बार-बार आने वाली बाढ़ों

से बचने के लिए एक योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ अभियंताओं का कोई पैनल बनाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा पैनल कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) यह पैनल अपनी सिफारिशें कब तक दे देगा; और

(ङ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा बार-बार आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए नदियों को आपस में मिलाने और नदियों की सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 13.9.1996 के कार्यालय ज्ञापन तथा दिनांक 25.10.1996 और 22.11.1996 के अनुवर्ती संशोधनों के तहत् राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की संरचना इस प्रकार है :—

1. **अध्यक्ष**

प्रारंभ में, श्री जी.वी.के. राव को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/96-बी.एम./645-661 दिनांक 13.9.1996 द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तथापि, उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात, श्री सी.एच. हनुमंता राव को समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.11.1996 द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। नये अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2. डा. एस.आर. हासिम : उपाध्यक्ष
सदस्य, योजना आयोग

3. श्री वी. रामचन्द्रन : सदस्य
भूतपूर्व मुख्य सचिव
केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम

4. डा. वी.एम. व्यास (अर्थशास्त्री) : सदस्य
निदेश, विकास अध्ययन संस्थान,
8-बी झलाना इंस्टीट्यूशन एरिया
जयपुर-302004.

5. श्री डी.एन. तिवारी : सदस्य
भूतपूर्व कुलपति
एफ.आर.आई. (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
देहरादून

6. श्री एस. प्रकाश : सदस्य
भूतपूर्व प्रमुख अभियंता
दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल
व्ययन संस्थान

7. श्री सी.सी. पटेल : सदस्य
भूतपूर्व सचिव (जलसंसाधन),
भारत सरकार

8. डा. भरत सिंह : सदस्य
उप कुलपति (सेवा निवृत्त)
रुड़की विश्वविद्यालय

9. श्री एस.पी. कैपरीहन : सदस्य
प्रमुख अभियंता (सेवा निवृत्त),
मध्य प्रदेश सरकार

10. महानिदेशक : सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(एन डब्ल्यू डी ए)
नई दिल्ली।

2. आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के विकास से संबंधित एकीकृत जल योजना तैयार करना।

(2) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़कर फालतू जल का स्थानान्तरण जल की कमी वाले बेसिनों में करने की रीतियों का सुझाव देना।

(3) चल रही एवं नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अभिज्ञात करना, जिन्हें चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

(4) लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से जल क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकीय एवं अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान योजना अभिज्ञात करना।

(5) जल क्षेत्र से संबंधित वास्तविक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी नीतियों का सुझाव देना।

(6) अन्य कोई संबंधित मामला।

आयोग की सहायता के लिए इसमें अन्य विशेषज्ञों को भी सहयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आशा है कि आयोग अपना कार्य 2 वर्ष की अवधि में पूरा कर लेगा।

(ङ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल के अधिशेष जल के बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में अन्तरित करने के लिए 36 जल अन्तरण सम्पर्क अभिज्ञात किए हैं। (17 प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत और 19 हिमालयी घटक में) सभी सम्पर्कों के व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत तीन सम्पर्कों के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है।

श्री आई.डी. स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जो रिटिन रिप्लाई दिया गया है, उससे पता लगता है कि शुरु से ही यह कमीशन स्टिल-बौर्न या हैडलैस कमीशन है, अभी तक सरकार इसका चेयरमैन एपाइंट नहीं कर पाई। एक चेयरमैन को एपाइंट किया गया था, उसने रिजाइन कर दिया। दूसरे चेयरमैन को इन्होंने लिखा, उसने भी अपनी असहमति जाहिर कर दी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कब तक इसके चेयरमैन की खोज पूरी हो जाएगी और यह कमीशन अपना काम करना शुरू कर देगा?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए एक विशेषज्ञ, जानकार और अनुभवी व्यक्ति को ढूंढा जाता है। आम तौर से ज्यादा उम्र के तजर्बे वाले लोगों को ही इसके चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया जाता है। पहले जिन्हें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने स्वास्थ्य के कारण मना कर दिया। दूसरे चेयरमैन ने भी अभी 3-4 दिन पहले मना किया है। नये चेयरमैन की तलाश जारी है।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : अध्यक्ष जी, जैसा मंत्री जी ने कहा-राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने 36 जल-अंतरण सम्पर्क का पता लगाया है (17 पेनिन्सुलर कम्पोनेंट और 19 हिमालयन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत)

[हिन्दी]

और उनमें से तीन पैनिन्सुलर कम्पोनेन्ट लिंक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई है, मैं जानना चाहता हूं कि वे तीन पैनिन्सुलर कम्पोनेन्ट लिंक्स कौन-कौन से हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि 17 पैनिन्सुलर कम्पोनेन्ट्स आपने बताए, 36 वाटर ट्रांसफर लिंक्स की बात कही लेकिन इसमें उड़ीसा का कहीं नामो-निशान नहीं है। अगर उड़ीसा का उसमें नामो-निशान है तो कौन-सी नदियां उसमें शामिल हैं। यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं पहला नहीं, एक ही सप्लीमेंटरी आप पूछ सकते हैं। आपको रूल्स की जानकारी नहीं है। आपका नाम दूसरे नम्बर पर है इसलिए आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस कमीशन का काम ही कायदे से शुरू नहीं हुआ है इसलिए जल संसाधन मंत्रालय अपनी तरफ से काम कर रहा है। उसमें तीन लिंक्स हैं-एक तो केन्द्र-बेतवा लिंक, दूसरा है अंबा-अछनकोवी वयप्पार और तीसरा पावर तापीय नर्मदा लिंक है। इन तीन की तो फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। और बाकी के बारे में अभी लोग तैयारी कर रहे हैं। चूंकि दो-तीन महीने पहले ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ है इसलिए इतनी जल्दी में सारा काम तो नहीं हो जाएगा। उसमें उड़ीसा का आता है कि नहीं, यह बात मैं माननीय सदस्य को अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : जी महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बड़े आदमी से एक छोटे अनुपूरक की आशा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन परियोजना का यहां जिक्र किया है। यह केन परियोजना वृहद केन परियोजना है जिसका जिक्र लगातार कई साल से चल रहा है। यह मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र से निकलेगी और मेरा पूरा लोकसभा क्षेत्र गरीबी से बहुत पीड़ित है। वहां के 5 से 10 लाख के बीच में प्रति वर्ष दलित समुदाय के लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली में पड़े रहते हैं क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यह वृहद केन परियोजना वहां के छोटे किसानों की समस्या का भी समाधान करेगी और इन मजदूरों को भी यहां नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस वृहद केन परियोजना की स्थिति क्या है और कब तक इसको पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी इसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है और जैसे ही यह कमीशन काम करने लगेगा वैसे ही इसकी बहुत जल्दी स्वीकृति दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया है कि तीन सम्पर्कों में से एक सम्पर्क नर्मदा नदी के दक्षिण क्षेत्र के पानी का सरदार सरोवर परियोजना में अन्तरण करना है जहां तक सरदार सरोवर परियोजना की मुख्य नहर के कार्य का संबंध है इसमें पहले ही काफी प्रगति की गई है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि नर्मदा के दक्षिण की नदियों के पानी को अन्तरित करने का कार्य भी पूरा हो गया है। इन दोनों कार्यों को साथ-साथ पूरा किया जा सके और जल संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : यह एक सलाह है अध्यक्ष महोदय, और इस पर विचार किया जाएगा।

श्री सन्त मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दोनों कार्यों को साथ-साथ कर रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

कोई सलाह नही दे रहा हूं। आपका काम चल रहा है। वहां सिंक्रोनाइज करेंगे या नहीं। यह मैं जानना चाहता हूं। इसमें सलाह कहां है?

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूं। मैं एक निश्चित उत्तर चाहता हूं कि क्या इन दोनों कार्यों को साथ साथ किया जाएगा अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : कुल मिलाकर अध्यक्ष महादय, यहे सवाल के रूप में सलाह है। फिर भी इसमें शीघ्रता करने का प्रयास मंत्रालय करेगा।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : अध्यक्ष महोदय, हम देश में अपनी नहर प्रणाली के आन्तरिक सम्पर्क पर विचार कर रहे हैं। लेकिन प्रेस में रिपोर्ट आई हैं कि चोन ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को 180 डिग्री मोड़ने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा होता है तो सम्पूर्ण असम और कुछ पूर्वोत्तर राज्य पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसे इस प्रकार की किसी योजना की जानकारी है। और यदि हां, तो उसका चीन सरकार के साथ कौन से उपाय करने का विचार है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विशेषज्ञ और इंजीनियरों के अनुसार ऐसा मोड़ तकनीकी रूप से व्यवहार्य होगा। और क्या सरकार द्वारा उन सभी पहलुओं की जांच की गई है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में आता ही नहीं है इसलिए हम समझते हैं कि इसके लिए अलग से प्रश्न पूछा जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 347

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, यहां विदेश मंत्री नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्री कहां हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी ने अपनी अनुपस्थित के बारे में आपको पहले कुछ लिखकर दिया था? यदि ऐसा नहीं है और वह यहां नहीं हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मुझे बताया गया है कि मंत्री जी बहुत व्यस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब उनका संसद में प्रश्न है तो किसी अन्य कार्य में व्यस्त नहीं हो सकते। या तो उन्होंने सदन को जानकारी देनी चाहिए थी अथवा किसी और को अपना कार्य सौंपना चाहिए था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महादय, उन्होंने आपको नहीं बताया है और सभा का समय भी व्यर्थ किया है। महोदय, यह सदन और आपका अपमान है...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सदन से कोई भी चीज अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में आपको लिखना चाहिए था। मेरा अनुरोध है कि उन्हें तत्काल बुलाया जाये. ..**(व्यवधान)**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मंत्री जी यहां नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दत्ता मेघे : महोदय, आपको इस संबंध में विनिर्णय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को क्या व्यवस्था देनी चाहिए? यह दुर्भाग्य है तथापि एक मंत्री व्यस्त हो सकता है फिर भी मेरे विचार से उसका संसदीय कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मंत्री को यहां होना चाहिए था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को इतना सरल नहीं समझना चाहिए। मेरे विचार में, मेरे पिछले 30 अथवा 34 वर्ष के संसदीय जीवन में, यह पहला अवसर है कि मुझे यह अनुभव हुआ है कि न केवल मंत्री ही उपस्थित नहीं है अपितु सरकार का कोई भी प्रतिनिधि-उनकी ओर से उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। यह ऐसी बात है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है और संसदीय व्यवहार के सभी मानकों के विरुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस सभा के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रही है। यह एक बहुत गम्भीर विषय है और अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को गम्भीरता से लें और सरकार की इस चूक के लिए भर्त्सना की जाए। यह कम से कम है जिसकी उम्मीद की जा सकती है और जब तक मंत्री मौजूद नहीं होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप प्रश्न को तब तक स्थगित कर दें जब तक कि सरकार के बचाव के लिए आप अपने प्राधिकार का प्रयोग न करें। अन्यथा कोई छूट नहीं दी जा सकती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सभापति ऐसी स्थिति में सरकार का बचाव कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह सभा के विशेषाधिकार का विषय है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मंत्री को स्थिति की गम्भीरता की जानकारी होनी चाहिए। आप मंत्री के आने तक सभा स्थगित कर दें। संसदीय कार्य मंत्री भी यहां नहीं हैं और आपके पास कोई सूचना नहीं है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विस्तार में, आपने अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है।

श्री राम नाईक : महोदय, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है कि आप सभा को स्थगित कर दें। किसी व्यक्ति को मंत्री के पास जाना चाहिए और उन्हें यहां आने के लिए कहना चाहिए। तभी हम सभा की कार्यवाही को चला सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, प्रश्न काल को स्थगित करने का नियम तो है लेकिन यदि मंत्री अनुपस्थित रहता हो तो किसी प्रश्न को स्थगित करने का कोई नियम नहीं है। अतः यह विशेषाधिकार का मामला है और मंत्री ने विशेषाधिकार का हनन किया है। अतः आवश्यक कदम उठाए जाएं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बरनाला

(व्यवधान)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। न केवल मंत्री ही अपितु सभा के नेता भी यहां उपस्थित नहीं हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

(व्यवधान)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, जब तक मंत्री सभा में नहीं आ जाते हैं तब तक आप सभा स्थगित कर दें। यह मेरा सुझाव है...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : यह सभापति की शान के भी खिलाफ है क्योंकि मंत्री, जो आपको सूचना देने के लिए बाध्य हैं, ने आपको सूचित नहीं किया है। मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी और मंत्री को भी प्राधिकृत नहीं किया है। यह विशेषाधिकार का हनन है और मंत्री को यहां बुलाया जाएं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, सभा ने अपनी बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह दी है। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर से भी सहमत हूं। इस सभा में संसद सदस्य के रूप में, यह मेरा पांचवां कार्यकाल है, मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी है जब कोई मंत्री अनुपस्थित हुआ हो। समान्यतः, ऐसा नहीं होता है। मेरे विचार में, मंत्री यदि कहीं और व्यस्त हैं तो उन्हें या तो सभापति को सूचित करना चाहिए था अथवा किसी और मंत्री को अपना काम सौंपना चाहिए था। मेरे विचार में, सरकार को सभा के विचारों को गम्भीरता से लेना चाहिए।

हम अगला प्रश्न सं. 348 लेते हैं-श्री राम कृपाल यादव

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, आपकी टिप्पणी के बाद भी सरकार को पछतावा नहीं हुआ है। किसी को उठकर यह कहना चाहिए था कि हमें खेद है। यहां किसी को पछतावा भी नहीं है।...**(व्यवधान)** सरकार को पछतावा दिखाने से भी कोई सरोकार नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई सरकार की ओर से कुछ कहना चाहता है।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, सरकार की ओर से कोई हमें यह बताए कि क्या हुआ है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह सरकार इरेस्पोंसिबल है। कोई सेंसिविटी नहीं है, कोई संवेदनशीलता इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बीजू पटनायक कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : महोदय, आप दस मिनट के लिए सभा की कार्यवाही को स्थगित करें ताकि माननीय मंत्रीजी सभा में आ सकें। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि मंत्रीजी कहां हैं?

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : महोदय, माननीय विदेश मंत्री "बंगलादेश के विजय दिवस" में भाग लेने गए हैं। वे सभा में आने के लिए चल पड़े हैं। वे दोपहर 12 बजे तक यहां आ जाएंगे। प्रश्न को दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता यहां हैं। नहीं, नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। बात सनें। श्री लोढा सभा के नेता की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, इनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव रखना चाहिए। सरकार को सेंसर किया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह : मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता की बात सुनें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इन्होंने सदन का अपमान किया है, मंत्री महोदय को पहले माफी मांगनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को और सदन को जो कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं सदन के नेता की हैसियत से क्षमाप्रार्थी हूं। लेकिन इसमें सरकार की या किसी की कोई इंटेंशन नहीं है...**(व्यवधान)** पहले सुनिये। पहले सुन तो लिया जाय।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

क्षमा मांगने के बाद वे और क्या चाहते हैं?...**(व्यवधान)**

मंत्री महोदय दस मिनट में आ रहे हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : संसद में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है जहां सरकार सभा के कार्य का आदर नहीं करती है।. ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह ठीक है कि आज विजय दिवस है और यह विजय दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है। हमारी सेना के तीनों अंग आज इस विजय दिवस को मनाने के लिए स्टेडियम में एकत्रित हुए थे। राष्ट्रपति महोदय भी थे, कुछ मंत्री भी थे और मैं भी था। लेकिन इस अर्थ यह नहीं है कि जिन मंत्रियों को आज सदन में उत्तर देना है, वे मंत्री भी वहां जाते। अनेक मंत्री वहां नहीं थे और हम समझे कि वे व्यस्त हैं। अगर गुजराल साहब वहां न जाते, वे मेरे मित्र हैं, तो लोग समझ सकते थे, लेकिन वे किसी और को सौंप सकते थे। सरकार को सदन में माफी मांगनी चाहिए थी कि मंत्री जी अनुपस्थित हैं, पता नहीं, अध्यक्ष महोदय आपको भी सूचना मिली या नहीं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी इसकी सूचना मिली है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह गलत है, यह गम्भीर बात है इससे सदस्यों की उत्तेजना समझी जा सकती है। गुजराल साहब अभी सदन में आ गए हैं, उनको क्षमा मांगनी चाहिए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री आई.के. गुजराल) : महोदय, मैं सचमुच आपसे और माननीय सभा से क्षमा मांगता हूं। मैं विजय दिवस परेड में फस गया था। अतः, मुझे आशा है कि मेरे माननीय साथी इस बात को समझेंगे कि...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : इन्होंने अध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं बताया?...**(व्यवधान)**

श्री चंद्र शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि विजय दिवस की परेड इतनी महत्वपूर्ण थी तो सभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित क्यों नहीं किया गया और सदस्यों को परेड में उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं कहा गया था? वे भी मंत्रियों अथवा विपक्ष के नेता की तरह समान रूप से देशभक्त हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था।...**(व्यवधान)** नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था। यदि मुझे बुलाया जाता तो मैं वहां उपस्थित रहता। मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था और मुझे इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। मैं स्पष्ट रूप से यह कह दूं क्योंकि यह छवि बाहर नहीं जानी चाहिए कि

आमंत्रित किए जाने के बाद भी मैं उस समारोह में उपस्थित नहीं था। यदि वह समारोह इतना महत्वपूर्ण था तो कम से कम सदस्यों को यह बताया जाना चाहिए था कि प्रत्येक मंत्री उस समारोह में भाग ले रहा है। और चाहे जो भी हो देश में ऐसा कोई समारोह नहीं है जो इस सभा की कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण हो क्योंकि यह सर्वोच्च संस्था है और राष्ट्रपति भी इसमें उपस्थित नहीं हैं। अतः, मैं समझता हूं कि सरकार का यह बहाना नहीं हो सकता है और सभा और सभापति को सरकार की भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसे बहाने यहां नहीं होने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जब मंत्री जी को उत्तर देना हो तो उस समय सभा में उपस्थित होने के अलावा अन्य कोई कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता था कि मंत्री महोदय इसका उल्लेख नहीं करते। सभा से बिना शर्त माफी मांगी जानी चाहिए। यद्यपि मुझे भी वहां बुलाया गया था, मुझे नहीं पता कि उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं मिला। लेकिन चूंकि आपने यह घोषणा की थी कि आप सभा में उसका उल्लेख करेंगे तो मैंने सोचा कि जब अध्यक्ष महोदय उद्घोषणा करेंगे तो अपने दल के नेता के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं यहां उपस्थित रहूं ताकि हमारी भागेदारी भी व्यक्त हो सके। माननीय मंत्री को यह निर्णय करना चाहिए था कि सदन अधिक महत्वपूर्ण है। 10.00 म.पू. का समय निर्धारित किया गया था। जब ऐसा हो रहा थी तो 11 म.पू. तक कोई उपस्थित नहीं हो सकता। यदि निर्णय लेने में कोई गलती हुई थी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण गलती रही। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अतः, भविष्य में सरकार को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और कोई स्पष्टीकरण न दें। मंत्री जी ने गलती की है और उन्हें यह कहना चाहिए कि वे सभा से क्षमा मांगते हैं।

श्री आई.के. गुजराल : महोदय, मेरे माननीय साथी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैंने कहा है और मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं अपनी इस गलती के लिए इस सभा और आप से माफी मांगता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इतना काफी है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कोई भी कारण सभा में मंत्री जी की अनुपस्थित के लिए वैध कारण नहीं है। मैं समझता हूं कि भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। चूंकि श्री गुजराल ने माफी मांग ली है इसलिए अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

फ्रांस के साथ समझौता

+

*347. **श्री शिवराज सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अन्य संबंधित विषयों के किन-किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं;

(ख) क्या पारस्परिक सहयोग हेतु कुछ नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विज्ञान और प्राद्योगिकी से संबद्ध एक द्विपक्षीय करार जुलाई, 1978 से ही विद्यमान रहा है। दोहरे कराधान से बचने के लिए एक संशोधित करार पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार पर जुलाई 1995 में आद्यक्षर हुए थे।। जनवरी, 1996 में एक वित्तीय प्रोटोकोल संपन्न हुआ था। खान, कोयला, कृषि, ऊर्जा, महासागर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पैट्रो-रसायनों, उर्वरक, दवाईयों, पर्यावरण, जल प्रबंधन, तथा रेलवे सहित विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन अथवा प्रोटोकोल प्रवर्तन में हैं।

(ख) और (ग). फ्रांस के साथ आर्थिक सहयोग संतोषजनक रूप से विकसित हो रहा है। व्यापार और उद्योग में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दोनों देश सक्रिय हैं। दोनों देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दोनों देशों की सरकारों का समर्थन प्राप्त है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, फ्रांस विश्व के बड़े निवेशकों में से एक है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है, लेकिन फ्रांस का निवेश कम हुआ है। जहां 1991 में फ्रांस का कुल निवेश 3.7 प्रतिशत था, वह अब लगभग 0.48 प्रतिशत रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, फ्रांस द्वारा भारत में निवेश कम होने के कारण क्या हैं, जबकि 1995 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री नरसिम्हा राव, ने बड़े अधिकारियों और व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर फ्रांस की यात्रा की थी? इसके अलावा औषध द्रव्यों, गैर कानून व्यापार को रोकने के संबंध में एक समझौते की बात फ्रांस से चली थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस संबंध में क्या फ्रांस से कोई समझौता हुआ है; और, अगर समझौता हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल : महोदय, मुझे खेद है कि मैं वास्तव में प्रश्न के सार को नहीं समझ सका। क्या मेरे माननीय मित्र मुझसे पूछ रहे हैं क्या हमारा भारत के अथवा किसी अन्य के संबंध में फ्रांस के साथ समझौता हुआ है?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को रोकने के लिए औषध द्रव्यों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए फ्रांस से एक समझौते की बात चली थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस संबंध में हमारी सरकार द्वारा कोई समझौता हुआ है; और यदि हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल : नहीं, महोदय अभी तो ऐसा कोई समझौता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में फ्रांस को विशेषज्ञता प्राप्त है, उन क्षेत्रों में भारत को निवेश की तीव्र आवश्यकता है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, सड़कें और शहरी सेवायें आदि। इन क्षेत्रों में फ्रांस का निवेश भारत में बढ़े। इसके लिए हमारी सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? इसके अलावा भारत भी फ्रांस को कई पारम्परिक चीजों का निर्यात कई वर्षों से करता रहा है, जैसे परिधान, चमड़े की वस्तुयें, वस्त्र आदि। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल : महोदय, जहां तक आयात और निर्यात का संबंध है और हम किस प्रकार का वस्त्र निर्यात कर रहे हैं और हम क्या आयात कर रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि वह वाणिज्य मंत्रालय को सीधे अपना प्रश्न भेजें। वह उन्हें उत्तर देने में समर्थ होंगे।

जहां तक निवेश का संबंध है फ्रांस ने इस देश में काफी निवेश किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जहां तक आर्थिक मामलों का संबंध है इन्हें बातचीत के लिए लिया गया था लेकिन वे अभी समाप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : महोदय, पिछले कई वर्षों से भारत में फ्रांस का निवेश घटा है। काफी कम हुआ है। 1991 में जहां यह निवेश 3 प्रतिशत था, अब 1996 में पूंजी निवेश घटा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इस पूंजी निवेश के कम होने कारण क्या हैं, यह निवेश घटा क्यों है?

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल : महोदय, निवेश में वृद्धि हुई है। मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्या व्यापार में कटौती हुई है अथवा वृद्धि हुई है। यदि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं तो उन्हें मुझे अलग से सूचना देनी होगी। जहां तक इस देश में फ्रांस के निवेश का संबंध है उसमें वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 351 श्री सनत कुमार मंडल-अनुपस्थित। श्री जार्ज फर्नान्डीज-वह यहां हैं।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री कहां हैं? प्रश्न उनके लिए है। क्या हो रहा है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि मानव संसाधन विकास मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। सौभाग्य से सदस्य भी उपस्थित नहीं थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : महोदय, मैं यहां हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, राज्य मंत्री यहां हैं। मुझे खेद है। श्री जार्ज फर्नान्डीज प्रश्न पूछ सकते हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग बदलने संबंधी चीनी इरादे

+

***351. श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1996 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित "चाइनाज एक्सप्लोसिव डिजाइन ऑन ब्रह्मपुत्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के तथ्य और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर चीन सरकार से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो चीन का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है;

(ङ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के जन-जीवन एवं पर्यावरण पर चीन की परियोजना का पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके अनुसरण में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 18 नवम्बर, 1996 को "इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित "चाइनाज एक्सप्लोसिव डिजाइन ऑन ब्रह्मपुत्र" शीर्षक समाचार रिपोर्ट जून, 1996 के साईंटिफिक अमेरिकन (एक अमरीकी पत्रिका) के अंक में छपे एक लेख पर आधारित है। इस लेख में अमेरिका के एक गैर-सरकारी संगठन विशेषज्ञ को उद्धृत किया गया है कि चीनी इंजीनियरों ने शान्तिपूर्ण नाभिकीय विस्फोटों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रूख बदलने के लिए पर्वत माला के जरिए एक 20 किलोमीटर चैनल का निर्माण करने के लिए एक परियोजना संकल्पना दस्तावेज तैयार कर देने की संभावना व्यक्त की गई है।

इसके पश्चात चीन ने शान्तिपूर्ण नाभिकीय विस्फोटों से सम्बद्ध अपने रूख में परिवर्तन किया है। चीन ने 29 जुलाई, 1996 को नाभिकीय विस्फोट परीक्षणों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा की और 24 सितम्बर, 1996 को इसने व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नाभिकीय विस्फोटों पर रोक लगाने की बात कहीं गई है। यदि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के पक्षकार राज्यों के बीच सर्वसम्मति हो जाती है तो इसमें 10 वर्ष के बाद शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नाभिकीय विस्फोटों की उपयोगिता की समीक्षा करने की व्यवस्था है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब जून 1996 में साईंटिफिक अमरीकन में यह लेख छपकर आया तो क्या तब से लेकर अब तक भारत सरकार ने चीन की सरकार से यह पूछा है कि क्या उनका ऐसा प्रयास करने का कोई इरादा है। अभी जब चीन के प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई और चीन के राष्ट्रपति भारत आकर गये और रोम में जहां अनाज के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी वहां हमारे प्रधान मंत्री को अपने हाथ-पांव बांधकर दे दिये। महोदय, यह हमारे भविष्य और सुरक्षा के काम से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर लेख छपने के बाद क्या भारत सरकार की ओर से चीन सरकार से इस बारे में पूछताछ की गयी है।

[अनुवाद]

श्री आई.के. गुजराल : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने एक प्रश्न में तीन बातें उठाई हैं। पहला प्रश्न तिब्बत के संबंध में हमारी नीति के बारे में है। मैं समझता हूं कि तिब्बत के संबंध में भारत की नीति का सबको पता है। इसलिए हमारे द्वारा इसे पुनः उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे हमारे साथ नहीं उठाया। इसलिए स्थिति वैसे की वैसी है।

जहां तक ब्रह्मपुत्र का बहाव बदलने के मामले का संबंध है, हमारे पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है जिसके आधार पर भारत सरकार उनकी सरकार से बातचीत कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे मंत्री जी के उत्तर से बड़ी परेशानी हो रही है। जब जून 1996 में यह मामला आता है और दो सदस्यों के प्रश्न रखने पर क्या इस बारे में कोई जांच की। अमरीकन दूतावास की लाइब्रेरी में अमरीकन साईंटिफिक आता है और उसके बाद हिंदुस्तान के अखबार में इसके बारे में लेख आए और भारत सरकार ने इसके बारे में नहीं पूछा, मैं इसकी निंदा करता हूं।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर चीन का यह इरादा है और अब चूंकि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करके, न्यूक्लीयर एक्सपलोजन न करने की बात आपने कही और आप इसको अपने मन से कह रहे हैं तो क्या सी.टी.बी.टी. होने के बाद ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे 20 मिलोमीटर का चैनल बनाकर ब्रह्मपुत्र की ओर आने का जो कोर्स है उसको बदलने के लिए चीन यह प्रयास जारी नहीं रखेगा। आपके पास इसके बारे में क्या भरोसा है, अगर चीन से यह बात आपने अभी तक नहीं छेड़ी है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे माननीय मित्र अत्यन्त निपुण व्यक्ति हैं और उन्हें पूरा ज्ञान है लेकिन वे यह भी जानते हैं कि कुछ मामलों में गैर-सरकारी, विद्वतापूर्ण अथवा यहां तक बौद्धिक संगोष्ठियों में कभी-कभी विचार-विमर्श किये जाते हैं। अब किसी सरकार के लिए सम्भव भी है कि जब किसी संगोष्ठी में कुछ घटित होता है और कोई इसकी सूचना देता है तो उन्हें द्विपक्षीय आधार पर लेना चाहिए। मैं दुबारा कहता हूं कि हमारे पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है और न थी जिसके आधार पर मैं अथवा भारत सरकार इस मामले को उठा सका।

जब मैं इस बारे में कहता हूं तो मुझे मेरे मित्र को यह भी बताने दिया जाए कि जब चीन के राष्ट्रपति यहां दौरे पर थे तो हमने सभी अन्य मामलों को, जो चिन्ता के विषय थे और हमारे हित के थे उनके साथ उठाया था।

श्री जी.जी. स्वैल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि चीन के राष्ट्रपति के हमारे देश के दौरे के दौरान सभी हमारे संबंधित मामलों को हमने उनके साथ उठाया था। अब चीन के राष्ट्रपति के दौरे संबंधी विषय को इस सदन में अभी तक नहीं उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या ब्रह्मपुत्र के बहाव को बदलने का यह विशेष मामला उनके साथ उठाया गया था।

हम व्यापक परमाणु प्रसार निषेध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) के बारे में बात कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं क्या ब्रह्मपुत्र के बहाव बदलने को आणविक विस्फोट के बजाय किसी अन्य विस्फोट द्वारा किया जा सकता है और क्या उन्होंने इस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है जिसका प्रभाव उत्तर भारतीयों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पड़ने वाला है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं माननीय मित्र से सहमत हूं कि यदि ऐसा होगा तो यह हम सबके लिए चिन्ता का मामला है और इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन हमारे पास, मैं दोहराता हूं, हमारे पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है जिसके आधार पर हम यह मामला चीन के साथ उठा सकें कि यह होने वाला है हमारे पास इस मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री जी.जी. स्वैल : महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या बहाव के बदलाव को आणविक विस्फोटों के बजाय किसी अन्य विस्फोटों द्वारा किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसा केवल वैज्ञानिक ही कह सकते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, क्या अन्य विस्फोटकों से ऐसा हो सकता है। ये सभी अनुमान हैं। इसकी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है कि इस संबंध में चीन का कोई कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने चीन के नेताओं के साथ उन सभी बातों पर चर्चा की जो हमारे लिये चिन्ता का विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बातचीत हुई है? अगर हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, अगर मैं ठीक से समझा हूं, तो मेरे माननीय मित्र ने मुझसे यह पूछा है कि क्या हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातचीत की है या नहीं। क्या मेरी बात ठीक है? दूसरा प्रश्न क्या था?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरा सिक्किम है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं पहले सिक्किम को लूंगा। चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान, मैंने सिक्किम का मामला उठाया और उससे मेरी यह अवधारणा बनी-और मैं इसे यहां उपस्थित अपने माननीय मित्रों के साथ बांटना चाहता हूं-कि चीन में हमारे दावे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे इस पर सहमत हो गये हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि उनका रुख उतना ही कठोर है, जितना वह पहले था। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में अधिकारियों की बैठक में कुछ और अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे।

जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि जब हम सीमाओं पर चर्चा कर रहे हों तो हमारे ओर की सीमा का अर्थ है कि यह क्षेत्र हमारा है; केवल इसका यही अर्थ नहीं है, बल्कि जहां तक भारत का संबंध है यह क्षेत्र हमारा है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है और हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सीमा कहां होगी और एक बार वह परिभाषित और सुनिश्चित हो जाये, उसके पश्चात्, निःसंदेह सभी चीजें ठीक हो जायेंगी।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर उनक विचार में तथ्यात्मक रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन इससे असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक बहुत ही गलत संदेश जायेगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस विषय पर चीन के साथ बातचीत करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उनके पास इस संबंध में कोई पुष्ट जानकारी नहीं थी। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन इस विषय को उनके साथ उठाने के लिए यह उपयुक्त समय है। अन्यथा इसमें बहुत देर हो जायेगी। असम प्रेस, समाचार पत्र और ऐसे लोग जो चीन के साथ हैं, वे यह बता रहे हैं कि यह मामला सिर उठा रहा है। अतः, मंत्री जी को यह मामला यहां चीनी राजदूत के साथ उठाना चाहिये। अन्यथा इसमें बहुत देर हो जायेगी क्योंकि चीन की इस कार्यवाही से सारे असम में काफी गंभीर भौगोलिक और अन्य परिवर्तन हो जायेंगे क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से गुवाहटी और फिर अन्य स्थानों से होकर बहती है। मंत्री जी को इस मामले को ऐसा मामला नहीं समझना चाहिये जिस पर उनके पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। हम यह जानते हैं कि प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने के हमारे स्रोत भी बहुत घटिया स्तर के हैं। अतः, मैं मंत्री जी से इस मामले का ध्यान रखने और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाने अथवा कुछ पूछने से परहेज न रखने का अनुरोध करता हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कूटनीति में हम हमेशा यह पूछ सकते हैं कि यह बात सही है अथवा नहीं। अगर यह सही है, तो मंत्री जी को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और उसे उसी स्थिति में नहीं छोड़ देना चाहिये। मेरा यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रश्न है और आपको उसका जवाब देना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 352-श्री जी. वेंकट स्वामी-अनुपस्थित।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम

***342. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1996 के "स्टेट्समैन" में "डैथ्स ड्यू टू रैबीज आन द राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रैबीज नियंत्रण संबंधी कोई व्यापक कार्यक्रम न होने के कारण मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रैबीज के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए काई नीति तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है जो ये दर्शाते हों कि रैबीज के कारण मृत्युदर बढ़ रही है। रैबीज नियंत्रण उपाय के रूप में राज्य सरकारें सामान्य प्रक्रिया में अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वैक्सीन उत्पादन यूनिटों से रैबीज वैक्सीनें खरीद रही हैं।

(ग) और (घ). हाल ही में जन प्रतिनिधियों, प्रचार माध्यमों और जनता को कुत्तों के अनिवार्य लाईसैंसीकरण तथा टीके लगवाने और आवारा कुत्तों की संख्या में मानवीय तरीके से कमी करने, जैसाकि अन्य देशों में किया गया है, की आवश्यकता के बारे में सुग्राही बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य में सभी राज्यों को शामिल करने की कोशिश है। हाल ही में रैबीज-रोधी वैक्सीन की उत्पादकता की समीक्षा भी की गई है और देश में ही टिशू कल्चर पर आधारित वैक्सीन का उत्पादन करमे की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश

***343. श्री के.पी. सिंह देव**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों के विकास हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से निवेश आकृष्ट करने हेतु कोई नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार के आह्वान के प्रति गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिक्रिया के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पत्तनों के आधुनिकीकरण एवं विकास पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए हैं:—

(1) पत्तन की मौजूदा परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।

(2) अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण/सृजन जैसे :

(i) कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।

(ii) बल्क, ब्रेक बल्क, बहुउद्देश्यीय और विशिष्ट कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।

(iii) वेयर हाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, भंडारण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(iv) क्रेनेज/हैंडलिंग उपकरण।

(v) आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

(vi) शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(3) पत्तन हैंडलिंग के लिए उपकरण पट्टे पर देना तथा निजी क्षेत्र से फ्लाटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(4) पायलटेज।

(5) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) मौजूदा कानूनी ढांचे में पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति है।

(ii) पत्तन, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन अपनी नियामक भूमिका अदा करते रहेंगे और शुल्कों की सीमाएं तब तक नियत करते रहेंगे जब तक पत्तन शुल्कों को नियत और संशोधित करने के लिए किसी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना न हो जाए। दिशा-निर्देशों के अनुरूप विनियम तैयार करने के लिए भी पत्तन कदम उठाएंगे ताकि निजी क्षेत्र की सहभागिता हो सके।

(iii) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर निविदाओं के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं में पत्तन के खर्च से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसकी लागत बाद में सफल निविदा-दाता से वसूल की जाएगी।

(iv) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए सामान्यतः निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण का नमूना उपयोग किया जाएगा जिसमें रियायत की अवधि के पश्चात् प्रिसंपत्तियां पत्तन को मुफ्त वापस प्राप्त हो जाएंगी। मूल्यांकन, निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाएगा और यह एन पी बी विश्लेषण का उपयोग करते हुए पत्तन द्वारा अधिकतम वसूली के आधार पर होगा।

(v) रियायत की अवधि प्रत्येक मामले में संबंधित पत्तन न्यासों द्वारा तय की जाएगी जिसका अधिकतम समय 30 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(vi) पत्तन, वित्तीय लाभ अथवा संभावित ट्रैफिक की कोई गारंटी नहीं देगा।

(vii) वेतन, प्रचालन लागतों में वृद्धि, मुद्रा स्फीति के आधार पर जब भी टैरिफ में संशोधन करना उचित होगा। सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

(viii) निजी क्षेत्र की सहभागिता खुली प्रतियोगी बोलियों के आधार पर होगी।

(ix) पत्तन न्यास द्वारा उपकरण/पत्तन क्राफ्ट पट्टे पर लेने में तथा पायलटेज के लिए मूल्यांकन का मानदंड पत्तनों की न्यूनतम लागत के आधार पर होगा।

(x) पत्तन श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रमिकों की सहमति के बगैर कोई छंटनी नहीं की जाएगी और इसे औद्योगिक विवाद

अधिनियम तथा संबंधित श्रमिक कानूनों के अनुसार ही किया जाएगा। पट्टाधारी देश के सभी श्रमिक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(xi) दोहरी जांच प्रणाली को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करने में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।

(xii) पत्तन आधारित उद्योगों को कुछ शर्तों के अधीन आबद्ध सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी।

(ग) नए दिशा-निर्देश अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए भावी निविदाएं इन दिशा-निर्देशों पर आधारित होगी और निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया का जायजा यथासमय ही लिया जा सकता है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए अक्तूबर, 1996 तक लगभग 1435 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई

***344. श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 110 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य को भी विश्वास में लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश सरकार के पास क्षतिपूर्ति के सभी लंबित मामलों के निपटाये जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की सातवीं बैठक जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 13.11.1996 को आयोजित की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 96-97 के लिए सरदार सरोवर बांध के निर्माण कार्यक्रम पर विचार किया गया था। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री, गुजरात के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री (मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में), राजस्थान के गृह मंत्री (मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में) और केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें यह निर्णय गया था कि वर्ष 1996-97 के दौरान बांध की ऊंचाई स्पिलवे के भाग में 110 मी. ई.एल. तक बढ़ाई जाए। इसी बीच, गुजरात द्वारा मध्य प्रदेश के प्रभावित शेष व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपाय पूरे किए जाएंगे। मध्य प्रदेश इस संबंध में सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। 81.5 मीटर ई.एल. तक पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के बाद, संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपदल और पर्यावरण उपदल द्वारा, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, प्रति 5 मीटर ऊंचाई के लिए ऐसी ही पुनरीक्षा की जाएगी ताकि निर्माण कार्य के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों के कार्यान्वयन में समरूप प्रगति इस ढंग से की जाए जिससे ये कार्य 31 मई, 1997 तक परियोजना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को वास्तविक रूप से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में पूरा किया जा सके।

बांध की वर्तमान 81.5 मीटर ई.एल. ऊंचाई तक, मध्य प्रदेश में 692 परिवार प्रभावित हुए हैं। बांध की डूब के अंतर्गत आने वाली सम्पत्तियों के लिए विस्थापित परिवार को मुआवजा उनसे संबंधित मूल राज्यों द्वारा दिया जाता है। 81.5 मीटर ई.एल. बांध की ऊंचाई पर परियोजना के प्रभावित 692 परिवारों में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना से प्रभावित 155 परिवारों को अभी मुआवजा दिया जाना है।

दिल्ली के लिए ट्रोमा सैंटर

***346. श्री विजय हाण्डिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1984 में उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लिए एक "ट्रोमा केयर सैंटर" हेतु स्वीकृति और अनुमति दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्थापित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "ट्रोमा केयर सुविधा के अभाव में अनेकों दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को नहीं बचाया जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). 1984 में दिल्ली के लिए एक केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा शुरू करने संबंधी एक परियोजना लगभग 16 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी। तथापि वित्त-पोषण के मुद्दे सहित विभिन्न कारणों से अब तक यह परियोजना लागू नहीं की जा सकी। दिल्ली में दुर्घटना के शिकार लोगों की उच्च प्रतिशतता को देखते हुए दिल्ली में एक अभिघात केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक परियोजना संभावित जापानी सहायता के लिए अक्तूबर, 96 में आर्थिक कार्य विभाग को भेजी गई है।

चिकित्सा सुविधाएं

***348. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या के अनुपात में विसंगति का

लगाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से प्राथमिक स्वास्थ्य और शल्य चिकित्सा में सामने आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 1.1.1993 की स्थिति के अनुसार अस्पतालों और पलंगों का ग्रामीण-शहरी अनुपात क्रमशः लगभग 1:2 (ग्रामीण क्षेत्रों में 4310 अस्पताल और शहरी क्षेत्रों में 9382 अस्पताल) और 1:4 (ग्रामीण क्षेत्रों में 122109 पलंग और शहरी क्षेत्रों में 474094 पलंग) है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या 132285 उपकेन्द्रों, 21,802 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2401 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग 109010 आब्जर्वेशन पलंग (4-6 पलंगों की दर से) और 72030 अंतरंग पलंग (प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 पलंग की दर से) हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में आड़े आ रही कठिनाइयां, जैसाकि समय-समय पर किए गए सुविधा अंतर सर्वेक्षणों के जरिए पता लगाया गया है, बुनियादी आधारभूत ढांचे की व्यवस्था, कार्मिक शक्ति की उपलब्धता, औषधों की पर्याप्तता और रक्त की उपलब्धता से संबंधित हैं।

(ग) भारत सरकार ने विश्व बैंक से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता वित्त पोषित परियोजना के संबंध में बातचीत पूरी की है। इस परियोजना के चरण-I और चरण-II में कुल 674 जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों, सामुदायिक अस्पतालों का नवीनीकरण/विस्तार आदि किया जाना शामिल है।

राज्य सरकार को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्तियों को भरें और आवश्यक औषधें, उपकरण प्रदान करें तथा इस आधारभूत ढांचे में प्रदान किए गए भवनों और उपकरणों का रख-रखाव करें।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रक्त निरापदता घटक के अधीन सरकार ने रक्त बैंकों को न्यूनतम बुनियादी उपकरण, नकद सहायता देकर, जांच रिएजेंट प्रदान कर और डिस्पोजेबिल और कांच के समान को बदल कर सार्वजनिक क्षेत्रों के 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया है। देश में रक्त की कुल जरूरत में वृद्धि करने के लिए 154 जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिन्हें रक्त बैंकों से संबद्ध किया गया है।

आंध्र प्रदेश को चिकित्सा सहायता

*349. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैजा तथा मलेरिया जैसी महामारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए तूफान पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). अन्यों के साथ-साथ राहत और पुनर्वास पर किए जाने वाले व्यय के लिए उपलब्ध आपदा राहत निधि आंध्र प्रदेश राज्य को जारी कर दी गई है। अर्थोपाय के लिए निधियां भी प्रदान कर दी गई हैं।

संकट प्रबंधन समूह की 11 एवं 15 नवंबर, 1996 को बैठकें हुई जिसमें राज्य सरकार ने बताया कि उसके पास राहत उपायों के लिए दवाइयों के पर्याप्त भंडार हैं।

फिर भी, केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन आंध्र प्रदेश सरकार से 19.11.96 को प्राप्त हुआ। अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों सहित जन-स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को हुई क्षति तथा जल संसाधन, स्वच्छता, अनिवार्य दवाइयों आदि पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार ने 23.20 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने पर केन्द्रीय दल ने 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1996 तक आंध्र प्रदेश का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट संबंधी अंतरमंत्रालीय समूह की सिफारिशों पर अब राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा विचार किया जाना है।

विश्वविद्यालयों को धनराशि प्रदान करना

*350. **श्री अनंत कुमार** :

श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अंत की तारीख तक राज्य-वार प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों और इनमें सम्बद्ध कालेजों में विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुदान अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों को और अधिक धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक और दक्षिणी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते है तथा उनका अनुरक्षण और विकास का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमण्डल के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं तथा उनका अनुरक्षण और विकास का व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी केवल उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में। राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों/कालेजों को योजनागत और योजनेत्तर अनुदानों का उपयुक्त स्तर प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्रथमतः उन्हीं का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों को योजनागत सहायता के लिए मापदण्डों में छूट दी है। विश्वविद्यालयों को वितरित करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार द्वारा दिए जाने वाले योजनेत्तर अनुदानों में भी पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में प्रावधान है कि संस्थानों के संवांगीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के समेकन व विस्तार पर मुख्य बल दिया जाएगा। नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना-1992 में यह उल्लेख है कि राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली योजनागत निधियों में होने वाली कमी को रोकने और संसाधनों की रूकावटों व नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपयुक्त बुनियादी सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर रोक लगाए।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों का विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	2966.08	2911.59	3448.55
दिल्ली	7465.76	5024.98	9372.64
अरूणाचल प्रदेश	-	-	16.50
असम	167.67	623.09	919.28
बिहार	924.89	1031.66	1142.85
हरियाणा	109.11	232.43	211.25
गुजरात	688.93	926.68	919.89
गोवा	37.69	59.21	30.80
हिमाचल प्रदेश	48.68	102.13	54.48
जम्मू एवं कश्मीर	78.80	217.96	139.28
कर्नाटक	707.33	753.73	698.97
केरल	318.54	387.63	253.93
मणिपुर	52.84	44.55	92.76
मेघालय	1687.12	1653.10	1785.24
मध्य प्रदेश	414.74	708.49	608.71
महाराष्ट्र	1047.65	989.71	1392.69
उड़ीसा	139.25	385.20	256.98
पंजाब	484.10	486.24	615.05
पांडिचेरी	661.76	537.91	784.30
राजस्थान	418.56	263.19	556.03
तमिलनाडु	1087.20	1404.44	1586.64
त्रिपुरा	11.54	29.48	22.43
उत्तर प्रदेश	14037.87	15261.92	20841.21
पश्चिम बंगाल	2490.86	2703.56	2907.00
नागालैंड	-	90.05	668.25

भूजल के स्तर में कमी

***352. श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में भूजल के स्तर में तेजी से हो रही कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षण का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में भूजल के स्तर में हो रही कमी को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल स्तर के दीर्घ अवधि प्रेक्षणों में से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के कुछ पॉकेटों में भूजल स्तर में क्रमशः गिरावट आई है। इनका विवरण संलग्न है।

(ग) भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :—

(1) संभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के नियंत्रण तथा इसके विनियमन के लिए समुचित कानून बना सकें।

(2) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना बनाना। योजना परामर्श स्तर पर है।

(3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में मेनुअल का परिचालन ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(4) महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल के पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

विवरण

पॉकेटों सहित उन जिलों की सूची जहां भूजल स्तरों में 4 मीटर से अधिक गिरावट है तथा दीर्घावधि आधार पर (1980–93) 2 से 4 मीटर तक मानसून से पहले की स्थिति

राज्य	4 मीटर से अधिक गिरावट वाले जिले	2 से 4 मीटर तक की गिरावट वाले जिले
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	-	मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद
पंजाब	अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, फरीदकोट, फतेहगढ़, संगरूर, पटियाला, कपूरथला	गुरूदासपुर, होशियारपुर
हरियाणा	कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत गुडगांव, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी	सोनीपत, हिसार, जिंद, फरीदाबाद, रोहतक
उत्तर प्रदेश	गौंडा, फर्रूखाबाद, लखनऊ कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बान्दा,नैनीताल, बरेली, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, ललितपुर	मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, इटावा, बाराबंकी, राय-बरेली, आजमगढ़, सहारनपुर, रामपुर
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	मुर्शिदाबाद, पश्चिम दिनाजपुर, मालदा, दार्जिलिंग, जलपायगुड़ी, बाकुंरा, पुरूलिया।
उड़ीसा	मयूरभंज	क्योंझर, कटक, धेनकनाल, गंजाम, कोरापुट
राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर, टोंक, सवाई-माधोपुर, दौसा, अलवर, सीकर, पाली, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर	अजमेर, चुरू, उदयपुर, डुंगरपुर
मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर	सेहोर, बेतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मांडला, जबलपुर दमोह, दुर्ग, राजनन्दगांव, बस्तर, सीधी, देवास, दतिया, भिन्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, राजगढ़, सिवनी।

1	2	3
कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, उत्तर कन्नड, धारवाड़, बिल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मांडया, मैसूर, कोलार, गुलबर्गा	तुमकुर, बीदर, दक्षिण कन्नड़
तमिलनाडु	सेलम, साऊथ आरकोट, चेंगलअन्ना, कोयमबत्तूर मंदुरै, तंजाऊर, पुदुकोट्टै, कामराजर तिरूनंगनार	धर्मपुरी, नार्थ आरकोट, पेरियार, कोट्टाबोम्मन

कालाजार

***353. श्री के.एच. मुनियप्पा :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान विभिन्न राज्यों में कालाजार से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) किन-किन राज्यों में इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कालाजार से प्रति वर्ष अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इस बीमारी के पुनः फैलने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). संबंधित राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1996 में सितम्बर में काला-आजार से बिहार में 538 मौतें, पश्चिम बंगाल में 10 मौतें हुई। बिहार और पश्चिम बंगाल में काला-आजार स्थानिकमारी वाला रोग है।

बिहार राज्य में इस रोग की घटना-दर में 1992 और 1993 की तुलना में 1994 और 1995 में गिरती हुई प्रकृति का पता चला था। तथापि 1995 में विशेषतया बिहार राज्य के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों में इस रोग की घटना-दर के साथ-साथ मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में भी इस के रोगियों की घटना-दर में वृद्धि हुई हैं।

(ग) से (च). इस रोग की गिरती हुई प्रकृति को बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित काला-आजार नियंत्रण के अन्तर्गत छिड़काव कार्य शुरू करने और कारगर उपचार प्रदान करने के लिए राज्यों को कीटनाशक (डी.डी.टी.) और काला-आजार-रोधी औषधें प्रदान कर रही है। राज्यों से परिचालन लागत वहन किया जाना अपेक्षित होता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। बिहार राज्य को समय-समय पर इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जाने के लिए बार-बार कहा गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए राज्यों को केन्द्रीय दल भेजे गए। बिहार और पश्चिम बंगाल में काला-आजार की स्थिति का मूल्यांकन करने और इस रोग की रोकथाम करने के लिए उपचारी उपाय सुझाने का कार्य मई, 1996 में गठित किए गए एक विशेषज्ञ दल द्वारा पूरा कर लिया गया है। एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में काला-आजार सहित वैक्टर जन्य रोगों के लिए एक आकस्मित योजना राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार की जा रही है जिसमें रोग की रोकथाम और इसके संचरण अवधि तथा उपचार के दौरान छिड़काव के लिए ध्यान दिए जाने की जरूरत वाले स्थानिकमारी के क्षेत्रों तथा विशिष्ट स्थान पर प्रकाश डाला जायेगा।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास

***354. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, प्राकृतिक और अन्य देशी चिकित्सा पद्धति का विकास करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) देश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य विदेशी संगठनों द्वारा भारत में उक्त चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इन चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सरकार ने देश में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति, तथा होम्यापैथी के विकास तथा संवर्धन के लिए इन पद्धतियों का एक नया विभाग स्थापित किया है। ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना; भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के औषधों का मानकीकरण, भारतीय चिकित्सा पद्धति में औषध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के औषधों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना।

3. सेवारत अध्यापकों; डाक्टरों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पादपों का विकास तथा उनकी खेती।

5. इन चिकित्सा पद्धतियों के शीर्षस्थ संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा उनकी स्थापना जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी में अनुसंधान कार्य को आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की विभिन्न केन्द्रीय परिषदों द्वारा मदद की जाती है।

(ख) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन तथा कुछ उपकरणों की खरीद के लिए संतुलित सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

(घ) और (ङ). केन्द्र सरकार स्वयंसेवी संगठनों तथा प्राइवेट संस्थानों को सहायता दे रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के कालेजों की राज्यवार सूची

	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	होम्यो.	प्राकृतिक चिकित्सा
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	1	
आंध्र प्रदेश	4	2		4	1£
असम	1	-		3	
बिहार	9	4		20*	
दिल्ली	1	2		2	
गुजरात	9	-		10	
हरियाणा	4	-		-	
जम्मू व कश्मीर	-	2		-	
हिमाचल प्रदेश	1			-	
कर्नाटक	13	2		8	1£
केरल	5			5*	
मध्य प्रदेश	7	1		8	
महाराष्ट्र	36	6		38*	
उड़ीसा	4			5	
पंजाब	4			5	
राजस्थान	5	2		3	
तमिलनाडु	3	1	2	3	
उत्तर प्रदेश	10	7		10	
पश्चिम बंगाल	1	1		13	
गोवा	1	-	-	-	
चंडीगढ़	-	-	-	1	
	118	30	2	139**	2

* बिहार के 19 कालेजों, केरल के एक कालेज तथा महाराष्ट्र के 9 कालेजों के मामले में विश्वविद्यालय सम्बद्धन के बारे में जानकारी नहीं है।

** 139 में से 12 होम्योपैथी कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाते हैं।

£ ये दो कालेज केवल क्रमशः कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित हैं।

विवरण-II

स्वयंसेवी संगठनों तथा प्राइवेट संस्थानों को सहायता देने की योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है -

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों में सुधार लाने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता अनुदान देने की योजना।
2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पुनर्नाभिमुखीकरण के लिए सहायता अनुदान की योजना।
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर कालेजों को सहायता अनुदान देने की योजना।
4. होम्योपैथी के स्नातकोत्तर कालेजों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान की योजना।
5. **केन्द्रीय योजना एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद**
   1. योग/प्राकृतिक चिकित्सा-सह-प्रचार केन्द्र तथा रोगी परिचर्या केन्द्र स्थापित करना।
   2. योग और प्राकृतिक चिकित्सा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना।
   3. अनुसंधान योजनाएं।
   4. योग और प्राकृतिक चिकित्सा में कार्यशाला/संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करना।
6. **केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद**
   1. ऑगस्ट नर्सिंग होम, केरल
   2. अमला कैन्सर अनुसंधान संस्थान, केरल
7. **केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद**
   1. धूसापेश्वर महाराष्ट्र द्वारा आयुर्वेद में विशेष अनुसंधान परियोजना।
   2. आन्ध्र प्रदेश में उपचार के लिए औषध निर्माण तथा उनके नैदानिक परीक्षण।
   3. उड़ीसा में आदिवासी दवाई अनुसंधान।

स्नातकोत्तर शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कर रहे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध कालेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	-
2.	असम	-	-	-
3.	बिहार	1	-	-
4.	दिल्ली	-	1	-
5.	गुजरात	2	-	-
6.	हरियाणा	-	-	-
7.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
9.	कर्नाटक	7	-	-
10.	केरल	1	-	-
11.	मध्य प्रदेश	2	-	-
12.	महाराष्ट्र	15	-	-
13.	उड़ीसा	1	-	-
14.	पंजाब	1	-	-
15.	राजस्थान	2	-	-
16.	तमिलमाडु	-	-	1
17.	उत्तर प्रदेश	4	1	-
18.	पश्चिम बंगाल	1	-	-
19.	गोवा	-	-	-
		38	3	1

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

*355. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर कार्य चल रहा है और उनकी अनुमानित लागत अलग-अलग कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश की सभी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में आठवीं योजना के दौरान चल रही/पूरी की गई वृहत, मध्यम एवं विस्तार नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
(क) से (घ)			
क.	**वृहद परियोजनाएं**		
1.	उर्मिल बांध	33.91	93-94 में पूर्ण
2.	गंडक नहर	158.77	94-95 में पूर्ण
3.	मोधा बांध	138.00	96-97 में पूर्ण
4.	बीवर फीडर	50.50	96-97 में पूर्ण
5.	चित्तूरगाह जलाशय	35.70	96-97 में पूर्ण
6.	मध्य गंगा नहर	543.96	8वीं योजना से आगे
7.	शारदा सहायक परियोजना	1250.00	8वीं योजना से आगे
8.	सरयू नहर परियोजना	1256.00	8वीं योजना से आगे
9.	पूर्वी गंगा नहर	579.00	8वीं योजना से आगे
10.	सोन पंप नहर	72.55	8वीं योजना से आगे
11.	ज्ञानपुर पंप नहर	136.80	8वीं योजना से आगे
12.	लखचर व्यासी बांध	480.00	8वीं योजना से आगे
13.	जमरानी बांध	280.00	8वीं योजना से आगे
14.	राजघाट बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	133.08	8वीं योजना से आगे
	राजघाट नहर (उत्तर प्रदेश)	129.44	8वीं योजना से आगे
15.	बाणसागर बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	234.00	8वीं योजना से आगे
	बाणसागर नहर (उत्तर प्रदेश)	268.00	8वीं योजना के आगे
	बाणसागर नहर (मध्य प्रदेश)	27.92	8वीं योजना से आगे
16.	टिहरी बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	581.58	8वीं योजना से आगे
17.	कन्हर सिंचाई	174.27	8वीं योजना से आगे
18.	चंबल लिफ्ट सिंचाई	60.63	8वीं योजना से आगे
19.	जरौली पंप नहर	35.00	8वीं योजना से आगे
20.	किशाऊ बांध	498.14	8वीं योजना से आगे
ख.	**मध्यम परियोजनाएं**		
1.	हिण्डन कृष्णी दोआब में, खरीफ चैनल उपलब्ध कराना	29.72	8वीं योजना से आगे
2.	गंतानाला बांध	22.15	96-97 में पूर्ण
3.	पथरई बांध	38.38	96-97 में पूर्ण
ग.	**विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाएं**		
1.	जामनिया की बढ़ी हुई क्षमता	42.82	92-93 में पूर्ण

1	2	3	4
2.	संशोधित कावानो	21.02	92-93 में पूर्ण
3.	केन नहर की री-माडलिंग	5.53	93-94 में पूर्ण
4.	नरौनपुर की वृद्धि क्षमता	61.50	95-96 में पूर्ण
5.	माझा बांध को ऊंचा करना	52.18	96-97 में पूर्ण
6.	संशोधित टोल पंप नहर	35.19	96-97 में पूर्ण
7.	घग्घर नहर का आधुनिकीकरण	36.96	96-97 में पूर्ण
8.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	51.53	8वीं योजना से आगे
9.	ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण	725.40	8वीं योजना से आगे
10.	चैनलों का संरेखण	48.78	8वीं योजना से आगे
11.	लछुड़ा हैड वर्क्स का आधुनिकीकरण	60.00	8वीं योजना से आगे
12.	न्यू ताजेवाला बराज	25.00	8वीं योजना से आगे

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की नई स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 1996-97 के लिए 67.00 करोड़ रुपए केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए हैं और 33.5 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1996-97 के लिए केंद्रीय ऋण सहायता	
		अनुमोदित	निर्मुक्त
क.	**वृहद परियोजनाएं**		
1.	शारदा सहायक (तीसरी योजना)	20	10
2.	सरयू नहर (पांचवी योजना)	18	9
3.	अपर गंगा, जिसमें मध्य गंगा सम्मिलित है	20	10
4.	राजघाट	6	3
ख.	**मध्यम परियोजनाएं**		
1.	गुंटानाला बांध	2	1
2.	हिंडन कृष्णा दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना	1	0.5
		67	33.50

[अनुवाद]

पेरियार बांध की ऊंचाई

***356. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने पेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में पेरियार बांध के अग्र भाग में दरार आने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस दरार से कुल कितनी क्षति हुई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। केरल सरकार द्वारा मुल्ला पेरियार बांध के भंडारण स्तर को बढ़ाने से संबंधित समग्र पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि बांध का भंडारण स्तर 136 फीट की ऊंचाई से 152 फीट की ऊंचाई तक बढ़ाना विवेकपूर्ण और परामर्श योग्य नहीं है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय अथवा केन्द्रीय जल आयोग को मुल्ला पेरियार बांध के अग्र भाग में दरार के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और केन्द्रीय जल आयोग के दल द्वारा इस मामले में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

***357. श्री डी.पी. यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के और विशेषरूप से राजधानी के अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों की समस्या का पर्याप्त हल उनको जलाना ही नहीं है;

(ख) क्या इस समस्या का हल निकालने के लिए हाल ही में दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजिन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु क्या नीति अपनाई गई है तथा इस संबंध में सभी अस्पतालों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अस्पताली अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की एक विधि उन्हें जलाने की है। जिन अस्पताली अपशिष्टों को जलाना सम्भव न हो उनके निपटान की वैकल्पिक विधि जैसे शेडिंग तथा ऑटो-क्लीनिंग आदि अपनाई जाती है।

(ख) अस्पताली अपशिष्ट के निपटान के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली में अनेक संगोष्ठियां की गई हैं। हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में 27-28 सितम्बर, 1996 को चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के संबंध में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी।

(ग) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने जनता तथा प्रभावित होने वाली संबंधित एजेंसियों की राय/आपत्तियां जानने के लिए 24.4.1995 को प्रारूप जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध एवं संचालन) नियम, 1995 अधिसूचित किए हैं। इन प्रारूप नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि 30 पलंगों से अधिक पलंगों वाले अथवा प्रतिमाह एक हजार से अधिक रोगियों की खान-पान व्यवस्था करने वाले प्रत्येक अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक को अपने परिसर में एक इन्सीनेरेटर लगाना चाहिए तथा सभी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, जिन्हें जलाया न जा सकता हो, उन्हें पूर्व-संसाधित, विसंक्रमित कर पर्यावरणीय स्वच्छ विधि से निपटाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने 7.5.1996 के आदेश में निदेश दिया है कि दिल्ली में 50 से अधिक पलंगों वाले सभी अस्पतालों/नर्सिंग गृहों में इन्सीनरेटर अथवा कोई दूसरा बराबर का प्रभावकारी विकल्प लगाए जाए।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपशिष्ट निपटान संबंधी दिशानिर्देश परिपत्रित किए हैं तथा इन्सीनेरेटरों के लिए मानक निर्धारित किए हैं।

राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद

***358. श्री मुख्तार अनीस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के गठन का स्वरूप क्या है;

(ख) अपने गठन के समय से इसकी अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए इसका कार्यक्रम क्या है तथा इसे कितनी राशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). उर्दू भाषा की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय परिषद की संरचना निम्नानुसार है :-

अध्यक्ष : मानव संसाधन विकास मंत्री

उपाध्यक्ष : श्री राज बंधु गौड़

सदस्य :

1. श्री राजेन्द्र मल्होत्रा
2. डा. नरेन्द्र लूथर
3. प्रो. जगन्नाथ आजाद
4. डा. (सुश्री) लाइक सालाह
5. सुश्री जीलानी बानू
6. श्री एल.के. गुलाटी
7. प्रो. मलकजादा मंजूर अहमद
8. डा. गोपी चंद नारंग
9. प्रो. अब्दुल मुघनी
10. प्रो. निजामुद्दीन एस. गोरेकर
11. श्री शाहिद सिद्दिकी
12. श्री अब्दुल फैज सहर
13. श्री कश्मीरी लाल जाकिर
14. सुश्री सलमा सिद्दिकी
15. श्री ए.एस. मलीहाबादी
16. श्री मुस्तबा हुसैन
17. प्रो. मो. जमन अजुरदा
18. सैय्यद मंजूर अहमद
19. श्री सैय्यद आजम हुसैन
20. प्रो. (सुश्री) सईदा सैय्यदन
21. प्रो. एस.एम. एच. रिजवी
22. श्री एस.जी.ए. नकवी

आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक (अथवा) उनका प्रतिनिधि

संयुक्त सचिव (भाषा), शिक्षा विभाग

वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।

निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा।

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

श्री डी.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार, विधि मंत्रालय।

दिनांक 1.4.1996 को अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद ने निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हैं :-

निम्नलिखित का प्रकाशन किया :

क) अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश -तृतीय खण्ड

ख) उर्दू विश्वकोश-प्रथम खण्ड

ग) वजाहती किताबियत -खण्ड III

निम्नलिखित को तैयार किए जाने हेतु प्रैस में भेजा जा चुका है :-

क) अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश खण्ड I एवं IV

ख) उर्दू विश्वकोश-खण्ड-II

कृषि के सम्बन्ध में एक पांच-दिवसीय पारिभाषिक शब्दावली विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और 600 शब्दों को अंतिम रूप दिया गया। दस सुलेख प्रशिक्षण केन्द्रों और टंकण/आशुलिपि केन्द्रों में परीक्षाओं/साक्षात्कारों का पर्यवेक्षण किया गया। इसके अलावा, हैदराबाद में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

वर्ष 1996-97 के लिए कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1) उर्दू विश्वकोश 2 खण्ड

2) अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश -3 खण्डों में।

3) शब्द संग्रह (अंग्रेजी -उर्दू) -3 खण्ड।

4) शीर्षक -15

5) स्थापना सुलेख प्रशिक्षण केन्द्र-2

6) 48 केन्द्रों में परीक्षाएं/साक्षात्कार

7) पुस्तक प्रदर्शनी -4

8) विचारगोष्ठी-1

9) पुस्तक विक्रय-6 लाख।

वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद हेतु आवंटित निधि 100 लाख रु. है।

नियंत्रण मुक्त औषधियां

***359. श्री पंकज चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियंत्रण मुक्त औषधियों के मूल्य पर निगरानी रखने के लिए इनकी एक सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है। तथापि औषधों के थोक मूल्य सूचकांक तथा अपसामान्य मूल्य वृद्धि से बचने के लिए बाजार की निगरानी के प्रबोधन के माध्यम से औषधियों के मूल्य रूझान पर अध्ययन किए जाते हैं।

हृदय रोग

***360. श्री भक्त चरण दास :**

श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय रोग से मरने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) प्रतिवर्ष हृदय रोग से मरने वालों की औसतन संख्या कितनी है;

(ग) अन्य देशों की तुलना में, देश में दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों का अनुपात कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार हृदय रोग के इलाज को अधिक सस्ता बनाने का है ताकि निर्धन हृदय रोगियों को बचाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किये जा रहे अन्य-निवारक और उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). देश में कुल मिलाकर हृदय रोगों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसी मौतें, मौत के कारण के साथ अधिसूचित नहीं की जाती हैं। तथापि भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट मृत्यु सर्वेक्षण (ग्रामीण) 1993 से पता चलता है कि 13.8 प्रतिशत मौतें रोगों या परिसंचारी प्रणाली के कारण होती हैं जिनमें अधिकतर हृदयवाहिका रोग शामिल हैं। अन्य देशों के साथ हृदय गति रूक जाने के कारण मरे लोगों का तुलनात्मक अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हृदयवाहिका रोगों के नियंत्रण पर एक अग्रणी परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय द्वारा पांच राज्यों अर्थात दिल्ली, हरियाणा, असम, केरल और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य जीवन शैली जोखिम के घटकों के प्रबंधन पर सूचना, शिक्षा और संचार द्वारा तथा इन रोगों के शीघ्र निदान तथा उपचार के माध्यम से द्वितीयक निवारण द्वारा भी प्राथमिक निवारण प्रदान करना है।

विवरण

अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में वर्ष 1990 में हृदयगति रुकने के कारण मरने वाले लोगों का अनुमानित अनुपात

	कुल मौतें (हजारों में)	आई एच डी के कारण मौतें (हजारों में)	अनुपात
विश्व	49,971	5147	0.1029
विकसित देश	10,883	2678	0.2460
विकासशील क्षेत्र	39,088	2469	0.0631
स्थापित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं	7,121.2	1561.6	0.2192
यूरोप के पूर्व समाजवादी देश	3,761	1116.3	0.2967
उप सहारा अफ्रीका	7,937	109.1	0.0137
लेटिन अमेरिका	2,992	269.1	0.0899
मध्य पूर्व	4,384	276.6	0.0631
अन्य एशियाई देश	5,519	589.2	0.1067
चीन	8,895	441.8	0.0496
भारत	9,371	783.2	0.0835

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन बुलेटिन खंड 72, संख्या 1994 में मुरे आर. लोरेंज द्वारा "ग्लोबल एंड रीजनल कॉज ऑफ डेथ पैटर्न इन 1990" नामक शोध पत्र से संकलित।

डाक्टरों द्वारा लापरवाही

3285. श्री बी.एम. कुंदूरकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में एक युवक की मृत्यु के मामले में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय चिकित्सा परिषद ने श्री वी.एस. माखोल से सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टरों की लापरवाही के कारण उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित डाक्टरों के विरूद्ध जांच की और यह पाया कि यह प्रथमदृष्टया अपराध का मामला था जिस पर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता थी। भारतीय चिकित्सा परिषद ने संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों अर्थात पंजाब राज्य चिकित्सा परिषद तथा हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

(ग) राज्य चिकित्सा परिषदों से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है जिनका गठन संबंधित राज्य विधायी अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस मामले की जांच की है और दोषी डाक्टरों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषदों को रिपोर्ट भेज दी है।

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे

3286. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वडोदरा से मुम्बई तक एक नई राष्ट्रीय सड़क का निर्माण करने का है जिसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जाना जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है और इस समय कोई ब्यौरे देना संभव नहीं है।

राज्य बाल कल्याण परिषद्

3287. श्री ए. सम्पथ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में राज्य बाल कल्याण परिषदें भली-भांति कार्य नहीं कर रहीं हैं;

(ख) क्या केरल राज्य बाल कल्याण परिषद् की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं तथा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माण एकक की स्थापना

3288. श्री टी. गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एन सी डी सी द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल में एच.ए.आर. आई.जी.आई.आर.एफ.ई.डी. द्वारा 110.50 लाख रुपए की लागत से आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माण एकक की स्थापना के संबंध में केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का एन सी डी सी को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के इस उद्यम को शीघ्र पूरा करने हेतु निर्देश देने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) मार्च, 1996 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 110 लाख रुपये की अनुमानित लागत से केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा एक आयुर्वेदिक औषध निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट सहित केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) 110.42 लाख रुपये की ब्लाक लागत वाली आयुर्वेदिक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इस परियोजना को केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघ द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की गई है। निगम में राज्य सरकार को सूचित किया है कि इस रिपोर्ट में विचारार्थ विषय के कुछेक महत्वपूर्ण पहलू शामिल नहीं है जबकि कुछ मुद्दे अपर्याप्त रूप से शामिल किये गये हैं। उन मुद्दों, जिन्हें निगम द्वारा निर्धारित किए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार शामिल किए जाने की आवश्यकता थी, की राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है।

(ग) जिन विचारार्थ विषयों पर सहमति हुई थी उनको कवर करने वाली रिपोर्ट में अपेक्षित संशोधन प्राप्त होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आगे कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

कलकत्ता और सिल्चर के बीच स्टीमर सेवा

3289. श्री सुशील चन्द्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता और सिल्चर के बीच स्टीमर सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). बांगलादेश से होकर जाने वाली कलकत्ता और करीमगंज/बदरपुर के बीच नदी कार्गो परिवहन सेवा पहले ही मौजूद है। यह मार्ग प्रत्येक वर्ष मई-आधे नवम्बर तक की अवधि में यातायात के लिए खुला होता है और पर्याप्त सुझाव उपलब्ध न होने के कारण शेष वर्ष के लिए बन्द होता है। बराक नदी में बदरपुर और सिल्चर के बीच का खंड, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के अनुसार इस समय नौचालन-योगय नहीं हैं। कलकत्ता और सिल्चर के बीच सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवयुग स्कूलों में प्रवेश

3290. श्री दिलीप संघानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों के बच्चों को नवयुग स्कूलों में प्रवेश हेतु कोई कोटा निर्धारित है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्मीबाई नगर के नवयुग स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों के बच्चों को दिल्ली में नवयुग स्कूलों में दाखिला के लिए कोई कोटा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के महाविद्यालयों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति

3291. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1996 के "राष्ट्रीय सहारा" में "पैनल में नाम नहीं था फिर भी नियुक्त कर दिया प्राचार्य ने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की अनियमितताये रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समाचार में लगाये गये आरोपों की वास्तविक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मंगाई गई है तथा इस संबंध में कोई भी अगली कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही संभव होगी।

वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जवानों का इलाज

3292. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा वायुसेना के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को एअरमैन वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से दिल की तथा कैंसर की बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा उक्त अस्पताल के कब तक बनाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेना तथा जल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जवानों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई ऐसा अस्पताल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). वायुसेना ने अपने कल्याण तथा गैर-सार्वजनिक निधियों से नई दिल्ली स्थित सुब्रतो पार्क में अति विशेषज्ञता वाला एक सेनानी अस्पताल (सुपर स्पेसिएलिटी वेटरेन होस्पिटल) स्थापित किया है। इस समय यह उद्यम सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। तथापि, इस अस्पताल के लिए राष्ट्रीय रक्षा निधि से 6.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के वास्ते एक अनुरोध भी प्राप्त हुआ है।

2. अति विशेषज्ञता वाले इस सेनानी अस्पताल में 54 बिस्तर होंगे और इसमें हृदय, गुर्दा, अस्थि तथा सांघातिक रोगों के लिए विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह अस्पताल मुख्यतः भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए है। यदि अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे तो वे सेना व नौसेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिए जाएंगे।

3. इस समय सेना व नौसेना के पास भूतपूर्व सैनिकों के लिए अस्पताल स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सेना अस्पतालों में मनोचिकित्सा उपचार, कैंसर उपचार, गुर्दा प्रत्यारोपण और कोरोनरी बाइपास सर्जरी को छोड़कर अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन बीमारियों के उपचार के लिए सशस्त्र सेनाओं को सामूहिक बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। सामूहिक बीमा योजना के तहत हृदय उपचार के वास्ते 1.00 लाख रुपए, कैंसर उपचार के वास्ते 75,000/- रुपए, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 1.00 लाख रुपए और कूल्हे व घुटने के जोड़ बदलने के लिए 75,000/- रुपए की राशि दी जाती है। जो भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा बीमा योजनाओं के तहत नहीं आते हैं, उन्हें बाइपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, गुर्दा प्रत्यारोपण कैंसर, कोरोनरी आर्टरी सर्जरी आदि गंभीर रोगों के उपचार पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

केरल तथा मध्य प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करना

3293. श्री पी.सी. थामस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल तथा मध्य प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या दोनों मामलों में निर्णय एक साथ लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु केरल को 17 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश को 5 करोड़ रुपए जमा करने हेतु कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो धनराशि के जमा किए जाने के संबंध में भेदभाव के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ङ). भारत सरकार ने वर्ष 1995 में कालीकट (केरल) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में दो नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना को अनुमोदित किया है जिनमें से प्रत्येक की कुल लागत 443.10 करोड़ रुपए है। केरल राज्य सरकार ने मुफ्त जमीन और प्रारंभिक लागत का 40 प्रतिशत भाग वहन करने का प्रस्ताव किया है जबकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार मुफ्त जमीन और 5.00 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई है।

शुष्क गोदी के पट्टे पर दिए जाने के संबंध में समझौता

3294. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.पी.टी. ने किसी शुष्क गोदी को गुप्त तरीके से मैसर्स चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड को पट्टे पर दिया है;

(ख) क्या चौखानी लिमिटेड ने सी.पी.टी. को काफी बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। कलकत्ता पत्तन न्यास ने निविदाएं आमंत्रित करके मैसर्स चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड को दिनांक 1.9.1994 से 30 वर्ष की अवधि के लिए एन एस शुष्क गोदी 1 और 2 और इसके साथ लगी हुई भूमि को पट्टे पर दिया था।

(ख) जी हां।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास और चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार दिनांक 1.3.96 से पहले बकाया देयताओं का भुगतान करने हेतु पक्षकार को नोटिस जारी किया गया था। चूंकि चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड बकाया देयताओं का भुगतान नहीं कर सका, इसलिए कलकत्ता पत्तन न्यास ने दिनांक 1.3.1996 को उक्त दोनों गोदियों का पुनर्ग्रहण कर लिया।

सड़क और पुलों हेतु विश्व बैंक ऋण

3295. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण और सुधार/मरम्मत हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और अग्रिम धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित परियोजनाओं पर ऋण की पूरी राशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन ऋणों और अग्रिम धनराशि को अन्यत्र खर्च किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) विवरण संलग्न हैं।

(ख) चूंकि इन ऋणों/अनुदान के अधीन परियोजनाओं के कार्य अभी किए जा रहे हैं इसलिए ऋण/अनुदान की समस्त राशि को अभी खर्च किया जाना है।

(ग) इन परियोनजाओं पर किए खर्च की संबंधित ऋणदांता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, अतः ऐसे ऋणों और अनुदान को अन्यत्र खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण और सुधार/मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित ऋणों और सहायता अनुदानों के ब्यौरे

अंतर्राष्ट्रीय संस्था	ऋण की राशि	हस्ताक्षर करने की तारीख	परियोजना
1 2	3	4	
1. विश्व बैंक	कोई नई	–	–
2. एशियाई विकास बैंक	245 अमरीकी डालर	मार्च, 1995	आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में रा.रा. परियोजनाएं (लगभग 332 कि.मी.)
3. ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड, जापान	10037 मिलियन जापानी येन	जनवरी, 1994	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 27 पर इलाहाबाद के निकट नैनी यमुना पुल का निर्माण।
4. वही	11360 मिलियन जापानी येन	जनवरी, 1994	आंध्र प्रदेश में रा.रा. 5 के चिलकालारुपेट विजयवाड़ा खंड में चार लेन बनाना।
5. ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड, जापान	5836 मिलियन जापानी येन	फरवरी, 1995	उत्तर प्रदेश में रा. रा. 24 पर हापुड़ बाईपास सहित गाजियाबाद हापुड़ खंड में चार लेन बनाना।
6. वही	4827 मिलियन जापानी येन	फरवरी, 1995	उड़ीसा में रा.रा.-5 के जगतपुर-चांदीकोट खंड में चार लेन बनाना।
7. जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी सहायता अनुदान	2830 मिलियन जापानी येन	जनवरी, 1995 सितम्बर, 1995	दिल्ली में रा.रा.-24 पर यमुना नदी पर द्वितीय निजामुद्दीन पुल का निर्माण।

अस्पतालों के कार्यकरण को सुचारू बनाना

3296. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करने हेतु कुछ उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सल्लीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को विशिष्ट उपचार और रोग नैदानिक क्रियाविधियों से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली और इसके साथ सटे क्षेत्रों में कार्य कर रहे कतिपय निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) इस अवस्था में खर्च किए जाने वाले व्यय की मात्रा पहले से नहीं बताई जा सकती है।

(घ) और (ङ). निदानशास्त्र और चिकित्साशास्त्र के लिए नये उपकरण प्रदान करके, अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों की आपूर्ति करके तथा रोगियों की सुविधाओं में सुधार करके केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग अस्पतालों की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले से ही स्थापित की गई समितियां हैं और समय-समय पर कार्यकरण की भी समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यकता हो, ठोस कार्रवाई की जाती है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अधीन अस्पतालों के कार्यकरण की दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्मारकों का संरक्षण

3297. श्री एन.जे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में विशेषकर आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्मारकों के संरक्षण हेतु कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के विशेषकर आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित किन-किन प्राचीन स्मारकों को केन्द्र सरकार ने अनुदान राशि प्रदान करने हेतु चयन किया है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान इन स्मारकों पर परियोजनावार कितनी धनराशि का व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव उनकी वास्तविक जरूरतों के मुताबिक किया जाता है।

(ख) गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों की सूची

गुजरात

क्र.सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
		गांधी नगर जिला
1.	अदालज	अभिलेख युक्त सीढ़ी वाला कुआ
		अहमदाबाद जिला
2.	अहमदाबाद	अच्चुत बीबी की मस्जिद तथा कब्र।
3.	-वही-	अहमदशाह की मस्जिद
4.	-वही-	असतोदिया गेट
5.	-वही-	आजम खान का महल
6.	-वही-	अहमदशाह का मकबरा
7.	-वही-	बाबा लुजुई की मस्जिद
8.	-वही-	भद्रा मीनार
9.	-वही-	राजपुर स्थित बीबी जी की मस्जिद
10.	-वही-	रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर स्थित ईंटों की मीनार
11.	-वही-	दादा नौरिया की मस्जिद तथा मकबरा
12.	-वही-	दादा हरीर का कुंआ
13.	-वही-	दरिया खान की कब्र
14.	-वही-	दस्तूर खान की मस्जिद
15.	-वही-	दिल्ली गेट
16.	-वही-	हैबत खान मस्जिद
17.	-वही-	कनोकत्रा हौज
18.	-वही-	जामी मस्जिद
19.	-वही-	मलिक खान मस्जिद
20.	-वही-	माता भवानी का कुंआ
21.	-वही-	मुहाफिज खान की मस्जिद

1	2	3
22.	अहमदाबाद	अहाता सहित नवाब सरकार खान का रोजा
23.	-वही-	पंचकुआ गेट
24.	-वही-	सारंगपुर स्थित रानी की मस्जिद
25.	-वही-	कुतुबशाह की मस्जिद
26.	-वही-	राजपुर गेट
27.	-वही-	मीरजापुर स्थित रानी रूपवती की मस्जिद
28.	-वही-	रानी सीपरी की मस्जिद एवं कब्र
29.	-वही-	सईद उस्मान की मस्जिद तथा मकबरा
30.	-वही-	सभी आस-पास के भवन समूह सहित शाह आलम खान का मकबरा
31.	-वही-	शाह खुपई मस्जिद
32.	-वही-	शाहपुर अथवा काजी मुहम्मद चिश्ती का मकबरा
33.	-वही-	सीदी कशीर की मीनारें तथा कब्र
34.	-वही-	सीदी सईद मस्जिद
35.	-वही-	तीन दरवाजा
36.	-वही-	तीन द्वार
37.	-वही-	मीर अबु तुरब की कब्र
38.	-वही-	सारंगपुर स्थित मकबरा तथा रानी की कब्र
39.	-वही-	अहमदशाह की रानी की कब्र
40.	-वही-	दरियापुर गेट
41.	-वही-	कालूपुर गेट
42.	-वही-	प्रेमभाई गेट
43.	-वही-	सांरगपुर गेट
44.	-वही-	कब्रें
45.	-वही-	जामी मस्जिद
46.	-वही-	खान मस्जिद
47.	-वही-	जलद्वार युक्त खान हौज
48.	-वही-	मालव हौज
49.	-वही-	बलाल खान गाजी की मस्जिद
50.	धोलका	टका मस्जिद के समीप का ध्वस्त भवन
51.	इसानपुर	जेगभाई का सीढ़ी युक्त कुंआ
52.	-वही-	लघु प्रस्तर मस्जिद
53.	मकारबा	बड़ी मस्जिद
54.	-वही-	बड़ा हौज, महल तथा हरम
55.	मकारबा	शेख अहमद खान गाजी बक्श की कब्र के सामने स्थित मण्डप
56.	-वही-	बया अलीसार तथा बावा गंज बक बक्श के रोजे
57.	-वही-	बीबी राजपाई की कब्र
58.	-वही-	महमूद बेगड़ा का मकबरा
59.	-वही-	शेख अहमद खता गंज बक्श का मकबरा
60.	मंडल	जामी मस्जिद
61.	नड़ल	काजी मस्जिद
62.	-वही-	सईद मस्जिद
63.	पालदी कोचराह	लघु प्रस्तर मस्जिद
64.	रानपुर	राजुशा पोर की मस्जिद
65.	वसना	आलम खान तथा मुअज्जम खान का रोजा
66.	बीरमगाम	मानसर तालाब तथा वेदिकाएं
	अमरेली जिला	
67.	अमरेली	गोहिलबाड टिम्बो के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल
68.	नलद्वारका	पांच द्वारी मंदिर तथा कुशेस्वर महादेव मंदिर
69.	पाडरसिंहा	भित्तिचित्र युक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारें।
70.	वेणीवादर	प्राचीन स्थल
	बड़ौदा जिला	
71.	अमरापुरा	लघु पाषाणकालीन स्थल
72.	बड़ौदा	तम्बेकरवाड़ाकी दीवालों के भित्तिचित्र
73.	-वही-	ऐतिहासिक स्थल
74.	डभोई	बड़ौदा भागोल गुफा तथा इससे लगे क्षेत्र में निर्माण
75.	-वही-	बावा भागोल से लगे क्षेत्र में निर्माण
76.	-वही-	महुदी (चम्पानेरी) भागोल (गेट) तथा इससे लगे क्षेत्र में निर्माण
77.	-वही-	नंदोदी गेट के साथ इससे लगे क्षेत्र में निर्माण
78.	-वही-	दभोई हौज में सप्तमुखी वाव
79.	दंतेश्वर	हजीरा
80.	कारवां	प्राचीन स्थल
81.	-वही-	प्रवेशद्वार अथवा तोरण

1	2	3
		भावनगर जिला
82.	सीहोर	ब्रह्म कुंड से $1^1/_2$ मील दूर स्थित प्राचीन टीला
83.	-वही-	दरहारगढ़
84.	तलोजा	जैन मंदिर
85.	-वही-	तलोजा गुफाएं
86.	वल्लभीपुर	प्राचीन टीला
		भरुच जिला
87.	भरुच	जामी मस्जिद
		जामनगर जिला
88.	बड़ौदिया	महाप्रभुजी की बैठक को छोड़कर राम लक्ष्मण मंदिर
89.	घिंकी	गद्दी तथा वेदिका
90.	ध्रासनवेल	मागधेरु मंदिर
91.	द्वारका	सार्वजनिक पुस्तकालय अहाते में स्थित क्षत्रप उत्कीर्ण प्रस्तर
92.	द्वारका	रुक्मणी मंदिर
93.	गोप	गोप मंदिर
94.	लौराली	गोपेश्वर महादेव मंदिर
95.	नावी धरेवाड़	कालिका माता मंदिर
96.	पिंडारा	दुर्वासा ऋषि का आश्रम एवं गुफा
97.	वसाई	जूनागढ़ी मंदिर
98.	-वही-	कंकेश्वर महादेव मंदिर तथा अन्य मंदिर
99.	द्वारका	द्वारकाधीश मंदिर समूह
		जूनागढ़ जिला
100.	इंटवा	प्राचीन टीला
101.	जूनागढ़	अशोक की शिला
102.	-वही-	गुफाएं
103.	मंगरोल	जामी मस्जिद, रहीमत मस्जिद तथा रावेली मस्जिद
104.	मियानी	पुराना पार्श्वनाथ मंदिर
105.	पोरबंदर	मकान, जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे
		खेड़ा जिला
106.	बरसाड	सीढ़ीयुक्त कुआं
107.	कैम्बे	जामी मस्जिद
108.	अहमदाबाद	भनेरिया कुआं
109.	सरनाल	घटकेश्वर मंदिर

1	2	3
110.	सोजाली	मुहम्मद सईद की कब्र
111.	-वही-	सैफुद्दीन और निजामुद्दीन का मकबरा
		कच्छ जिला
112.	भुज	राव छतरी की कब्र
113.	कोटाई	शिव मंदिर
		मेहसाना जिला
114.	अनवदा और सामलपती	संहस्रालिंग तालाब
115.	असोदा	जसमालनाथ जी महादेव मंदिर
116.	डोलमाल	लिम्बोजी माता मंदिर
117.	खण्डोसान	हिंगलोजी माता मंदिर
118.	-वही-	हिंगलोजी माता मंदिर के समीप सभा मंडप और दो प्राचीन वेदिकाएं।
119.	मोधेरा	मूर्तियों, मंदिरों और भूमिगत कोठरी सहित सूर्य मंदिर, सूर्य कुण्ड, और तराशे गए पत्थर।
120.	पालोडर	मलाई माता मंदिर
121.	पाटन	खान सरोवर का द्वार
122.	-वही-	रानी वाव
123.	-वही-	शेख फरीद दरगाह, और रोजा
124.	पीलूदरा	शितला माता मंदिर
125.	-वही-	सूर्य मंदिर का तोरण।
126.	रूहावी	नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर
127.	सन्देर	सन्देरी माता मंदिर के समीप दो छोटी कब्रें।
128.	सिद्धपुर	जामा मस्जिद
129.	सिद्धपुर	रूद्रा महालय के खण्डहर।
130.	सुनक	नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर।
131.	-वही-	सिवाई माता मंदिर
132.	वदनागर	अजपाल कुण्ड
133.	-वही-	अर्जुन बाड़ी द्वार पर उत्कीर्णन।
134.	-वही-	तोराण
135.	बीजापुर	बीजापुर कुण्ड।
		पांच महल जिला
136.	बावका	महादेव के पुराने ध्वस्त मंदिर
137.	चम्पनेर	बाबा मान की मस्जिद
138.	-वही-	केवडा मस्जिद का स्मारक
139.	चम्पनेर	नगीना मस्जिद का स्मारक
140.	-वही-	किले की दीवार

1	2	3
141.	चम्पनेर	कस्बिन तालाब के समीप नगर द्वार
142.	-वही-	पहाड़ी की ओर जाने वाले किले के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित नगर दीवार।
143.	-वही-	पूर्वी और दक्षिणी भद्रा द्वार
144.	-वही-	(दो द्वार मार्गों सहित) पावगढ़ पहाड़ी पर द्वार संख्या-1
145.	-वही-	(द्वार मार्गों सहित) द्वार संख्या-2
146.	-वही-	द्वार संख्या-3
147.	-वही-	भीतरी क्षेत्र में कोठरियों और व्यापक बेसिन सहित द्वार संख्या-4
148.	-वही-	माची के समीप द्वार संख्या-5
149.	-वही-	द्वार संख्या-6
150.	-वही-	लोह सेतु के समीप द्वार संख्या-7
151.	-वही-	(तारापुर द्वार) द्वार संख्या-8
152.	-वही-	कुण्डलीदार सीढ़ीयुक्त कुआं।
153.	-वही-	जामी मस्जिद
154.	-वही-	खजुरी मस्जिद के समीप बड़ा तालाब के उत्तरी किनारे पर कबुरखाना मण्डप
155.	-वही-	कमानी मस्जिद
156.	-वही-	कबड़ा मस्जिद
157.	-वही-	लीली-गुम्बज की मस्जिद
158.	-वही-	मलाई कोठार।
159.	-वही-	माण्डवी या सीमाशुल्कालय।
160.	-वही-	द्वार संख्या-4 के ऊपर टकसाल।
161.	-वही-	नगीना मस्जिद।
162.	-वही-	नवलखा कोठा।
163.	-वही-	कुण्ड सहित पटाई रावल का महल
164.	-वही-	सकर खान की दरगाह।
165.	-वही-	शिखर पर बेसिन तक दायीं ओर सीढ़ियों सहित द्वार संख्या-4 और 5 के बीच सात मंजिल।
166.	-वही-	शेखर की मस्जिद।
167.	-वही-	पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर ध्वस्त हिन्दू और जैन मंदिरों का किला।
168.	-वही-	जामी मस्जिद के उत्तर दिशा में सीढ़ीदार कुंआ
169.	-वही-	शहर (बराकी) मस्जिद और स्थानीय निधि धर्मशाला के बीच किले द्वार के पीछे तीन कोठरियां।
170.	चम्पनेर	बड़ा तालाब के समीप खजूरी मस्जिद के मार्ग में चार छोटे कोने वाले गुम्बदों और केन्द्र में बड़े गुम्बद सहित मकबरा।
171.	-वही-	शिखर पर किले की दीवार।
172.	डेसर	रूद्र माला।
173.	दोहाड	प्राचीन स्थल (छाबा तालाब) सर्वेक्षण संख्या-1
174.	हलोल	एक मिनार की मस्जिद
175.	-वही-	पांच महुदा की मस्जिद
176.	-वही-	पांच महुदा की मस्जिद के समीप मकबरा।
177.	-वही-	सिकेन्द्र शाह का मकबरा।
178.	कंकनपुर	महादेव का मंदिर।
179.	रतनपुर	प्रतिमूर्ति आवरण सहित प्राचीन मंदिर
		राजकोट जिला
180.	टंक	टंक गुफाएं।
		साबरकण्ठ जिला
181.	प्रन्तीज	सिकन्दर शाह का मकबरा।
182.	खेड और रोडा (रायसिंगपुर)	खेड और रोडा (रायसिंगपुर) में मंदिरों का समूह।
		सूरत जिला
183.	कामरेज	प्राचीन स्थल
184.	सूरत	खावाजा साहेब का रोजा के नाम से जानी जाने वाली दरगाह।
185.	-वही-	पुराने अमेरिकन मकबरे।
186.	-वही-	पुराने अंगेजी और डच मकबरे।
187.	-वही-	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा।
188.	व्यारा	फतेह बुर्ज।
		सुरेन्द्र नगर जिला
189.	आनन्दपुर	अनन्तेश्वर मंदिर।
190.	हलवाड	दरबारगढ़
191.	रंगपुर	प्राचीन स्तूप।
192.	सेजकपुर	प्राचीन स्तूप।
193.	-वही-	नवलखां मंदिर।
194.	थान	सूर्य मंदिर।
195.	वर्धवान	रनक देवी का मंदिर।
		खेड़ा जिला
196.	नवडनुड (वीसो)	विथलखाई हवेली।

विवरण–II

एक विवरण, जिसमें विशेष मरम्मत तथा रखरखाव के तहत स्मारकों पर किए गए खर्च के ब्यौरे दिए गए हैं।

क्र.सं.	स्मारक का नाम	कुल
1	2	3
1.	तीन दरवाजा की मरम्मत, अहमदाबाद	2,19,611/-
2.	स्मारकों की मरम्मत, सारखेन	2,31,692/-
3.	जामी मस्जिद की मरम्मत, अहमदाबाद	1,98,261/-
4.	द्वारकाधीश मंदिर का दस्तावेजीकरण, द्वारका	62,817/-
5.	वेणी महादेव मंदिर की मरम्मत, द्वारका	50,019/-
6.	गोकेस्वर महादेव मंदिर की मरम्मत, लॉरली	1,35,959/-
7.	मंदिरों की मरम्मत (सीखारा), द्वारका	3,91,350/-
8.	गल्तेस्वर महादेव मंदिर, सारनाल	2,17,857/-
9.	पहाड़ी पर स्थित किला दीवाल की मरम्मत (आटक गेट के समीप), पावागढ़	1,87,823/-
10.	जामी मस्जिद की मरम्मत (चैनलिंक), पावागढ़	2,16,342/-
11.	रानी की वाव की मरम्मत, पाटन	12,28,590/-
12.	शेख फरीद के मकबरे की मरम्मत, पाटन	85,061/-
13.	सहस्रलिंग हौज (इन्लेट–चैनल) की मरम्मत, पाटन	1,49,496/-
14.	अशोक के शिलालेख की मरम्मत, जूनागढ़	1,03,078/-
15.	किला दीवाल (दक्षिणी किनारे) की मरम्मत, पावागढ़	1,77,998/-
16.	जामी मस्जिद (संरचनात्मक) की मरम्मत, पावागढ़	1,81,014/-
17.	हलोल गेट (बुर्ज सं. 5) की मरम्मत, पावागढ़	1,84,329/-
18.	राव लखा छतरी की मरम्मत (तार की बाढ़) भुज	1,95,393/-
19.	असतोदिया गेट की मरम्मत, अहमदाबाद	22,760/-
20.	कुतुबशाह मस्जिद की मरम्मत, अहमदाबाद	1,32,205/-
21.	विश्व दाय समारोह, मोधेरा	10,000/-
22.	पुरानी इंग्लिश कब्र की मरम्मत, सूरत	61,850/-
23.	जामी मस्जिद के पैदल–पथ का निर्माण, पावागढ़	4,230/-
24.	सूर्य कुंड की मरम्मत, मोधेरा	1,52,728/-
25.	नंदोदी गेट की मरम्मत, डुभोई	49,873/-
26.	भद्रा गेट तथा मीनार की मरम्मत, अहमदाबाद	16,849/-
27.	प्राचीन स्थल की मरम्मत (चैनलिंक बाढ़), कायावर्तन	2,47,333/-

[अनुवाद]

बैरकपोर नगरपालिका की रक्षा भूमि

3298. श्री तरित वरण तोपदार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपोर नगरपालिका ने सरकार को आनंदपुरी बैरकपुर में चिल्ड्रेन पार्क तथा बैरेकपोर स्टेशन तक के लिए संपर्क सड़क के निर्माण हेतु रक्षा भूमि सौंपे जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक संसद सदस्यों ने भी इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि की बैरेक नगरपालिका को सौंपे जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस भूमि को नगरपालिका को सौंपने के संबंध में ईस्टर्न कमांड को आवश्यक निर्देश जारी करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). चूंकि रक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस भूमि की जरूरत है, अतः यह भूमि बैरकपुर नगरपालिका को दिया जाना संभव नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3299. **श्री गिरिधर गमांग :**

श्री बृजमोहन राम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रायसाडा और बिहार के डाल्टन गंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यालय के कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). रायसाडा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करता। डाल्टेन गंज से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों का कार्यनिष्पादन

3300. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा देश के अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तकनीकी संस्थानों को स्थापित करने हेतु तथा इनके विस्तार हेतु विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(च) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार तथा विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी प्रगति हुई है; और

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से चालू परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और वे अधिनियम में यथा उपबंधित संबंधित शासी बोर्डों तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अभिशासित हैं। अधिनियम के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद नामक एक केन्द्रीय निकाय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यों का निरीक्षण करता है और दिशा-निर्देश देता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की एक साथ कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है।

(ग) और (घ). देश में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिसकी देख-रेख, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद, देश की समस्त तकनीकी शिक्षा प्रणाली के संबंध में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित राज्य सरकारों तथा वैज्ञानिक तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा की जाती है। इसमें नए पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को आरम्भ करना तथा बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।

(ङ) से (छ). विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक प्रमुख परियोजना है जिसकी कुल लागत 1650 करोड़ रु. है जिसमें देश में तकनीकी शिक्षा की पूर्ण गुणवत्ता में सुधार के लिए, विशेषकर, क्षमता के विस्तार और गुणवत्ता व दक्षता में सुधार के लिए अमरीकी डालर 517 मिलियन के आई.डी.ए. ऋण की विश्व बैंक सहायता सम्मिलित है। इस परियोजना में 18 अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में पालिटेक्नीकों को भी शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत हुई समग्र प्रगति की प्रशंसा विश्व बैंक की विभिन्न मिशनों द्वारा की गई है।

स्वास्थ्य देख-रेख

3301. **श्री हाराधन राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य देख-रेख पर बहुत कम राशि खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य देख-रेख/रोग निवारण औषधियों पर होने वाला प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लोक स्वास्थ्य पर संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार प्रति व्यक्ति (1980-81 के मूल्यों को स्थिर रखने के संबंध में) कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) क्या वर्तमान सीमा को बढ़ाने का कोई विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सल्लीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राज्य सरकार अपने कुल योजना व्यय का लगभग 3-4 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य पर कर रही है।

(ग) और (घ). 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए वर्तमान मूल्यों पर स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति सरकार खर्च की ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। यह व्यय परिवार कल्याण के व्यय के अलावा है। 1980-81 के स्थिर मूल्यों के अनुसार जन स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) से (छ). नवीं पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग द्वारा अनेक कार्य दलों का गठन किया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही आगे के ब्यौरों का पता लगेगा।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 1993-94 में वर्तमान मूल्यों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल व्ययः स्वास्थ्य (लाख रुपए)			पहली अक्तूबर को जनसंख्या (लाखों में)			प्रति व्यक्ति व्यय (रुपए)		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991	1992	1993	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	25524	33245	38973	672.18	684.33	696.37	38	49	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	1939	2202	2395	8.77	8.99	8.21	221	245	260
3.	असम	10616	12041	14183	227.05	232.11	237.21	47	52	60
4.	बिहार	26844	27759	30311	875.06	894.69	914.47	31	31	33
5.	गोवा	2480	2823	3156	11.83	12.07	12.3	210	234	257
6.	गुजरात	21530	21758	26898	417.57	425.22	432.82	52	51	62
7.	हरियाणा	6734	7890	8163	166.83	170.59	174.31	40	46	47
8.	हिमाचल प्रदेश	7228	7881	8758	52.28	53.28	54.29	138	148	161
9.	जम्मू और कश्मीर	12522	13649	13914	78.2	79.97	81.78	160	171	170
10.	कर्नाटक	23654	30328	27192	454.06	461.32	468.43	52	66	58
11.	केरल	20644	23893	28326	293.42	297.6	301.77	70	80	94
12.	मध्य प्रदेश	26110	26953	33496	669.87	683.72	697.51	39	39	48
13.	महाराष्ट्र	42735	49930	54401	798.43	814.25	830.4	54	61	66
14.	मणिपुर	2197	2299	2407	18.62	19.06	19.5	118	121	123
15.	मेघालय	2537	3160	3396	17.99	18.4	18.83	141	172	180
16.	मिजोरम	1633	2007	2387	7.02	7.25	7.47	233	277	320
17.	नागालैंड	3358	3120	4185	12.32	12.71	13.12	273	245	319
18.	उड़ीसा	13252	13352	14410	320.06	326.06	332.08	41	41	43
19.	पंजाब	18246	18888	20432	204.67	207.81	210.87	89	91	97
20.	राजस्थान	22172	26871	27638	445.73	455.5	465.24	50	59	59
21.	सिक्किम	1260	1520	2290	4.14	4.28	4.41	304	355	519
22.	तमिलनाडु	42945	47157	51092	561.96	567.67	573.26	76	83	89
23.	त्रिपुरा	3325	3063	3316	27.94	28.59	29.25	119	107	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तर प्रदेश	46906	59982	82582	1405.94	1431.45	1456.91	33	42	43
25.	प. बंगाल	42218	43354	15042	687.66	699.63	711.75	61	62	63
26.	दिल्ली			13003			103.13			126
27.	पांडिचेरी	2032	2106	2570	8.17	8.34	8.51	249	253	302
28.	केन्द्र	58159	74869	73184						
	कुल	488800	562100	618100	8557.03	8718.43	8579.2	57	64	70

स्रोत : 1. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

2. जनसंख्या पर महापंजीयक का कार्यालय

नोट : स्वास्थ्य पर हुए व्यय में रक्षा सेवाओं पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर हुआ व्यय भी शामिल है। बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य भी शामिल हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा पत्तन आधारित रक्षित विद्युत परियोजनाएं

3302. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र द्वारा पत्तन आधारित रक्षित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु मार्ग-निर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग-निर्देश निजी पत्तन विकास योजना के अंग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). सरकार ने पत्तन क्षेत्र-परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करने में निजी क्षेत्र की सहभागिता शामिल हैं। निजी क्षेत्र के जरिए आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश हैं :—

(1) परियोजना की आवश्यकता का मूल्यांकन पत्तन द्वारा किया जाएगा।

(2) विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि जैसे अन्य प्राधिकरणों के दिशा-निर्देश मानने पड़ेंगे और उनकी स्वीकृति, यदि कोई है, प्राप्त करनी होगी।

(3) इस शर्त के साथ खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी कि आधुनिक मशीनरी/प्रौद्योगिकी नई हालत में संस्थापित की जाएगी।

(4) बोलियां दोहरी जांच प्रणाली के आधार पर आमंत्रित की जाएंगी जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोलियां शामिल होंगी। वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएंगी जो तकनीकी रुप से अर्हता प्राप्त होंगे।

(5) निजी क्षेत्र की सहभागिता बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) आधार पर होगी जिसमें प्रत्येक मामले में लाइसेंस-अवधि पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसकी अधिकतम अवधि 30 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) से अधिक नहीं होगी जिसके बाद यह सुविधा पत्तन को निःशुल्क वापिस हो जाएगी।

(6) पत्तन को बेची गई बिजली के लिए टैरिफ, निविदा की शर्तों के अनुसार पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह टैरिफ किसी भी हालत में पत्तन पर लागू राज्य विद्युत बोर्ड टैरिफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(7) पत्तन, आबद्ध विद्युत संयंत्र हेतु भूमि के लिए बाजार दरों पर अग्रिम शुल्क और पट्टा-किराया वसूल सकता है। वित्तीय मूल्यांकन का आधार, पत्तन को विद्युत की बिक्री के लिए उद्धृत न्यूनतम टैरिफ होगा।

(8) पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य सांविधिक स्वीकृतियां पत्तन न्यास द्वारा प्राप्त की जाएंगी।

(9) पत्तन की विद्युत-आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति होनी चाहिए और उसके पश्चात् उद्यमी को अपनी अधिशेष विद्युत बेचने की अनुमति होगी।

(10) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण करने वाले को पत्तन के लिए विद्युत की आपूर्ति का विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखना होगा और ऐसा न होने पर दंड लगाया जाएगा।

भावी निविदाएं उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर होंगी।

कोबाल्ट टेली चिकित्सा इकाई

3303. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में त्रिचूर के चिकित्सा महाविद्यालय में "कोबाल्ट टेली" चिकित्सा इकाई तथा रेडियो चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के संबंध में केन्द्रीय सहायता हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेडियो चिकित्सा विकास कार्यक्रम की स्थायी समिति के समक्ष वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव रखा गया है।

तकनीकी/इंजीनियरिंग कॉलेजों को एन.आई.सी.एन.आर.टी. से जोड़ना

3304. श्री नारायण अठावले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने देश में सभी तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेजों को ए आई.सी.एन.आर.टी. और 'वर्ल्ड वाईड' से जोड़ने के लिए एक स त परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कब तक लागू किया जाएगा;

(ग) इंजीनियरिंग कॉलेजों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अन्तग राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कितने विद्यालयों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ). यद्यपि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद लगभग उन 450 संस्थानों का पारस्परिक संपर्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से एक नेटवर्क स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है जो इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी सम्मिलित हैं, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकनीकी विश्वविद्यालय, राजकीय एवं गैर-सरकारी कॉलेज किन्तु अभी इनके ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद विज्ञान परिषद

3305. श्री विजय गोयल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अद्यतन खेल-कूद विज्ञान और शारीरिक शिक्षा पर निगरानी रखने के लिए अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद विज्ञान परिषद (ए.आई.सी.पी.ई.एस.एस.) की स्थापना हेतु 1944 से लम्बित पड़े अधिनियम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस अधिनियम को संसद के चालू सत्र की कार्यसूची में रखा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शिक्षा में खेल-कूद को किस प्रकार अभिन्न अंग बनाया जाए तथा उच्च शिक्षा स्तर पर, कालेजों में खेलकूद अध्यापक-छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और न ही टाइम-टेबल में पीरियड की व्यवस्था है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद के लिए एक मसौदा विधेयक सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा सभी अन्य एजेंसियों को उनकी राय जानने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर, अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से उनकी राय और विचार प्राप्त हो गए हैं। बाकी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से उनकी राय मिलने के पश्चात ही इस विधेयक को संसद के समक्ष रखने का प्रस्ताव है।

(घ) भारत सरकार द्वारा गठित शारीरिक एवं खेल संबंधी के.पी. सिंह देव समिति ने शिक्षा-प्राप्ति प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद को शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ मिलाने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को मान लिया है और राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया है। उक्त समिति ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के लिए प्रतिदिन चालीस मिनट का समय रखने और सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आगरा में रिंग रोड का निर्माण

3306. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा में ताज महल को प्रदूषण से बचाने हेतु रिंग रोड का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां। प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर हैं।

औषधीय जड़ी-बूटियां

3307. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण औषधीय जड़ी-बूटियां पूरे भारत में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) मंत्रालय ने ये जड़ी-बूटियां उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (घ). व्यापक रूप से दोहन करने और निर्वनीकरण के कारण कुछ औषधीय पादप अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने ऐसे औषधीय पादपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेस मेकर

3308. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां हृदय रोगियों के शरीर में "पेस मेकर" लगाने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) देश में ऐसे कितने रोगी हैं जिन्हें वार्षिक आधार पर "पेस मेकर" की आवश्यकता है और कितने रोगी इस सुविधा का लाभ प्रतिवर्ष उठा सकते हैं;

(ग) एक "पेस मेकर" की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या इसके देश में निर्मित न होने के कारण इसकी कीमत बहुत अधिक है और यह आसानी से उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा "पेस मेकर" को अपने ही देश में निर्मित करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अधिकतर बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ). "पेस मेकर" की किस्म के आधार पर, इसकी लागत 25000/- से लेकर 1,25,000/- रुपये तक है। ये देश में आसानी से उपलब्ध हैं। पेस मेकर की एक किस्म का अब भारत में विनिर्माण किया जा रहा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोध छात्र

3309. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रोफेसर तथा शोध अनुसंधान कार्य तथा शिक्षण के लिए विभिन्न देशों में भेजे जाते हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षण कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा उच्च शिक्षण कार्यों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कश्मीर के मुद्दे पर जर्मनी का मत

3310. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के अपने दौरे के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा 1972 शिमला समझौते के तहत सुलझाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जर्मनी के रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ हुई अधिकारिक वार्ता के दौरान कश्मीर मसला नहीं उठाया गया। तथापि संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मसले को शिमला समझौते के आधार पर सुलझाने का आह्वान किया।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

3311. श्री उधव बर्मन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). विगत 3 वर्षों के दौरान असम राज्य से राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों के मामूली आबंटन के कारण किसी भी प्रस्ताव से सहमत हो पाना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

पी.जी.आई. अस्पताल, चंडीगढ़

3312. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.जी.आई. अस्पताल, चंडीगढ़ ने संविधान के अनुसार वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्डियोलाजी विभाग के एक डाक्टर को 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 59 पर अवकाश पर दर्शाया गया है और जो अवकाश उन्होंने शोध करने तथा अवकाश से उनकी वापसी को 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 45 पर तथा उनके शोध कार्य की उपलब्धियों को पृष्ठ 46-47 पर दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995 के दौरान उन्हें देय वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति से वंचित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रत्याशा में हृदयरोग विभाग का एक सहायक प्रोफेसर छुट्टी पर चला गया क्योंकि छुट्टी अनाधिकृत थी, इसलिए उसके विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के विधिवत् अनुमोदन से उसे दण्ड दिया गया था।

इस दण्ड के परिणामस्वरूप इस डाक्टर को 1995 में उसकी वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति नहीं दी गई थी।

[अनुवाद]

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिलचर

3313. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि असम के कछार जिले के सिलचर में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (राजकीय बी.एड. महाविद्यालय) का निर्माण कार्य असम राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक शुरू नहीं किया गया है जिसके लिए केन्द्रीय अनुदान भी प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय के निर्माण कार्य में होने वाले अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में कॉलेज

3314. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कॉलेजों को कॉलेजवार और मदवार कितनी अनुदान राशि दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में "बाई पास"

3315. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के नैल्लोर में "प्रमुख बाई पास सड़क" के निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बाई-पास पर बनाए जाने वाले पुलों की संख्या, लम्बाई और अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस कार्य को शुरू किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा यह परियोजना कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). नेल्लोर बाईपास (18 कि.मी. लम्बाई) और उस पर पुलों का निर्माण बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) स्कीम के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। उद्यमियों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है और अभी कार्य आरम्भ करने की तारीख बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मुरहद सिंचाई परियोजना

3316. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1952 से लंबित पड़ी पुन-पुन नदी की हमीद नगर पुन-पुन मुरहद सिंचाई परियोजना की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के पूरा होने पर नालंदा, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों की एक लाख बीस हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है तथा इससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) "पुन-पुन मोरहर धरदना सिंचाई स्कीम (बिहार)" से संबंधित एक परियोजना रिपोर्ट तकनीक-आर्थिक मूल्यांकन के लिए पहली बार अप्रैल, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय संवीक्षा अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन के अभाव में यह परियोजना लंबित पड़ी है।

(ग) बिहार में पटना और गया के पूर्व जिलों में 1,42,964 एकड़ भूमि को इस परियोजना द्वारा सिंचित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) यद्यपि, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए समयावधि निर्धारित है तथापि स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी शीघ्रता से विभिन्न केन्द्रीय संवीक्षा अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सैनिक समाचार

3317. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार के मुद्रकों द्वारा बिलों के साथ-साथ कागत का लेखा प्रस्तुत किया जाता है जिसका निपटान सैनिक समाचार द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या सैनिक समाचार ने कागज के लेखे का निपटान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिसंबर, 1995 से मार्च 1996 तक विभिन्न-भाषाओं के आठ अंकों की छपाई हेतु मुद्रकों द्वारा कागज के कितने रिमों की आवश्यकता होगी;

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें ग्राहकों को भेजने हेतु इन अंकों की छपाई के काम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सैनिक समाचार के मुद्रण का ठेका पुराने ठेके को समाप्त किए बगैर नए मुद्रकों को दिया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (छ). पिछली संविदा, जिसकी अवधि 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गई थी, के तहत सैनिक समाचार के मुद्रकों से बिलों के साथ-साथ कागज का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिसे उस समय सैनिक समाचार द्वारा निपटाया गया था। चूंकि मुद्रक सैनिक समाचार का मुद्रण समय पर नहीं कर रहे हैं जबकि उनके पास कागज का विद्यमान संचय भी उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप अप्रकाशित अंकों का ढेर लग गया है, इसलिए ऐसे अंकों का मुद्रण करने का कोई मुद्दा प्रतीत नहीं होता है जो पुराने पड़ गए हैं और जिनका सामयिक महत्व नहीं रह गया है। पुरानी संविदा उसकी अवधि समाप्त होने पर विधिवत् कर ली गई है।

गंभीर बीमारियां

3318. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर, हृदय रोग, यक्ष्मा, घेंघा, मधुमेह, मानसिक असंतुलन तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) देश में विकलांग व्यक्तियों की मूल संख्या कितनी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विभिन्न सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष कैंसर के लगभग 6.7 लाख रोगी होते हैं। लगभग 40 मिलियन हृदयवाहिका के रोगी हैं। सक्रिय क्षयरोग से लगभग 14 मिलियन लोग पीड़ित हैं, लगभग 167 मिलियन लोग आयोडीन अल्पता विकारों के खतरों वाले समझे जाते हैं जिनमें से लगभग 54 मिलियन लोगों को घेंघा है। देश में लगभग 16 मिलियन मधुमेह के रोगी हैं तथा लगभग 9.2 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं।

(ख) अनुमान है कि देश में लगभग 16.2 मिलियन मधुमेह रोगी हो जाएंगे।

(ग) भारत सरकार ने कैंसर, क्षयरोग, आयोडीन अल्पता विकारों तथा मानसिक विकारों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं।

अन्तर्देशीय नौचालकों के लिए प्रशिक्षण

3319. श्री सौम्य रंजन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय नौचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्रों का तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वरिष्ठ प्रबंधकों तथा अन्तर्देशीय नौचालन निरीक्षकों को उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए कोई केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) अंतर्देशीय जलयानों के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए (1) चन्दबली (उड़ीसा) (2) गोवा और (3) गुवाहटी में प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इन संस्थानों का प्रबंधन, संबंधित राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके करती हैं और प्रशिक्षित कार्मिकों को चयनित श्रेणियों में सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को शिक्षा के लिए सहायता

3320. श्री जयसिंह चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को उक्त क्षेत्र में दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजनायें जैसे आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, विज्ञान शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1996-97 के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्वविद्यालय क्षेत्र के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). सरकार शिक्षा पर आबंटन में वृद्धि के लिए वचनबद्ध है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2001-02 के अंतिम वर्ष तक शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत अलग रखने का लक्ष्य है। शिक्षा के लिए बढ़ाए गए आबंटन से, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास शिक्षा के लिए उपलब्ध निधियों में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

विवरण

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(रु. लाखों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	65.72
2.	असम	1185.13
3.	बिहार	3469.66
4.	गोवा	24.39
5.	हरियाणा	115.99
6.	हिमाचल प्रदेश	320.75
7.	जम्मू और कश्मीर	19.45
8.	कर्नाटक	966.47
9.	मध्य प्रदेश	1575.44
10.	महाराष्ट्र	2697.90
11.	मणिपुर	131.82
12.	मेघालय	868.58
13.	मिजोरम	19.44
14.	नागालैंड	35.65
15.	उड़ीसा	4901.68
16.	पंजाब	446.00
17.	राजस्थान	1369.61
18	तमिलनाडु	2.67
19.	त्रिपुरा	20.05
20.	उत्तर प्रदेश	3244.74
21.	चंडीगढ़	24.68
22.	दादरा और नगर हवेली	4.55
23.	दमन और दीव	4.65
24.	दिल्ली	171.18

[अनुवाद]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

3321. श्री दिनशा पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी और उसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत गुजरात को कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में किस हद तक सफलता हासिल की गई है और इस योजना के अन्तर्गत गुजरात में उक्त अवधि के दौरान जिलेवार पृथक रूप से कितने क्लास रूमों का निर्माण किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987-1988 में आरंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी मौसमों के अनुकूल दो कक्षा-कक्ष तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएं, पठन-पाठन सामग्री का एक सेट तथा एकल शिक्षक स्कूलों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं प्रदान करना है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत, गुजरात सरकार को 29.28 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत गुजरात में हासिल की गई उपलब्धियां निम्नवत हैं :—

(1) 3569 कक्षा-कक्षों का निर्माण हो चुका है।

(2) एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में 2374 अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(3) 12,393 प्राथमिक स्कूलों को अध्ययन-शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।

यह योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों तक भी बढ़ा दी गई है।

वल्लारपदम इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल

3322. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से, कोचीन में वल्लारपदम इन्टरनेशनल कंटेनर स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). कोचीन पत्तन में वल्लारपदम पर एक आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल का निर्माण करने की मांगें उठी हैं जिसे एक ट्रांसशिपमेंट पत्तन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। कोचीन पत्तन को इस प्रयोजनार्थ व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए कहा गया है।

अमृतसर में रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा

3323. श्री मेजर सिंह उबोक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में गोविंदगढ़ किले में रक्षा भूमि के बड़े भाग पर स्थानीय व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या कुछ लोग इस भूमि पर अपने कब्जे का विस्तार कर रहे हैं और इसे अन्य, लोगों को मकान और दुकान बनाने हेतु भी बेच रहे हैं अथवा किराए पर दे रहे हैं;

(ग) अमृतसर के गोविन्दगढ़ किले की कुल कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है; और

(घ) इन कब्जों के संबंध में सरकार की भविष्य की नीति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). अमृतसर के गोविन्दगढ़ किला क्षेत्र में निजी पार्टियों ने लगभग 48.05 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमित भूमि को दूसरे लोगों को बेचने या किराए पर देने के मामले रक्षा मंत्रालय के ध्यान में नहीं आए हैं।

(घ) इन अनधिकृत कब्जों के बारे में भावी नीति, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सेना मुख्यालय और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

परमपूज्य दलाई लामा की राजनीतिक गतिविधियां

3324. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. बल्लभ भाई कठीरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1996 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "भारत से दलाई लामा को गतिविधि की इजाजत नहीं" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संबंध में उसमें दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी रोम यात्रा के दौरान इस संबंध में चीन के प्रधानमंत्री को कोई आश्वासन दिया है; और

औषधियों की अनुपलब्धता

3333. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर (उ.प्र.) के आपातकालीन विभाग में आवश्यक औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में औषधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सल्लीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा बजट

3334. डा. जी.आर. सरोदे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15.10.96 के "इंडिया टुडे" में इस आशय के समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि रक्षा बजट का 50 प्रतिशत वेतन पर खर्च किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा विभाग के आधुनिकीकरण के संबंध में आवंटन बढ़ाने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और भत्तों पर किए गए व्यय की स्थिति इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल रक्षा व्यय	वेतन और भत्ते	रक्षा बजट का प्रतिशत
1994-95	23245.26	7688.65	33.08
1995-96 (संशोधित अनुमान)	26879.00	9023.65	33.57
1996-97 (बजट अनुमान)	27798.47	9063.68	32.60

सरकार, सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और उनको अद्यतन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा सेनाओं के लिए निधियों की आवश्यकताएं, अनिवार्य और वचनबद्ध व्यय, अनुरक्षण की आवश्यकताओं और आधुनिकीकरण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विंगों और सेवाओं से परामर्श करके तैयार की जाती हैं। तत्पश्चात एकीकृत आवश्यकताएं निधियों के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती हैं। वित्त मंत्रालय संपूर्ण आबंटन करते समय आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है।

[अनुवाद]

भूमि सीमा समझौते को लागू किया जाना

3335. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश/पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा समझौते को लागू करने के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संवैधानिक संशोधन लाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद के समक्ष संशोधन विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विधिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बंगलादेश को अधिग्रहीत सत्तान्तरित क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए संविधान के अनुच्छेद-3 के अधीन संगत राज्य सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए एक समेकित संविधान संशोधन आवश्यक है।

(ग) भारत-बंगलादेश भू-सीमा के लगभग 41 कि.मी. का सीमाकंन अभी पूरा किया जाना है। सरकार को दी गई कानूनी सलाह में यह सुझाव दिया है कि पूर्ण रूप से सीमांकित सीमा के अभाव में, विधान की व्यवस्था तथा संविधान में अपेक्षित संशोधन करना संभव नहीं है। सरकार का संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बंगलादेश के साथ सीमाकंन का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में सिंचाई सुविधाएं

3336. डा. कृपासिंधु भोई :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन साधनों से सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) इस राज्य में सिंचाई क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस राज्य में आठवीं योजना के अंत तक कुल कितने सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं मिलने की संभावना है; और

(ङ) नौवीं योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उड़ीसा में सिंचाई सुविधाएं वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु

(भू जल और सतही जल) सिंचाई स्कीमों के जरिए प्रदान की जाती हैं।

(ख) उड़ीसा में विभिन्न स्रोतों के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

स्रोत	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	
	योजना पूर्व अवधि से 1991-92 के अन्त तक	वर्ष 1992-96 के दौरान (प्रत्याशित)
वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1409.00	93.05
लघु सिंचाई स्कीमें		
(1) सतही जल	635.77	68.55
(2) भू-जल	609.61	73.47
कुल	2654.38	235.07

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा की चल रही आठवीं योजना की परियोजनाओं नामशः अपर इन्द्रावती और अपर जोंक में क्रमशः 218 हजार हैक्टेयर और 16 हजार हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना है जिससे सूखा प्रवण क्षेत्रों को भी लाभ होगा।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

खाद्य तेलों में मिलावट

3337. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बाजारों में विभिन्न प्रकार के घटिया खाद्य तेलों में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विषाक्त वस्तुओं का पता लगाने के लिए परीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य तेलों में गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). देश के विभिन्न केन्द्रों को फुटकर दुकानों से एकत्र किए गए खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अन्तर्गत वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक किसी विषाक्त वस्तु का पता नहीं चला है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम, 1955 के उपबंधों के अन्तर्गत खाद्य तेलों के मानक निर्धारित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के उपबंधों को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे देश में विपणित खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखें।

सिंचाई क्षमता

3338. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं हेतु सिंचाई क्षमता सृजन लक्ष्य 86.99 मिलियन हेक्टेयर निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सातवीं तथा आठवीं योजना के दौरान कितनी राशि का व्यय किया गया है; और

(घ) सभी पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् अनुमानित सिंचाई क्षमता कितनी है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की प्रायोजना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :-

योजना अवधि	सिंचाई क्षमता सृजित करने पर व्यय (करोड़ रु. में)
सातवीं योजना के दौरान	14225.64
वार्षिक योजनाओं के दौरान (1990-92)	7139.63
आठवीं योजना (1992-97) के दौरान	
1992-94	8805.62
1994-96	11242.54 (प्रत्याशित)

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्त तक उत्पन्न होने वाली अनुमानित संचित सिंचाई क्षमता योजना पूर्व अवधि के दौरान सृजित क्षमता को छोड़कर 74.29 मिलियन हेक्टेयर है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों और परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

3339. श्री के. कंडासामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के राजाजी जिला एवं नामकल शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) उपरोक्त कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). माननीय सदस्य संभवत: तमिलनाडु में नामकल बाईपास के निर्माण का उल्लेख कर रहे हैं। इस बाईपास की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए नवम्बर, 92 में 83.11 लाख रु. के प्राक्कलन को स्वीकृत किया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 97 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

निधियों की कमी के कारण 8वीं योजना में इस कार्य को शुरू करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि राज्य के लो.नि.वि. को यह कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

बांध परियोजना

3340. श्री मन्नहरण लाल पांडेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की बाण सागर बांध परियोजना जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी भागीदार हैं, के विस्थापित लोगों की क्षतिपूर्ति और पुनर्वास के लिए नर्मदा सागर के नियमों को लागू करने में 25 अक्तूबर, 1996 को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राम नगर और अन्य जल मग्न क्षेत्रों में आने वाले गांवों को जनवरी, 1997 में खाली कर देने के लिए कह दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार प्रभावित व्यक्तियों को संरक्षण/पुनर्वास तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाएं प्रदान करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा सागर बांध परियोजना की ही तरह बाण सागर बांध परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों से सुझावों और पुनर्वास के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

मोहाने जलाशय परियोजना

3341. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले की मोहनपुर बाराचट्टी डिवीजन की लंबित मोहाने जलाशय परियोजना के प्रारूप को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जून, 1988 में इसका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने के पश्चात् निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन करने के लिए बिहार सरकार को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रारूप आवश्यक संशोधनों के पश्चात् बिहार सरकार से वापस प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार से इस प्रारूप को वापस प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। केंद्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने तथा अपनी टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्रीय जल आयोग ऐसी परियोजनाओं के संबंध में बकाया मामलों का समाधान करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा

3342. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों और अति-विशिष्ट व्यक्तियों को नई दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाओं में गिरावट आई है;

(ख) क्या कुछ डाक्टर, लाभार्थियों को अपने कनिष्ठ साथियों के पास इलाज के लिए भेजते हैं;

(ग) क्या गत वर्ष से ऐसे डाक्टरों के खिलाफ लाभार्थियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो डाक्टरों को रोगियों को किसी बहाने से वापस न भेजने और रोगियों को अच्छी तरह से देखने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सीय सेवाओं में गिरावट नहीं आई है। के.सं. स्वा. योजना का इसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास रहता है। हाल ही में लाभार्थियों को उनकी पसन्द की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत इस दिशा में निजी अस्पतालों को मान्यता देन, बड़ी चिकित्सीय क्रियाविधियों/कृत्रिम उपकरण की प्रतिपूर्ति की दरों को युक्तिसंगत बनाने, रेफरल अस्पतालों इत्यादि को भजन का जैसा अनेक पहलें की गई हैं।

(ख) से (घ). ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि के. स.स्वा. योजना के लाभार्थी परामर्श हेतु किसी विशेष दिन औषधालय में विद्यमान किसी भी डाक्टर को चुन सकते हैं।

औषधालयों के प्रभारियों को रोगियों के साथ व्यवहार करने में नम्रता और माननीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देने का निदेश दिया जाता है।

गंगोत्री संबंधी जांच रिपोर्ट

3343. कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के "नव भारत टाइम्स" में "गंगोत्री की खण्डित प्रतिमा गंगा की है ही नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार कोई प्रतिमा नहीं तोड़ी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमैन

3344. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं और इस नियुक्ति में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के वर्तमान कार्यवाहक चेयरमैन की अर्हताओं और अनुभव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन्हें स्थायी चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक स्थाई कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आधार पर की जाती है। इस समय, केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम, 1995 लागू हैं और इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के पद पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की जाती है। केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम, 1982 को केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम, 1995 के द्वारा नवम्बर, 1995 में अधिक्रमित किया गया था तथा भर्ती प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गये थे। परिवर्तित स्थिति को देखते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के पद पर नियुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श किया गया था और अब यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की शैक्षणिक अर्हता बी.ई. (आनर्स) (रूड़की), मास्टर आफ साइंस (लंदन) तथा डी.आई.सी. (लंदन) है। उन्हें जल संसाधन क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का अनुभव है।

(ग) इस समय, वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

3345. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं में किन-किन स्थानों पर तकनिकी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में सभी स्तरों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना 1992 में सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रयोग का समर्थन किया गया है। स्कूल तथा तकनीकी संस्थाएं शैक्षिक मामलों में क्रमशः संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिक नियंत्रण पर्यवेक्षण में कार्य करता हैं जो स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं। ये शैक्षिक निकाय ही धीरे-धीरे शिक्षा माध्यम में परिवर्तन करते हैं। शिक्षा माध्यम में परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

दिल्ली में सघन ड्रेनेज प्रणाली

3346. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में ड्रेनेज प्रणाली पर पड़ रहे भारी दबाव की जानकारी है;

(ख) क्या इनकी सघनता के कारण दिल्ली में जल भराव होता है और बाढ़ आती है;

(ग) यदि हां, तो ड्रेनेज की सघनता के कारण दिल्ली के कौन-कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं;

(घ) ड्रेनेज की सघनता के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) ड्रेनेज सघनता की समस्या का हल निकालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) दिल्ली की अनधिकृत कालोनियां मुख्यतः जलनिकास संकुलता से प्रभावित हैं। नालियों के बंद होने (ब्लाकेज) तथा अत्यधिक वर्षा के दौरान अति प्रवाह से कुछ शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं।

(घ) जल निकास संकुलता के मुख्य कारण ये हैं :- अनधिकृत बाकेटों और कालोनियों की अत्यधिक वृद्धि, पर्याप्त जलनिकास सुविधाओं के बिना निम्न क्षेत्र, निवासियों द्वारा कूड़े के ढेर लगाने के कारण स्थानीय नालियों का अक्सर बंद होना, मौजूदा नालियों में गाद जमा होना तथा अपर्याप्त मुहाने (आऊटफॉल)।

(ङ) जलनिकास संकुलता की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नालियों की वार्षिक गाद हटाना, अधिक प्रवाह के लिए नालियों को पुनः बनाना तथा पूरक जलनिकास नाला तथा जहांगीरपुरी मुहाना नाला जैसे नये मुख्य नालों का निर्माण कार्य शुरू किया है।

"स्ट्रोक इकाई" की स्थापना

3347. श्री के.सी. कोंड्यया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बेंगलोर के एन.आई.एच.एम.ए. एन.एस. में "सेरेब्रो-वस्कुलर डिसआर्डर" वाले मरीजों की चिकित्सा हेतु एक 16 बिस्तर वाले "स्ट्रोक इकाई" को स्थापित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित इकाई की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) क्या सरकार कर्नाटक के मुख्य अस्पतालों द्वारा "स्ट्रोक इकाई" को स्थापित करने की पहल किए जाने पर उन्हें भी सहायता देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एन.आई.एम.एच.एन.एस. (निमहान्स) में सेरेब्रो-वेस्कुलर डिसआर्डर वाले मरीजों की चिकित्सा हेतु एक 16 बिस्तर वाले "स्ट्रोक इकाई" को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) भवन, उपकरणों तथा स्टाफ सहित अनुमानित लागत 1.51 करोड़ रुपये होगी।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार की सहायता प्रदान कराने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

बाल वेश्यावृत्ति

***3348. डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में बाल वेश्यावृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) सन् 1995 तक बाल वेश्यावृत्ति में कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या सरकार द्वारा बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है अथवा कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने अथवा उनके स्वरोजगार हेतु कोई कुछ अन्य उपाय करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं। बाल वेश्याओं की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वेश्यावृत्ति के लिये 1995 में बेची/खरीदी गयी लड़कियों के मामले की कुल संख्या इस प्रकार है :-

बेची गयी	16
खरीदी गयी	18

(ग) निम्नलिखित कानूनों के मौजूदा उपबन्धों के कड़े कार्यान्वयन के अलावा सरकार भी बच्चों के यौन शोषण की समस्या के समाधान के लिये प्रमुख आपराधिक नियमों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संस्तुत कतिपय संशोधनों को विधि आयोग को भेजा है :—

(1) भारतीय दंड संहिता;

(2) अनैतिक पणन (निषेध) अधिनियम; और

(3) यौन अपराध न्याय अधिनियम;

वेश्यावृत्ति में संलग्न बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने एक केन्द्रीय सलाहकार समिति भी स्थापित की है जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के उपायों की सतत् समीक्षा और सिफारिश करेगी। इसके अलावा, सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला शक्ति सम्पन्नता के जरिये बच्चों विशेषकर बालिकाओं की स्थिति में समग्र सुधार करने के भी प्रयास कर रही है।

(घ) और (ङ). विशेषकर अधिक वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में तथा इस धन्धे से छुड़ा ली गयी वेश्याओं के पुनर्वास के लिये रोजगार और आयोत्पादक स्कीमें चलायी जाती हैं जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिलाओं के लिये रोजगार-सह-आयोत्पादक एककों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास।

गांधी जी के पत्र

3349. प्रो. रीता वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी के अंतिम दिनों में अप्रकाशित 450 पत्रों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन पत्रों को प्राप्त करने तथा उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ङ). सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वर्ष 1944-48 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी के आशुलिपिक रहे श्री वी. कल्याणम्, फिलिप्स इन्टरनेशनल आक्शनीयर्स एण्ड वेण्डर्स, लंदन के माध्यम से महात्मा गांधी के कतिपय स्व-हस्ताक्षरित दस्तावेजों/पत्रों की नीलामी का प्रयास कर रहे थे। तद्नुसार, नीलामी रोकने के उपाय करने हेतु श्री कल्याणम्, भारतीय उच्चायोग, लंदन और नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद के साथ संपर्क किया गया।

महात्मा गांधी के पत्रों की नीलामी पर रोक लगाने के लिए नवजीवन ट्रस्ट द्वारा उच्च न्यायालय, मद्रास में एक याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय ने याचिका के निपटान होने तक गांधी जी के पत्रों का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने अथवा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी/मुद्दालेह अथवा उनकी ओर से दावा अथवा कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए। न्यायालय ने उसी प्रकार से नवजीवन ट्रस्ट के कापीराइट के अतिक्रमण के विरूद्ध अंतरिम निषेधादेश जारी किए।

पत्रों पर नवजीवन ट्रस्ट के दावे को ध्यान में रखते हुए, नीलामीकर्ताओं ने नीलामी को स्थगित करने का निर्णय लिया, जो 14 नवंबर, 1996 को होनी थी। ये दस्तावेज, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद को वापिस देने के लिए, नीलामीकर्ताओं द्वारा लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को अब सुपुर्द कर दिए गए हैं।

समेकित जल प्रबंधन

3350. श्रीमती कमल रानी :
डा. राम लखन सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडो-जर्मन बायोनेचुरल" के सहयोग से चम्बल के बीहड़ों तथा यमुना नदी में तथा जालौन और हमीरपुर जिलों में समेकित जल प्रबन्धन संबंधी योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इस योजना को कब तक स्वीकृत कर देने का है;

(ग) क्या इस योजना में घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बीहड़ों तथा यमुना नदी को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इन बीहड़ों को इस योजना में शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तस्करी में सुरक्षा बलों का संलिप्त होना

3351. श्री तारीक अनवर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सुरक्षा बल के कर्मी तस्करी में संलिप्त पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में समुचित अनुदेश मौजूद हैं और यदि सेना कार्मिक ऐसी कार्रवाइयों में संलग्न पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नए पुल

3352. श्री दत्ता मेघे : क्या **थल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के संबंध में कितनी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

थल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पिछले तीन वर्षों से स्वीकृति के लिए पुल परियोजनाओं के कोई मामले लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3353. श्री इलियास आजमी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनमें कम्पाउंडर और नर्सें नहीं हैं;

(ख) राज्य में कम्पाउंडरों और नर्सों की आवश्यकता कुल कितनी है;

(ग) क्या सरकार अपेक्षित कर्मचारियों की भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो यह भर्ती कब तक कर ली जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम्पाउण्डरों और नर्सों की स्थिति 31.12.95 तक, इस प्रकार थी :—

	कम्पाउंडर (भेषजी).	नर्स (नर्स-धात्री)
अपेक्षित	4023	5595
स्वीकृत	927	259
कार्यरत	927	259
रिक्त	शून्य	शून्य

(ग) से (ङ). कम्पाउंडरों और नर्सों की नियुक्ति करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

[अनुवाद]

फर्जी संस्थाएं

3354. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में 17 सितम्बर, 1996 को एक फर्जी शिक्षा संस्था का पता चला है जिसने छात्रों को इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के नाम पर धन ऐंठा है;

(ख) यदि हां, तो इसने कितने लोगों से कितना धन ऐंठा;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी फर्जी संस्थाओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). भोपाल में यह एक समाचार था कि स्थानीय जिला प्रशासन ने इंजीनियरी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का वायदा करने वाले एक जाली संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की है। इस प्रकार के मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा अपने विधिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास के लिए अ.भा.स.शि.प. अधिनियम, 1987 के

अधीन की गई थी। कोई भी इंजीनियरी कॉलेज अ.भा.स.शि.प. के विनियमों के अनुसार परिषद के अनुमोदन के बिना आरम्भ नहीं किया जा सकता।

मोतियाबिन्द रोगी

3355. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री हाराधन राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत को मोतियाबिन्द उपचार के लिए दिए गए धन की लेखा परीक्षा कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्सी प्रतिशत आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मोतियाबिन्द के इस रोग को रोकने के लिए सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं और इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए नेत्र शिविरों की संख्या क्या है तथा उनमें कितनी सफलता प्राप्त की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोतियाबिन्द के बकाया पड़े मामलों को निपटाने के लिए एक अल्पाकालिक उपाय के रूप में ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में चलती-फिरती इकाइयों के माध्यम से देशभर में नेत्र शिविरों का आयोजन किया जाता है। दीर्घकालिक योजना के रूप में नेत्र परिचर्या वार्डों और समर्पित नेत्र आपरेशन थियेटरों का निर्माण और आधुनिक मोतियाबिन्द तकनीकों के लिए नेत्र उपकरण और इसके साथ-साथ उनकी शल्यचिकित्सीय कौशलों में सुधार करने के लिए वहां पर तैनात किए गए जिला नेत्र शल्य चिकित्सकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करके जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। नेत्र परिचर्या प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को बनाए रखने के आधार पर शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) आयोजित किए गए नेत्र शिविरों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	किए गए मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या
1993-94	1913639
1994-95	2165468
1995-96	2470499

श्रीलंका के सैनिकों को अमरीकी प्रशिक्षण

3356. **श्री चित्त बसु :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी रक्षा विशेषज्ञ श्रीलंका में श्रीलंका के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे की जांच की है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच रक्षा स्थापना के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें रक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों के दौरे, और संयुक्त राज्य अमरीका और हमारे क्षेत्र के अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की तरह ही संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।

(ख) और (ग). सरकार उन सभी स्थितियों पर निकटता से नजर रखे हुए हैं जिनसे भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ता हो।

सीमा सड़क संगठन द्वारा हटाई गई बर्फ

3357. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन द्वारा जोजिला, रोहतांग, बारालाचा तकलांग, खरदोंग और चांगला मार्गों से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने क्यूसिक मीटर बर्फ हटाई गई तथा इस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या रोहतांग दर्रा से एक सुरंग बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो रोहतांग दर्रे पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार जोजिला तथा खरदोंग दर्रों से सुरंगें बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान बर्फ हटाने और उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रोहतांग दर्रे पर एक सुरंग का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मैसर्स राइट्स इस समय व्यवहार्यता-अध्ययन करने में लगे हुए हैं।

(ग) रोहतांग सुरंग के निर्माण की लागत तभी मालूम हो पाएगी जब व्यवहार्यता-अध्ययन पूरा हो जाएगा। तथापि, मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार निर्माण की अनुमानित लागत 351 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

(घ) और (ङ). जोजिला और खारडोंग दर्रों पर सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक बर्फ हटाने तथा उस पर किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	दर्रे का नाम	हटाई गई बर्फ (क्यूसिक मीटर)			कुल	किया गया खर्च (लाख रुपए में)			कुल
		1993-94	1994-95	1995-96		1993-94	1994-95	1995-95	
1.	जोजिला	2130863	2014361	1381052	5526276	21.15	21.15	21.15	63.45
2.	रोहतांग	2504755	2440673	2185437	7130865	41.50	41.50	41.50	124.50
3.	बारलाचाला	136508	140332	137236	414076	2.18	2.18	2.18	6.54
4.	ताकलांग	124506	120380	121580	366466	20.61	20.61	20.61	61.83
5.	खारडोंग	3036890	3186394	3280306	9503590	47.13	47.13	47.13	141.39
6.	चांग्ला	1514832	1631465	1539855	4686162	24.70	24.70	24.70	74.10

गोवा में पुल

3358. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के पास तलपोना तथा गलगिबाग नदियों के बीच पुलों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस पुल की लागत कितनी है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). 8वीं पंचवर्षीय योजना में तलपोना और गलगिबाग नदियों पर पुलों का निर्माण-कार्य शामिल किया गया है। संरेखण का अनुमोदन किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। निधियों की कमी के कारण, राज्य सरकार को बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) स्कीम के तहत कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में शैलजा समिति

3359. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में 1995 में गठित की गई शैलजा समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शैलजा समिति ने जो 49 सिफारिशें की थीं उनमें इसकी प्रबन्ध संरचना, प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक मामले एवं निगरानी संबंधी मामले भी शामिल थे। इस समिति की सिफारिशों सहित समीक्षा समिति की रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। 49 सिफारिशों में से 37 सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। शेष 12 सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आरक्षण नियमों का उल्लंघन

3360. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा आरक्षण नियमों का खुलकर उल्लंघन किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमों का इस प्रकार से उल्लंघन किए जाने संबंधी समाचार बार-बार समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

खाड़ी से वापिस आए व्यक्तियों को मुआवजा

3361. प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी से युद्ध के कारण वापिस आए व्यक्तियों में से केरल के किन्हीं व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीयों को श्रेणीवार और राज्यवार मुआवजे की कुल कितनी राशि दी जानी है;

(घ) मुआवजा देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य से हमें 32,704 दावे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग (यू.एन.सी.सी.) को भेज दिया गया है।

(ग) मुआवजे की राशि का सुनिश्चय करना संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की अनन्य जिम्मेवारी है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा अभी यह तय किया जाना है कि भारतीयों को कितना मुआवजा दिया जाए।

(घ) और (ङ). कुवैत पर इराकी कब्जे के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को मुआवजे का मूल्याकंन और दिये जाने के संपूर्ण कार्य का संचालन संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 1992 में की गयी थी। इराकी तेल की बिक्री के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध के कारण संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग घोर आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। अब जब संयुक्त राष्ट्र-इराक सीमित तेल की बिक्री पर एक समझौत पर पहुंच गये हैं, तब उनके द्वारा उठाये जाने वाले अगले कदम के लिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के निर्णयों का हमें इंतजार करना होगा। इस मामले पर हम संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के नियमित संपर्क में हैं।

मिग-ए.टी. विमान खरीदने हेतु वार्ता

3362. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुसेना के लिए प्रशिक्षु मिग-ए.टी. खरीदने हेतु वार्ता पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतिम रूप से कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़कें

3363. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव की बुरी हालत के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसका मुख्य कारण लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों में सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) मानकों के अनुसार रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों की उपलब्धता आवश्यकता का सामान्यतः 50 प्रतिशत हो रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव में किसी भ्रष्टाचार के मामले की कोई सूचना नहीं है।

आई एस एम कोड

3364. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा आई एस एम कोड कब तक स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). भारतीय नौवहन निगम के विभिन्न श्रेणियों के जलयानों के लिए अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंध (आई एस एम) संहिता निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार लागू होगी :-

(1) 1 जुलाई, 1998 से तीव्र गति लाइट क्राफ्ट सहित सभी यात्री जलयान (प्रत्येक आकार के), तेल टैंकर, रसायन टैंकर, गैस कैरियर, बल्क कैरियर और 500 तथा इससे अधिक सकल टन भार के कार्गो तीव्र गति क्राफ्टों के संबंध में।

(2) 1 जुलाई, 2002 से अन्य कार्गो जलयानों और 500 तथा इससे अधिक सकल टन भार के मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिटों के लिए।

भारतीय नौवहन निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध संहिता के लागू होने से काफी पहले इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु विद्यालयों को सहायता

3365. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मान्यता प्राप्त विद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी है;

(ग) क्या विद्यालयों द्वारा वित्तीय सहायता हेतु किया गया कोई अनुरोध लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख). स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपूर्ण प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). इस योजना के अंतर्गत स्कूलों से सीधे तौर पर प्राप्त किसी भी अनुरोध पर न तो विचार किया जाता है और न ही स्कूलों को सीधे ही कोई सहायता प्रदान की जाती है। अतः सरकार के पास स्कूलों से प्राप्त किसी अनुरोध के लंबित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	प्रदान की गई सहायता राशि	
	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96
1	2	3
आंध्र प्रदेश	-	34,20,000/- रु.
असम	6,00,000/- रु.	-
गोवा	7,80,000/- रु.	-
कर्नाटक	-	2,07,90,000/- रु.
केरल	-	2,62,80,000/- रु.
मध्य प्रदेश	-	92,10,000/- रु.
महाराष्ट्र	4,47,60,000/- रु.	-
नागालैंड	3,25,080/- रु.	2,11,302/- रु.
पंजाब	77,10,000/- रु.	42,00,000/- रु.
त्रिपुरा	-	9,90,000/- रु.
योग	5,41,75,080/- रु.	6,51,01,302/- रु.

[हिन्दी]

सम्मिलित रक्षा सेवा के प्रश्न-पत्र

3366. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्मिलित रक्षा सेवा की परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी में ही प्रश्न-पत्र होता है;

(ख) क्या सरकार का सिविल सेवा परीक्षा की तरह सम्मिलित रक्षा सेवा की परीक्षाओं में भी हिन्दी में प्रश्न-पत्र शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डा. सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के आधार पर सभी सेनाओं, जिनके लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, के लिए परीक्षा की बहुभाषीय पद्धति लागू करने से संबंधित प्रस्ताव इस समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बंगलादेश के विदेश मंत्री का दौरा

3367. श्री रामचन्द्र डोम :
श्री विजय गोयल :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री सुखबीर सिंह बादल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गयी थी और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गंगा नदी के जल के बंटवारे तथा बंगलादेश के अवैध अप्रवासियों को स्वदेश वापस भेजने संबंधी मुद्दों को सुलझाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) बंगलादेश के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री अब्दुस समद आजाद 8 से 14 नवम्बर, 1996 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ व्यापक बातचीत की और गृहमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री के साथ भी बातचीत की। गंगानदी के जल बंटवारे के मसले पर दोनों पक्षों ने आगामी गर्मी के मौसम से पूर्व गंगा नदी के जल के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे पर किसी सहमति पर पहुंचने की अपनी अपनी इच्छा दोहराई। उनकी इस यात्रा के दौरान हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत । जनवरी, 1997 से बंगलादेश के निर्यात हित की बहुत सी मदों पर टेरिफ रियायतों को कार्यरूप देने की दिशा में काम कर रहा है। इस बात पर सहमति हुई कि भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक यथा शीघ्र होगी। बंगलादेश के विदेश मंत्री की दिल्ली में हमारे गृहमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने सुरक्षा से सम्बद्ध मसले जैसे विद्रोह, गैर-कानूनी आप्रवासन, तस्करी आदि उठाए। इस बात पर सहमति हुई कि सीमा प्रबंधन और वांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग और सुदृढ़ किया जाए। चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के संबंध में बंगलादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि शरणार्थियों को अपने घर वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल त्रिपुरा स्थित शरणार्थी शिविरों में भेजा जाएगा। सीमा के सीमांकन और अन्तर्प्रदेशों की अदला-बदली के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

(घ) राम में 17 नवम्बर, 1996 को बंगलादेश की प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत-बंगलादेश संबंधों की समीक्षा की गई और दोनों पक्षों के हित के सभी क्षेत्रों में संबंध संवर्धित करने के उपाय करने के बारे में सहमति हुई।

एक्सप्रेस हाईवे

3388. श्री सुखबीर सिंह बादल :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक्सप्रेस हाईवे/सुपर नेशनल हाईवे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो हाईवे-वार तथा राज्यवार मार्गों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि, यदि कोई हो, तो निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार की ओर से देश में सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के 33 प्रस्तावित खंडों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं। तथापि, भूमि-अधिग्रहण के लिए निधियों की कमी के कारण स्कीम को चलाना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

रानी अनावासीबाई बरगी बांध परियोजना

3369. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रानी अनावासीबाई बरगी बांध परियोजना का संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या इस बांध से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की गई है तथा पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में कोई योजना लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन योजना संबंधी कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रानी अवंती बाई (बरगी बांध परियोजना) के बांध और विद्युत गृह को 1987 में पूरा किया गया है। बार्गी बायां तट नहर पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) 11,655 भू-स्वामियों, जिनकी भूमि जलमग्न होने के कारण प्रभावित हुई है, को मुआवजे के रूप में 16.52 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। प्रभावित परिवारों को 1.48 करोड़ रुपए का पुनर्स्थापन अनुदान वितरित किया गया है। बार्गी बांध के विस्थापितों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 1988 में 10.00 करोड़ रुपए की एक योजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(1) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करना,

(2) प्रति परिवार 2,700/- रुपए की दर से पुनर्स्थापना अनुदान

(3) 90 फुट×60 फुट का आवासीय भूखंड,

(4) पुनर्वास बस्तियों में विद्यालयों, औषधालयों, बाजार स्थलों, राशन की दुकानों की स्थापना करना तथा बिजली और ऊर्जा की आपूर्ति की व्यवस्था,

(5) रोजगार के अवसर जुटाना,

(6) पुनर्वास बस्तियों से संबंधित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए सरकारी परिवहन का प्रावधान करना; और

(7) गृह मुआवजे की राशि के 20 प्रतिशत की दर से डिस्मेंटलिंग आदि के व्यय को पूरा करने के लिए राशि।

(ग) एवं (घ). इस स्कीम का कार्यान्वयन, जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सूरत में पासपोर्ट संग्रह केन्द्र

3370. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री काशीराम राणा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूरत पासपोर्ट संग्रह केन्द्र को पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय में बदलने का प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). सूरत स्थित वर्तमान संग्रह केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया है कि अन्य कारणों के अलावा पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए कम से कम 50,000 आवेदन होने चाहिए। सूरत जिले तथा साथ के भड़ौच दाग और बलसाड जिलों से 1995 में केवल 27,268 आवेदन प्राप्त हुए थे।

[हिन्दी]

पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार

3371. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है और आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). हमें यह रिपोर्ट मिली है कि नेपाल स्थित पाकिस्तान उच्चायोग भारत विरोधी अनेक गतिविधियों में संलिप्त है। यह मामला नेपाल के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। अगस्त, 1996 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा और आतंकवाद समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई थी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों से अन्य देश की सुरक्षा के पूर्वाग्रह के प्रति कार्यवाही की अनुमति नहीं देने की अपनी-अपनी वचनबद्धता दोहराई। यह भी निर्णय लिया गया था कि सीमा पार से अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए सीमा पार जांच प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। इस विशिष्ट मसले से निबटने के लिए भारत और नेपाल के संबंधित प्राधिकारियों के बीच नियमित वार्ता होती है।

वित्तीय सहायता

3372. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सर्जिकल उपकरणों सहित अनिवार्य औषधियों एवं अन्य अनिवार्य उपकरणों को खरीदने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वहां के सरकारी अस्पतालों में इनकी कमी दूर की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) क्या उपर्युक्त धनराशि को सही ढंग से तथा पूरी तरह उपयोग में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(लाख रु. में)

वर्ष	नगद औषधों एवं उपभोज्यों के लिए अनुदान	वस्तु सीवने	नेत्र उपकरण
1994-95	20.00	112.57	15.38
1995-96	20.00	42.21	120.40
1996-97	50.00	अभी आपूर्ति की जानी है।	

(ग) और (घ). जी हां। सीवनों तथा नेत्र उपकरणों के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीकृत खरीदारी की गई है और इसका उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए यह विमुक्त की जाती है। नगद अनुदानों के अन्तर्गत राज्य ने औषधों तथा उपभोज्यों की खरीद के लिए वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 36.50 तथा 42.65 लाख रु. की धनराशि का उपयोग किया है।

[अनुवाद]

सी.बी.एस.ई. परीक्षाओं की पद्धति

3373. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बदले किसी और पद्धति को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यशपाल समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं हेतु तैयार किए गए प्रश्न पत्रों के मौजूदा पैटर्न में कोई वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न नहीं होते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने यशपाल समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इनमें पूर्व-स्कूलों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना, पूर्व स्कूलों में दाखिला के लिए जांच-परीक्षाओं/साक्षात्कारों को बन्द करना, स्कूल पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में शिक्षकों की अत्यधिक भागीदारी, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल स्तरों पर आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में सन्दर्भ-आधारित और प्रश्नावली किस्म के प्रश्नों के स्थान पर अवधारणा-आधारित प्रश्नों को महत्व देना और स्कूल पाठ्यचर्या संबंधी कार्य को सम्पादित करने में श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का अत्यधिक उपयोग शामिल है।

मानव अंग

3374. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के लागू करने में कोई खामी सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धन के प्रलोभन पर मानव अंग, विशेष रूप से गुर्दे निकाल लेने की अनेक घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या मानव अंगों के प्रतिरोपण के संबंध में कानून को और कड़ा बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस समस्या से कैसे निपटने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 पर्याप्त रूप से सख्त है जिसमें मानव अंगों का गैर कानूनी रूप से व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए कारावास/अधिक जुर्माने का प्रावधान हैं। मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन-देन करने के लिए दण्ड के अन्तर्गत दाता/दान करने वाले संक्षिप्त व्यक्ति/डाक्टर और अस्पताल, ऐसे लेन-देनों में सहायता करने वाले व्यक्ति आते हैं। राज्य जो इस अधिनियम को प्रवर्तित कर रहे हैं, के ध्यान में मानव अंगों में अवैध व्यापार जारी रखने की कुछ रिपोर्ट ध्यान में आई हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय-राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में ऐसे मामलों की सूचना दी गई है जहां डाक्टरों/एजेन्टों को गिरफ्तार किया गया है, आरोप-पत्र जारी किया गया है और डाक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है आदि-आदि।

(घ) मानव अंगों के व्यापार और बिक्री के कारगर ढंग रोकने के लिए इस अधिनियम को सभी राज्य सरकारों द्वारा पारित कर दिया जाये और उनके द्वारा इसे गम्भीरता पूर्वक लागू किया जाये। तथापि अब तक केवल 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय विधान/अपने स्वयं के अधिनियमित किए गए इस प्रकार के विधान पारित कर दिए हैं/अन्य राज्यों से इस अधिनियम को पारित करने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

बीती मियाद वाली दवाइयों की बिक्री

3375. श्री एन.एस.वी. चित्यन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में दवा विक्रेताओं द्वारा बीती मियाद वाली दवाओं की बिक्री के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) सरकार द्वारा दोषी दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे डीलरों द्वारा कई सरकारी अस्पतालों को घटिया और बीती मियाद वाली दवाएं भेजी जा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्ययोजना बनाई गई है जिससे दवा और औषधि विक्रेता बीती मियाद वाली दवाएं न बेच सकें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन सहित दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों ने दवा विक्रेताओं से बीती मियाद वाली दवाओं की प्राप्ति की सूचना नहीं दी है। तथापि, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके

अन्तर्गत बनाये गए नियमों में राज्य के लाइसेंस प्राधिकारियों को बीती म्याद वाली दवाएं बेचते पाये जाने वाले दवा और औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रवर्तित की गई हैं।

[हिन्दी]

मुंशी प्रेमचन्द्र की वर्षगांठ

3376. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वाराणसी के लमही गांव में हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द्र की वर्षगांठ मनाने हेतु श्री प्रेमचन्द्र स्मारक भवन तथा विकास योजना समिति को कोई धनराशि मंजूर की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का उपयोग वर्षगांठ मनाने हेतु कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.बोम्बई) : (क) से (ग). जी हां। श्री प्रेमचन्द्र स्मारक भवन तथा विकास योजना समिति, लमही, वाराणसी को मुंशी प्रेमचन्द्र की वर्षगांठ मनाने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 1995 को एक सेमिनार आयोजित करने के लिए 25,000/- रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।

लेकिन 18,750/- रुपये की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु भेजा गया डिमांड ड्राफ्ट संगठन द्वारा दिए गए पते पर प्रेषित के न मिलने के कारण वितरित किए बिना वापस कर दिया गया। अनुदान की संस्वीकृति को अब दुबारा वैध किया गया है तथा अनुदानग्राही को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लिफ्ट सिंचाई

3377. श्री मुरलीधर जेना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में आज तक चालू हालत में कुल कितने लिफ्ट सिंचाई केन्द्र हैं;

(ख) क्या 50 प्रतिशत से अधिक लिफ्ट सिंचाई केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा सिंचाई क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाने तथा उड़ीसा में सूखे की स्थिति से निबटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री चनेश्वर मिश्र) : (क) 10,150

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार खड़ी फसलों को बचाने के लिए वृहद, लघु (प्रवाह) तथा लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र के तहत सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वृहद एवं मध्यम	951.64 हजार हेक्टेयर
लघु (प्रवाह)	180.326 हजार हेक्टेयर
लघु (लिफ्ट)	79.476 हजार हेक्टेयर

खरीफ 1996 के दौरान, लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने पर काफी जोर दिया गया है। 441 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपदा राहत कोष से निर्मुक्त 1.20 करोड़ रुपए की राशि उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम द्वारा ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा में जमा कराई गई है। इसी प्रकार आपदा राहत कोष से निर्मुक्त 53.10 लाख रुपए की राशि 531 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं आदि की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम को सौंपी गई है। इसके अलावा, 400 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत/पुनरूद्धार के लिए आपदा राहत कोष से 70.00 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृति की गई है।

सरकार ने पूरे राज्य में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के आयाकटडारों के लिए खरीफ फसलों के लिए जल दर पर 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

इसी प्रकार, बड़े पैमाने पर प्रतिपूरक रबी फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के आयाकट में कृषकों को 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है।

एच.आई.वी.

3378. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के कथनानुसार सन् 2000 तक देश में लगभग 5 मिलियन लोगों के एच.आई.वी. संक्रमण से ग्रस्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एच.आई.वी./एड्स को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम पूर्णतः अप्रभावी हैं;

(ग) यदि हां, तो 1 नवम्बर, 1996 तक देश में राज्य-वार एच.आई.वी. पॉजिटिव के कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) इस रोग को नियंत्रित करने/फैलने से रोकने के लिए सरकार का क्या नई कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्सट्रापोलेशन के आधार पर सांख्यिकीय अनुमान लगाए हैं।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को देश में एच.आई.वी./एड्स के प्रकोप का सामना करने के लिए गठित किया गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का समर्पित खण्ड है। कार्यक्रम की कार्यनीतियों में उच्च जोखिम भरे आचरण वाले समूह तथा एच.आई.वी./एड्स के बारे में सामान्य लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, रक्त निरापता और रक्त युक्तिसंगत उपयोग, निगरानी और एच.आई.वी./एड्स रोगियों को परिचर्या तथा सहायता देना शामिल है।

(ग) नवम्बर, 1996 तक 48777 एच.आई.वी. पाजीटिव रोगियों की सूचना दी गई है। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(घ) नवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। मौजूदा कार्यक्रम के कार्यकलापों को सुदृढ़ करते समय नए जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों, आवारा बच्चों में एचआईवी/एड्स शिक्षा, उद्योग, अन्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी, रक्त घटक पृथक्करण यूनिटें, एचआईवी संक्रमित एड्स रोगियों की परिचर्या जारी रखना, स्वैच्छिक रक्तदान का परामर्शी समर्थन करना तथा बढ़ावा देना शामिल है।

विवरण

एच.आई.वी. संक्रमण के लिए सीरो-निगरानी रिपोर्ट की अवधि : 30 नवम्बर, 1996 (अनन्तिम)

क्र.सं.	नाम	जांच किए गए	पॉजीटिव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	43164	290
2.	असम	10780	150
3.	अरुणाचल प्रदेश	309	0
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	9516	85
5.	बिहार	8403	17
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	54841	184
7.	पंजाब	56	4
8.	दिल्ली	314218	1244
9.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	350	8
10.	दादरा एवं नगर हवेली (सं. राज्य क्षेत्र)	सूचना अप्राप्त	1
11.	गोवा	59829	1007
12.	गुजरात	369960	527
13.	हरियाणा	131516	213
14.	हिमाचल प्रदेश	13767	71
15.	जम्मू व कश्मीर	8450	28
16.	कर्नाटक	365688	2592
17.	केरल	43927	215
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	753	7
19.	मध्य प्रदेश	82011	388
20.	महाराष्ट्र	333853	31444
21.	मणिपुर	40557	3664
22.	मिजोरम	22522	73
23.	मेघालय	14013	57
24.	नागालैंड	3344	261
25.	उड़ीसा	76904	205
26.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	70740	2054
27.	राजस्थान	33374	97
28.	सिक्किम	171	1
29.	तमिलनाडु	575954	2986
30.	त्रिपुरा	20871	18
31.	उत्तर प्रदेश	109706	689
32.	पश्चिम बंगाल	102505	252
	योग	2924054	48777

[हिन्दी]

कवि की जन्म-शताब्दी

3379. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" की जन्म शताब्दी मनाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या उर्दू के महान कवि गालिब की जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त भाग (क) तथा (ख) के बारे में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों महाकवियों की जन्म शताब्दी कब तक मनाई जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्बई) : (क) से (घ). कवि सूर्य कांत त्रिपाठी "निराला" की जन्म शताब्दी मनाने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सरकार ऐसे समारोहों को समर्थन देगी।

तथापि, सरकार ने उर्दू कवि मिर्जा गालिब की 200वीं जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया है, जिसे 27 दिसंबर, 1997 से शुरू कर वर्ष भर चलने वाले समारोहों के माध्यम से मनाया जायेगा।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम बंदरगाह

3380. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में लंगर डालने संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं हेतु वर्तमान बंदरगाह के साथ अतिरिक्त बाहरी बंदरगाह के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और विशाखापट्टनम पत्तन पर भीड़ को कम करने के लिए निकटवर्ती गंगवरम में लंगर डालने संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं देने अथवा पत्तन के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). जी हां। पत्तन सेवाओं की भावी मांग को पूरा करने और मौजूदा विशाखापत्तनम पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गंगावरम के निकट अतिरिक्त बर्थ सुविधाओं के सृजन का एक प्रस्ताव विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के पास विचाराधीन था।

इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने गंगावरम को एक लघु पत्तन घोषित कर दिया और इसे समन्वित औद्योगिक पत्तन शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसे ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने अतिरिक्त बर्थ सुविधाओं के सृजन के लिए बाह्य बन्दरगाह से बाहर एक बन्दरगाह विकसित करने का प्रस्ताव किया है।

टैंकों हेतु बम

3381. श्री प्रमोद महाजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19.11.1996 के "दि पायनियर" में "बम्ब वर्थ रूपीज 32 करोड़ इन आर्मी ट्रैस बिन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) सरकार को "बॉम्स बर्थ रुपीज 32 करोर्स इज आर्मी ट्रैश बिन" शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है। यह समाचार 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुई अवधि के लिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षा की 1996 की रिपोर्ट सं. 8 के पैरा-39 में निहित टिप्पणियों पर आधारित है।

(ख) विदेश से अंतरित प्रौद्योगिकी के आधार पर प्राइमर "वाई" का उपयोग करके निर्मित किए गए एक टैंक के गोलाबारूद के दो रूपांतरणों के 39,485 राउंडों की लागत 32 करोड़ रुपए है। प्राइमर "वाई" के आरम्भिक लाट विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थित व उनकी प्रत्यक्ष देख-रेख में उनकी संतुष्टि के अनुरूप निर्मित किए गए थे। प्राइमर लाट 1 से 25 का उपयोग 39,485 राउंडों में किया गया था जोकि प्राइमरों व गोलाबारूद राउंडों दोनों के सफल प्रूफ परीक्षण के बाद सेना को जारी किए गए थे।

2. जिस समय दुर्घटना हुई थी, उस समय लाटों में से एक लाट के प्राइमर "वाई" जिसका सफल प्रूफ परीक्षण भी कर लिया गया था, का देश में विकासाधीन गोलाबारूद के तीसरे रूपांतरण के परीक्षण में उप प्रणाली के रूप में उपयोग किया गया था। जांचों से पता चला है कि बहुत संभव है कि यह दुर्घटना "वीडिंग" नामक संक्रिया जोकि प्राइमर "वाई" के निर्माण में नहीं की गई थी, के कारण हुई हो। इसी कारण प्राइमर "वाई" के निर्माण में "बीडिंग" लाट 26 एवं उसके बाद से की जा रही है।

3. सेना को जारी किए गए गोलाबारूद के प्रथम दो रूपांतरों के 39,485 राउंड में से कुछ राउंड पहले ही इस्तेमाल कर लिए गए हैं। इनके बारे में कोई समस्या नहीं बताई गई है। तथापि, देश में विकासाधीन गोलाबारूद के तीसरे रूपांतर का परीक्षण करते समय हुई दुर्घटना के बाद सेना के गोलाबारूद डिपो में रखे गोलाबारूद के प्रथम दो रूपांतरों के शेष 28,377 राउंड, जिनमें बीडिंग न किया गया प्राइमर है, अलग कर दिए गए हैं। ऐसा भारी सावधानी के उपाय के रूप में किया गया है। साथ ही, इन राउंडों के परिशोधन का कार्य, जिसमें प्राइमर का प्रतिस्थापन निहित है, शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव तथा निर्माण

3382. श्री हंसराज अहीर : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा निर्माण हेतु अनुदानों की मांगों और एजेंन्सी प्रभारों में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आवंटन आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों की मांगों की पूर्ण रूप से पूर्ति करना सम्भव नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

अंधता, कुष्ठ रोग और क्षय रोग का उन्मूलन

3383. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में कुष्ठ रोग, अंधता और क्षय रोग के उन्मूलन संबंधी तीन बड़ी योजनाओं हेतु ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त ऋण के शीघ्र उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ये योजनाएं कब से आरंभ की जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). विश्व बैंक ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ऋण मंजूर किया है:—

1.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	1993-94 से मार्च, 1997 तक के लिए 302 करोड़ रुपए
2.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	1994-2000 तक के लिए 554.36 करोड़ रुपए

सरकार संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 749.28 करोड़ रुपए की धनराशि का ऋण विश्व बैंक से मांग रही है। यह कार्यक्रम जनवरी, 1997 से शुरू होकर पांच वर्ष के लिए होगा।

विश्व बैंक निधिकरण के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य हुई सहमति से अनुसूची के अनुसार प्रगति हो रही है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड

3384. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड" का गठन तथा उसका नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई स्थित चार प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों का गठन भारत सरकार द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन स्वायत्त निकायों के रूप में किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्यालयों में गोंड तथा भील भाषाओं का शिक्षण

3385. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में "गोंड तथा भील" जनजातियों की मातृभाषा गोंडी अथवा भीली है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में इन भाषाओं को शुरू करने की कोई योजना है ताकि इन्हें प्रोत्साहित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिवासी भाषाओं गोंडी तथा भीली को दो जिलों में शुरू किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

3386. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **मानव संसा विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के मामलों का विश्लेषण 24.9.96 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपी प्रेस रिपोर्ट में किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सरकार मामले की जांच कर रही है।

रक्तरहित मस्तिष्क शल्य चिकित्सा

3387. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीप सीटीड ब्रेन ट्यूमर और बल्ड वैसल मालफोरमेशन जैसी जीवन का खतरा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का स्टीरियोटेक्टिक रेडियोसर्जरी नामक खूनरहित न्यूरोसर्जरी द्वारा उपचार किया जा सकता है जिसके लिए रोगी की खोपड़ी में एक भी घाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो इस तकनीक का ब्यौरा क्या है और देश में किन-किन अस्पतालों में यह खून-रहित मस्तिष्क शल्य-चिकित्सा उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (घ). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से मिली सूचना के अनुसार एकास्टिक ट्यूमर जैस डीप सीटेड किस्म के कुछ ट्यूमरों का स्टेटियोटेक्टिक रेडियोसर्जरी से उपचार किए जाने की रिपोर्ट है। इस प्रकार की शल्य क्रिया दो तकनीकों से की जाती है अर्थात् एक्स-नाइफ तथा गामा लाइफ। एक्स-नाइफ किस्म की तकनीक क्रिश्चयन मेडिकल कालेज, बेलोर तथा मद्रास और दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालों में उपलब्ध है।

कांडला बन्दरगाह का आधुनिकीकरण

3388. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कांडला बन्दरगाह के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है; और

(ग) पत्तन के आधुनिकीकरण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). कांडला पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 8वीं योजना के दौरान निम्नलिखित बड़ी स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	कांडला पत्तन पर अतिरिक्त कार्गो बर्थ का निर्माण	38.82	9.6.94	जून, 1998 में पूरा करने के लिए नियत।
2.	कांडला में सभी उपस्करों सहित 66 के वी/II के वी इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन की व्यवस्था करना।	15.74	12.7.94	जुलाई, 97 में पूरा करने के लिए नियत।
3.	कांडला पत्तन द्वारा 4 व्हार्फ क्रेनों की खरीद।	21.20	29.3.95	अप्रैल, 1998 में पूरा करने के लिए नियत।
4.	कांडला पत्तन में चतुर्थ तेल जेट्टी का निर्माण।	25.12	18.2.96	फरवरी, 2000 में पूरा करने के लिए नियत।

मलेरिया का पुनः प्रकोप

3389. श्री वी.एल. शर्मा "प्रेम" :
श्री तारीक अनवर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया तथा सेरेब्रल मलेरिया एक महामारी के रूप में पुनः प्रकट हुई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सेरेब्रल मलेरिया को रोकने के लिए देश में दवाओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है तथा यह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है;

(ङ) क्या विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए रोधी वैक्सीन तैयार करने के संबंध में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(च) बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता का क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1994 में राजस्थान, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से पी. फाल्सीपेरम समेत मलेरिया के प्रकोप की सूचनाएं दी गईं। वर्ष 1995 के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र से मलेरिया के प्रकोप की रिपोर्टें प्राप्त हुईं। चालू वर्ष 1996 के दौरान राजस्थान और हरियाणा राज्यों ने इस रोग के प्रकोप की सूचना दी।

(ख) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) राज्यों में रोग का प्रकोप तथा रोग होने की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अधिक प्रभावित क्षेत्रों में औषधों, कीटनाशकों तथा फोगिंग मशीन की अतिरिक्त आपूर्ति की गई।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की मलेरिया रोधी औषधों तथा कीटनाशकों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति की गई।

(3) इस स्थिति का सामना करने के लिए त्वरित उपचारी कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिए समय-समय पर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में केन्द्र की ओर से विशेषज्ञ दल भेजे गए हैं।

(4) मलेरिया की स्थिति के प्रभावी प्रबोधन तथा घनिष्ठ समन्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों में नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है।

(5) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 1994 से सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(6) देश के महामारी, आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों को तेज करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना इस समय तैयार की जा रही है।

(7) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे संचरण-समय शुरू होने से पहले निवारक उपायों को तेज करें जिनमें इन पर विशेष जोर दिया गया हो:

— ग्रामीण स्तर पर औषध वितरण केन्द्रों, ज्वर उपचार डिपुओं की स्थापना करके मलेरिया के रोगियों का शीघ्र निदान व तत्काल उपचार।

— तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त अनुसूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव तथा शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी आपरेशनों के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण।

— सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तेज करना तथा सामुदायिक भागीदारी पर विश्वास।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मलेरिया-रोधी औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) इस कार्य में भारत तथा निदेशों के अनुसंधान संस्थान लगे हुए हैं।

(च) कीटनाशकों, लार्वानाशकों तथा औषधों तत्व : सामग्री के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 1993-94 से 1995-96 तक केन्द्रीय सहायता की मात्रा को दर्शाने वाली राज्यवार सूचना विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

1993, 1994, 1995 (अनन्तिम) के दौरान मलेरिया से हुई मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र/ अन्य का नाम	1993	1994	1995 (पी)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	9	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	6	2
3.	असम	48	69	800*
4.	बिहार	2	12	50
5.	गोवा	–	0	2
6.	गुजरात	25	14	9
7.	हरियाणा	–	–	0
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	0
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	0
10.	कर्नाटक	–	3	28
11.	केरल	–	1	4
12.	मध्य प्रदेश	12	28	28
13.	महाराष्ट्र	15	9	189
14.	मणिपुर	9	55	17
15.	मेघालय	–	11	31
16.	मिजोरम	33	41	55
17.	नागालैंड	–	253	अपर्याप्त
18.	उड़ीसा	118	78	271
19.	पंजाब	–	1	8
20.	राजस्थान	19	452	74

1	2	3	4	5	
21.	सिक्किम	–	0	0	
22.	तमिलनाडु	9	7	2	
23.	त्रिपुरा	19	20	16	
24.	उत्तर प्रदेश	–	0	0	
25.	वेस्ट बंगाल	37	52	146	
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	2	
2.	चंडीगढ़	–	–	–	
3.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	
4.	दिल्ली	–	–	–	
5.	दमन एवं दीव	–	–	–	
6.	लक्षद्वीप	–	–	–	
7.	पांडिचेरी	–	–	–	
	भारत	354	1122	1242	1363

*असम में 202 मौत होने की पुष्टि।

विवरण–II

1993–94 से 1995–96 तक तीन वर्षों के दौरान राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	566.62	712.57	251.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.33	125.06	295.29
3.	असम	435.78	540.78	2014.62
4.	बिहार	1099.15	385.11	133.08
5.	गोवा	3.93	13.68	4.78
6.	गुजरात	502.00	970.06	848.19
7.	हरियाणा	188.55	341.84	195.82
8.	हिमाचल प्रदेश	64.79	109.68	117.72
9.	जम्मू और कश्मीर	108.95	85.20	15.05
10.	कर्नाटक	241.05	476.65	462.42
11.	केरल	17.73	51.68	51.57
12.	मध्य प्रदेश	1422.29	1682.01	1228.26
13.	महाराष्ट्र	810.94	1121.65	1362.77
14.	मणिपुर	58.93	105.71	350.00
15.	मेघालय	51.16	84.85	322.87
16.	मिजोरम	67.08	79.66	357.29
17.	मेघालय	105.73	150.11	363.87
18.	उड़ीसा	190.57	236.08	434.76
19.	पंजाब	468.49	377.52	325.12
20.	सिक्किम	6.01	0.80	14.24
21.	राजस्थान	779.38	560.59	1196.57
22.	तमिलनाडु	95.80	137.35	153.67
23.	त्रिपुरा	173.46	114.65	404.12
24.	उत्तर प्रदेश	969.46	890.78	349.96
25.	पं. बंगाल	236.81	449.59	445.16
26.	दिल्ली	29.80	91.33	349.96
27.	पांडिचेरी	8.99	10.42	23.94
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	64.90	104.96	69.56
29.	चंडीगढ़	42.51	55.20	24.49
30.	दमन एवं नगर हवेली	18.92	19.56	22.82
31.	दमन एवं दीव	4.32	7.10	4.08
32.	लक्षद्वीप	2.90	3.23	3.33
	योग	8904.95	10095.71	12198.07
	कुल मुख्यालय	285.16	327.00	354.89
	कालाजार	1864.14	577.29	311.45
	योग	11054.26	11000.00	12864.41

राष्ट्रीय राजमार्ग–23 की मरम्मत

3390. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 विशेषरूप से उड़ीसा से होकर जाने वाले मार्ग को जोड़ने वाली सड़कों के चालू हालत में न होने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मार्गों की मरम्मत करके और पुलों का निर्माण कर इन्हें कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अनिर्मित खंडों की कुल लम्बाई 269 कि.मी. है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उड़ीसा में रा.रा. 23 का 39 कि.मी. खंड शामिल है।

(ग) और (घ). विकास कार्य और रा.रा. पर अनिर्मित खंडों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इन कार्यों को इनकी पस्स्पर प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध करके किया जाता है।

संवर्ग (कॉडर) समीक्षा समिति

3391. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.एम.ई. वर्कशाप के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों हेतु गठित संवर्ग (कॉडर) समीक्षा समिति ने वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश क्या है;

(ग) क्या इस समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी (ईएमई) कोर के औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए गठित संवर्ग समीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी के औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक दोनों श्रेणियों के 66 संवर्गों की संवर्ग समीक्षा संबंधी प्रस्ताव निहित था जिसमें से 50 संवर्ग समूह "ग" और 16 संवर्ग समूह "घ" श्रेणी के थे।

2. सरकार ने संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार किया था और विस्तृत बातचीत के बाद 18 औद्योगिक संवर्गों से संबंधित प्रस्ताव पांचवें वेतन आयोग को विचारार्थ भेज दिए थे, 9 संवर्गों से संबंधित प्रस्ताव सरकार में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं, एक संवर्ग संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और 36 संवर्गों की संवर्ग समीक्षा उच्च स्तर के अतिरिक्त पदों के सर्जन के लिए कार्य संबंधी औचित्य उपलब्ध न होने के कारण सरकार ने प्रारम्भिक रूप में स्वीकार नहीं की थी।

मोतियाबिंद के रोगी

3392. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "कैटरैक्ट पेसेन्ट्स फालिंग विक्टिमज़ ऑफ अनस्कोल्ड डॉक्टर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुद्दे के बताए गए तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे अविशेषज्ञ चिकित्सकों से आम जनता को बचाने तथा इस संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों की उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। फामेकोईम्यूलसोफोकेशन इन्ट्राआक्यूलर लैंस रोपण सहित मोतियाबिंद निकालने की सबसे आधुनिक तकनीक है। यह प्रक्रिया विकसित देशों में आम है, जबकि भारत के लिए यह नई है और यह उन नेत्र-विज्ञानियों द्वारा अपनाई जा सकती है जो परम्परागत तरीकों द्वारा मोतियाबिंद के आपरेशन कर रहे हैं या कर रहे थे। सभी नई प्रक्रियाओं की तरह इसकी भी अपनी सीखने संबंधी पेचीदगियां हैं। देश में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर यह प्रक्रिया दैनिक रूप से की जाती है और जहां पर नेत्र विज्ञानी फामेकोईम्यूलसीफोकेशन की प्रक्रिया को देख सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3393. श्री मुनव्वर हसन :
डा. बलिराम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और प्राथमिक उपचार केन्द्रों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन केन्द्रों की तथा विशेषरूप से मुजफ्फरनगर तथा आजमगढ़ क्षेत्र की दशा यथाशीघ्र सुधारने के लिए सरकार की क्या योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

रंगाई सामग्री उद्योग

3394. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगाई सामग्री उद्योग ने सरकार के उस प्रस्ताव की समीक्षा की मांग की है जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ए.जैड.ओ. रंगाई सामग्री के प्रयोग पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रंगाई सामग्री उद्योग की मांगों पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार कतिपय एजोडाईज जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव पर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में पुल

3395. श्री सुरेश प्रभु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र और गोवा को किरणपाणी नामक स्थान पर जोड़ने वाली संकरी खाड़ी पर पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उक्त कार्य आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) इस समय प्रश्नगत पुल का केन्द्र द्वारा प्रयोजित किसी भी स्कीम के तहत निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में खेलकूद गतिविधियां

3396. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार राज्य में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कैम्प लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए केवल राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने हेतु आयोजित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक उपचार पद्धति

3397. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुर्वेदिक उपचार पद्धति और स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). 8वीं योजनावधि के दौरान इन पद्धतियों के संवर्धन और विकास के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक अलग विभाग स्थापित किया गया है। 8वीं योजना के 88 करोड़ रुपये के सतुलित परिव्यय के भीतर आयुर्वेदिक कालेजों को आधारभूत ढांचे, औषधीय पादप लगाने और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, स्नातकोत्तर आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली और केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को भी सहायता प्रदान की गई है। फार्मेस्युटिकल मानक तैयार करने संबंधी कार्य को जारी रखा हुआ है।

(ग) से (ङ). आयुर्वेद सेक्टर की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी कार्यदल ने 9वीं योजना के लिए 1840 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी। कुछ प्रस्ताव ये हैं:—जिला स्तर पर उपचार सुविधाएं स्थापित करना; ब्लाक स्तर के औषधालयों के लिए आधारभूत ढांचा संबंधी सहायता; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन लाभार्थियों को

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना; निवारक स्वास्थ्य, परती भूमि पर बड़े पैमाने पर वनस्पति वन लगाने हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायता, आयुर्वेदिक कालेजों और अनुसंधान/विकास संबंधी मुद्दों और संबंधित क्षेत्रों को अर्थपूर्ण सहायता प्रदान करना।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद

3398. श्री काशीराम राणा :

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद इस समय शहर के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थान पर स्थित है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस कार्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु निर्णय लिया गया था और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के नए भवन के निर्माण हेतु 85 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि न तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का स्थान परिवर्तन किया गया है और न ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य ही शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी नीतियों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं, और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). वर्तमान भवन में अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का स्थान परिवर्तन उस नए भवन में करने का निर्णय लिया गया है जिसे अहमदाबाद नगर निगम से 77,77, 726/- रुपए में खरीदे गए प्लाट पर बनाया जा रहा है। 1993 के प्राक्कलन के अनुसार इस परियोजना पर 3,05,96,000/- रुपए की लागत आने का अनुमान है। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अहमदाबाद को सौंप दिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

प्राचीन संपदा वाली हवेलियां

3399. श्री सनत मेहता :

श्री काशीराम राणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग ने देश के प्राचीन संपदा वाली हवेलियों के संरक्षण/रखरखाव हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी हवेलियों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान गुजरात पाटन, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर तथा जाम नगर की ऐसी हवेलियों को संरक्षित करने हेतु गुजरात सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गयी है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस मद पर कितनी धनराशि दी गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन हवेलियों को अपने अधिकार में अधिग्रहीत कर लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

एक राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय

3400. श्री बादल चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार द्वारा राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्य तथा विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान के संबंध में भारत और ईरान की पहल

3401. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने अफगानिस्तान में गृहयुद्ध को रोकने हेतु किसी संयुक्त प्रस्ताव की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने अन्य देशों द्वारा अफगानिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित-चिन्ता के मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान की सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, भारत और ईरान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार-विमर्श किया है। भारत ने अफगानिस्तान के मसले पर ईरान द्वारा 29-30, अक्तूबर, 1996 को तेहरान में बुलाए गए क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन अफगानिस्तान में हिंसा, शस्त्र संघर्षों को तुरन्त रोकने तथा सभी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए बुलाया गया था।

[अनुवाद]

औद्योगिक रसायन में स्नातक

3402. श्री ब्रज भूषण तिवारी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार लगभग कितने उम्मीदवार औद्योगिक रसायन में विज्ञान-स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं;

(ख) इन स्नातकों की मांग तथा पूर्ति में कितना अंतर है;

(ग) औद्योगिक रसायन के स्नातकों को सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कितने अवसर प्राप्त होते हैं; और

(घ) इन उम्मीदवारों को कब तक शिक्षु अधिनियम द्वारा शामिल किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग

3403. श्री पी. कोदंड रमैया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अन्य सड़कों के बारे में सूचना सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ग) नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के संबंध में राशि आवंटित किए जाने के बारे में सरकार के मार्ग-निर्देश क्या है;

(घ) क्या सरकार की सूचना में यह बात आई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 में 30 कि.मी. तथा 200 कि.मी. वाले दो अन्य राजमार्ग जुड़े हैं और वहां एक्सप्रेस के लिए 200 कि.मी. की सड़कें बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवा-निवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

3404. कर्नल राव राम सिंह :
श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा कार्मिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष रूप से सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों हेतु ऐसे स्थानों पर अस्पताल खोलने का है जहां अस्पताल पर्याप्त संख्या में न हों; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) रक्षा कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद व्यापक पैकेज के तहत पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस पैकेज में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं/रियायतें शामिल हैं :-

(1) भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालो में निःशुल्क बहिरंग रोगी उपचार उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें सैन्य अस्पतालों में मनोचिकित्सा उपचार, कैंसर उपचार, गुर्दा प्रत्यारोपण और कोरोनरी बाइपास सर्जरी को छोड़कर अंतरग रोगी उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है।

(2) जिन बीमारियों का इलाज सैन्य अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं उनके सशस्त्र सेनाओं की सामूहिक बीमा योजनाओं के तहत चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सामूहिक बीमा योजना के तहत हृदय उपचारक के लिए एक लाख रुपए, कैंसर उपचार के लिए 75,000/- रुपए, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 1.00 लाख रुपए और कूल्हे व घुटने के जोड़ों को बदलने के लिए 75,000/- रुपए की राशि दी जाती है।

(3) जो भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा बीमा योजनाओं के तहत नहीं आते हैं उन्हें बाइपास सर्जरी, ऐंजियोग्राफी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी सर्जरी आदि जैसे गंभीर रोगों के उपचार पर होने वाले कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(4) भूतपूर्व सैनिक राज्य सरकार के सिविल अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।

(5) केवल भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के वास्ते 24 चिकित्सा जांच कक्ष तथा 12 दंत चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(6) जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 15,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग). सरकार ने केवल सशस्त्र सेनाओं के कार्यरत कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए 127 सैन्य अस्पताल स्थापित किए हैं। ये अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल परित्राण पद्धति के क्षेत्रीयता के तरीकों पर आधारित हैं और इन्हें बड़े कमान अस्पतालों, आंचलिक अस्पतालों, मध्यम अस्पतालों और छोटे अस्पतालों में समूहबद्ध किया गया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के दिल्ली में एक सेना अस्पताल, पुणे, मुंबई, बेंगलूर, लखनऊ, कलकत्ता, उधमपुर और चंडीमंदिर में 7 कमान अस्पताल हैं। 20 आंचलिक अस्पताल, 18 मध्यम अस्पताल (201 से 400 बिस्तर) 80 छोटे अस्पताल (200 बिस्तरों तक) और पुणे में एक विशेषज्ञ कार्डियोथोरासिस केन्द्र है। सम्पूर्ण देश में फैले सरकारी और निजी दोनों सत्रह सिविल अस्पतालों को सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को उन्नत कार्डियोवेस्कुलर उपचार सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तब तक पैनल में रखा गया है जब तक कि ये सुविधाएं सेनाओं के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो जातीं। सरकार ने हाल ही में सशस्त्र सेनाओं के 127 अस्पतालों की 66.00 करोड़ रुपए की लागत पर आधुनिक बनाए जाने की योजना अनुमोदित की है। दिल्ली छावनी में विद्यमान सेना अस्पताल को दिल्ली छावनी स्थित सुब्रतो पार्क के नए परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है और उसमें अत्याधुनिक विशेषज्ञता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में स्थानों का कोटा

3405. श्री गोपाल टंडेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र हेतु चिकित्सा पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम) में स्थानों का कोटा बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इन स्थानों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने स्थान आवंटित किये गये हैं; और

(ङ) शैक्षिक सत्र 1997-98 के लिए दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में स्थान का कोटा बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र को एम.बी.बी.एस. सीटें राज्यों और कुछ अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक अंशदान लेकर बनाए गए केन्द्रीय पूल से दी जाती है। केन्द्रीय पूल में सीटों की सीमित उपलब्धता के कारण दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए एम.बी.बी.एस. सीटों के आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं हुआ है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन केन्द्रीय पूल में सीटों की कुल उपलब्धता और अन्य पहलुओं जैसे इसके आकार, जनसंख्या, भौगोलिकता आदि तथा विशेष जरूरतों पर निर्भर करता है।

(घ) 1996-97 के दौरान विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. सीटों का आवंटन इस प्रकार है :-

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97 के दौरान आवंटित सीटें	
		एम.बी.बी.एस	बी.डी.एस.
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16	2
2.	लक्षद्वीप	10	2
3.	दादरा व नगर हवेली	3	2
4.	दमण व दीव	2	2
5.	चंडीगढ़	0	1

(ङ) दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र को 1997-98 के दौरान एम.बी.बी.एस. सीटों के कोटे में कोई वृद्धि करना केन्द्रीय पूल के आकार में वृद्धि पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

3406. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश देने से केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इन्कार किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित छात्रों को शिक्षा सत्र में काफी समय बाद भी अर्थात नवम्बर, 1996 तक प्रवेश देने के आदेश दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू शिक्षा सत्र के दौरान इस प्रकार दिए गए प्रवेशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी दाखिला विशेष छूट पर नहीं किया जाए।

लिपोसक्शन उपचार

3407. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1996 को वाइटल वेट क्लीनिक, नई दिल्ली की ओर से लिपोसक्शन उपचार द्वारा शरीर सुडौल बनाने के लिए प्रचारित कुछ विज्ञापनों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लिपोसक्शन उपचार के प्रभाव का किसी सरकारी प्रयोगशाला द्वारा प्रयोग और अनुमोदन किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इसे सरकारी संस्थानों में आरम्भ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन, जिनके माध्यम से आम आदमी का शोषण किया जा रहा है, पर रोक नहीं लगाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). जी, हां। लिपोसक्शन शरीर के विशिष्ट अंगों से अनचाहे वसा को निकालने के लिए एक शल्य चिकित्सीय क्रियाविधि है। इस क्रियाविधि को कुछ सरकारी अस्पतालों के प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विभागों में कुछ रोगियों पर सफलतापूर्वक किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपर वर्धा सिंचाई परियोजना

3408. श्री गुढ़े अनंत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर वर्धा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति के समय अनुमानित लागत और समय सीमा तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान लागत और लागत तथा समय में वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) निर्धारित और वास्तविक निधियां जारी करने का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस चालू परियोजना की समीक्षा करने और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए बढ़ाकर निधि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह परियोजना 39.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मई, 1996 में योजना आयोग द्वारा मूल रूप से अनुमोदित की गई थी और इस परियोजना को 1984 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम था। कमान क्षेत्र विकास कार्यों सहित इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 659.51 करोड़ रुपए बैठती है और अब इस परियोजना को जून, 2000 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना को पूरा करने का वास्तविक समय निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अधिक समय लगने और लागत में वृद्धि के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) बांध स्थल का स्थानांतरण।

(2) परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन अर्थात् बाई तट नहर को शामिल करना और तदनंतर सिंचाई में 45,000 हेक्टेयर से 80,250 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि होना।

(3) केंद्रीय मूल्यों में वृद्धि।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं को तैयार करना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा किसी परियोजना से जुड़ी नहीं होती। निधियों का निर्धारण और वास्तविक निर्मुक्ति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 92-93, 93-94, 94-95 के दौरान परियोजना पर वास्तविक व्यय क्रमशः 30.00 करोड़ रुपए, 24.00 करोड़ रुपए और 38.50 करोड़ रुपए (अनुमानित) हैं। योजना आयोग के कार्य दल ने वर्ष 1995-96 के लिए 33.00 करोड रुपए के परिव्यय की सिफारिश की थी।

(ग) सामान्यतया परियोजना की प्रगति की समीक्षा योजना आयोग में वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ की जाती है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए उन पर जोर दिया जाता है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के लिए वार्षिक योजना 1996-97 में 45.19 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया है।

[हिन्दी]

दिल्ली के स्मारक

***3409. श्री रामबहादुर सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पुरातत्वीय महत्व के 500 स्मारकों को ध्वंस कर दिये जाने के तथ्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समय पर इन स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) दिल्ली में कोई केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नष्ट नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भू-जल

3410. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-जल की खोज पर्यावरण भूमि तथा जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है;

(ख) यदि हां, तो इसका विश्लेषणात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां भू-जल के प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भू-जल को एक सीमा में इस्तेमाल करने हेतु कानून बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च). चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए भूजल विकास के विनियमन तथा नियंत्रण संबंधी कानून का अधिनियमन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ माडल बिल परिचालित किया है कि वे भूजल विकास के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए माडल बिल के अनुसार समुचित कानून बनाएं।

भू-जल का स्तर

3411. श्री पवन दीवान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर निरंतर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस जल स्तर को घटने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित जिलों के भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित स्कीमें मंत्रालय को भेजी गई हैं; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय इन स्कीमों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करके इनके क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भूजल स्तर के दीर्घावधि प्रेक्षण दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश के पठारी भू-भागों सहित कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में निरन्तर कमी आयी है।

(ख) भूजल के स्तर में आने वाली कमी को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :-

(1) भू-जल विकास के नियमन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधायन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समर्थ करने के लिए उन्हें माडल बिल परिचालन करना।

(2) भू-जल के कृत्रिम पुनःभरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार करना। यह स्कीम परामर्शी चरण में है।

(3) भू-जल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशिष्ट क्षेत्र कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समर्थ बनाने के लिए उन्हें भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण से संबंधित मैनुअल का परिचालन करना।

(4) पुनर्भरण संरचनाओं के स्थान-निर्धारण के लिए उपयुक्त स्थलों को अभिज्ञात करने में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सहायता करना।

(ग) एवं (घ). मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु 1994 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव की जांच के पश्चात् राज्य सरकार को अक्तूबर, 1994 में सूचित किया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में से कुछ को केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है जोकि इस समय परामर्शी चरण में हैं।

वाराणसी में गंगा पर पुल

3412. श्री रामसागर :

श्री छत्रपाल सिंह :

श्री मनोज कुमार सिन्हा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी.टी. रोड पर मोहन सराय से मुगल सराय तक उपमार्ग और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उस पर आज तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है: और

(घ) उक्त परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) कार्य, अक्तूबर, 1987 में शुरू हुआ था।

(ख) इस परियोजना की वास्तविक स्वीकृत लागत 49.92 करोड़ रु. थी। परियोजना (सड़क और पुल) की संशोधित लागत 122.59 करोड़ रु. है। इस परियोजना पर अद्यतन व्यय 90.61 करोड़ रु. हुआ हैं।

(ग) परियोजना की प्रगति निम्न प्रकार से है :-

1. बाईपास (सड़क कार्य)	-	42 प्रतिशत
2. गंगा पुल	-	93 प्रतिशत
3. 2 पुलोपरि सड़कें	-	80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत

(घ) परियोजना पूरा करने की संभावित नियत तारीख दिसम्बर, 1997 है।

[अनुवाद]

विज्ञान नगर

3413. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान नगर के चरण-1 का उद्घाटन 31 दिसंबर, 1996 को होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चरण के अंतर्गत आवास क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार का इस नगर के दूसरे चरण का उद्घाटन वर्ष 1997 की तिमाही में करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों की सुविधा हेतु मिजोरम में ऐसे विज्ञान नगरों की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). विज्ञान शहर के सम्मेलन का केन्द्र का उद्घाटन 21 दिसम्बर, 1996 को किया जायेगा जिसकी क्षमता 2200 है। सम्मेलन केन्द्र में 400 की क्षमता का एक लघु सभागार, 50 से 100 लोगों की क्षमता वाले 8 सेमिनार हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा विकसित कम्प्यूटरीकृत रोबोटिक डायनोसोरों को प्रदर्शित करने वाला एक विशेष प्रदर्शनी हॉल और एक विशाल अल्पाहार-गृह है।

(ग) विज्ञान नगर के शेष खण्डों, जिसमें अंतरिक्ष थियेटर, अंतरिक्ष फ्लाइट सिमयुलेटर और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लगभग 1000 इण्डोर और आऊटडोर प्रदर्श शामिल हैं, का उद्घाटन मार्च, 1997 में किया जायेगा।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की वर्तमान नीति के अनुसार, विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार इस संबंध में संपर्क करे एवं एक विकसित स्थल प्रदान करे तथा परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए सहमत हो। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में एक विज्ञान केन्द्र 1994 से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

बीकानेर जिले में रक्षा बलों द्वारा भूमि का अधिग्रहण

3414. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए बीकानेर जिले में लुनकरण तहसील में लगभग 34 गांवों की सारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबद्ध व्यक्तियों को कम मुआवजा प्रदान किया गया तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक बकाया क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान किए जाने का विचार है;

(ग) क्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीकानेर के न्यायालय में किसानों को कम मुआवजा देने के संबंध में काफी लंबे समय से हजारों मामले लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त फायरिंग रेंज के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां। तथापि, इसमें शामिल गांवों की संख्या केवल 33 थी।

(ख) भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अर्जित की गई भूमि के लिए यथा-उपबंधित क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया था।

(ग) और (घ). भू-स्वामियों द्वारा भूमि से संबंधित 4000 मुकदमें दायर किए गए। इनमें से 1128 मामलों को खारिज कर दिया गया है।

(ङ) पुनर्वास के लिए 89,54,000/- रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और इसे विस्थापित परिवारों में वितरण के लिए बीकानेर के जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।

[अनुवाद]

जाली दवाई उत्पादक एकक

3415. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पता लगाए गए जाली दवाई उत्पादक एककों की संख्या क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता

3416. श्री सी. नरसिम्हन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कितने देश हैं; और

(ख) क्या भारत के सुरक्षा परिषद में शामिल होने के मामले को अमेरिका तथा चीन भी समर्थन दे रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). पांच देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है (भूटान, मारीशस, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य और प्रजातान्त्रिक लोक गणराज्य लाओ)। अमरीका और चीन ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के संबंध में कोई रूख नहीं अपनाया है।

[हिन्दी]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में रिक्त पद

3417. डा. बलिराम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में लेकचरर के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पदों में से आरक्षित/अनारक्षित पदों की संख्या क्या है;

(घ) कब से उक्त पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनी

3418. डा. असीम बाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में व्यावसायिक आनुवंशिक परीक्षण तथा परामर्श तकनीक की श्रृंखला स्थापित करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). नई दिल्ली में प्रोगेन इंडिया ह्यूमन जेनेटिक सेंटर स्थापित करने के मैसर्स प्रोगेन इंक, संयुक्त राज्य अमरीका के एक प्रस्ताव को हाल ही में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कुछ शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि उन्हें मौजूदा स्थानीय कानूनों, विनियमों और दिशा निदेशों के अधीन आवश्यक स्वाकृतियां लेनी होंगी।

कृष्णा नदी जल विवाद

3419. श्री बी.एल. शंकर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बद्ध राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद का समाधान करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने महाराष्ट्र कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा जल के बटवारे के संबंध में 1976 में अंतिम आदेश दिया। इस प्रकार कृष्णा बेसिन राज्यों के मध्य कोई जल विवाद नहीं है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों के बीच अलमट्टी बांध के पूर्ण जलाशय स्तर के संबंध में मतभेद है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक सौहार्द्र पूर्ण समझौते के लिए 10.8.96 को आयोजित की गई थी। किन्तु इसमें कोई सहमति नहीं हो सकी। तथापि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि कर्नाटक सरकार का अपने आबंटित हिस्से से अधिक जल का उपयोग करने का इरादा नहीं है।

[हिन्दी]

सी.एस.डी. कैंटीनों को पेशकश की गई योजनाएं

3420. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव, इंडिया लिमिटेड ने सितम्बर/अक्तूबर, 1996 में कोलगेट टूथपेस्ट के 100 ग्राम पैक के साथ नहाने का एक मुफ्त साबुन देने की एक योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सी.एस.डी. कैंटीनों को भी इस योजना की पेशकश की गई थी;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है कि सी.एस. डी. कैंटीनों को आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादकों पर योजनाएं आरम्भ की है इनमें से कितनी कंपनियों ने दिल्ली में सी.एस.डी. कैंटीनों की योजनाओं की पेशकश की है;

(घ) क्या ऐसी कंपनियों को काली सूची में डालने का प्रस्ताव है जिन्होंने दिल्ली की सी.एस.डी. कंपनियों को ऐसी योजनाओं की पेशकश नहीं की है और इन कंपनियों द्वारा अनुचित व्यापार के तरीके अपनाने के लिए इस मामले को एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग को सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) से (ङ). निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार वे, दिल्ली डिपो सहित कैन्टीन स्टोर विभाग को इस प्रकार की योजना के बारे में सूचना देने और उसके लाभ उपलब्ध कराए जाने के लिए बाध्य हैं। कैन्टीन स्टोर विभाग रेडियो, टी वी, प्रिंट/प्रेस आदि सहित अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए समय-समय पर ऐसी योजनाओं के बारे में इस प्रकार की सूचना एकत्र करता है। फर्म के दोषी पाए जाने की स्थिति में, कैंटीन स्टोर विभाग उपहार मद (मदों) का मूल्य और उस पर 5 प्रतिशत दंड की राशि वसूल करने के लिए प्राधिकृत है। फर्म को ब्लैक लिस्ट करने और/अथवा मामले को एम आर टी पी कमीशन को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थानों में राजनैतिक गतिविधियां

3421. श्री एन. डेनिस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं के परिसर के अन्दर राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रांची, बिहार में उपमार्ग का निर्माण

3422. श्री राम टहल चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रांची में उपमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

3423. श्री सत महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कितने केन्द्रीय नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं और राज्य में और कितने केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि, भवन और सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्कूलों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी और इनकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश में इस समय 18 केन्द्रीय विद्यालय और 10 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित करने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो अपेक्षित मानकों को पूरा करता हो।

[अनुवाद]

बड़मल आयुध कारखाने में उत्पादन

3424. श्री शरत पटनायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलंगीर क्षेत्र में बड़मल स्थित आयुध कारखाने में उत्पादन कब शुरू होगा; और

(ख) संयंत्र का शुरू होने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) आयुध निर्माणी बदमाल में उत्पादन 1997-98 में शुरू किए जाने की योजना है।

(ख) गोला-बारूद के दो रूपान्तरों के लिए संयंत्र संस्थापित किया जा चुका है। इस संयंत्र के चालू किए जाने और परीक्षण के दौरान कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं जिनका समाधान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। तीसरे रूपान्तर के लिए संयंत्र की संस्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

3425. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष "ऑपरेश ब्लैक बोर्ड" के अंतर्गत महाराष्ट्र में कितनी कक्षाएं लगाई गई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता मांगी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई सूचना के अनुसार इस राज्य में पिछले तीन वर्षों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत निर्मित कक्षा-कक्षों की संख्या निम्नवत है :-

वर्ष	निर्मित कक्षा-कक्ष
वर्ष 1993-94	1374
वर्ष 1994-95	2722
वर्ष 1995-96	2915

(ख) से (घ). स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है। जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाइ) के अंतर्गत, प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु निधियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय से परामर्श करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत एक फार्मूला तैयार किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को 302.81 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

पणजी में बन्दरगाह परियोजना का विकास

3426. श्री राम नाईक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मारमुगांव बन्दरगाह प्रशासन से पणजी में बाहरी पोत विकास का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने इसकी जल सीमा से होकर पणजी जाने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय ने उक्त प्रभारों का अनुमोदन कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). जी हां। पत्तन सेवाओं की भावी मांग को पूरा करने के लिए मारमुगांव पत्तन प्रशासन ने पणजी में बाह्य बन्दरगाह परियोजना के विकास का प्रस्ताव किया है। मारमुगांव पत्तन न्यास से बाह्य बन्दरगाह के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु परामर्शकों के रूप में चयन और नियुक्ति करने के लिए परामर्शी इंजीनियरिंग फर्मों की सूची बनाने का निर्णय लिया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तकनीकी उन्नयन

3427. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो उद्योगों को तकनीकी उन्नयन के लिए परामर्श सेवाएं देता रहा है उसकी भूमिका में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसरों द्वारा तकनीकी उन्नयन का विभाग-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी राशि अर्जित की जायेगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा आरम्भ की गई अनेक प्रायोजित शोध परियोजनाओं में तथा उद्योगों को प्रदान की गई परामर्शी सेवाओं में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है।

अफगान सैनिकों की चिकित्सा

3428. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बरहनुद्दीन रबानी की सत्ता के घायल सैनिकों को चिकित्सा उपचार हेतु भारत भेजा जा रहा है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश सैनिकों की चिकित्सा दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित अस्पतालों तथा नर्सिंग होम में की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो भारत में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे इन घायल सैनिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इनका व्यय सरकार वहन कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि का व्यय किया जा चुका है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेट थ्रीटेन्स कॉपीराइट रीजिम

3429. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवंबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंटरनेट थ्रीटेंस कापीराइट रीजिम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 9 नवम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाईम्स" नई दिल्ली में "इंटरनेट थ्रीटेंस कापीराईट रीजिम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार डिजीटल प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के क्षेत्र में हुए विकास द्वारा कापीराईट संरक्षण के सामने आई चुनौतियों के संबंध में है। यह समाचार डिजीटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कापीराईट की चोरी तथा देश में इससे सम्बद्ध लोगों की मांग की संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया है ताकि नये सूचना युग के साथ ठीक से चलने के लिए कापीराईट तथा संबंधित अधिकारों में संशोधन के उपाय किये जा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2 से 20 दिसम्बर, 1996 तक जेनेवा में एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें डिजीटल प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र में हाल में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए कापीराईट तथा उससे संबंधित अधिकारों पर नई संधियों पर विचार किया गया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस राजनयिक सम्मेलन में भाग ले रहा है। सरकार ने नई संधियों पर संबंधित दलों से विस्तृत परामर्श किया। प्रस्तावित संधियों पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग में अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों, कापीराईट तथा संबंधी अधिकार संगठन, कापीराईट पर विशेषज्ञ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ एक कोर दल गठित किया गया है। प्रस्तावित संधियों पर दिल्ली तथा हैदराबाद में पैनल चर्चाएं भी की गई। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अस्पतालों को वित्तीय सहायता

3430. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में सहकारी अथवा अन्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय सहायता की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

एड्स से बचाव के लिए धनराशि

3431. श्री अशोक प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एड्स से बचाव के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस राशि को कैसे उपयोग में लाया गया है;

(ग) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, विशेषरूप से खुर्जा निर्वाचन क्षेत्र में एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या क्या है;

(घ) एड्स से बचाव के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को तथा उन अस्पतालों और मेडिकल कालेजों को जहां एड्स उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध है, कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) अन्य बड़े अस्पतालों को भी यह सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान एड्स के निवारण तथा नियन्त्रणार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा विमुक्त तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया धन इस प्रकार है :-

वर्ष	विमुक्त निधियां	सूचित व्यय (लाख रुपये में)
1994-95	121.00	35.15
1995-96	0.00	204.31
1996-97 (30.11.96 तक)	150.00	77.80

राज्य सरकार ने एड्स निवारण तथा नियन्त्रण की अनुमोदित स्कीमों, जो समस्त देश में 100 प्रतिशत केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं, के अनुसार इन निधियों का उपभोग किया है।

(ग) 30 नवम्बर, 1996 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य से 689 मानव रोग प्रतिरक्षण अल्पता वायरस पाजिटिव तथा 56 एड्स से पीड़ित रोगियों की सूचना मिली है। फिर भी जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के अंतर्गत आने वाले खुर्जा निर्वाचन क्षेत्र से एड्स के किसी रोगी की सूचना नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम 100 प्रतिशत केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। उत्तर प्रदेश में एड्स का पता लगाने की उपलब्ध सुविधा इस प्रकार है :-

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2. केंद्रीय कुष्ठ जालमा संस्थान, आगरा।
3. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी।
4. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़।
5. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद।

(ङ) राज्य के सभी अस्पताल उपर्युक्त निकटतम केंद्रों में मानव रोग प्रतिरक्षण अल्पता वायरस की जांच के लिए रोगियों को रेफर कर सकते हैं।

[अनुवाद]

त्रिभाषायी फार्मूला

3432. श्री मुख्तार अनीस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां त्रिभाषायी फार्मूला लागू किया गया है;

(ख) फार्मूला को लागू करते समय मातृभाषा तथा अल्पसंख्यक भाषा के दिये गये दर्जे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने पाठयक्रमों से अल्पसंख्यक भाषा को पूरी तरह निकाल दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम सहित पाठयक्रम में शामिल नहीं की गयी अल्पसंख्यक भाषा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में इस फार्मूला की कार्यपद्धति की समीक्षा करेगी तथा इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (च). अल्पसंख्यकों की भाषाओं या मातृभाषा के शिक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1957-58 में त्रिभाष सूत्र तैयार किया गया। 1961 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस सूत्र का सरलीकरण किया गया। यह सरलीकृत त्रिभाषा सूत्र, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में शामिल किया गया, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहमत योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है।

त्रिभाषा सूत्र में जो स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर लागू होता है, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा (एम आई एल) अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक

भाषा के अध्ययन तथा अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन का प्रावधान है। भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 31वीं रिपोर्ट (जो कि जुलाई, 1990 से जून 1991 की अवधि से संबंधित है) के अनुसार तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की अवधारणाओं पर आधारित 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में यह प्रावधान है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ढांचे में निम्नलिखित का भी प्रावधान है :—

"जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा ही उस क्षेत्र की भाषा हो उनके मामले में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जिनकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से अलग हो उनके मामले में प्राथमिक शिक्षा के प्रथम दो वर्षों के दौरान शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है तथा इसके बाद क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।"

इस समय त्रिभाषा सूत्र के कार्यकरण की समीक्षा के प्रयोजनार्थ मुख्य मंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि राज्य सरकारों से त्रिभाषा सूत्र को अपनाने तथा उसे जोर शोर से लागू करने के लिए समय-समय पर आग्रह किया जाता रहा है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका सिफारिश करने तक सीमित है। त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन पूर्णतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा मालवाहक जलपोत किराए पर लिया जाना

3433. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने "ए.एस.आई.ई." त्रिनिदाद नामक मालवाहक जलपोत किराए पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब लिया गया है;

(ग) क्या इस जलपोत का कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। "जलयान" ए एस आई ई त्रिनिदाद को दिनांक 15.1.1994 से एक वर्ष के लिए किराए पर लिया था।

(ग) और (घ). कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा इस जलयान का नदी-संरक्षण कार्यों के लिए उपयोग किया गया था। चूंकि जलयान का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं था इसलिए ठेके को एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाने पर दिनांक 15.1.1995 से समाप्त कर दिया गया।

बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3434. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धांत बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों पर लागू होता है तथा जब वे हड़ताल पर जाते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों ने 30 जनवरी, 1996 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उस दिन के लिए "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत को लागू करते हुए उनका वेतन काट लिया गया, यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों का उल्लंघन करके हड़ताल करने/कार्य रोकने के मामलों में कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया जाता।

(ग) जी हां।

(घ) हड़ताल सभी महापत्तनों में लगभग पूर्ण रही और इसे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जोर देने के लिए किया गया था।

(ङ) और (च). पाराद्वीप और कोचीन को छोड़कर सभी महापत्तनों ने बाद के महीनों के वेतन बिलों से एक दिन के वेतन की कटौती कर ली है। कोचीन और पाराद्वीप पत्तन न्यासों को इसी का अनुसरण करने के अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में छावनी बोर्डों के लिए धनराशि

3435. श्री एन.के. राठवा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक विभिन्न छावनी बोर्डों के निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस छावनी बोर्ड क्षेत्रों में जल और विद्युत आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन बोर्डों को प्रभावी बनाने और लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार की योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) गुजरात में अहमदाबाद छावनी नामक केवल एक ही छावनी है। यह छावनी आत्मनिर्भर है। पिछले 3 वर्ष से रक्षा मंत्रालय ने इस छावनी को कोई अनुदान नहीं दिया है। तथापि पिछले 3 वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सेवा प्रभारों के रूप में बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1993-94	-	50,00,000.00/- रुपए
1994-95	-	88,61,477.00/- रुपए
1995-96	-	3,98,62,363.00 /- रुपए

(ख) अधिसूचित सिविल क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करने के लिए छावनी बोर्ड अहमदाबाद की अपनी योजना है और बंगला क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करने के वास्ते वे सैन्य इंजीनियरी सेवा से एक करार के तहत पानी ले रहे हैं। छावनी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाती है न कि छावनी बोर्ड द्वारा। छावनी क्षेत्र में पानी और बिजली की आपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार की समस्या होने की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) छावनी बार्ड कारपोरेट निकाय हैं जिनमें कई सदस्य स्थानीय सिविल आबादी के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी प्रशासन व्यवस्था छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रगुरू नाथ कालेज, बैरकपुर को भूमि

3436. श्री हाराधन राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रगुरू नाथ कालेज, बैरकपुर के प्रधानाचार्य ने उपर्युक्त कालेज को रक्षा भूमि देने के लिए सरकार और इसके साथ-साथ सम्बन्धित प्राधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) क्या अनेक संसद सदस्यों ने भी सरकार से इस कालेज को रक्षा-भूमि सौंपने के लिए सम्पर्क किया है;

(ग) क्या सरकार ईस्टर्न कमाण्ड, कलकत्ता को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ). बैरकपुर छावनी में 3.19 एकड़ भूमि 1,32,017 रुपए के वार्षिक किराए और 13,20,170 रुपए के प्रीमियम के भगतान पर राष्ट्रगुरू सुरेन्द्रनाथ महाविद्यालय के प्राधिकारियों को पट्टे पर देने के वास्ते सरकारी मंजूरी 17.9.93 को जारी की जा चुकी है और यह भूमि पहले ही उपर्युक्त प्राधिकारियों के कब्जे में है। महाविद्यालय के प्राधिकारियों ने किराए तथा प्रीमियम का भुगतान करने के बजाय किराए और प्रीमियम की धनराशि को घटाकर नाममात्र की धनराशि बनाए जाने के लिए बहुत से अभ्यावेदन किए हैं। शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के पट्टे के वास्ते मौजूदा नीति के अनुसार किराया और प्रीमियम रियायती शर्तों पर नियत किए गए हैं।

कुप्पम स्थित भारतीय द्रविड़ अध्ययन संस्थान को सहायता

3437. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुप्पम में भारतीय द्रविड़ अध्ययन संस्थान की बजट सहायता हेतु एक परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने कुप्पम में भारतीय द्रविड़ अध्ययन संस्थान की सहायता के लिए बजटीय सहायता हेतु अनुरोध किया था। यद्यपि, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि उन चारों दक्षिणी राज्यों की सहमति प्राप्त नहीं हुई जिसके साथ मिलकर भारत सरकार ने सम्मिलित रूप से कार्य शुरू करना था।

केरल में जल क्रीड़ा परिसर

3438. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को निदेशक, खेल और युवा मामले, केरल सरकार द्वारा अलेप्पी के पुन्नामुके में पूर्णरूपेण जल-क्रीड़ा परिसर का निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या केरल सरकार ने प्रस्तावित परिसर हेतु जमीन सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त समिति ने आधुनिक जल-क्रीड़ाओं जैसे कनोईंग, काया किंग और रोइंग में प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु छात्रावास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के लिए धनराशि के आबंटन को स्वीकृति देने हेतु शीघ्र कदम उठाया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). भारतीय खेल प्राधिकरण का अलेप्पी में एक जल-क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र है जिसे विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) खेल परिसर के रूप में चलाया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त समिति की 27वीं बैठक में 70.00 लाख रुपये की अधिकतम लागत से एक छात्रावास के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया गया था। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण में वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन

3439. श्री विजय मोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग तथा यू.जी.सी. कुल शिक्षा अनुदान की कम से कम 10 प्रतिशत राशि शारीरिक शिक्षा हेतु अलग रखने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों संबंधी विषयों में निर्धारित पाठ्यविवरणों के अनुसार शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) तथा राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट को निदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्यार्थियों को इन विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराये बिना शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग बनाने संबंधी नीतिगत निर्णय को कैसे लागू किया जा सकेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

असैनिक क्षेत्र में घरों तथा दुकानों का गिराया जाना

3440. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा विभाग के सेना अधिकारियों के आदेश पर आगरा में छावनी परिषद के असैनिक क्षेत्र में वहां के अधिकारियों की सहमति लिये बिना ही बहुत से घर और दुकानें अवैध रूप से गिराई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नुकसान का कोई आंकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कारण कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ मकानों और दुकानों को, जो सेना की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत रक्षा भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे, खाली किए जाने का नोटिस दिए जाने के बाद, स्टेशन कमांडर, आगरा के आदेश से 10 अगस्त, 1996 को हटा दिया गया था।

(ख) सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्टेशन कमांडर की कार्रवाई कानून के अंतर्गत थी।

(ग) से (ङ). क्योंकि ये दुकानें और मकान (छप्परों वाले कच्चे मकान) सेना की प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत रक्षा भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे अतः ये सभी हटा दिए गए थे। इन दुकानों और मकानों को गिराए जाने से विस्थापित हुए लोगों की कुल संख्या लगभग 140 है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

3441. श्री ललित उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं तथा वर्ष 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन केन्द्रों के कार्यकरण तथा आवंटित धनराशि के दुरुपयोग किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 20963 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को चलाने के लिये 1996-97 के दौरान 20.02 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

शोध तथा तकनीक केन्द्र

3442. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोध तथा उच्च शिक्षा की तकनीक हेतु विश्वविद्यालयों तथा इसके महाविद्यालयों को केन्द्र समझा गया है;

(ख) क्या सक्षम कर्मचारियों को वहां नियुक्त करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई योग्यता का मापदंड बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में किए गए तैनाती के संबंध में समय-समय पर नियमित रूप से जांच की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अध्यापकों की भर्ती

3443. श्री उधव बर्मन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अध्यापकों की भर्ती के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या इन मानदण्डों का 1994 और 1995 में विशेषकर गुवाहटी क्षेत्र में भर्ती के दौरान पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती समय-समय पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

सभी क्षेत्रों में इनका पालन किया जाता है।

कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय

3444. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के बुनियादी ढांचे और इसके कार्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवास संबंधी भवन की व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर दी गई है। एक संयुक्त सचिव, जो कि कार्यालय के प्रधान हैं, एक लेखाधिकारी और एक अवर श्रेणी लिपिक तैनात कर दिए गए हैं। यह कार्यालय बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की व्यवस्था करेगा।

स्वास्थ्य तथा भोजन की आदतों के संबंध में सम्मेलन

3445. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में स्वास्थ्य तथा भोजन की आदतों के संबंध में सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 29 अक्तूबर, 1996 को स्वास्थ्य और आहार वसा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) मानव पोषण यूनिट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सात राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से "स्वास्थ्य और आहार वसा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया था।

इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य योजना निर्माताओं, प्रशासकों, पोषणविदों, आहार विदों, फिजीशियनों को (i) भारत में आहार वसा की उपलब्धता की स्थिति (ii) आहार वसा के उत्पादन और जरूरतों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए नीतियों (iii) आहार वसा के उत्पादन में सुधार करने हेतु भारत सरकार के प्रयासों (iv) भारत और विदेशों में पाम आयल और इसके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों की पुनरीक्षा (v) बच्चों के बीच विटामिन "ए" की कमी न होने देने के लिए कच्चे पाम आयल के उपभोग और (vi) पाम आयल के बारे में सही पौषणिक जानकारी देने की ओर अभिमुख करना था।

सम्मेलन के वैज्ञानिक कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रतिनिधियों को सम्मेलन के दौरान उपर्युक्त उद्देश्यों के संबंध में नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी मिले।

(ग) सम्मेलन की ब्यौरेवार कार्रवाइयों और सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

"प्लेटलेट्स कंसन्ट्रेट" की कमी

3446. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के सभी सरकारी तथा अर्ध सरकारी अस्पतालों तथा रक्त बैंकों में "प्लेटलेट्स कंसन्ट्रेट" जो कि जीवन रक्षक रक्त की व्युत्पति है, निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या "प्लेटलेट्स कंसन्ट्रेट" की कमी के कारण डेंगू से अनेक मौतें हुई, जिन्हें बचाया जा सकता था; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सशस्त्र सेना अस्पताल, गुरू तेग बहादुर अस्पताल और भारतीय रेड क्रास सोसायटी में कार्यरत रक्त बैंकों के पास प्लेटलेट कंसन्ट्रेट तैयार करने की सुविधा है।

(ख) और (ग). सितम्बर से नवम्बर, 96 के दौरान दिल्ली, हरियाणा और देश के अन्य भागों में हुई मौतों का कारण संदिग्ध डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर था। इस अवधि के दौरान प्लेटलेट्स कंसन्ट्रेट की कोई कमी नहीं थी।

स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये:—

(1) सभी मुख्य सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों से मौतों व रोगियों की दैनिक रिर्पोटिंग की पद्धति की तुरन्त स्थापना;

(2) राज्य सरकारों और विशेषकर दिल्ली सरकार को रोगियों की पहचान, लार्वा-रोधी आपरेशन, धूमन, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां और रोगियों के क्लीनिकल उपचार के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सतर्क करना;

(3) भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी और मुख्य अस्पतालों में रक्त घटक पृथक्करण सुविधाओं में वृद्धि करना;

(4) पायरेथ्रम एक्सट्रेक्ट, मेलाथियान, धूमन मशीनों जैसी वस्तुओं की सप्लाई।

एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में डेंगू सहित वैक्टर जनित रोगों के लिए स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों और संक्रमण अवधि और उपचार के दौरान निवारण, छिड़काव की दृष्टि से ध्यान देने योग्य विशिष्ट स्थानों का उल्लेख करते हुए एक आपाती योजना तैयार की जा रही है जिसे राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

मिडिल स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा

3447. श्री जयसिंह चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिडिल स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात के कितने मिडिल स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव किया गया है और उसे स्वीकृति दी गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त राज्य में इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय प्रयोजित योजना "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" के अंतर्गत, केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। मिडिल स्तरीय स्कूलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नई डिस्पेंसरी का खोला जाना

3448. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 12.3.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1385 तथा 2.9.96 के 3712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों/पेंशन भोगियों को बाहरी रिंग रोड पर तीन बसें बदलकर पीरागढ़ी, पंजाबी बाग तथा ब्रिटेनिया से ऑटो रिक्शा लेकर रानीबाग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी में पहुंचना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों में यह शामिल है कि मरीजों को उपचार हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी पहुंचने के लिए कई बसें बदलनी पड़ सकती हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी/पेंशनर के न्यूनतम आबादी संबंधी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानक को पूरा करने के लिए बाहरी रिंग रोड पर सरस्वती विहार के साथ तथा मधुबन चौक जैसी अन्य कालोनियों को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलाया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का बाहरी रिंग रोड पर एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी खोलने का विचार है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). यद्यपि रानीबाग (शकूर बस्ती) का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय बिल्कुल केन्द्र में स्थित है, तथापि संभव है कि औषधालय के अंतर्गत कवर किए गए निर्धारित क्षेत्रों के अंतिम छोर पर रहने वाले लाभार्थियों को औषधालय तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि प्रकीर्ण निजी कालोनियां हैं जहां सरकारी कर्मचारी (अवकाश प्राप्त तथा सेवारत) एवं अन्य लोग रह रहे हैं।

रानीबाग (शकूर बस्ती), रोहिणी और पीतमपुरा के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय बाहरी रिंग रोड के समीपवर्ती इलाकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। व्यवहार्यता, जरूरत, संसाधनों आदि की उपलब्धता के आधार पर तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानकों के पूरा होने की शर्त पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का तंत्र क्रमिक रूपेण बढ़ाया जा रहा है। फिर भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक औषधालय खोलना संभव नहीं है।

प्रतिभा पलायन

3449. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, चिकित्सा विज्ञान के डाक्टरों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, बिजनेस मेनेजमैंट, कंपनी सेक्रेटरी के स्नातक विकसित देशों में चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार इस प्रतिभा पलायन को रोकने हेतु किसी नीति को तैयार करने के संबंध में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सा स्नातक उच्च अध्ययन/कार्य करने के लिए अन्य देशों में जाते हैं और उनमें से कुछ की वहां बस जाने की प्रवृत्ति हैं। परन्तु ऐसे प्रवासियों का रिकार्ड रखना संभव नहीं हुआ है। ऐसे कार्मिकों को देश में वापस लाने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कदम उठाए हैं जिनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिव्ययों में वृद्धि, नवीन वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां सौंपना शामिल है।

केरल से हज तीर्थयात्रियों के बारे में ज्ञापन

3450. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल के हज तीर्थयात्रियों के विभिन्न मुद्दों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1996 के दौरान केरल से कुल कितने तीर्थयात्रियों को हज यात्रा के लिए अनुमति दी गई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझाव और इस संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

(1) केन्द्रीय हज समिति में केरल का प्रतिनिधित्व–केन्द्रीय हज समिति का संगठन हज समिति अधिनियम, 1959 द्वारा शासित है जिसमें महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) भवनों के चयन और उनके आबंटन की प्रक्रिया को केरल राज्य हज समिति को सौंपना केरल राज्य हज समिति के प्रतिनिधि को हज 97 के लिए भवन–चयन समिति में शामिल किया गया है। सभी राज्यों के हज यात्रियों के लिए भवन आवंटन का कार्य भारत का प्रधान कौंसल जद्दाह केन्द्रीय हज समिति के परामर्श से न्यायसंगत आधार पर करता है।

(3) हज 97 के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से जद्दाह के लिए सीधी हज उड़ानों की व्यवस्था–हज 1997 के लिए दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता और बंगलौर से हज चार्टर उड़ानों का प्रस्ताव है।

(4) केरल राज्य हज समिति की हज समिति से संबंधित विधायी प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व परिचालित करना– विधेयक में शामिल किए जाने वाले विधायी प्रस्ताव विचाराधीन है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही नया विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में वर्ष 1996 में केरल से हज पर गए हज यात्रियों की कुल संख्या 4588 थी।

अफ्रीकी देशों में भारतीय कंपनियों को ठेका दिया जाना

3451. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान किन्हीं भारतीय कंपनियों को सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीकी देशों में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक/विश्व बैंक से प्राप्त बहुपक्षीय धनराशि वाले अंतर्राष्ट्रीय ठेके प्रदान किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अफ्रीकी देश में दिए इन सभी ठेकों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

श्रेणी "घ" के कर्मचारियों में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की भर्ती

3452. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित श्रेणी में रोजगार कार्यालय द्वारा श्रेणी "घ" पदों (चपरासी) के लिए भेजे गए उम्मीदवार काफी समय से अपने साक्षात्कार/चयन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की अद्यतन नीति के अनुसार ऐसे सभी आरक्षित पदों को निर्धारित अवधि में अवश्य भर लिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि तक चयन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) चयन की औपचारिकताएं पहले ही नियत अवधि के अन्दर पूरी कर ली गई हैं। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जा रहे हैं।

अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

3453. श्री वी. धर्म लिंगम : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत 6 महीनों के दौरान देशवार विभिन्न देशों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चीन

1. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण विश्वासोत्पादक उपाय शामिल हैं और इसे 7 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने से संबद्ध करार के आधार पर तैयार किया गया है।
2. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में चीन लोक गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में भारत के प्रधान कोंसलावास को बनाए रखने से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें 30 जून, 1997 को हांगकांग के चीन लोक गणराज्य की सम्प्रभुता में अंतरण हो जाने के बाद हांगकांग में हमारे प्रधान कोंसलावास को बनाए रखने के लिए आधारभुत कानूनी संरचना का प्रावधान है।
3. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में स्वापक भेषजों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए सहयोग से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और अन्य अपराधों को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग की व्यवस्था की गई है।
4. 29 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में नौवहन से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें भारत और चीन के बीच समुद्री व्यापार के विकास के लिए एक आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।

मंगोलिया

1. 16 सितम्बर, 1996 को उलान बातर में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबद्ध जो करार सम्पन्न हुआ उसमें भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करने की व्यवस्था की गई है।
2. 16 सितम्बर, 1996 को कृषि के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें कृषि में द्विपक्षीय सहयोग के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।
3. 16 सितम्बर, 1996 को उलान बातर में भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है।

ओमान

1. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त आयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ जिसमें नशीली दवाओं एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, जिसमें आतंकवाद, आर्थिक क्षेत्र में तथा शस्त्रों, एवं गोला बारूद से संबद्ध गैर-कानूनी गतिविधियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं की तस्करी तथा यात्रा दस्तावेजों इत्यादि की जालसाजी शामिल है। इन क्षेत्रों में,

सूचना/आंकड़ों के आदान-प्रदान और अन्वेषण में सहायता के माध्यम से अपराध को रोकने में परस्पर सहायता की व्यवस्था की गई है।

2. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग से संबद्ध एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें विशेषज्ञों, सूचना और आंकड़ों के आदान-प्रदान, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों के आयोजन और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है।

3. ओमान में 5 अक्तूबर, 1996 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें कृषि अनुसंधान, बागवानी, मृदा संरक्षण, सिंचाई, डेरी विकास एवं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण इत्यादि के क्षेत्रों में संयुक्त क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई है।

यमन

1. कृषि, मरूस्थलीकरण और मृदा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग का विकास करने के लिए 7 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन में इस क्षेत्र में एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए सहायता देने हेतु भारतीय कृषि विशेषज्ञों को यमन में प्रतिनियुक्ति करने की व्यवस्था है।

2. नई दिल्ली में 7 दिसम्बर, 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के संबंध में एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें न केवल ऐसे सहयोग के लिए तंत्र की व्यवस्था है बल्कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।

3. 7 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में संयुक्त व्यापार परिषद से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें दोनों पक्षों के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच व्यापार सूचना तथा संवर्धित क्रियाकलापों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच का प्रावधान किया गया है।

सूडान

1. स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन 13 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, रक्षा इत्यादि के नाजुक क्षेत्रों में सूडान को सहयोग एवं भारतीय सहायता की व्यवस्था है।

2. 9 अगस्त, 1996 को अत्यावश्यक सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदानों को सुसाध्य बनाने वाले समग्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 1996-98 में एक देश के राष्ट्रिक, जो दूसरे देश के निवासी हैं, द्वारा आयकर के भुगतान के के बीच सद्भावना और समझबूझ का सृजन करेगा।

ट्यूनिशिया

1. 1996-97 के लिए कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए कार्ययोजना पर अक्तूबर, 1996 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए, इसमें दोनों देशों द्वारा सूचना एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा कृषि प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की व्यवस्था की गई है।

2. ट्यूनिस में 4 जुलाई, 1996 को वर्ष 1996-98 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए जो दोनों देशों में विद्वानों, कलाकारों इत्यादि की यात्राओं सहित सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को सुसाध्य बनायेगा।

इजराइल

1. दिसम्बर, 1996 में भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और इजराइल के लघु व्यापार प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है। भारत की विशेषज्ञता और इजराइल के अनुभव को उन नोडल एजेंसियों के माध्यम से दोनों देशों के पक्षकारों को सौंप दी जाएगी जिन्होंने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्लोवाक गणराज्य

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर 10 अक्तूबर, 1996 को हस्ताक्षरित करार का अभिप्राय दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

2. भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच 10 अक्तूबर, 1996 को वायु सेवाओं से संबद्ध एक करार सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच भावी वायु संपर्कों के लिए रूप-रेखा की व्यवस्था की गई है।

चेक गणराज्य

1. भारत के विदेश मंत्रालय और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच 11 अक्तूबर, 1996 को परामर्श संबंधी प्रोतोकोल संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है।

2. निवेशों के संवर्धन और सरंक्षण के लिए 11 अक्तूबर, 1996 को एक करार संपन्न हुआ जिसमें निवेशों के संरक्षण, लाभों के प्रत्यावर्तन और विवाद निपटान तंत्र के लिए परस्पर गारंटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

3. संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध 11 अक्तूबर, 1996 को संपन्न करार एक ऐसा छत्र करार है जिसमें दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने की व्यवस्था की गई है।

पोलैंड

1. 1997-99 की अवधि के लिए भारत और पोलैंड के बीच 7 अक्तूबर, 1996 को हस्ताक्षरित एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, 1997 के भारत-पोलैंड सांस्कृतिक करार, की समय-सीमा के भीतर सम्पन्न हुआ और इसमें शिक्षा और अध्ययन, संस्कृति और कला तथा जन-संचार में विशिष्ट रूप से द्विपक्षीय आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

2. 7 अक्तूबर, 1996 को निवेशों के संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध एक करार संपन्न हुआ जिसमें निवेशों के संरक्षण, लाभों के प्रत्यावर्तन और विवाद निपटान तंत्र के लिए परस्पर गारंटी का प्रावधान किया गया है।

3. 7 अक्तूबर, 1996 को भारत के विदेश मंत्रालय और पोलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है।

स्लोवीनिया

1. 23 अगस्त, 1996 को भारत के विदेश मंत्रालय और स्लोवीनिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है।

रूसी परिसंघ

1. 22 अक्तूबर, 1996 को भारत के रक्षा मंत्रालय और रूसी परिसंघ के रक्षा मंत्रालय के बीच एक करार संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

बल्गारिया

1. 4 दिसम्बर, 1996 को व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार सम्पन्न हुआ जो पहले के करार को अद्यतन करता है और जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को तेज करने के लिए आवश्यक रूपरेखा की व्यवस्था की गई है।

कजाकस्तान

1. 9 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में निवेशों के संवर्धन और संरक्षण संबंधी करार संपन्न हुआ जिसमें कजाकस्तान में भारतीय निवेशों और भारत में कजाकस्तान निवेशों के संवर्धन और इसके साथ-साथ दोनों देशों में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार इन निवेशों के सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है।

2. 9 दिसम्बर, 1996 को आय और पूंजीकर से संबद्ध दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए अभिसमय सम्पन्न हुआ जिसमें कजाकस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों और भारत में कजाक राष्ट्रिकों के पूंजी और आयकर पर दोहरे कराधान के परिहार का प्रावधान किया गया है। इस अभिसमय में एक देश के राष्ट्रिक, जो दूसरे देश के निवासी हैं, द्वारा आयकर के भुगतान के अपवंचन की रोकथाम की व्यवस्था भी की गई है।

थाईलैंड

1. 18 अक्तूबर, 1996 को भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और थाई शिक्षा मंत्रालय के बीच एक करार संपन्न हुआ जिसमें थाईलैंड ने भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्हों की प्रदर्शनी और भारत में बौद्ध स्थलों और धार्मिक स्थलों पर फोटोग्राफिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त संभारतंत्र, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

लक्समबर्ग

1. 12 सितम्बर, 1996 को ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग के साथ एक सांस्कृतिक करार सम्पन्न हुआ जिसमें भारत और लक्समबर्ग के बीच संस्कृति के कई क्षेत्रों में सहयोग करने की व्यवस्था की गई है।

फिनलैंड

1. द्विपक्षीय संबंधों के संवर्धन के लिए विदेश कार्यालयों के बीच संस्थागत परामर्श स्थापित करने के लिए 26 नवम्बर, 1996 को विदेश कार्यालय परामर्श संबंधी एक प्रोतोकोल संपन्न हुआ।

कोमरोस

1. दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच 24 जुलाई, 1996 को संपन्न राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी प्रोतोकोल एक छत्र प्रोतोकोल है।

मारीशस

1. 9 अगस्त, 1996 को संपन्न 1996-98 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच शिक्षा, कला और संस्कृतिक, युवा और खेल-कूद, महिला और बाल विकास के क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं।

2. 27 अगस्त, 1996 को वायु सेवाओं से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें एयर मारीशस को मारीशस और दिल्ली के बीच उन्हीं शर्तों पर साप्ताहिक सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है जो मारीशस और बम्बई से संचालित सेवाओं के लिए निर्धारित हैं।

सेशेल्स

1. भारत और सेशेल्स के बीच पर्यटन विकास के लिए 3 अक्तूबर, 1996 को पर्यटन सहयोग संबंधी करार संपन्न हुआ।

जिम्बाब्वे

1. 2 नवम्बर, 1996 को जिम्बाब्वे में लघु उद्योगों के विकास के लिए सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें यह सुस्पष्ट व्यवस्था है कि 3 वर्षों की लघु उद्योग परियोजनाओं के लिए जिम्बाब्वे आधारभूत संरचना सहायता उपलब्ध करायेगा और भारत तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण और कार्मिक मुहैया करायेगा।

सेनेगल

1. 3 नवम्बर, 1996 को सेनेगल में उद्यमवृत्ति और तकनीकी विकास केन्द्र की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें कहा गया है कि 3 वर्षों की लघु उद्योग परियोजनाओं के लिए सेनेगल आधारभूत संरचना सहायता उपलब्ध करायेगा। और भारत तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण और कार्मिक मुहैया करायेगा।

दक्षिण अफ्रीका

1. 4 दिसम्बर, 1996 को दोहरे कराधान का परिहार संबंधी करार संपन्न हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक देश में कर देने पर उद्यमी को दूसरे देश में दुबारा कर नहीं देना पड़ेगा।
2. शिक्षा, संस्कृति, जनसंचार इत्यादि में सहयोग के संबंध में 4 दिसम्बर, 1996 को संपन्न सांस्कृतिक सहयोग करार, एक छत्र करार है।
3. 4 दिसम्बर, 1996 को रक्षा उपकरण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें रक्षा से संबंधित मसलों में सहयोग की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई परियोजनाएं

3454. श्री गिरिधर गमांग : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बाहरी तथा आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने तथा नई सिंचाई परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के जनजातीय तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में और मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). उड़ीसा में बाह्य अभिकरणों तथा आन्तरिक संसाधनों से वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण उनके पूरा होने की निर्धारित तारीख बताते हुए संलग्न है।

(ग) और (घ). चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके पास उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों में से किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते समय आदिवासी और सूखा प्रवण क्षेत्रों से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

क. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सहायता देने वाला अभिकरण	समझौते की तारीख	समाप्ति की की तारीख	सहायता की राशि (दाता मुद्रा में) (मिलियन में)
1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	19.12.95	30.9.2002	290.9 अमेरिकी डालर
2.	जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	22.09.95	31.03.2002	12.2 अमेरिकी डालर
3.	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना	विश्व बैंक	10.06.91	30.09.1997	48.9 अमेरिकी डालर
4.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के एवं डब्ल्यू जर्मनी	19.12.93	30.12.2020	55 डच मार्क
5.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	15.12.88	20.01.1999	3744 येन
6.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	15.12.88	20.7.1998	3769 येन
7.	भूजल दोहन एवं प्रबंधन परियोजना	आस्ट्रेलिया	31.7.92	31.07.1998	8.097 अमेरीकी डालर
8.	उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	11.7.95	31.12.2004	10.70 यूरोपीय करेंसी यूनिट

ख. आन्तरिक संसाधनों से वित्त पोषित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मार्च, 1996 तक व्यय (करोड़ रुपए)	
1	2	3	4	5	
	वृहद				
1.	रेंगाली				
	(क) बांध	चौथी	40.77	41.48	(प्रत्याशित)
	(ख) सिंचाई	पांचवीं	2199.52	216.73	
2.	अपर कोलाब*				
	(क) बांध	पांचवीं	48.81	51.21	(प्रत्याशित)
	(ख) सिंचाई	पांचवीं	237.00	162.26	
3.	अपर इन्द्रावती*				
	(क) बांध	वार्षिक योजना 1978-80	176.16	135.34	(प्रत्याशित)
	(ख) सिंचाई	वार्षिक योजना 1978-80	539.51	540.50	
4.	सुवर्णरेखा	सातवीं	1154.45	259.30	
5.	महानदी चित्रोतपाला सिंचाई	आठवीं	135.79	44.95	
6.	पोट्टेरू**	चौथी	148.07	10.64	
7.	जल संसाधन समेकन* परियोजना	आठवीं	1400.90	43.44	
8.	कनुपूर	आठवीं	319.91	12.87	
	कुल		6409.98	1240.81	
	मध्यम				
1.	हरिहरजोरे*	वार्षिक योजना 1978-80	58.59	46.54	
2.	हरभंगी*	वार्षिक योजना 1978-80	93.82	69.22	
3.	अपर जोंक*	वार्षिक योजना 1978-80	83.13	63.78	
4.	बगुआ चरण-II*	वार्षिक योजना 1978-80	40.81	23.14	
5.	बदनाल्ला*	छठी	91.75	73.93	
6.	देव	छठी	52.23	9.80	
7.	बागलती	छठी	45.44	7.66	
8.	सपुआ बदजोरे	छठी	33.21	13.80	
9.	बिरूपा गूंगटी द्वीप सिंचाई	सातवीं	11.46	10.81	
10.	सतीगुडा*	आठवीं	5.61	3.81	
11.	हगर	आठवीं	21.13	1.58	
	कुल	537.18	324.51		

1	2	3	4	5
विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण :				
1.	हीराकुंड बांध का सुदृढ़ीकरण	छठी	25.39	4.17
2.	हीराकुंड वितरण का आधुनिकीकरण	आठवीं	81.82	4.85
3.	रूषीकुल्या फेज-I(आधुनिकीकरण)	आठवीं	55.00	0.52
4.	आधुनिकीकरण : धनेल	आठवीं	4.40	0.40
5.	आधु : जयमंगल	आठवीं	0.64	0.10
6.	आधु : सलिया	आठवी	2.82	0.43
7.	आधु : बुधबुधियानी	आठवीं	4.53	0.52
8.	आधु : उत्तेई	आठवीं	6.44	0.30
9.	आधु : साईपाल	आठवीं	0.75	0.41
10.	आधु : हीरादरबाती	आठवीं	1.35	0.05
11.	आधु : कदाकई	आठवीं	0.26	0.18
12.	आधु : नेसा	आठवीं	0.40	0.18
13.	आधु : ओखला वितरणी	आठवीं	0.21	0.19
14.	आधु : चौकीनाला	आठवीं	0.35	0.18
15.	आधु : सालन्दी नहर (दसमोसा)	आठवीं	1.87	1.75
			186.20	14.23

* परियोजनाओं को विदेशी सहायता भी प्राप्त हो रही है।

** परियोजना केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं।

आधु : आधुनिकीकरण

आई.आई.टी. दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में पाठ्यक्रम

3455. श्री दिनशा पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), दिल्ली में अधोस्नातक स्तर पर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को विद्युत अभियांत्रिकी की मूल पृष्ठभूमि न रखने वाले एक संकाय सदस्य द्वारा पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रमुख शैक्षिणिक संस्थान में शिक्षण स्तर गिरने के क्या कारण हैं; और

(ग) आई आई टी, दिल्ली में शैक्षिणिक स्तर के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो उच्च अर्हता, प्रतिभा सम्पन्न संकाय को आकर्षित करते हैं तथा बरकरार रखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विद्युत इंजीनियरी विभाग का उच्च अर्हताप्राप्त संकाय अवर स्नातक स्तर पर कोर तथा अन्त:विषयक पाठ्यक्रमों में शिक्षण प्रदान करता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर लेन

3456. प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले

के फिरोजाबाद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (शेरशाह सूरी मार्ग) पर कोई अन्य लेन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के फिरोजाबाद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर किसी अन्य लेन का निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी यात्रियों को वीजा

3457. श्री डी.पी. यादव :
श्रीमती मीरा कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विदेशी यात्रियों को बगैर वीजा के यात्रा करने की अनुमति देने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी देशों के यात्रियों के लिए जिन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय पर्यटन समझौता किया है, वीसा समाप्त करने के सुझाव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसी सच्चे पर्यटक तथा शत्रुतापूर्ण इरादों से देश में प्रवेश करने वालों के बीच विभेद करने हेतु क्या नीति तैयार की जायेगी?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने समय-समय पर यह सुझाव दिया है कि कतिपय विशिष्ट देशों, जहां से पर्याप्त संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, उन्हें वीजा की अनिवार्यता से छूट दे दी जाए।

(ख) और (ग). सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(घ) वास्तविक पर्यटकों को किस ढंग से अपेक्षित सहायता पहुंचाई जाए इस बारे में भारतीय मिशनों को स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। वास्तविक पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है तथा अपेक्षित सावधानी एवं सतर्कता से इनका कार्यान्वयन किया जाता है।

उड़ीसा में महामारी से मृत्यु होने के मामले

3458. श्री भक्त चरण दास :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1996 के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में फैली महामारी से भारी संख्या में हुई मौतों के मामलों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1996 के दौरान (सितम्बर, 1996 तक) अतिसार से 1080 रोगी ग्रस्त हुए और इस रोग से 184 मौतें हुई। उपर्युक्त अवधि के दौरान मलेरिया से 20 मौतें हुई। रोगियों और मौतों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक थी।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के आधार पर सूखे की स्थिति का जायजा लेने और राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आंकलन करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक केन्द्रीय अध्ययन दल उड़ीसा भेजा गया था। (17-20 नवम्बर, 1996)। केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सहायता को अंतिम रूप देने हेतु इस पर 12.12.96 को अन्तर मंत्रालयीन ग्रुप द्वारा विचार किया गया। आपदा के शिकार हुए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दैनिक वेतन कर्मचारी

3459. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दैनिक वेतन पर एल.डी.सी., यू.डी.सी., आशुलिपिक और तकनीशियन के रूप में कितने व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ख) क्या अगस्त, 1995 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके संबंध में कोई निर्णय दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च न्यायालय के आदेशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) संस्थान में दिहाड़ी के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, आशुलिपिकों और तकनीशियनों के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्रमशः लगभग 114, शून्य, 49 और 23 है।

(ख) से (घ). दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.8.95 के आदेश में संस्थान को निदेश दिया है कि वह इस मामले में 6 महीने की अवधि के भीतर एक नीति तैयार करे। संस्थान ने एक नीति तैयार की और उसे 7.10.96 को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने उसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया। यह मामला न्यायाधीन है और इस पर आगे कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

कानपुर में छूत की बीमारियां

3460. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर शहर (उ.प्र.) में अनेक व्यक्ति छूत की बीमारियों से पीड़ित हैं लेकिन इस सम्बन्ध में प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) कानपुर सिटी (उत्तर प्रदेश) के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार कानपुर सिटी से जनवरी, 96 से अब तक विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रस्त रोगियों और इन रोगों से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

गंभीर अतिसार		वाइरल हेपेटाइटिस	
रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
28	1	6	–

जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(क) क्लोरीन गोलियों का संवितरण।

(ख) ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकटों का संवितरण

(ग) कुओं को विसंक्रमित करना;

(घ) क्लोरीन की मात्रा के संबंध में पानी की जांच करना।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार की इस संबंध में चिकित्सीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विदेशी पोत

3461. श्री पिनाकी मिश्र :

श्री दत्ता मेघे :

श्री तारीक अनवर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में पंजीकृत कितने पोतों ने गैर-कानूनी तरीके से हमारी समुद्री सीमा में प्रवेश किया;

(ख) ये पोत किन देशों के हैं;

(ग) क्या इन पोतों को हथियारों और गोला बारूद सहित जब्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर संबंधित देशों के साथ चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) नौसेना तथा तटरक्षक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान हमारी समुद्री सीमा में तीन विदेशी पोतों और 117 मत्स्य जलयानों/नौकाओं ने अनधिकृत रूप से प्रवेश किया।

(ख) ये पोत फ्रांस, बंगलादेश तथा म्यांमार के थे। मत्स्य जलयान पाकिस्तान थाइलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन ताईवान तथा मलेशिया के थे।

(ग) जी, हां। दो पोत।

(घ) और (ङ). यह मुद्दा राजनयिक माध्यमों से उठाया गया था तथा इन देशों को अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराया गया था।

कलकत्ता में सी.जी.एच.एस. औषधालय

3462. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजन के अंतर्गत यूनानी औषधालयों/एककों को कब शुरू किया गया था;

(ख) उक्त औषधालय किस तिथि से बंद हैं;

(ग) क्या ऐसे अनेक चिकित्सकों को उन सी.जी.एच.एस. औषधालयों से नियुक्त किया गया है जो गत तीन वर्षों में आज तक वहां योगदान नहीं कर पाए हैं; और

(घ) क्या उक्त औषधालयों में कोई भी अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है तथा चिकित्सकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करके तथा फिर उन आदेशों को रद्द अथवा उनकी समीक्षा कर उन्हें परेशान किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). 19.7.93 को जी बी जी बाग, औषधालय संख्या 39, कलकत्ता में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी यूनिट खोली गयी। पिछले वर्ष से इस यूनिट के कार्यकरण में अन्य बातों के साथ-साथ यूनिट में यूनानी चिकित्सकों की तैनाती संबंधी सरकारी आदेशों को चुनौती देने वाले मुकदमे दायर होने के कारण कतिपय कठिनाईयां आड़े आई हैं।

परा-चिकित्सा स्टाफ के सम्बन्ध में पदों को भरने की लगातार कोशिशों के बाद योग्य उम्मीदवारों को ढूंढने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मौजूदा तैनात यूनानी चिकित्सक द्वारा कोर्ट केश वापिस लेने के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता की यूनानी यूनिट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं।

घटिया परिरक्षक का प्रयोग

3463. श्री हरिन पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ग्रेड के संरक्षण हेतु कैल्शियम की तरह प्रयोग किये गये घटिया परिरक्षकों के निर्माण पर निगरानी रखता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा गुजरात में रसायन निर्माताओं की कितनी बार जांच की गई है तथा तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ग्रेड के उत्पादन से पहले सभी ग्रेड निर्माताओं द्वारा रसायनों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस वाली यूनिटों का आवधिक रूप से निरीक्षण करता है तथा लाइसेंसधारियों द्वारा रखे गए रिकार्डों की जांच परीक्षण एवं निरीक्षण स्कीम के अनुसार करता है।

(ख) और (ग). केल्सियम प्रोपियोन्ट (खाद्य ग्रेड) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का चिह्न इस्तेमाल करने के लिए जिन विनिर्माताओं को लाइसेंस दिए गए हैं वे केवल हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने विगत तीन वर्षों के दौरान इन यूनिटों के कुल 35 निरीक्षण किए हैं।

जिन तीन यूनिटों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया उनके मामले में भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस आई चिह्न नहीं इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया। 29.11.96 तक की स्थिति के अनुसार एक यूनिट को छोड़कर अन्य सभी यूनिटों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो रसायनों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवधिक निरीक्षण करता है।

भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम

3464. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं में चिकित्सीय पाठ्यक्रम किन-किन स्थानों पर चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देशभर में सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का विचार है कि फिलहाल चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की सभी स्टेजों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी बनी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

निजामुद्दीन क्षेत्र का सर्वेक्षण

3465. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र का एक समग्र सर्वेक्षण कराने हेतु वहां स्थित प्रख्यात कवि जोक के स्मारक तथा मकबरा का पता लगाने हेतु किसी दल के गठन का निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उक्त स्मारक तथ मकबरे का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). विशेषज्ञों के एल ने नई दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित स्मारकों का सर्वेक्षण किया है। इस क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कवि "जोक" की कब्र की अलग से पहचान भी की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में क्षारीय भूमि

3466. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में तेजी से खराब हो रही क्षारीय भूमि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार तत्वों के मूल कारण क्या हैं; और

(ग) राज्य में भूमि के खारेपन की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स बीचरिंगर मैनहेम (इंडिया) लिमिटेड

3467. श्री नारायण अठावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एफ.डी.ए. महाराष्ट्र द्वारा पकड़ी गई मैसर्स बीचरिंगर मैनहेम (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा मिश्रित गंदी औषधि (कॉमसेट फोर्ट) की बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा साथ ही इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) एफ.डी.ए. राज्य सरकारों के माध्यम से घटिया/निम्न स्तरीय औषधि को पकड़ने और जांच में सख्ती करने के लिए नई पहलों के रूप में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अनेक राज्यों के अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण तथा घटिया स्तर की औषधियों की धड़ल्ले से बिक्री के बारे में व्यापक कार्ययोजना क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) यह घटना गैर सरकारी संगठनों द्वारा अहमदनगर, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आयोजित किए गए मुफ्त मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा नेत्र शिविरों में हुई जहां लोगों को विभिन्न बैचों में कम्सैट फोर्ट की गोलियां, (जो बॉचरिंगर मेनहीम (आई) लिमिटेड, ठाणे द्वारा तैयार किया गया एक वेक्टीरिया-रोधी प्रिपरेशन है) देने से प्रतिकूल प्रभाव पडने की सूचना मिली जिससे कर्नाटक में 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई। कम्सैट फोर्ट गोलियों के विभिन्न बैचों के नमूनों का विश्लेषण करने से पता चला कि इसमें एक मधुमेह-रोधी सम्मिश्रण (ग्लाइबेंक्लेमाइड) मिलाया गया था जिससे उपचार करवाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा गहराई से जांच-पड़ताल करने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस फर्म के लाइसेंसों को रद्द कर दिया और उक्त औषध के विनिर्माण और बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके विरूद्ध औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(ग) से (ङ). राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची "ङ" के अनुसार विनिर्माण एककों द्वारा उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने प्रवर्तन स्टाफ तथा अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाएं। अन्तर्राज्यीय वाणिज्य में चल रही घटिया औषधों के परिचालन को रोकने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन विनिर्माता/डीलर के पास पड़े ऐसे भण्डार को नष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। औषध नीति, 1994 के अनुसरण में इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने हेतु उपाय शुरू किए हैं। अनेक अन्य कार्यों के अलावा प्राधिकरण अन्तर्राज्यीय वाणिज्य में चल रही औषधों के पंजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नए जोनल/सब जोनल कार्यालय और क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करके कारगर बनाएगा।

सरदार सरोवर परियोजना

3468. श्री दिलीप संघानी :

श्री काशीराम राणा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सरदार सरोवर परियोजना" को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के संबंध में गुजरात सरकार का आग्रह केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कब तक इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सिंचाई क्षेत्र में कोई भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं की गई है।

क्रे सुपर कम्प्यूटर

3469. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री तरित बरण तोपदार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सिसिलियन ग्राफिक्स से भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए क्रे सुपर कम्प्यूटर खरीदने की अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से देश का अपना सुपर कम्प्यूटर परियोजना के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू उद्योग के हित की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विश्व नेताओं के साथ बातचीत

3470. श्री चन्द्रेश पटेल :
डा. वल्लभ भाई कठीरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हरारे तथा रोम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान अन्य देशों के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व नेताओं के साथ हुई बातचीत के नेतावार क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी-15 शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की हरारे यात्रा के दौरान उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति, मलेशिया के प्रधानमंत्री, सेनेगल के प्रधानमंत्री और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

मिस्र :

यह बातचीत एकान्त में हुई और इस बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसले भी शामिल थे।

मलेशिया :

3 नवम्बर को मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को साथ-साथ भारत मलेशिया संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों देशों के साझे हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर भी बातचीत हुई। जी-15 और विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों में एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

सेनेगल :

सेनेगल के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में जिन मसलों पर बातचीत हुई उनमें उन विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना शामिल है जिन्हें भारत सेनेगल में शुरू कर रहा है/शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस बात पर भी सहमति हुई कि सेनेगल के राष्ट्रपति 1997 के शुरू में भारत की यात्रा पर आएंगे। सेनेगल में उद्यमशील तथा तकनीकी विकास केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ जिसके तहत सेनेगल आधारभूत सहायता प्रदान करेगा और भारत तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण तथा 3 वर्षों के लिए लघु उद्योगों से सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए कार्मिक मुहैया करेगा।

जिम्बाब्वे :

दक्षिण - दक्षिण सहयोग की भारत के एक निदर्शनात्मक चेष्टा के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को भारत में निर्मित एक ग्रामीण स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भेंट स्वरूप प्रदान किया। जिम्बाब्वे में लघु उद्योगों के विकास में सहयोग करने से सम्बद्ध एक समझौता - ज्ञापन 2 नवम्बर, 1996 को सम्पन्न हुआ जिसमें यह व्यवस्था है कि जिम्बाब्वे आधारभूत संरचना की सहायता करेगा और भारत विशेषज्ञता, उपकरण, प्रशिक्षण तथा 3 वर्षों के लिए लघु उद्योगों से सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए कार्मिक मुहैया करेगा।

2. रोम की अपनी यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री, इराक के उप-राष्ट्रपति, साइप्रस के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री, ईरान के प्रथम उप-राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, क्यूबा के राष्ट्रपति, बंगलादेश की प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत की।

इंडोनेशिया :

हमारे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुहातो के साथ हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध बनाने और उनमें विस्तार करने के उपायों पर बातचीत की/आमतौर पर आशियान देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बातचीत हुई। भारत ने एशिया प्रशान्त, आर्थिक सहयोग और एशिया-यूरोप बैठक में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

इटली :

इटली के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने संबंधों को सुदृढ़ करने के उपायों तथा मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों सहित द्विपक्षीय हित के मसलों पर बातचीत की।

साइप्रस :

साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय हित के मसलों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने और मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बातचीत की।

चीन :

16 नवम्बर को हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री श्री ली फंग से मुलाकात की और उम्मीद जाहिर की कि राष्ट्रपति श्री च्यांग व मिन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जिनमें दोनों पक्षों के हित-चिन्ता से संबंधित मुद्दे भी शामिल थे और जिन पर इस बातचीत के दौरान विचार विमर्श किया गया।

बंगलादेश :

हमारे प्रधानमंत्री ने 17 सितम्बर को बंगलादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने के उपाए किए जाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी बंगलादेश की प्रधानमंत्री को संक्षेप में जानकारी दी और भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का भी उल्लेख किया।

इराक :

हमारे प्रधानमंत्री ने 16 नवम्बर को इराक के उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और इराक के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के बाद इराक के साथ भावी आर्थिक सहयोग के संबंध में बातचीत की।

नेपाल :

17 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस विचार विमर्श के दौरान कई विषयों को शामिल किया गया तथा द्विपक्षीय संबंधों के मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण स्वरूप को दोहराया गया। चर्चालों में न केवल द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया अपितु व्यापार संबंधों को विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दक्षिण-एशिया क्षेत्र में हाल ही के परिवर्तनों पर विचारों के आदान-प्रदान के दौरान इन लोगों के हित कल्याण के लिए इस क्षेत्र की असीम आर्थिक क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया।

ईरान :

16 नवंबर को प्रधानमंत्री तथा ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति के बीच हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा हुई।

अफगानिस्तान :

15 नवंबर को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने रब्बानी सरकार को अपना समर्थन दोहराया तथा अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप समाप्त करने की मांग की गई।

क्यूबा :

प्रधानमंत्री ने 17 नवंबर को राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच चले आ रहे अत्यंत घनिष्ठ तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा उन्हें आगे और मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने रूस, चीन फिलिस्तीन आदि के संबंध में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा बहुपक्षीय आर्थिक मसलों और विशेष तौर पर गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने संबंधी प्रश्न, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, जनसंख्या नियंत्रण तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग की चर्चा की। राष्ट्रपति कास्त्रो ने तीसरे विश्व के देशों से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत से एक अग्रणी नेतृत्व की भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की और भारत को सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में देखने की क्यूबा की इच्छा दोहराई। हमारे प्रधानमंत्री के भारत-यात्रा पर आने के निमंत्रण को उन्होंने अपनी सुविधानुसार स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

बिहार में पुलों का निर्माण

3471. श्री तारीक अनवर : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1994 से कितने पुलों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार में पुलों के निर्माण संबंधी कुछ प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) सात।

(ख) 3/96 तक लगभग 263.98 लाख रु. का व्यय हुआ है।

(ग) और (घ). मंत्रालय के पास पुल का निर्माण कार्य संबंधित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

नेपाल को भारतीय सहायता

3472. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में भारतीय सहायता से कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उन परियोजनाओं की लागत कितनी है और सरकार ने उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी सहायता दी है; और

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नेपाल में पन्द्रह परियोजनाएं भारत की सहायता से कार्यान्वयन के तहत अथवा निष्पादन के लिए विचाराधीन हैं।

(ख) लागत अनुमानों सहित भारत द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं नीचे दी गई हैं। ये परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं :—

	परियोजना	(करोड़ रुपयों में) लागत
	1	2
1.	रक्सौल में सिरसिया पुल (पूर्ण हो चुका है)	3.50
2.	राजबिराज इंडस्ट्रियल इस्टेट (पूर्ण हो चुका है)	2.12
3.	धारन में बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान परियोजना	88.00
4.	ईस्ट-वेस्ट हाईवे के कोहलपुर महाकाली क्षेत्र पर 22 पुल	55.00
5.	घेघा नियंत्रण के लिए आयोडीनयुक्त नमक की सप्लाई	9.96
6.	लुम्बिनी परियोजना	3.44
7.	हेतौडा संग्रहालय	3.68
8.	श्री पंच इन्द्रा राज्य लक्ष्मी प्रसव अस्पताल का विस्तार	1.00
9.	बीरगंज-रक्सौल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	13.00
10.	बृहत्तर जनकपुर विकास परियोजना	50.00
	1	2
	नई परियोजनाएं	
11.	बीर अस्पताल का 200 बिस्तरों का विस्तार	28.00
12.	कोशी-भारदा मार्ग	7.00
13.	बागमति, कामला, खाडी और लालबकैया नदियों पर तटबंधन	41.00
14.	बिराट नगर-रांगेली-भद्रपुर सड़क	260.00
15.	बीरपुर-चटारा मार्ग	17.00

(ग) नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने और उनमें विविधता लाने के लिए सतत प्रयास किये जाते रहे हैं। विगत वर्षों में, दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है। हमारे विदेश मंत्री ने जनवरी, 1996 में नेपाल की यात्रा की और उसके बाद फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्री तथा अगस्त, 1996 में नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान हुआ तथा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक तौर पर समीक्षा की गई।

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की परियोजना-वार समीक्षा करने के उद्देश्य से अगस्त, 1996 में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कार्यदल की बैठक हुई। भारत सरकार की सहायता से जो प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनमें धारन में चिकित्सा कालेज तथा संस्थान की स्थापना, और पश्चिमी नेपाल में पूर्वी-पश्चिमी राजमार्ग पर 22 पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, जयनगर-जनकपुर रेलवे सेक्टर में रेल सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त लोकोमोटिव तथा रेल डिब्बों की आपूर्ति की गई है। जनकपुर में बाहरी रिंग रोड पर सर्वेक्षण, रक्सौल और सिरसिया के बीच बड़ी रेल लाइन सम्पर्क तथा अन्य परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया है।

फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान शारदा बराज, टनकपुर बराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से सम्बद्ध संधि सम्पन्न हुई। इस संधि में भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर दोनों देशों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू करने से सम्बद्ध आवश्यक क्रियाकलापों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, आमतौर पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक आदान-प्रदान को संवर्धित करने और विशेष रूप से भारत में नेपाल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उदारीकृत व्यापार व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र घोषित करना

3473. श्री विजय हांडिक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्र का दर्जा देने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह शर्त रखी है कि भारत व्यापार के लिए अपनी सीमा खोले; और

(ग) क्या सरकार को इस मुद्दे पर सुरक्षा ऐजेंसियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पाकिस्तान ने अभी तक भारत को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है।

(ख) भारत को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के लिए भारत की सीमा खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव पाकिस्तान से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शाखाएं

3474. श्री दत्ता मेघे :

श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शाखाएं किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या कुछ और शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के 17 क्षेत्रीय केन्द्र पहले से ही स्थापित हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थान	पता	संचालन क्षेत्र
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्रं 268-सी पीत्रू आशीष अंबानी फ्लैटों के पास, ईश्वर भवन रोड, नवरंगपुरा अहमदाबाद-38009	गुजरात
2.	भापोल	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र ई-7/62 अरेरा कालोनी, बस स्टाप II के पास, एस बी आई कालोनी भोपाल-462016	मध्य प्रदेश
3.	कलकत्ता	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र, विकास भवन, विधान नगर, चौथी मंजिल नार्थ ब्लाक, साल्ट लेक, कलकत्ता-700091	पश्चिम बंगाल
4.	नई दिल्ली	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र विश्व युवक केन्द्र, सर्कुलर रोड, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021	दिल्ली उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला तथा हरियाणा के गुडगांव और फरीदाबाद जिले
5.	जयपुर	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र सी-113,शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004	राजस्थान
6.	लखनऊ	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र बी-1/33, सेक्टर एच.अलीगंज लखनऊ-226020	उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद जिले को छोड़कर)
7.	पुणे	क्षेत्रीय निदेशक, इगनू क्षेत्रीय केन्द्र सिमावियोसीन परिसर बापत रोड, पुणे-226020	महाराष्ट्र

1	2	3	4
8.	शिलांग	सहायक क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, सनी लॉज, नागथिमाई नौंगाशीलियांग, शिलांग-793014	मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा मणिपुर
9.	बंगलौर	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र एन एस एस एस कल्याण केन्द्र नं. 293, 39वां जयानगर 8वां ब्लाक, बंगलौर-660082	कर्नाटक, गोवा
10.	भुवनेश्वर	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र 222/1, शास्त्री नगर, यूनिट-4 भुवनेश्वर-751001	उड़ीसा
11.	कोचीन	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र ममांगलम, डाकखाना पलरी टटोम कोचीन-682025	केरल लक्षद्वीप
12.	हैदराबाद	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र सेस भवन, निजामिया वेधशाला परिसर, वेगमपेट, हैदराबाद-500016	आन्ध्र प्रदेश
13.	करनाल	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र पुराना राजकीय कालेज कैंपस रेलवे रोड़, करनाल-132001	पंजाब, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र हरियाणा) (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिले को छोड़कर)।
14.	चेन्नई	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र 28 साऊथ वोएगा रोड (ग्वालियर रोड शिवाजी गणेशन रोड) टी नगर, मद्रास-600017	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
15.	पटना	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र 170-ए, पाटलीपुत्र कालोनी, पटना-800013	बिहार
16.	शिमला	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र विलिस पार्क, आकाशवाणी केन्द्र के पास, डाकखाना चौरा मैदान, शिमला-171004	हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर
17.	गुवाहाटी	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र नवगिरी रोड़, प्रथम पाईलेन, चांछमारी गोवाहाटी-781003	असम, अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देना

3475. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष मामलों में केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेणी-IV में बच्चों को प्रवेश देने हेतु संबंधित सहायक आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विशेष मामलों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उन अन्य अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो ऐसे प्रवेश आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं;

(घ) क्या जयपुर क्षेत्र के सहायक आयुक्त ने चालू वर्ष के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालयवार और कक्षावार ब्यौरे क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित दाखिला संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता श्रेणियों के बच्चों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सहायक आयुक्त कक्षा में बच्चों की संख्या 32 होने तक सिविल तथा रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेणी III तथा IV के तथा परियोजना क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेणी IV और V के बच्चों के दाखिला की अनुमति देने के लिए सक्षम है।

(घ) और (ङ). सहायक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर क्षेत्र द्वारा सिविल क्षेत्र के 17 केन्द्रीय विद्यालयों में 395 बच्चों, रक्षा क्षेत्र के 8 केन्द्रीय विद्यालयों में 57 बच्चों तथा परियोजना क्षेत्र के 3 केन्द्रीय विद्यालयों में 44 बच्चों के दाखिले की अनुमति दी गई है।

नवोदय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

3476. श्री शिवराज सिंह :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के सही ढंग से रखरखाव न किए जाने और इनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा उचित रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). कुछ जवाहर नवोदय विद्यालयों के बुनियादी ढांचों तथा सुविधाओं में कुछ कमियां समिति की जानकारी में आई हैं। ये मुख्य रूप से आवास, पानी तथा बिजली की कमी से संबंधित हैं।

(ग) समिति सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं संबंधी व्यवस्था में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। स्थायी भवन निर्माण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मूलभूत सुविधाओं संबंधी व्यवस्था हेतु चल रहे कार्यों तथा अस्थायी आवास की निरन्तर मानीटरिंग की जाती है।

रोजगार के अवसर

3477. डा. जी.आर. सरोदे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक नीति के अनुरूप रोजगार के नए अवसरों के सृजन हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में दी गई प्राथमिकता के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा की कक्षा XI और XII में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के विचार से फरवरी, 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है-व्यक्तिगत नियोज्यता को बढ़ाना। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों का यह प्रयास रहा है कि व्यावसायिक तथा विशिष्ट कौशलों की अंतर्नवस्तुएं हों ताकि छात्रों की नियोज्यता को बढ़ाया जा सके। राज्यों में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा नियोक्ता एजेंसियों की आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर नौकरी अवसरों का आकलन किया जाता है।

[अनुवाद]

पुरानी बर्मा सड़क को फिर से चालू करना

3478. श्री आर. साम्बासिवा राव :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युद्ध II भूतल मार्ग, पुरानी बर्मा सड़क को फिर चालू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क की लम्बाई कितनी है और इस पर कितना पूंजीगत परिव्यय आएगा;

(ग) क्या व्यय का कुछ हिस्सा म्यांमार द्वारा वहन किया जाएगा;

(घ) क्या इस परियोजना के संबंध में म्यांमार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) सड़क का निर्माण कब तक शुरू करने और कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(छ) इस सड़क के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होगा;

(ज) क्या सरकार ने इस सड़क को फिर चालू करने से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह की समस्या को ध्यान में रखा है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) नमू से कालेमेयों तक सड़क का विकास/निर्माण करने के लिए म्यांमार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर बातचीत की गई है। इस सड़क का मूल रूप से निर्माण विश्व युद्ध-II के दौरान किया गया था।

(ख) सड़क की कुल लम्बाई 160.525 कि.मी. है और निर्माण/सुधार कार्यों की लागत 91.68 करोड़ रु. है।

(ग) जी नहीं।

(घ) समझौता-ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं।

(ङ) उक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) कार्य-योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(छ) इससे लोगों को सीमा-पार आने-जाने और सामग्री लाने-ले-जाने में सुविधा होगी।

(ज) भारत के राष्ट्रीय हित हमेशा ध्यान में रखे गए हैं।

(झ) विद्रोह, अवैध व्यापार को रोकने और दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु सीमा सम्पर्क बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

3479. **श्री अनन्त कुमार :**
श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने के लिए राज्य-वार कितनी सिंचाई परियोजनाओं का चयन किया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई/ऋण प्रदान किए गए तथा इसके लिए क्या शर्तें रखी गई;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निधियां किस प्रकार जारी की जाती हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री चनेश्वर मिश्र) : (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता प्रदान करने के लिए चुनी गई सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	4
बिहार	2
गुजरात	6
हरियाणा	2
कर्नाटक	3
केरल	1
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	1
उड़ीसा	4
पंजाब	1
राजस्थान	2
तमिलनाडु	1
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	1
कुल	41

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चालू वित्त वर्ष के दौरान पहली बार शुरू किया गया है और इस प्रकार विगत में कोई ऋण सहायता प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता की अनुमोदित परियोजनावार राशि तथा निर्मुक्त की गई पहली किश्त की राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 1996-97 के दौरान 13 प्रतिशत ब्याज दर पर और बाद के वर्षों में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋणों के रूप में, चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए है। यह ऋण अगले वर्ष से शुरू बकाया राशि पर ब्याज सहित 20 वार्षिक समान किश्तों पर अदा किया जायेगा।

तथापि, इन ऋणों के 50 प्रतिशत को 5 वर्ष की प्रारम्भिक छूट अवधि दी जायेगी, इसके बाद इन ऋणों की अदायगी 15 वार्षिक समान किश्तों में की जायेगी। वार्षिक रूप से देय ऋणों (मूल तथा ब्याज के जरिए) को 15 जून से शुरू 10 समान मासिक किश्तों में वसूल किया जायेगा।

ऋण की राशि राज्य द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों में से परियोजना के लिए दी गई राशि के बराबर होगी।

(ग) निर्माण की स्वीकृत अनुसूची के अनुसार निर्माण के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं पर वास्तव में व्यय करने के बाद केन्द्रीय सहायता तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में है। तथापि, पहली तिमाही किश्त अग्रिम तौर पर निर्मुक्त की जायेगी ताकि राज्य परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकें।

(घ) स्कीम के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं चल रही परियोजनाएं हैं और इन्हें योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

विवरण

राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की राशि तथा पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त ऋण सहायता का परियोजनावार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की राशि	पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त ऋण सहायता (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	श्री राम सागर चरण-I	63.00	31.50
2.	चेरू सिंचाई	7.50	3.75
	असम		
3.	पहुमारा	1.20	0.60
4.	हवाईपुरा लिफ्ट सिंचाई	1.75	0.875
5.	रूपाही	1.51	0.555
6.	कलोंग सिंचाई	1.00	0.50
	बिहार		
7.	कोसी परियोजना	20.00	10.00
8.	अपर कूल	5.00	2.50
	गुजरात		
9.	सरदार सरोवर बहुप्रयोजनीय परियोजना	95.00	47.50
10.	जुझ	2.40	1.20
11.	हारनव-II	0.13	0.65
12.	मुक्तेश्वर	0.65	0.325
13.	उमारिया	0.27	0.135
14.	सीपू	3.27	1.635
	हरियाणा		
15.	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00
16.	गुडगांव	5.00	2.50
	कर्नाटक		
17.	अपर कृष्णा परियोजना चरण-I (फेस-III)	114.00	57.00
18.	मालप्रभा	3.00	1.50
19.	हीरिहल्ला	5.50	2.75
	केरल		
20.	कलादा परियोजना	5.00	2.50
	मध्य प्रदेश		
21.	बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना	31.00	15.50
22.	इंदिरा सागर	50.00	25.00
23.	शिवनाथ व्यपवर्तन	1.75	-
	महाराष्ट्र		
24.	गोसी खुर्द	20.00	10.00
	उड़ीसा		
25.	रेंगाली सिंचाई	15.00	7.50
26.	अपर इंद्रावती दायां तटर नहर	38.00	19.00
27.	सुवर्णरेखा परियोजना	36.00	18.00
28.	आनंदपुर बराज	3.10	1.55
	पंजाब		
29.	रंजीत सागर बांध	90.00	45.00
	राजस्थान		
30.	सावन भादों	2.25	-
31.	जेसामांद	1.85	0.925
	तमिलनाडु		
32.	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00
	त्रिपुरा		
33.	मानू	1.75	0.875
34.	गुमती	3.12	1.56
	उत्तर प्रदेश		
35.	सारदा सहायक	20.00	10.00
36.	सरजू नहर	18.00	9.00
37.	अपर गंगा आधुनिकोकरण जिसमें मध्य गंगा शामिल है	20.00	10.00

1	2	3	4
38.	राजघाट	6.00	3.00
39.	गुंटा नाला	2.00	1.00
40.	हिण्डन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनलों का प्रावधान	1.00	0.50
	पश्चिम बंगाल		
41.	तीस्ता बराज	10.00	5.00

टिप्पणी : (1) शियोनाथ व्यपवर्तन स्कीम के लिए कोई निर्मुक्ति नहीं की गई है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य बजट में बराबर-बराबर निधि के प्रावधान की पुष्टि नहीं की है।

(2) सावन भादों परियोजना के लिए कोई निर्मुक्ति नहीं की गई है क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण सहायता प्राप्त हो रही है।

[हिन्दी]

नसबन्दी शल्य चिकित्सा

3480. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नसबन्दी शल्य चिकित्सा के संबंध में 1993 में सभी राज्यों में दिशानिदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नसबन्दी शल्य चिकित्सा के लिए क्या दिशानिदेश जारी किए गए हैं तथा स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए उन केन्द्रों के क्या नाम हैं जहां ये किए जा सकते हैं;

(ग) क्या उपरोक्त दिशानिदेशों का राज्यों द्वारा विशेषरूप से मध्य प्रदेश द्वारा पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। पुरूष नसबन्दी तथा महिला नसबन्दी के ऑपरेशनों के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1993 में संशोधित दिशानिदेश जारी किए गए हैं।

(ख) लेप्रोस्कोपिक बंध्याकरण सहित महिला नसबन्दी और पुरूष नसबन्दी के ऑपरेशन क्षेत्रीय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर संपन्न किए जाते रहे हैं। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाना है कि यंत्रों को आटोक्लेविंग करेके या 20 मिनट तक उबलते जल में डुबाकर या 30 मिनट तक 2 प्रतिशत गलुटेरल्डेहाइड में रखकर उनका निजी वाणुकरण तथा विसंक्रमण सख्ती से किया जाता है ताकि हेपाटाइटिस तथा एच.आई.वी. जैसे विषाणु के संक्रमण से होने वाले जोखिम सहित संक्रमण के किसी जोखिम का निवारण हो सके। इसके अलावा यंत्रों के दो सैटों से एक दल एक कार्यदिवस में बंध्यीकरण के 24 से अधिक ऑपरेशन न करे।

(ग) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य में दिशानिदेशों का पालन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में ज्योतिष-शास्त्र विभाग

3481. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछेक विश्वविद्यालयों में ज्योतिष-शास्त्र विभाग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्लड बैंकों को लाइसेंस

3482. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए केरल सरकार के औषध नियंत्रण विभाग को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 122 च के अनुसार राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रक्त बैंक के प्रचालन के लिए लाइसेन्स देता है या नवीकरण करता है।

उत्तर प्रदेश में बसें

3483. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य-सड़क परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान राज्य में नई बसें चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) को स्वीकृति

3484. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :
डा. बलिराम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सी.टी.बी.टी. का अनुमोदन करने के पश्चात् उसे हस्ताक्षर के लिए रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे स्वीकार किया है; और

(ग) क्या इसे लागू कर दिया गया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि 24 सितम्बर, 1996 को हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी।

(ख) 4 दिसम्बर, 1996 तक 137 देशों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज तक केवल फिजी ने इसका अनुसमर्थन किया है।

(ग) जी, नहीं।

आई.आई.टी. दिल्ली का कार्यकरण

3485. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), दिल्ली में अधोस्नातक स्तर पर सर्वेक्षण विषय को पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, भू-विज्ञान को एक मेकेनिक्स और पर्यावरण अभियांत्रिकी को जल संसाधन विषय की मूल पृष्ठभूमि रखने वाले संकाय सदस्य द्वारा पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके कार्यकरण को सुधारने तथा इनको देश के अन्य आई आई टी के समकक्ष लाने हेतु कोई समिति नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो उच्च अर्हता, प्रतिभा सम्पन्न संकाय को आकर्षित करते हैं तथा बरकरार रखते हैं। सर्वेक्षण, भू-विज्ञान और पर्यावरणात्मिक इंजीनियरी में पाठ्यक्रमों को अवरस्नातक स्तर पर अनुभवी तथा सुयोग्य संकाय द्वारा पढ़ाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क निधि

3486. प्रो.पी.जे. कुरियन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि में कुल कितनी धनराशि जमा है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस निधि से केरल में सड़क निर्माण की कितनी योजनाओं को अनुमोदित एवं वित्तपोषित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि में जमा की गई कुल निधि 107.24 करोड़ रु. हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केरल राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के तहत किसी सड़क-कार्य की मंजूरी नहीं दी गई है।

भूमि कटाव

3487. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि कटाव के कारण भारतीय भू-भाग पाकिस्तानी क्षेत्र में जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत ने अब तक कुल कितना क्षेत्र गंवाया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने रावी तथा सतलुज नदियों के प्रवाह को बदल दिया है;

(घ) भू-भाग के इस कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप पंजाब राज्य की उपजाऊ भूमि का नुकसान हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). रावी और सतलुज नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत-पाक सीमा के साथ साथ बहती हैं। बाढ़ के दौरान ये नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं और मृदा कटाव उत्पन्न करती है जिससे नदी को भूमि की हानि हो जाती है।

(ग) पाकिस्तान ने नदी के अपनी ओर वर्षों से बाढ़ तटबन्धों और स्परों का निर्माण किया है। कुछ जलवैज्ञानिक और आकृतिमूलक स्थितियों के अंतर्गत इन कार्यों से दूसरे तट की ओर भारत क्षेत्र में नदी का प्रवाह बदल जाता है।

(घ) से (च). पंजाब राज्य नदी को भारत सीमा से दूर रखने के लिए प्रतिरक्षा कार्यों का निर्माण करता रहा है ताकि रावी-सतलुज नदियों पर बाढ़-सुरक्षा तटबंधों के विशेष उपचारी कार्यों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार उपजाऊ भूमि को हानि से बचाया जा सके। इन प्रतिरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए पंजाब राज्य को हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ रु. केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। चूंकि यह राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए राज्य शेष कार्य प्राथमिकता तथा अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करता है। इस मामले की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने भी उच्चस्तरीय समिति गठित की है जिसमें सम्बंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

[हिन्दी]

यौन संबंधी रोग

3488. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देशभर के युवकों में विद्यमान यौन-संबंधी रोगों की पहचान करने हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) युवकों में यौन संचारित रोगों को व्याप्तता का पता करने हेतु केन्द्रीय स्कीमों के अन्तर्गत देशव्यापी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। फिर भी, आम जनता में यौन संचारित रोग की व्याप्तता के अध्ययन हेतु जयपुर, मद्रास, कलकत्ता और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसलाइन सर्वे कराया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मधुमेह के मरीज

3489. कुमारी उमा भारती : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 1996 के दैनिक जागरण में "विश्व भर में सर्वाधिक मधुमेह.पीड़ित भारत में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मधुमेह से पीड़ित है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मधुमेह के नियंत्रण हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कुछ अध्ययनों के आधार पर भारत में मधुमेह की अनुमानित व्याप्तता 1.73 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वायुसेना स्कूलों में प्रवेश

3490. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वायु सेना स्कूलों में गैर-वायु सेना श्रेणी के अंतर्गत असैनिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान स्कूल-वार के.जी. कक्षा में असैनिकों के कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया;

(ग) क्या इन स्कूलों ने चालू वर्ष के दौरान फीस आदि में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा तथा तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या असैनिकों के लिए संशोधित फीस बहुत अधिक है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों के लिए फीस ढांचे को तर्कसंगत बनाने तथा सभी श्रेणियों के बच्चों को एक जैसी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान के.जी. कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले गैर वायु सेना कार्मिकों के बच्चों की संख्या इस प्रकार है :-

	1995-96	1996-97
वायुसेना बाल भारती स्कूल	188	100
वायुसेना स्कूल	86	19
एयर फोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीच्यूट	79	25

(ग) शुल्क पहली अप्रैल, 1996 से संशोधित किया गया था।

(घ) शिक्षण शुल्क का वितरण :-

(प्रति माह रुपए में)

1995-96

	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
एयरमैन	110	120	140
अफसर	200	210	230
गैर-वायुसेना	350	365	390

1996-97

	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
एयरमैन	120	130	150
अफसर	225	250	275
गैर-वायुसेना	500	600	700

(ङ) से (झ). एयर फोर्स स्कूलों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है। उन्हें अपने धन की व्यवस्था छात्रों से प्राप्त शुल्क से ही करनी होती है। इन छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क राजधानी में अन्य स्कूलों द्वारा लिए जा रहे शुल्क के अनुरूप है।

[हिन्दी]

नाविक अधिकारियों हेतु योजनाएं

3491. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नाविक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों हेतु तैयार की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). भारत सरकार ने नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामान्य तौर पर किए जाने वाले उपायों और विशेष तौर पर निम्नलिखित के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का गठन किया था :-

(1) नाविकों के लिए होस्टलों अथवा बोर्डिंग और लॉजिंग हाउसों की स्थापना।

(2) नाविकों के लाभ के लिए क्लबों, कैन्टीन, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं की स्थापना।

(3) नाविकों के लिए अस्पतालों की स्थापना अथवा नाविकों के लिए चिकित्सा का प्रावधान, और

(4) नाविकों के लिए शैक्षिक और अन्य सुविधाओं का प्रावधान।

उपर्युक्त कल्याण स्कीमों का विभिन्न स्थानों पर संभव सीमा तक प्रावधान किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की स्कीमें तैयार की गई हैं। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम में 32,082 नाविक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा सहायता, नाविकों/उनके परिवारों को अनुग्रह सहायता, संकट ग्रस्त नाविकों को वित्तीय सहायता, नाविकों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, नाविकों के क्लबों/होस्टलों को वार्षिक अनुदान/ऋण, उन कंपनियों के जलयानों पर समुद्री यात्रा के संबंध में नाविकों को ग्रेच्युटी का भुगतान जिनके समाप्त होने का पता लग गया हो आदि जैसे विभिन्न कल्याण उपायों का प्रावधान करने के लिए, वर्ष 1964 में नाविक कल्याण निधि सोसायटी की स्थापना की गई है। ये स्कीमें अतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

[अनुवाद]

धनराशि का उपयोग

3492. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि के राज्य सरकारों द्वारा अन्य योजनाओं हेतु उपयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधियां राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तावित विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए आबंटित की जाती हैं। तथापि, इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

एम.ई.एस. से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड तक जल की आपूर्ति

3493. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एम.ई.एस. से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड को भारी मात्रा में जलापूर्ति करने संबंधी प्रणाली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कैंटोनमेंट बोर्ड को किस दर पर जलापूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या एम.ई.एस. अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दरों के निर्धारण के पश्चात् की दरों में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या कैंटोनमेंट बोर्ड की एम.ई.एस. रानीखेत की ओर कोई राशि बकाया है;

(ङ) क्या महानिदेशक, रक्षा इस्टेट/रक्षा मंत्रालय के पास असैनिक नागरिकों को जलापूर्ति में वृद्धि करने संबंधी कोई योजना लंबित है;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जलापूर्ति के लिए शुल्क में कमी कर दी गई है तथा क्या संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा इस वृद्धि का समायोजन कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). सैन्य इंजीनियरी सेवा सन् 1977 से सरकार द्वारा नियत 6.76 रुपए प्रति 1000 गैलनों की दर पर जलापूर्ति कर रहा है। सरकार ने तब से दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है।

(घ) छावनी बोर्ड के ऊपर 28,19,701/- रुपए की धनराशि उगाही के लिए बकाया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). सरकार द्वारा जलापूर्ति की लागत में किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी गई है। सैन्य इंजीनियरी सेवा, कुमाऊं जल निगम से निम्नलिखित दरों पर जल प्राप्त करती है :-

90-91 तक	8.10 रुपए प्रति किलोलीटर
91-92	8.79 रुपए प्रति किलोलीटर
92-93	15.48 रुपए प्रति किलोलीटर
93-94 (और उससे आगे)	14.77 रुपए प्रति किलोलीटर

लागत में अंतर को नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा अभी तक समायोजित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रीना-टोला जलाशय परियोजना

3494. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के मांडला जिले में रीना-टीला जलाशय परियोजना स्थापित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु मांडला से संबंधित लम्बित पड़ी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लम्बित पड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति में कोई विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रीना टीला जलाशय परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दो परियोजनाएं अर्थात् धनवर टैंक और अपर नर्मदा जो मध्य प्रदेश के माण्डला जिले को लाभ पहुंचाएगी, क्रमशः 24.40 करोड़ और 211.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए स्वीकृति हेतु लंबित हैं। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना

रिपोर्टें तकनीकी आर्थिक मूल्याकंन के लिए क्रमशः दिसंबर, 1989 और सितंबर, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं।

(ङ) और (च). थनवर टैंक परियोजना मार्च, 1991 में परामर्श समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई थीं बशर्ते विस्थापितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मूल्याकंन और पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान किए गए हैं। यह परियोजना लंबित है क्योंकि राज्य सरकार ने सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की है। अपर नर्मदा परियोजना की संशोधित रिपोर्ट सितंबर, 1996 में प्राप्त हुई है।

यद्यपि, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए समय-सीमा निर्धारित है, फिर भी इसमें विलंब राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना में लिए गए समय और पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना स्वीकृति प्राप्त न किए जाने के कारण होता है।

[अनुवाद]

रेडक्रास सोसायटी

3495. श्री ए. सम्पथ :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में रेडक्रास सोसायटी तथा इसकी विभिन्न शाखाओं के कार्य के संबंध में शिकायतें मिली हैं और तत्संबंधी अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री राहत कोष के अन्तर्गत किये गये आबंटन का भी रेडक्रास सोसायटी द्वारा दुरूपयोग किए जाने का पता लगा था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राहत कोष से रेड-क्रास सोसायटी को कुल कितना आवंटन किया गया तथा इसका कितना उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). इंडियन रेडक्रास सोसायटी/इसकी शाखाओं के कामकाज में होने वाली कथित अनियमितताओं पर प्रेस रिपोर्टों आदि में समय-समय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, जापानी रेडक्रास सोसायटी द्वारा निधियों का उपयोग न होना, पूर्णकालिक महासचिव का नियुक्ति न होना, मणिपुर को राहत सामग्री जारी करने में अनाचार, राहत सामग्री आदि की सप्लाई के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा अनाचार इन अनियमितताओं में शामिल है।

जहां तक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का संबंध है, भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने विदेशी अंशदान के लेखों के रख-रखाव में होने वाली कमियों को दूर कर दिया है तथा मामला खत्म हो गया है। निधियों का निर्धारित समय तक उपयोग करने हेतु भारतीय और जापानी रेडक्रास सोसायटियों के बीच नए समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय रेडक्रास सोसायटी का पूर्णकालिक महासचिव नियुक्त किया गया है। मणिपुर सरकार ने सूचना दी है कि उसे प्रेस रिपोर्टों में उल्लिखित किसी शिकायत की जानकारी नहीं है और बतलाया है कि इसे निराधार समझा जाए। भारतीय रेडक्रास सोसायटी को कानपुर शाखा में हुई अनियमतताओं की जांच की गई है तथा संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। राहत सामग्री की सप्लाई के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा किए गये अनाचार के मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/सतर्कता कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 1993-94 के दौरान प्राप्त 1 करोड़ रुपये में से तकरीबन समस्त राशि का उपयोग सितम्बर, 1993 में महाराष्ट्र में आए भूकम्प के राहत कार्य में कर दिया गया है। 1994-95 में 25 लाख रुपये प्राप्त हुए थे तथा तकरीबन समस्त राशि जम्मू और कश्मीर सरकार की सहायता करने के लिए अम्बुलेंस वाहनों की खरीद में प्रयुक्त कर दी गई है। 1995-96 के दौरान कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

जलक्रीड़ा के परिसर

3496. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के विभिन्न जिलों में जलक्रीड़ा परिसरों के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रबड़ की सड़कें

3497. श्री पी.सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की सड़कें बनाए जाने के बारे में प्रयोग किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन/उपयोग किया गया है;

(ग) क्या देश में रबड़ की कुछ सड़कों का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा/और अन्य सड़कों पर रबड़ बिछाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रबड़ की सड़कों का क्या लाभ है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). इलाहाबाद के निकट रा.रा.-2 के कानपुर-वाराणसी खंड में आपरिवर्तक के रूप में रबड़ का प्रयोग करके प्रायोगिक भागों के निर्माण के लिए मार्च, 1993 में 7.46 लाख रु. की एक अनुसंधान स्कीम स्वीकृत की गई थी। इस कार्य को मार्च, 1995 में पूरा किया गया था। इस प्रयोजनार्थ अब तक 6.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) कार्य-निष्पादन प्रगति पर है और स्कीम पूरी होने के पश्चात् ब्यौरे-वार लाभों का पता चलेगा।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापन का स्तर

3498. श्री रमेश चेन्नित्तला :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
डा. असीम बाला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापन के स्तर में सामान्यतः गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्यापकों के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.)-86 के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं।

(ख) और (ग). शिक्षक शिक्षा पुनः संरचना एवं पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्कूली शिक्षकों को सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में 424 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 73 शिक्षक शिक्षा कालेज और 34 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान स्वीकृत किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु प्रबोधन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 45 शैक्षिक स्टाफ कालेजों की पहचान की है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालय तंत्र में सेवारत शिक्षकों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 71 विभागों का चयन किया है।

सिंचित भूमि में गिरावट

3499. श्री जी.एम. कुंटूरकर :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कृषि वैज्ञानिक, डा. देवीन्द्र शर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक अर्थात्, "इन द फेमाइन ट्रैप" ने देश में विशेषकर पंजाब तथा हरियाणा में सिंचित भूमि में गिरावट के संबंध में कोई दिल दहलाने वाला रहस्योद्घाटन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि रहस्योद्घाटन में इन राज्यों में जलसारणी को ले जाना तथा मिट्टी आदि में आर्गेनिक पदार्थों को कम करना भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल घटे कृषि क्षेत्र के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कृषि भूमि में गिरावट के क्या कारण हैं तथा कृषि के अधीन और भूमि लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये है;

(च) इसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (छ). "इन द फेमाइन ट्रैप" नामक पुस्तक में निहित रहस्योद्घाटन लेखक के अपने प्रेक्षणों और तथ्यों पर आधारित है। तथापि, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि प्रयोग सांख्यिकी (1992-93 अद्यतन) के अनुसार देश में 184.38 मिलियन हैक्टेयर कुल कृष्य क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र 50.10 मिलियन हैक्टेयर है। विभिन्न राज्यों के कुछ लोगों में अत्यधिक भूजल निकालने के कारण भूजल स्तर में गिरावट पाई गई है। यह गिरावट पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और दिल्ली राज्यों के कुछ पाकेटों में

पाई गई। यह गिरावट 2 मीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक तक है। वर्ष 1991 में सिंचित क्षेत्रों में समस्या अभिज्ञात करने संबंधी किए गए अध्ययन के अनुसार जल जमाव, मृदा लवणता और क्षारीयता से प्रभावित अनुमानित क्षेत्र इस प्रकार है :

जलजमाव से प्रभावित	1.61 मिलियन हेक्टेयर
लवणता/क्षारीयता से प्रभावित	3.30 मिलियन हेक्टेयर

जल जमाव तथा मृदा लवणता से कुछ हद तक फसल उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। तथापि, राज्यों ने जल जमाव और मृदा लवणता समस्याओं को कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जैसे सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग, असुरक्षित पहुंचों में नहरों तथा जल मार्गों को पक्का करना, क्षारीय मिट्टी का उपचार तथा खेत संबंधी जल प्रबंध पद्धतियां अपनाना।

कृष्णमेनन शताब्दी समारोह समिति

3500. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कृष्णमेनन शताब्दी समारोह समिति गठित करने का उद्देश्य क्या है;

(ख) इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) श्री कृष्णमेनन की जन्म शताब्दी उपयुक्त तरीके से मनाने तथा इस संबंध में कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

(ख) और (ग). दिनांक 20 नवंबर, 1995 को राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया गया कि जन्म शताब्दी समारोह दिनांक 3 मई, 1996 से प्रारंभ होंगे और वर्ष भर चलेंगे। राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय भी लिया कि प्राप्त किए गए सभी सुझावों की जांच की जानी चाहिए तथा मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति द्वारा कोई उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाए।

तद्नुसार, एक उप-समिति स्थापित की गई, जिसकी बैठक दिनांक 25 जून, 1996 को हुई तथा एक निर्णय लिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ, नई दिल्ली और लंदन दोनों में एक स्मारक जन-समारोह तथा सेमिनार व व्याख्यान आयोजित किये जाएं तथा श्री वी.के. कृष्ण मेनन के लिए उपयुक्त स्मारक स्थापित किया जाए और श्री मेनन के संयुक्त राष्ट्र संबंधी भाषणों की रिकार्डिंगों को एकत्र व प्रकाशित किया जाए। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कई एजेंसियां शामिल हैं। अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए उप समिति की दूसरी बैठक शीघ्र ही बुलाई जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक

3501. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए कितने मंडलीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं और मंडल-वार राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त स्मारकों के समुचित रखरखाव के लिए और मंडलीय कार्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सभी संरक्षित स्मारकों के रखरखाव की दृष्टि से सभी स्मारकों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है;

(च) यदि नहीं, तो उक्त स्मारकों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए क्या प्रणाली लागू है; और

(छ) मंडल-वार उन संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है जिनमें आज तक कोई विशेष मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ). जैसा कि संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं, केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 17 मंडल और दो लघु मंडल हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी, 1997 से त्रिसूर में एक नया मंडल स्थापित किए जाने के लिए आदेश दे दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) अधिकांश केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में नियमित स्मारक परिचार तैनात किए गए हैं। अन्य स्मारकों में, जहां आवश्यक समझा जाता है, दैनिक वेतनभोगी कर्मी लगाए गए हैं।

(छ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं परिरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। स्मारकों का संरक्षण कार्य उनकी वास्तविक जरूरतों तथा संरक्षण प्राथमिकता एवं उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक किया जाता है।

विवरण

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की मंडल-वार सूची

क्र.सं.	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	323
2.	औरंगाबाद (लघु मंडल गोवा सहित)	309

1	2	3
3.	बंगलोर	203
4.	भोपाल	282
5.	भुवनेश्वर	122
6.	कलकत्ता	117
7.	चण्डीगढ़ (लघु मंडल शिमला सहित)	150
8.	दिल्ली	166
9.	धारवाड़	301 (1.11.96 से)
10.	गोवाहटी	72
11.	हैदराबाद	134
12.	जयपुर	151
13.	लखनऊ	362
14.	चेन्नई	401
15.	पटना	190
16.	श्रीनगर	54
17.	त्रिसुर	37 (1.1.97 से)
18.	बड़ौदरा	209
	कुल	3593

[अनुवाद]

उड़ीसा में भीमतांगी सिंचाई परियोजना

3502. श्री मुरलीधर जेना : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भीमतांगी सिंचाई परियोजना छोड़ दी गई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इस सिंचाई परियोजना द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्यालयों में यौन शिक्षा

3503. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के मामलों तथा अन्य यौन रोगों में वृद्धि होने के कारण सरकार का विचार विद्यालयों में यौन शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 (1992 में यथासंशोधित) के अनुसरण में 1994 में किशोरावस्था शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में किशोरावस्था शिक्षा के उपयुक्त घटकों को शुरू करने की सिफारिश की गई है। किशोरावस्था शिक्षा के मुख्य घटक ये हैं :- (1) बढ़ने की प्रक्रिया (2) एच आई वी/एड्स और (3) नशाखोरी की बुराइयां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यौन शिक्षा सहित किशोरावस्था शिक्षा का एक सामान्य कार्य-ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 1980 से जारी की जा रही राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन पी ई पी) में यौन शिक्षा संबंधी घटक संबद्ध है। जनसंख्या शिक्षा संबंधी अंतर्वस्तु को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में शामिल कर दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

3504. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागरिकों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का है ताकि ये बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें वृद्धावस्था में बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). साधारण बीमा निगम की छत्रछाया में तीन चिकित्सीय बीमा योजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं :-

(1) **मेडिक्लेम इन्श्योरेंस पालिसी :** 5 वर्ष और 75 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इस

पालिसी में अस्पताली इलाज/घर में इलाज करवाने के लिए किए गए चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है।

(2) **जन आरोग्य :** शुरू में यह जनसंख्या के उस बड़े वर्ग के लिए थी जो चिकित्सीय उपचार की उच्च लागत को वहन नहीं कर सकता, यह पालिसी 70 वर्ष तक की आयु तक कवरेज प्रदान करती है।

(3) **भविष्य आरोग्य :** इस योजना के अधीन एक व्यक्ति अपनी आय अर्जित करने के वर्षों के दौरान एकल प्रीमियम अथवा नाममात्र के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करता है और 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच का भावी चुनिंदा आयु से अस्पताली इलाज और घर में इलाज पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है।

नेहरू युवक केन्द्र

3505. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात के नेहरू युवक केन्द्रों में वर्षवार शुरू तथा पूरे किए गए विभिन्न परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक परियोजनाओं के लिए कुल कितनी वित्तीय राशि स्वीकृति की गई तथा गुजरात के प्रत्येक जिले में इस संबंध में कितना काम हुआ;

(ग) वर्ष 1997 से 2000 ईसवी तक गुजरात के प्रत्येक जिले के लिए कौन-कौन सी योजना, परियोजना शुरू करने के प्रस्ताव हैं;

(घ) नेहरू युवक केन्द्र की गतिविधियां चलाने हेतु आय के कौन-कौन से स्रोत हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों को किन आधारों पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा प्रबंधन पाठयक्रमों को संचालित किया जाना

3506. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अनधिकृत रूप से प्रबंधन पाठयक्रम चला रहे हैं तथा अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र बेच रहे हैं;

(ख) क्या उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा संचालित करने की निगम को अनुमति प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लेह और कारगिल में निजी विद्यालयों को सहायता

3507. श्री पी. नामग्याल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, और 1996-97 के दौरान आज तक विद्यालयवार लद्दाख के लेह और कारगिल जिले में विभिन्न निजी विद्यालयों को कितनी अनुदान राशि आबंटित की गयी है; और

(ख) किन-किन एजेंसियों के माध्यम से इन विद्यालयों में धनराशि वितरित की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगा बाढ़ नियंत्रण संगठन में अध्यक्ष का पद

3508. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगा बाढ़ नियंत्रण संगठन में अध्यक्ष का पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारियों ने कार्यभार नहीं संभाला है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संगठन के हित में अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक की जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). जी हां। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रिया उन्नत चरण में है और चयन प्रक्रिया के पूरे हो जाने पर अधिकारी की नियुक्ति तत्काल की जाएगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर

3509. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान में उचित दूरी पर उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभाव में बड़ी संख्या में छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों तथा छात्राओं की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर में कमी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल राज्य की जनसंख्या की औसत दर से कम नहीं हैं। तथापि इस क्षेत्र में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण दूरी तथा जनसंख्या का बिखराव है। राजस्थान राज्य में वर्ष 1993-94 में पहली से पांचवी तथा पहली से आठवीं कक्षाओं में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर निम्नवत् थी :-

	वर्ष 1993-94	
	कक्षा (पहली से पांचवी)	कक्षा (पहली से आठवीं)
लड़के	54.76	62.34
लड़कियां	63.02	72.34
कुल	57.44	65.43

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकार ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की दर में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शिक्षा शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान करना निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना और माध्याह्न भोजन योजना को शुरू करना सम्मिलित है। राजस्थान में स्वीड्न अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त लोक जुम्बिश और शिक्षा कर्मी नामक बेसिक शिक्षा की दो परियोजनाएं भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाने वाले बच्चों

आयोग का गठन

3510. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पूर्व प्रधान सचिव श्री जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों तथा आयोग की सेवा शर्तों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। तथापि, श्री जी.वी.के. राव ने अस्वस्थता के कारण हाल में त्याग पत्र दे दिया है और उनके स्थान पर योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमंत राव को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) रिपोर्ट दो वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

विवरण

1. इस मंत्रालय ने एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग गठित किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. **अध्यक्ष**

प्रारंभ में, श्री जी.वी.के. राव को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/96-बी.एम/645-661 दिनांक 13.9.1996 द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तथापि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात, श्री सी.एच. हनुमंता राव को समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.11.1996 द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। नये अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2. डा एस आर हाशिम — उपाध्यक्ष
सदस्य, योजना आयोग

3. श्री वी रामचंद्रन, भूतपूर्व मुख्य सचिव — सदस्य
केरल सरकार, त्रिवेंद्रम

4. डा वी एस व्यास (अर्थशास्त्री) — सदस्य
निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान,
8-बी झलाना इंस्टीट्यूशन एरिया,
जयपुर-302004

5. श्री डी एन तिवारी, भूतपूर्व कुलपति, — सदस्य
एफ आर आई (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
देहरादून

6.	श्री एस प्रकाश भूतपूर्व प्रमुख अभियंता दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान	सदस्य
7.	श्री सी.सी. पटेल भूतपूर्व सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार	सदस्य
8.	डा. भरत सिंह उप कुलपति (सेवानिवृत्त) रूड़की विश्वविद्यालय	सदस्य
9.	श्री एस.पी. कैपरीहन प्रमुख अभियंता (सेवानिवृत्त), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
10.	महानिदेशक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

आयोग की सहायता के लिए इसमें अन्य विशेषज्ञों को भी सहयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

1) पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के विकास से संबंधित एकीकृत जल योजना तैयार करना;

2) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़कर फालतू जल का स्थानांतरण, जल की कमी वाले बेसिनों में करने की रीतियों का सुझाव देना।

3) चल रही एवं नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अभिज्ञात करना, उन्हें चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

4) लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से जल क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकीय एवं अंतर अनुशासनिक अनुसंधान योजना अभिज्ञात करना।

5) जल क्षेत्र से संबंधित वास्तविक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी नीतियों का सुझाव देना।

6) अन्य कोई संबंधित मामला।

नेहरू युवक केन्द्रों के कर्मचारियों की सेवा को नियमित करना

3511. श्री एस.पी. उदयप्पन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को नेहरू युवक केन्द्र संगठन में कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने तथा गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों को वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) और (ख). जी, हां। अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दे मुख्यतः सेवाओं को नियमित करने, केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान देने, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का संशोधित स्वरूप, पेंशन संबंधी लाभ देने आदि से संबंधित हैं।

(ग) इन मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नर्मदा सिंचाई परियोजनाएं

3512. श्री सुशील चन्द्र : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण द्वारा किए गए आकलन के अनुसार सिंचाई उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले नर्मदा जल की मात्रा 18.25 एफ.ए.एफ है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें से कितना एम.ए.एफ. जल मध्य प्रदेश के लिए आबंटित किया गया है;

(घ) मध्य प्रदेश द्वारा अपने हिस्से के जल का उपयोग करने की गति को देखते हुए नर्मदा नदी पर बड़े बांधों (नर्मदा सागर, औंकारेश्वर इत्यादि) के निर्माण की योजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ङ) इन बांधों के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश की अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों को देखते हुए नर्मदा सागर, औंकारेश्वर और महेश्वर बांधों हेतु वित्तीय और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध स्थल पर उपलब्ध प्रवाह की मात्रा का आकलन 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर 28 मिलियन एकड़ फुट लगाया गया है, जिसमें 18.25 मिलियन एकड़ फुट जल मध्य प्रदेश को आबंटित किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों से अधिकरण द्वारा किए गए आकलन की पुष्टि हुई है।

(घ) और (ङ). मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण प्रगति पर है और जुलाई 1996 तक लगभग 26 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना पर 2167.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मुकाबले जून, 1996 तक 365.40 करोड़ रुपए व्यय किए गए। ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाओं का निर्माण क्रमशः 1616.04 करोड़ रुपए और 465.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अभी प्रारंभ किया जाना है।

(च) और (छ). राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है। तथापि, वर्ष 1996-97 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत नर्मदा सागर परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 25 करोड़ रुपए पहले ही निर्मुक्त कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत धनराशि का दुरूपयोग

3513. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत कर्नाटक को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ख) क्या कर्नाटक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन में करोड़ों रुपये का दुरूपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाये गए अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को क्रमशः 1381.10 लाख रु. तथा 966.47 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता की धनराशि प्रदान की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

रिक्त पड़े पद

3514. श्री अशोक प्रधान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे, काफी समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक पद-वार इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पदों के लिए नई नियुक्तियां की गई थीं साथ ही गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति दी गई;

(घ) यदि हां, तो श्रेणीवार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती आरक्षण नीति के अनुरूप की गई है और इन श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को आरक्षण कोटा के अनुसार पदोन्नति दी गई है; और

(च) उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त आरक्षित पदों को भरने और आरक्षण कोटा के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

अमराहट पम्प योजना

3515. श्रीमती कमल रानी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अमराहट पम्प योजना के प्रथम चरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग कितना धन आवंटित किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) चूंकि सातवीं योजना के दौरान इस स्कीम को पूरा कर लिया गया था, इसलिये स्कीम के प्रथम फेज के लिए आठवीं योजना के दौरान कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। स्कीम की चरम सिंचाई क्षमता 3.90 हजार हेक्टेयर थी, जिसे पूरा सृजित किया गया।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जल आयोग में स्कीम का दूसरा फेज राज्य सरकार से मूल्यांकन/जांच के लिए अभी प्राप्त होना है।

(घ). अमराहट पम्प नहर चरण-II अनुमोदित स्कीम है तथा इसे आठवीं योजना में नई स्कीम के रूप में शामिल किया गया था। योजना आयोग द्वारा स्कीमें कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना के दौरान

5.00 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान इस स्कीम पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

परीक्षण रिपोर्ट

3516. श्रीमती कमल रानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उद्यमों तथा दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापा मारे जाने के बाद समय से कार्यवाही न किए जाने के कारण घटिया दवाइयों की बिक्री को प्रोत्साहन मिला है;

(ख) क्या 1994 में दवाई का दुकानों में मारे गए छापों की परीक्षण रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कितने व्यक्तियों के खिलाफ परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) कितने मामले लंबित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उ.प्र. में नहरों का रखरखाव

3517. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नहरों की खुदाई तथा सफाई का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन नहरों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष पूरी तरह साफ किया जाता है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की नहरों में शीशम तथा बबूल इत्यादि के वृक्ष उग आये हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष सफाई होने के बावजूद इन वृक्षों के उग आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नहरों से इन वृक्षों तथा अन्य गंदगी को हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 257(अ), जो 27 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 362(अ), जो 13 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 259(अ), जो 27 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 366 (अ), जो 19 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1049/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1050/96]

(4) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1051/96]

(5) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1052/96]

(6) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1053/96]

(7) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1054/96]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1055/96]

(ख) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1056/96]

(ग) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1057/96]

(घ) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1058/96]

(ङ) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1059/96]

(9) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1060/96]

(10) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, के कोचीन वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1061/96]

(11) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मारमुगाव डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1995-96 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगाव डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1062/96]

(ख) (एक) मद्रास डॉक श्रम बोर्ड का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1063/96]

(ग) (एक) विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1064/96]

(12) (एक) नाविक भविष्य निधि (नाविक भविष्य निधि संगठन), मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि (नाविक भविष्य निधि संगठन), मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1065/96]

(13) हुगली डॉक और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1066/96]

वाटर एंड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वाटर एंड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एंड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1067/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1068/96]

(3) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1069/96]

[अनुवाद]

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1070/96]

(3) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय परिचर्या, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1071/96]

(5) (एक) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भेषज परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1072/96]

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टल. 1073/96]

डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : महोदय, मैं श्री मुही राम सैकिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1074/96]

(3) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1075/96]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1076/96]

[अनुवाद]

धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक*

अपराह्न 12.01 बजे

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : महोदय, मैं श्री दिलीप कुमार राय की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मुझे धान-कुटाई उद्योग (विनियमन)

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक, 16 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशित।

अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) विधेयक*

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर में आयोजित मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण से सम्बन्धित पत्रों के बारे में

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित प्रपत्रों का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आदेश दिया है कि मंत्री जी का वक्तव्य अब परिचालित किया जाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम वहां दिये गये वक्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके साथ प्रारूप वक्तव्य/संकल्प होना चाहिए था। हमने क्या दृष्टिकोण अपनाया? उसके संबंध में कुछेक दस्तावेज हैं। उन्होंने वहां भाषण दिये हैं। हम वे प्रतियां चाहते हैं। उस दिन, आपने उन्हें वे पत्र हमें देने का अनुरोध किया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ बातों को नकार दिया है। उनका क्या कहना है? वे कार्यकारी समूह से सहमत हैं। उनका क्या कहना है? परन्तु उन्होंने वहां वक्तव्य क्या दिया। मंत्री जी वहां उपस्थित थे ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : हमें वह वक्तव्य नहीं दिया गया है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य के परिचालन के आदेश दे दिये हैं, जो आमतौर पर नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय के वक्तव्य दिये जाने से पहले ही मैंने इसे एक विशेष मामला समझते हुए इसके परिचालन के आदेश दे दिये हैं। आप इसे 4 बजे से पहले सभा के बाहर प्रयुक्त नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही वह वक्तव्य है, जो वह सभा के सामने पेश करने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर-पूर्व) : हमारा अनुरोध यह है कि हमें वाणिज्य मंत्री का वक्तव्य मिल चुका है। हम इसे 4 बजे से पहले सभा के बाहर प्रयुक्त नहीं करेंगे। मुझे इतना ही कहना है।

महोदय, आपने सरकार से सिंगापुर में की गई घोषणा संबंधी दस्तावेज हमें देने के लिए कहा है। सिंगापुर में भारत सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया। सिंगापुर में हमारे मंत्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण सहित, वे कितनी बातों पर सहमत हुए और किन बातों पर सहमत नहीं हुए, इसकी जानकारी देने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है। 4 बजे यही वक्तव्य दिया जाना है।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, हमारे मंत्री और हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के बारे में बहुत सी अस्पष्ट बातें कहीं जा रही हैं। हम सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही बात हम यहां बतायेंगे। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं उन्होंने वहां क्या कहा ...**(व्यवधान)**

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : महोदय, आपने कहा है कि मंत्री जी 4 बजे वक्तव्य देंगे। लेकिन उससे पहले हम मंत्री महोदय से निवेश और प्रतिस्पर्धात्मक नीति के सम्बन्ध में हुए समझौतों के मानदंडों के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे। हमें उन मानदंडों की जानकारी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय का वक्तव्य मिल गया है। आप इसे अब उद्धृत नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण-दिल्ली) : महोदय, हम स्वीकृत उद्घोषणा की प्रतियां चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे प्रतियां अभी भी हमारे पास नहीं हैं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक, 16 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री जी की बात सुनने दीजिये। मंत्री जी, आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, कृपया उन्हें सदस्यों को दे दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सदस्यगणों का सम्मान करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि उद्घोषणा परिचालित की जा चुकी है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मंत्री की उद्घोषणा परिचालित की जा चुकी है। अतः, यह उद्घोषणा है और उद्घोषणा में इसके अतिरिक्त एक भी शब्द नहीं है।

श्री जी.जी. स्वैल : हमें यह मिल गई है।

श्री श्रीकान्त जेना : जहां तक मंत्री जी के वक्तव्य का सम्बन्ध है, आपके निर्देश के अनुसार, यह सभी सदस्यों में परिचालित की जा चुकी है। जहां तक वहां हुए समझोतों और वे समझौते किस समय हुए तथा उद्घोषणा किये जाने से पहले हमारा दृष्टिकोण क्या था, इससे संबंधित ब्यौरा काफी विस्तृत है। अगर आप यह चाहते हैं तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराना संभव है। लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल : इस बात पर मत-भिन्नता है। इसीलिए सरकार को जो कुछ भी दस्तावेज में दिया गया है, उसे सदस्यों को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) **:** महोदय, आपका निर्देश यह था कि वे पत्र हमें दिये जाने चाहिये। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, कृपया बैठ जाइये। श्री पाल, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेहता जी, जब आप बैठे हो, उस समय आप इस प्रकार नहीं बोल सकते।

श्री जेना, मैं यही कहूंगा कि ये दो दस्तावेज यह उद्देश्यपूर्ण चर्चा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री का वक्तव्य है। वास्तव में यह एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे सरकार को मदद मिलेगी। दूसरा दस्तावेज, प्रारूप नहीं, अंतिम उद्घोषणा है। लेकिन अगर यह अंतिम है, तो फिर आप कह सकते हैं कि यह अंतिम है। अंतिम उद्घोषणा सभा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः, कृपया इस पर विचार करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** महोदय, यह सिंगापुर में की गई मंत्री-उद्घोषणा का प्रारूप है और यह अंतिम उद्घोषणा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) **:** अध्यक्ष जी, मैंने इसके खिलाफ कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे प्राप्त किया है और मैं इसे देख रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) **:** अध्यक्ष जी, एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में कई जगह पर अब तक एक करोड़ रुपया पहुंचा नहीं है और जो गाइडलाइन्स हैं उनके अनुसार वर्ष 1995-96 के काम भी नहीं हो रहे हैं, इन गाइडलाइन्स में सुधार होना चाहिए। इसके बारे में सब सदस्यों से बात हुई थी, यह पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए शिकायत की है। जब आपके कमरे में लीडर्स की मीटिंग 9 दिसम्बर को हुई थी और उसमें सरकार की ओर से यह कहा गया था कि यह सत्र समाप्त होने से पहले एक करोड़ रुपया भेजा जायेगा और पहले की अमाउंट लैप्स नहीं होगी और जो इन्टेरेस्ट होगा, उसका उपयोग होगा और जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं वे रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी दी जायेंगी। अध्यक्ष जी, आज सोमवार है और आने वाले शुक्रवार को यह सत्र समाप्त होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से एक करोड़ रुपया कब भेजा जायेगा। हमको गाइडलाइंस कब मिलेंगी, क्योंकि यहां से जाने के बाद तुरंत ये सब काम करने होंगे, इसलिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए और सब सदस्यों को इसके बारे में पता चलना चाहिए और मुझे लगता है कि अभी यह होगा तो आगे जाकर हम काम करेंगे। अब वर्ष समाप्त होने को आया है, अब दिसम्बर चल रहा है और तीन महीने में एक करोड़ रुपये का प्रोपोजल देना है। अतः इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप अपना प्रश्न रख चुके हैं

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) **:** महोदय, परिपत्र में भी कुछ अस्पष्टता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) **:** अध्यक्ष जी, संसद के सत्र का अंतिम सप्ताह शुरू हो गया है और वीमेंस बिल अभी तक सरकार नहीं लाई है। आज सोमवार है और अगर सरकार बिल नहीं लाई तो उसके पारित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष जी, आपने इसी सीट पर बैठकर यह कहा था कि 12 तारीख को बिल आयेगा लेकिन 12 तारीख को बिल नहीं आया। आज 16 तारीख हो गई है, अगर आज भी सरकार बिल इंट्रोड्यूस नहीं करेगी तो कब उस पर चर्चा होगी और कब वह पारित होगा। मुझे तो सरकार की मंशा बिल लाने की नहीं लगती है। हम चाहेंगे कि आप सरकार को निर्देश दें ताकि वह शाम तक नहीं तो सुबह तक बिल लेकर आये। अध्यक्ष जी, यह महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। पूरे हिन्दुस्तान की

महिलाओं के साथ एक विश्वासघात करने की साजिश यह सरकार रच रही है। आज 16 तारीख हो गई हैं और यह सरकार अभी तक बिल लेकर नहीं आई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप अपनी बात कह चुकी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति न संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित संविधान (81वां) संशोधन विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए दो दिन अर्थात 17 और 18 दिसम्बर निर्धारित किए हैं।

सरकार से यह आशा की गई है कि वह मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा करें और 17 दिसम्बर से पहले अपना निर्णय दें।

जैसा कि आपको जानकारी है कि इस विधेयक से भारतीय महिलाओं में अत्यधिक आशा उत्पन्न हुई हैं। इस विधेयक को तत्काल पारित करने के लिए हमारे पास खून से लिखे हजारों पोस्ट कार्ड आए हैं। इसी बात का अनुरोध करते हुए असंख्य महिलाओं द्वारा हस्ताक्षर किये हुए पत्र हमारे पास आए हैं।

इस पृष्ठभूमि में मैं यह मांग करती हूं कि अब सरकार की राय सभा के समक्ष रखी जाए और इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने की सही तिथि निर्धारित की जाए ताकि अधिवेशन समाप्त होने से पहले इसे पारित किया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि सदन को यह याद होगा कि जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था तो यहां कई माननीय सदस्यों की ओर से हमने यह अनुरोध किया था कि इस विधेयक को बिना चर्चा किए पारित किया जाना चाहिए क्योंकि हम इस विधेयक के उद्देश्य के लिए वचनबद्ध हैं और हमारे अनुसार यह बिल्कुल अविवादास्पद है और अब यह उचित समय है कि इसे पारित किया जाए। फिर प्रवर समिति और संयुक्त समिति का प्रश्न था। संयुक्त समिति ने बहुत सार्थक कार्य किया है। इसने 9 तारीख को ही अल्पावधि में अपनी रिपोर्ट दे दी है जिससे विधेयक पारित करने के लिए पर्याप्त दिन रह गये हैं। संयुक्त समिति में इस पर पूर्ण रूप से विचार किये जाने के पश्चात और अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए था। इसलिए इस विधेयक को लाने के लिए हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि इसे इस सभा में विचार करके पारित किया जा सके। सरकार को इस मामले पर निर्णय लेना है। इस महत्वपूर्ण अधिनियमन जिसे कि देश चाहता है, पर चुप नहीं बैठा रहा जा सकता। इस देश के अधिकांश लोग इसे चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम बिना बहस के बिल पास कराना नहीं चाहते बल्कि पूरी बहस के बाद बिल पास होना चाहिए ...**(व्यवधान)**

मुझे केवल एक बात कहनी है। हम महिला सदस्य जब प्रधानमंत्री जी से मिली थीं तो उन्होंने कहा था कि वे सभी पोलिटिकिल पार्टीज के लीडर्स को बुलाकर, कन्सैन्सस बनाकर इसे पास करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब सभी मेजर पोलिटिकल पार्टीज ने अपने-अपने चुनाव-घोषणा पत्र में यह वायदा किया है कि हिन्दुस्तान की महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा, क्या बिना कन्सैन्सस के सभी मेजर पार्टियों ने ऐसा कह दिया ...**(व्यवधान)** केवल हमारी पार्टी ने ही ऐसा नहीं कहा, सभी पोलिटिकल पार्टीज के नेता इस मामले में सहमत थे ...**(व्यवधान)**

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : नहीं, हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। ये कैसे सभी पोलिटिक पार्टीज की बात कह रही हैं। माननीय सदस्या सदन को गुमराह कर रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें सभी पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स शामिल हैं जिसमें श्री सोमनाथ चटर्जी सी.पी.एम. के नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त सी.पी.आई. के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी के नेता और दूसरे नेता सभी शामिल हैं ...**(व्यवधान)** सभी नेता सदन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को पास होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि किस पार्टी को इस पर मदभेद है, हमें कुछ पता तो चले। क्या सी.पी.एम. के लोग नहीं चाहते या सी.पी. आई. के लोग नहीं चाहते ...**(व्यवधान)** तमाम पार्टियों के नेता कमिटिड हैं फिर कन्सैन्सस का सवाल कहां से आ गया ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री संतोष मोहन देव को बुलाया है। कृपया दूसरों से भी आपको समर्थन करने का अनुरोध करें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : श्रीमती सुषमा स्वराज ने अभी-अभी जो कहा है वह सही नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी यह वायदा किया है और हम इस विधेयक को अपना समर्थन दे रहे हैं। **(व्यवधान)** श्रीमती सुषमा स्वराज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय और जनता पार्टी के बारे में बात कर रही थी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा है कि सभी मेजर पालिटिकल पार्टी के नेता सहमत हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस शब्द कहने में आपकी क्या समस्या है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा है कि सभी मुख्य राजनैतिक पार्टियों ने स्वीकृति दी है ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : कांग्रेस (ई) पार्टी के समर्थन के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए लेकिन तथ्य यही है कि इस सदन में कुछ अन्य पार्टियां इसे समर्थन नहीं दे रही हैं। यही तथ्य है। आपको इस पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र के अधिकारों की हत्या हो रही है। संसदीय प्रणाली का मजाक बनाया जा रहा है, संसदीय अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है...**(व्यवधान)** माननीय मंत्री जी ने कहा था ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने मामला निपटा दिया है और मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं तो आप इसे बार-बार क्यों उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बार-बार क्यों उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महिलाओं के विधेयक के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बात इस सभा द्वारा सहन नहीं की जा सकती। महिलाओं का विधेयक पारित करने में जात-पात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस सदन को एकमत से यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि इस विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और किसी भी पार्टी की जात पात संबंधी शर्त होने पर भी इसी सत्र में अधिनियमित किया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है। आप पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस संविधान संशोधन विधेयक की स्थिति क्या है, सभा उसके बारे में जानना चाहती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा धन उपायुक्तों को न दिए जाने की समस्या की ओर उठाना चाहता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस बारे में आवश्यक निर्देश संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आ गये हैं। आपको उसके बारे में भी उत्तर मिलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, यहां पर दो मुद्दे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले यह मामला निपटाना है। श्री पाल अब आप और अधिक नहीं बोल सकते।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, दो मुद्दे उठाये गये थे। पहला मुद्दा श्री राम नाईक का स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का है। उनका कहना है कि धन कलेक्टरों को सौंपा नहीं गया है। दूसरा मुद्दा है कि कलेक्टरों को पूर्व में दिया गया धन खर्च करने की अनुमति इस वर्ष संसद सदस्यों द्वारा नहीं दी गयी है। ये दो मुद्दे हैं। आपने इस पर पहले ही एक बैठक की है। और इस बारे में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, छह महीने बीत गये हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं? ये क्या हैं?

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : इस मामले पर, कलेक्टरों को पहले से ही निर्देश दिये जा चुके हैं और धन उनको उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यही सूचना दी गयी है। मंत्री महोदय यहीं उपस्थित हैं। यदि माननीय सदस्य कोई और सूचना चाहते हैं तो वह स्थिति बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महिला विधेयक का क्या हुआ?...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : महिला विधेयक पर उन्हें उत्तर देने दीजिये...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां हैं। अब वह स्वयं इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसको प्रश्नकाल बनाये दे रहे हैं। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमिश्नरों के डिसपोजल पर पैसा शीघ्र भेजा जाये। मैं मंत्री महोदय से यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ कलेक्टरों का यह गलत विचार है कि आवंटित धन व्ययगत हो गया है...**(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि पैसा पहुंचे, तो आप मंत्री को अपना जवाब देने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री की बात क्यों नहीं सुनते? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनस फिर प्रश्न कर सकते हैं। कृपया, अब बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री की बात सुनें। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनसे फिर प्रश्न कर सकते हैं। आपको उत्तर चाहिए। लेकिन आप मंत्री को उत्तर देने नहीं देते। यह क्या बात हुई?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इल्तजा करना चाहता हूं कि आपने एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट फंड के तहत आधा पैसा ही अभी तक रिलीज किया है और जब वह पैसा खर्च होगा, तब और धन रिलीज किया जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि बाकी पैसा भी जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है गुलाम रसूल कार साहब। कृपया बैठिए। मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते हैं, तो मैं मंत्री से उत्तर देने को नहीं कहता। मंत्री महोदय बैठ जाइये। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इस मामले में समाधान चाहता है। जब तक सभा में पूरी तरह शांति नहीं हो जाती, मंत्री उत्तर नहीं देंगे। यह सब क्या हो रहा है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : सभापति महोदय, प्रत्येक कलक्टर के स्मरण पत्रों सहित सूचित किया गया है कि उनके पास जो उपलब्ध धन है वह धन जैसे ही खत्म हो, वे तुरंत हमें अगली किश्त के लिए कहें। अधिकांश मामलों में अगली किश्त पहले ही भेजी जा चुकी है। वास्तव में, मैंने तो प्रत्येक माननीय सदस्य के इस आशय का एक पत्र भी लिखा है कि यदि किसी तरह...**(व्यवधान)** पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दो फिर अपनी बात मुझसे कहना।

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें मंत्री की बात सुननी चाहिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : कुछ मामलों में सदस्यों ने मुझे इस बारे में बताया है और मैंने कलेक्टरों से बात भी की है। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम हैं, और इन सभी मामलों में धन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सभा के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं बैठक की थी और इस बारे में कुछ निर्देश दिये थे। जैसे ही हमें उस बैठक का रिकार्ड उपलब्ध हो जायेगा, हम इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे और इसे पूरा करेंगे। यदि इस बारे में कोई विशेष प्रश्न है, तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अब तक किसी कलेक्टर को एक पैसा भी नहीं मिला है...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : पचास प्रतिशत पैसा भेजा जा चुका है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, देश की राजधानी दिल्ली में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हमारी कांस्टीट्वेंसी में नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, या तो माननीय मंत्री महोदय भ्रमित हैं या फिर वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उस दिन बैठक में यह निर्णय लिया गया था तथा माननीय अध्यक्ष ने इस बारे में दिशा निर्देश दिये थे। वित्त मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि जिलाधीशों के पास 1 करोड़ रुपए तुरंत पहुंचाना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत पैसा खर्च करने के बाद, शेष पचास प्रतिशत भेजा जायेगा। यह सही बात नहीं है क्योंकि जैसा श्री राम नाईक ने ठीक ही कहा है कि हमारे पास धन खर्च करने के लिए केवल तीन महीने बचे हैं। आपने यह भी पूछा है कि क्या हम वह अतिरिक्त धन खर्च कर पायेंगे। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अब मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए, कि यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया तो क्या 20 तारीख से पहले जिलाधीशों को । करोड़ रुपए मिल जायेगा।

श्री प्रमोद महाजन : आधुनिक संचार प्रणाली के कारण वह इसे 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं। वह इसे कल दोपहर तक कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : दूसरी बात, मंत्री महोदय ने यह कहते हुए फिर से रुख बदल लिया है कि जब तक आपके द्वारा यथा हस्ताक्षरित दिशानिर्देश उन्हें नहीं मिलेंगे तब तक वह संबंधित जिलाधीशों को निर्देश नहीं दे सकते। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। मैं आपके सचिवालय से अनुरोध करता हूं कि जिन दिशानिर्देशों का निर्णय किया गया है उन्हें वह मंत्री महोदय को भेजें ताकि वह उन्हें सदस्यों को दे सकें।

तीसरी बात, यह उसी दिन तय किया गया था कि यह योजना अध्यक्ष की योजना है। इसे कम करने का कोई अधिकार न तो वित्त मंत्रालय के पास है और न ही रोजगार मंत्रालय के पास। यदि वे इसे कम करना चाहते हैं, तो उन्हें आपके पास आना चाहिए और इसे कम करना चाहिए तथा अन्य किसी को इसे कम नहीं करने देना चाहिए। इस बारे में बड़ा स्पष्ट संकेत है। यही मेरा अनुरोध है...**(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : इस पैसे को 20 दिसंबर तक जारी कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय की तरफ से नहीं मिला है।...**(व्यवधान)** इसलिए हम कहते हैं कि जो बात हुई थी ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : अब, मंत्री महोदय यह याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या निर्णय किया गया था? जब वह वहां मौजूद थे, तो कार्यवाही सारांश की आवश्यकता क्या है? क्या कार्यवाही सारांश आवश्यक है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने मंत्री जी से सवाल पूछा था। उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया है ...**(व्यवधान)** उनसे जवाब तो मांगिये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान बिहार में रेलगाड़ियों में व्याप्त अव्यवस्था तथा असहाय स्थिति और इस कारण वहां के यात्रियों द्वारा उठायी जा रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सहां 13 दिसंबर, 1996 को घटी घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है। उस घटना में मैं स्वयं भी सम्मिलित था। 13 दिसंबर, 1996 को हम रांची-हावड़ा एक्सप्रेस के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कोच में चढ़े और जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन चलने के चार-पांच मिनट बाद ही मैंने पाया कि हुड़दंगबाजों और लुटेरों का एक गैंग अपने हाथों में रिवाल्वर और छुरे लिए हमारे एक वातानुकूलित डिब्बे पर दस्तक दे रहा था। फौरन हमने दरवाजे बंद कर लिए। जब वे हमारे वातानुकूलित डिब्बों के दरवाजे नहीं खोल सके तो वे टू-टिअर वातानुकूलित डिब्बे में गये और रिवाल्वर दिखाकर रेलयात्रियों का सामान लूट लिया।

उसमें लूटपाट करने के पश्चात वे फिर से वातानुकूलित डिब्बों की ओर आये और जब हमने उनकी खटखटाहज के बावजूद दरवाजे नहीं खोले तो उन्होंने दरवाजों के शीशे तोड़ दिये और डिब्बों में घुस गये। वे मेरे पास आये और मेरी गर्दन पर रिवाल्वर रख दिया। उन्होंने मेरी ओर घूंसे भी चलाये, और इस तरह उनको पर्स सौंप देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसी तरह सभी वातानुकूलित डिब्बों में लूटपाट की गयी...**(व्यवधान)** लूटपाट करीब 45 मिनट तक जारी रही। जहां लूटपाट की जा रही थी उस स्थान से रांची स्टेशन का केवल पांच मिनट का रास्ता था। वहां सशस्त्र पुलिस भी नहीं थी, न तो रेल सुरक्षा बल के जवान थे और 2 या 3 घंटों के बाद जब ट्रेन मौरी स्टेशन पहुंची केवल तब जी आर पी के अधिकारी हमसे मिलने आये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम यह मामला गृहमंत्री के पास भेजेंगे।

डा. देवी प्रसाद पाल : महोदय, यह कोई एक घटना नहीं है अपितु इसी तरह की एक और घटना इसी मार्ग पर रांची से मौरी जाते हुए रांची कलकत्ता एक्सप्रेस में भी घट चुकी है। इसी तरह की कई अन्य घटनाएं इसी स्थान पर एक महीने के अंदर घट चुकी हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें कि किस तरह रांची कलकत्ता एक्सप्रेस या अन्य रेलमार्गों पर इस तरह की डकैती की घटनाएं घटीं तथा रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्री ने क्या कदम उठाये हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है कि बिहार में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और माननीय रेल मंत्री, जो स्वयं बिहार से है, उन्होंने रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, मैंने आपकी बात समझ ली है। इस मामले को मैं गृहमंत्री के पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? यह वार्तालाप करने की जगह नहीं है।

हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम 'महिलाओं' के मुद्दे पर भी आयेंगे। लेकिन अभी हमें 'पुरुष और महिला' का मुद्दा निपटाना चाहिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, मैं सरकार की तरफ से तथा अपने मंत्रालय की तरफ से यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष के निर्देशों को कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दर किनार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसे ही हमें आपके द्वारा की गयी बैठक का रिकार्ड उपलब्ध होता है, मैं वित्त मंत्रालय से इस बारे में बात करूंगा...**(व्यवधान)** यह बहुत महत्वपूर्ण है।...फिर, मैंने प्रत्येक संसद सदस्य को लिखा है... **(व्यवधान)**...यदि आप में से किसी को कोई समस्या है, तो आप मुझे बतायें। जो वर्तमान नियम हैं उनके अंतर्गत, मैं अभी आपकी समस्यायें हल कर देता हूं। कई बार मैंने माननीय सदस्यों की समस्यायें हल की हैं। मुझे आप बताइये कि आप किस दिन पैसा खर्च करेंगे मैं फौरन उन्हें भेज दूंगा।

जहां तक अध्यक्ष महोदय के निर्देशों की बात है, उन्हें तुरंत लागू किया जायेगा। मैं उस पर पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष जी आप खुद्दो इनको निर्देश दें ताकि 31 दिसंबर तक पैसा यहां से चला जाय।...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिये।

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक (कटक) : मुझे अचम्भा हो रहा है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं?

श्री बीजू पटनायक : मुझे अचम्भा हो रहा है कि क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्य कार्यक्रमों को लागू करना नहीं है। हम कह चुके हैं कि एक करोड़ रुपए दिया जाये। पहले सदस्य 50 लाख रुपए खर्च करें। और फिर वह यहां शेष पैसे की स्वीकृति के लिए बार-बार आयेगा। आप एक लिपिक हैं या मंत्री? आप क्या हैं? आप को मंत्री की तरह कार्य करना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय संसद सदस्य श्री बीजू पटनायक का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वह मुझसे न्याय कर रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं भी उनका सम्मान करता हूं... **(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जहां तक इस मुद्दे की बात है, वर्तमान नियमों का पूरा तरह अनुपालन किया जा रहा है। यह हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम माननीय सदस्यों का संरक्षण करें। हम यह बहुत से पत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे ही नियम परिवर्तित होते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, कि हम उनका पूरी तरह पालन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : मंत्री महोदय, पहली बार एम.पी. बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, इनको पता नहीं है, इनको अनुभव नहीं है। एम.पी. बनने के बाद मंत्री बन गये हैं इनको कैसे पता होगा।...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उसमें शाउटिंग से काम नहीं चलेगा। मुझे खेद है।...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश : यह स्कीम पिछले पांच वर्ष से चल रही थी ...**(व्यवधान)** यह यूनिवर्सिटी नहीं है, यह हाउस है।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, हमारा इश्यू तो डिस्पोज ऑफ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कर लेंगे, कर लेंगे। जरूर करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इनको बुलाइये। दो इश्यूज उठे, एक इश्यू को तो आप डिस्पोज ऑफ करवा रहे हैं, दूसरे इश्यू को डिस्पोज ऑफ ही नहीं करवा रहे। आप पूछ तो लीजिए, महिलाओं का बिल भी तो डिस्पोज ऑफ करवा दीजिए। विधेयक का क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर भी आऊंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष जी, हम लोग सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सिलसिले में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसी सिलसिले में अलग-अलग सांसदों ने मिलकर आपसे भी शिकायत की है और कई लोगों ने मंत्री जी से भी मिलकर के अपनी शिकायत की है। जो अभी का सर्कुलर गया है, उसके हिसाब से पिछले साल का जो बकाया पैसा है, वह इस साल के फंड में एडजस्ट होने वाला है, उसका सीधा और कोई मतलब नहीं है। यह स्कीम एक करोड़ रुपये एक क्षेत्र के विकास के लिए नहीं रहेगी, बल्कि जहां का कलैक्टर अगर विकास में दिलचस्पी नहीं लेगा या राजनैतिक कारणों से किसी के क्षेत्र में जान-बूझकर विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होगा तो पिछले साल का जो बकाया पैसा है, वह इस साल में एडजस्ट होगा-पहली बात।

दूसरी बात, जो वर्ष 1994-95 की स्कीम लिख करके दी गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो एस्टीमेटिड कास्ट है, यह बढ़ती चली जा रही है और हर साल उसको एडजस्ट करना है तो जो 1994-95 की स्कीम है, उसको लागू करने में कई साल के पैसे खर्च हो जाएंगे, ये दो समस्याएं हैं। एक तो पहले की स्कीम, जो अनुशंसित है, उसका क्रियान्वयन न होना और चलते उसकी एस्टीमेटिड कास्ट बढ़ते जाना और दूसरी बात है, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में प्रशासन की तरफ से कोताही बरतना, उसके चलते पैसे का बच जाना और उस पैसे का नये साल में एडजस्ट होना। इसके आधार पर इन दो परिस्थितियों के चलते एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट एरिया स्कीम फार्स बनकर रह गई है।

हमारा यह सुझाव है...**(व्यवधान)** एक मिनट बात पूरी हो जाये। जब-जब मंत्री बदलते हैं या इनकी मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स बदल जाते हैं तो वे अपने-अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। फार्मर स्पीकर यहां पर नहीं हैं, उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने इस स्कीम को सांसदों के साथ बैठकर शुरू किया, चालू किया। उसके लिए रूल्स फ्रेम किये गये। उनका भी कहना है कि उनके क्षेत्र में भी कलैक्टर ने रूल्स को मिस-इंटरप्रेट किया और कहा कि हमने रूल बनाया है और उल्टा आप हमको ही बता रहे हैं कि इसका यह इंटरप्रिटेशन है तो यह है इसका इंटरीप्रिटेशन। अलघ साहब विद्वान आदमी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्कीम की जो मंशा है, उसको भी समझकर उसका क्रियान्वयन करने में ये सफल हो जायें। अभी हम लोगों के सीनियर लीडर बीजू पटनायक साहब ने जो कुछ भी कहा, वह बात सही है। हर बार पैसा खर्च करके यहां आएंगे और जिसका पैसा खर्च नहीं होगा, वह कांस्टीट्वेंसी सफर करेगी, उसका जीता-जागता उदाहरण मेरा क्षेत्र है।

मैं तो दस्तावेजों के साथ 1994-95 की स्थिति के बारे में आपसे मिलने वाला हूं। यह तो इंडिविजुअल केस है, लेकिन जो सामान्य परेशानी हो रही है, उसका एक ही रास्ता है। हमारा यह सुझाव होगा कि इस पर संसद की एक स्थाई समिति बना दें, भले ही उसमें कम सदस्य हों, जिनको जो कठिनाई हो उसकी शिकायत वे करें और समिति देखे और उस ग्रिवांस का रिड्रेसल हो जाए। अगर रूल्स वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं-कहीं बाधा आती है और रूल्स चेंज करने हैं तो वही कमेटी उस पर सुझाव दे। अंतिम तौर पर आप उसको स्वीकार करें और उसके आधार पर सरकार निर्देश दे।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र ने सवाल उठाये हैं, मैं समझता हूं यह सवाल इस सदन में पांचवीं बार उठ रहा है, इससे बड़ी लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती। यह योजना सोच-समझकर बनी थी। माननीय बीजू पटनायक ने भी यह सवाल उठाया है। हर समय ऐसा लगता है कि सांसद भिक्षाटन कर रहे हैं। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उनका यह भी कर्त्तव्य है कि इनको प्रोटेक्ट करें। संसद सदस्यों को उनके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर मंत्री लोगों को यह भ्रम है कि वे लोग संसद सदस्यों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वे अपने अधिकार सीमा के बाहर सोच रहे हैं। लेकिन सारी योजना का मखौल बन रहा है। खास तौर से संसद में इस प्रकार की बहस से मैं समझता हूं इसका बहुत अच्छा असर लोगों पर नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप एक स्पष्ट निर्देश इस मामले में सरकार को दें कि जो योजना बनी है उसकी प्रतिलिपि सब सदस्यों के पास भेज दें और जिलाधिकारियों को भी भेज दें। यह सरकार कुछ ज्यादा कंफ्युजन में है। इस कंफ्युजन को और न बढ़ाएं, अन्यथा इस सदन में यही लगेगा कि एक करोड़ रुपये के लिए संसद सदस्य रोज झगड़ा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी समझ में जो सही बात हो, कोई संसद की समिति बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सचिवालय है, कानून जानने वाले लोग हैं, उसकी व्याख्या करके मंत्री महोदय को भी दे दें और संसद सदस्यों को भी दे दें। बड़ी कृपा होगी अगर जेना साहब जिलाधिकारियों को भेज दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये। हम अब और अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते। श्री रसूल, आप कृपया बैठ जायें। अन्यथा, हर कोई बोलने लगेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, कि अब यही उचित समय है कि अध्यक्ष महोदय संसद सदस्यों की रक्षा करें जैसाकि वरिष्ठ सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने कहा है। मेरे विचार से मंत्री महोदय पूरे मामले को एक साथ मिला रहे हैं। यहां दो मुद्दे हैं। पहला है दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का और दूसरा है धन जारी करने का।

मैं नहीं समझता कि ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से संबद्ध है। जैसी कि आपने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक में चर्चा की है, दिशा निर्देशों को सर्वसम्मति से तय किया गया है और वे दो दिनों में तैयार हो जायेंगे। तब उन्हें योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास भेज दिया जायेगा ताकि उन्हें माननीय सदस्यों को भेजा जा सके। जैसाकि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से मार्गनिर्देशों को स्वीकार किया गया है, मैं माननीय सदस्यों को अनौपचारिक रूप से, यदि वे इस प्रकार चाहते हैं तो, उन्हें दे सकता हूं। लेकिन औपचारिक रूप से, मार्ग निर्देश योजना और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा भेजा जाएगा। और उस बैठक में माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में यह स्वीकार किया गया था कि अन्तिम रूप दिये जा रहे हैं अथवा जारी किये गये मार्गनिर्देशों का ध्यान किये बिना 15 दिनों की अवधि के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को निर्देश दूंगा कि क्या मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया है अथवा नहीं-और उन्हें दो दिन के भीतर अन्तिम रूप दिया जाए और इस महीने की 28 तारीख से पहले 1 करोड़ रु. की पूरी धनराशि उन्हें प्रदान की जाए।

अब महिला विधेयक लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आप वही मार्गनिर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरा मार्गनिर्देश नहीं है। यह सभी राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया था।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इस दूसरे मामलें में भी आप वही मार्गनिर्देश दे सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार : मेरी भी एक बात सुन लें। पिछले चार साल में हमारे यहां कोई एम.पी. नहीं था। हमारे ऊपर यह स्कीम लागू नहीं होगी, अतः हमें चार साल का चार करोड़ रुपया प्रति एम.पी. रिलीज कराएं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं सरकार का पक्ष दोहराना चाहता हूं कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया था। वे इसे इतने हल्के ढंग से क्यों ले रहे हैं? क्या आप उत्तर से सन्तुष्ट हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वे कह रहे हैं कि वे इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। क्या आप उत्तर से सन्तुष्ट हैं?...**(व्यवधान)** हमें आपका संरक्षण चाहिए। अब सरकार कह रही है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। वे इसे उलटा पुलटा कर रहे हैं। विधेयक सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से सदन में पुरःस्थापित किया गया था।...**(व्यवधान)** वे इसे किस प्रकार कर सकते हैं?

[हिन्दी]

इनसे बात नहीं करनी है मुझे आपसे बात करनी है। यह आपका बेबी है। अपने तो यहां से कहा था कि बिना डिसक्शन पारित करेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, 12 दिसम्बर की रात को त्रिपुरा में सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा कई लोगों को मार दिया गया।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जगमोहन को समय देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : उन्होंने 36 व्यक्तियों को मार दिया और बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, को घायल कर कर दिया...**(व्यवधान)** इस सदन में पहले भी कई बार वहां अर्ध सैन्य बलों को भेजने की मांग की गई थी जो चुनाव समय के दौरान त्रिपुरा से जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों में स्थानांतरित की गई थी...**(व्यवधान)** इस सदन को आंतकवादियों के इस जघन्य कार्य की भर्त्सना करनी चाहिए और त्रिपुरा राज्य में कानून और व्यवस्था एजेन्सियों की सहायता करने के लिए अर्ध सैन्य बलों को वहां तुरन्त वापस भेजने के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह क्या है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप हैल्पलैस हैं। हद हो गई। अगर आप ही सहायता नहीं करेंगे, तो हम कहां जायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसलिये विधेयक को यहां ले आएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम तो केवल आप पर ही विश्वास करके चल रहे थे। हमको लग रहा था, आप सरकार को निर्देश देंगे और कुछ समय की अवधि के अन्दर बिल लाने देंगे। आप इनके कहने पर चुप करके बैठ गए कि ये सीरीयसली कंसीडर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इसका क्या अर्थ है? क्या उनका मतलब है कि पहले सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही थी और अब इसमें गम्भीरता को जोड़ा गया है, यह क्या है?

[हिन्दी]

आप चुप होकर बैठ गए। आप ही सहायता नहीं करेंगे, तो हम कहां जायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने पहले से ही निर्णय लिया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अपनी असमर्थता मत दिखाइए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : ऐसे कैसे बाकी चीजें हो जायेंगी।... **(व्यवधान)** ऐसे कैसे बोलने दें। आप ज्यादा महिलाओं को सदन में आने नहीं देते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सदन में पहले से ही इन्ट्रोड्यूस है। समिति ने यहां रिपोर्ट दी है। सरकार यदि बिल नहीं लाती, तो आप लिस्ट ऑफ बिजनैस में रख सकते हैं और समिति ने जो अमेंडमेंट्स और सुझाव दिए हैं, उन पर इस सदन में फैसला कर सकते हैं। ऐसा लगता है, सरकार संवेदनशील नहीं है, उसकी संवेदनहीनता बढ़ गई है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इसे विचार के लिए सभा में लाया जाए।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा, अगर सरकार विधेयक नहीं लाएगी।...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप लेडीज को बोलने दें, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन : क्यों, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं।... **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि जब तक सरकार विधेयक नहीं लाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नियमों का इंटरप्रिटेशन नहीं करती है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करूंगा।

श्री प्रमोद महाजन : इस सदन में विधेयक रखा गया है। इसे कार्यसूची में सम्मिलित करना होगा और इसे इस सदन द्वारा पारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

...**(व्यवधान)** सरकार पास नहीं करना चाहती है तो न करे, इसकी खिलाफत करना चाहती है तो कर ले, लेकिन चर्चा करें। जो फैसला होना है उसे होने दें।

[अनुवाद]

यदि वे इसे पारित न करना चाहें तो सभा में सरकार को बेनकाब किया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय है कि कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में सरकार ने कहा था-इस पर सभी सहमत थे—कि चूंकि संयुक्त समिति द्वारा कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई थी यदि सरकार उन्हें स्वीकार करती हैं तो वे केबिनट में जाएंगे और उसके पश्चात् ही इसे लिया जा सकता है। यही निर्णय लिया गया था। कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। मैं यही कह रहा हूं। अन्यथा आपको पूरा अधिकार है। यह विधेयक सभा की सम्पत्ति है। अब यह आवश्यक भी नहीं है कि इस विधेयक को वापस केबिनट में भेजा जाए। यह हमारी चिंता नहीं है। हम विधेयक पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। यह सरकार का कार्य है कि वह संशोधनों को स्वीकार करें अथवा स्वीकार नहीं करे। लेकिन यह कार्य मन्त्रणा समिति का निर्णय था। मैंने केवल उसी बात को दोहराया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष जी, इस बात को भी आठ दिन हो गये हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मुझे आपकी बात पर एक बात कहनी है। जिस समय यह अमेंडमेंट दिये गये थे, सारे अमेंडमेंट लॉ-मिनिस्टर की मर्जी से दिए गये थे। जो उनको मंजूर नहीं थे, कमेटी ने उनको अलग कर दिया था। सारे अमेंडमेंट लॉ-मिनिस्टर की मर्जी से आए हैं और कैबिनेट में जाना तो केवल एक फॉरमैलिटी है। अगर सरकार ने अपना मन बदल लिया है तो तलवार म्यान में न रखे। विदड्रॉ करने की हिम्मत करे ताकि हिंदुस्तान की महिलाओं को पता चले कि इनका मन बदल गया है। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इस सत्र में लाएंगे, उस सत्र में लाएंगे। अगर बिल पारित कराने की मर्जी नहीं रही है तो बिल को विदड्रॉ करने के लिए लेकर आएं। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाएं किस तरह से सड़कों पर आकर आंदोलन करती हैं। यह तो सदन के साथ और हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ धोखा है। आप तलवार म्यान में मत रखिये, आप धोखा करते हैं और कहते भी नहीं हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो बिल विदड्रॉ कराइये।...**(व्यवधान)**

श्री भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : इस बिल के बारे में सरकार की नीयत साफ नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप इसे धोखाधड़ी से लटकाए रखना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : विधेयक संबंधी प्रतिवेदन 9 दिसम्बर को सदन में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् कार्य मंत्रणा समिति ने मामले को लिया और निर्णय किया कि विधेयक को 12 तारीख को लिया जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त समय था। कैबिनट द्वारा भी सभी संशोधनों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय था। सरकार को इस विधेयक को पारित करने में गम्भीरता दिखानी चाहिए। हमेशा मांग की है कि विधेयक को चर्चा किये बिना वर्तमान रूप में ही पारित किया जाए क्योंकि पिछली बार इस पर पर्याप्त चर्चा की गई थी। इस पर हम पहले ही पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं और अब सभा के समक्ष विधेयक लाया जाए और इसे पारित किया जाए। अब इस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है? इसे यथावत पारित किया जाना चाहिए।

यदि सरकार महिलाओं हेतु आरक्षण किये जाने के बारे में गम्भीर है तो कल तक सदन के समक्ष विधेयक को लाया जाना चाहिए और यहां पर बिना चर्चा किये ही कल तक इसे पारित कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को आप पर भरोसा है। पूरे हिन्दुस्तान की महिलायें इस बिल के बारे में सोच रही हैं कि यह कब पास होगा। हमें बताया गया है कि इस पर चर्चा नहीं होगी, एक कमेटी बनेगी और इस पर विचार करके ही बिल पास किया जायेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह बिल इसी हफ्ते में कल, परसों या आज ही पास किया जाये। यही हमारी मांग है।

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : अध्यक्ष महोदय, आपको जिस तरह से इस बिल को प्रोटैक्ट करना चाहिए था, उस प्रकार से आपने किया नहीं, ऐसा हमारा आरोप है। सरकार की नीयत साफ नहीं दिख रही है, यही मेरा कहना है। मेरा सब महिलाओं से अनुरोध है कि उन्हें बाईकॉट करना चाहिये। हिन्दुस्तान की सब महिलायें आपकी तरफ देख रही हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सदन में महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं लेकिन पिछड़े वर्ग की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं का भी ध्यान रखा जाये और सरकार को इसे तत्काल संशोधन करके पास करना चाहिये। सरकार पिछड़े वर्ग का मामला न लटकाये और इसी सत्र में संशोधन पेश करे। यही मुझे कहना है।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, जब पहली बार यह बिल इस सदन में डिबेट के लिये आया था उस समय इस पर

बोलते हुये मैंने आग्रह किया था कि इसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का समावेश होना चाहिये। इसका कारण यह नहीं था कि मैं महिलाओं का जातीय विभाजन चाहती थी। यह आग्रह मैंने इसलिये किया था कि जब आप बिल ला रहे हैं तो वीकर सैक्शन्स की महिलाओं का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बात को एक्सक्यूज बनाकर इस बिल को रोकने की कुचेष्टा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इसके लिये एक उपाय और निकाला जा सकता है। मैंने उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर बोला था कि इस सदन के सदस्यों को वचन दें कि जल्दी ही दूसरा सत्र बुलाकर इस बिल में संशोधन करके ओ.बी.सी. की महिलाओं को जगह देंगे लेकिन अब इसी वजह से यदि इस बिल को पास होने से रोका जा रहा है तो मेरा आग्रह है कि इसको ज्यों का त्यों पास कर देना चाहिये या अलग से सत्र बुलाकर इस वायदे के साथ इसमें अमेंडमेंट कर दें तो पास कर दिया जाये ताकि पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त हो।

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है और हमारी पूरे पार्लियामेंटरी रिवायल की कसौटी है कि पूरे देश की इस पर राय होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं के पिछड़ेपन को इस रिजर्वेशन से दूर किया जा सकता है तो हमारे बी. जे.पी. और दूसरे प्रोग्रेसिव पार्टी के लोग महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने की बात कहते रहते हैं तो मैं कहूंगा कि यह गलत काम है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम पिछड़ी महिलाओं का विशेष तौर पर आरक्षण होना चाहिए और एक मामले में जिनको साम्प्रदायिक और वे लोग जो मोस्ट प्रोग्रेसिव बनते हैं, दोनों मुस्लिम महिलाओं के लिये ज्यादा चिन्तित दिखाई देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को ये सबसे ज्यादा पिछड़ा मानते हैं। यह एक सच्चाई है। जब राजनीतिक आरक्षण से पिछड़ापन दूर हो सकता है तो मुस्लिम महिलाओं को उस आरक्षण में विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, उनका ज्यादा हिस्सा होना चाहिए और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को राज्य सभा और विधान परिषद् में भी लागू करना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, हम राजनीतिक आरक्षण के विरोधी हैं। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने भी राजनीतिक आरक्षण का विरोध किया था। हम नौकरियों में आरक्षण के हिमायती हैं लेकिन राजनीतिक आरक्षण का हमने हर स्तर पर विरोध किया है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के जमाने से हम उसका विरोध करते आए हैं कि राजनीतिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप बड़े दिल वाली बात करें, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने एक महिला को अपना नेता चुना है, एक महिला ने सारे टिकट दिये हैं। उसी तरह आप भी बड़े दिल का सुबूत दो और महिलाओं को अपना नेता चुन लीजिए और यह राजनीतिक आरक्षण को पोलिटिकल स्ट्रक्चर को बरबाद करने का पाप मत कीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती भगवती देवी (गया) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल पास किया जाए बशर्ते इसमें हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग तथा मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी आरक्षण हो। क्योंकि नारी आदि युग से माता स्वरूप रही हैं। आदि शक्ति गौरी पहले है, तब शंकर हैं, जब सीता हैं, तब राम हैं। इसलिए महिलाओं को मान्यता देनी चाहिए बशर्ते इसमें हरिजन, पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं को भी शामिल किया जाए।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, महिलाओं का बिल आना चाहिए पर जो हमारी पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे बिल कभी भी आए। अध्यक्ष जी, आपको पता होगा कि हमारी पिछड़ी हुई महिलाएं बस घूंघट डालना जानती हैं, बाहर निकलना नहीं जानती हैं। जब उनके लिए रिजर्वेशन होगा तो वे बाहर निकलेंगी और अपनी लड़ाई लड़ सकेंगी।...**(व्यवधान)** हम पिछड़ों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं।...**(व्यवधान)** पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फूलन देवी जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अब आप बैठ जाइऐ। बहुत हो चुका है। हमारे पास समय नहीं है।

हां, श्री पी.सी. थामस

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और असाधारण विधेयक है...**(व्यवधान)**

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : महोदय, जब मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में सभी राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है...**(व्यवधान)** तो इस मामले पर क्यों सदन का समय व्यर्थ किया जाए...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : मुझे विश्वास है कि इस विधेयक में सभी की रूचि हैं लेकिन मेरा विचार है कि चूंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए इस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए और सभी सदस्यों को इसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कई संशोधन हैं जिन्हें सदस्य लाना चाहते हैं। संशोधनों पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

महोदय, अन्य सुझाव यह भी दिया गया है कि इससे राज्य भी प्रभावित होंगे और राज्य विधान मण्डल भी इस मामले में रूचि रखते हैं और इस जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिए राज्य विधान मण्डलों द्वारा चर्चा किया जाना आवश्यक होना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि इस संबंध में राज्यों के विचार भी लिये जाने चाहिए।

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) **:** मैं श्री थामस द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं-आदिवासी महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं—की सारी समस्याओं में से किसी पर भी विचार नहीं किया गया है। इस समिति ने उनकी गतिविधियों को केवल दिल्ली तक सीमित रखा है और इसलिए इसे पहले राज्यों में जाना चाहिए। राज्य अपनी राय दें और फिर उन पर विचार किया जाए। तत्पश्चात् इस पर एक उचित नीति निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा। इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाए और समिति के पास वापस भेजा जाए।

अपरान्ह 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) **:** अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हम वह कारनामा करने जा रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आपने सोचा है कि कोइ इस तरह का बिल पार्लियामेंट के अंदर आए और उसको मंजूरी मिले तो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा न हो कि इसके जरिये एक खास सैक्शन का इस पार्लियामेंट के अंदर कब्जा हो जाए। जो आज सदन के अंदर शेडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड लोगों के बारे में बात रखी गई है, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वहीं पर मुस्लिम महिलाओं को भी और दूसरी जो माइनोरिटीज हैं, इस मुल्क के अंदर उनका भी ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष जी, यहां पर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो आजादी इस मुल्क के अंदर माइनोरिटीज की है, क्या इस देश के अंदर कुछ फिरकापरस्त जमातों की वजह से जो आबादी के हिसाब से इस सदन के अंदर अक्लियत के लोगों को होना चाहिए था... **(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती : एक यूनीफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तीन बार तलाक-तलाक कहने से इनमें तलाक हो जाती है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है और उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए। उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है कि वह इसके बारे में क्या सोचते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेहरबानी करके आप मेरी बात को सुनिये, जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। तो क्या वह संख्या माइनोरिटीज की इस सदन के अंदर मौजूद हैं। 18 फीसदी, 19 फीसदी अक्लियत के लोग इस मुल्क के अंदर हैं, क्या उनका रिप्रेजेन्टेशन यहां इस सदन के अंदर हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह का बिल लाने से निश्चित रूप से इनका रिप्रेजेन्टेशन और घटेगा। अक्लियत के लोग इस पार्लियामेंट के अंदर कम पहुंच पायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर कोई इस तरह का बिल लाना है तो उसमें अक्लियत का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कर ली है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) **:** हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः भिन्न है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) **:** अध्यक्ष जी, इस बहस से कई दिनों में यह स्पष्ट होता है कि बड़ी गंभीरता से आप सब लोगों ने यह निर्णय किया है। जिसमें हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे।

एक माननीय सदस्य : आज गुरू क्यों नहीं कहा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) **:** इन्होंने दूसरा गुरू ढूंढ लिया है।

श्री चन्द्रशेखर : गुरू जी से शिक्षा लेकर मेरा सुझाव यह है कि जब इतना क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए हम सब तैयार हैं, मैं उनमें नहीं था, लेकिन अगर गुरू जी तैयार हैं तो शिष्य गुरू जी का अनुमोदन करने के लिए तैयार है। इसको और क्रांतिकारी बनाने के लिए जब तक बिल पास नहीं होता है तब तक हमारे मित्र ने जो सुझाव दिया है तो अभी अटल जी इस्तीफा दें और उमा भारती जी को वहां पर नेता बनाया जाए। वहां से रामविलास जी हटें और सुभावती जी को वहां नेता बनाया जाए, मुलायम सिंह जी की जगह पर फूलन देवी बने और छबीला जी कांग्रेस की नेता बनें और पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में कोई है या नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : आपने अन्य महिलाओं को महत्व नहीं दिया है।

श्री चन्द्रशेखर : इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सचमुच में सिंसिअर और सीरियस है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई दिखाई

नहीं देता है जो बैकवर्ड भी हो और महिला भी हो। तो इस तरह से यह मामला बिलकुल हल हो जायेगा। बैकवर्ड भी हो जायेगा और महिला भी हो जायेगी। हमारे मित्र प्रमोद महाजन का इंटेरेस्ट तो मैं समझ सकता हूं लेकिन हमारे बुजुर्ग मित्र इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसलिए अध्यक्ष जी, मैं बहुत गंभीरता से यह चाहता हूं कि इस सदन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर जितनी प्रमुख पार्टियां हैं कल से तुरंत इसको क्रियान्वित करें और सारे देश में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज हो रही है। मैं यह मामला पुनः कार्य मंत्रणा समिति के सन्मुख रखूंगा।

अपरान्ह 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये अपरान्ह 2.05 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपरान्ह 2.14 बजे

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा अपरान्ह 2.14 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के हजारीबाग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर कुजू में बाईपास के निर्माण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन, सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दक्षिण बिहार के हजारीबाग जिले के कुजू नामक स्थान से राष्ट्रीय उच्चपथ क्रमांक 33 गुजरता है जहां से सैंकड़ों ट्रक एवं अन्य गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं। कुजू में मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण स्थानीय निवासियों को हमेशा दुर्घटना एवं प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का खतरा बना रहता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कुजू में बाईपास का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

(दो) सौराष्ट्र क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर शहर में एक हाईकोर्ट बैंच खोलने की है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई।

कच्छ सौराष्ट्र के लोगों को अहमदाबाद आना-जाना पड़ता है। भावनगर एवं सौराष्ट्र के बार एसोसिएशनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विविध संस्थाओं ने आन्दोलन किए और इस मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आये। सौराष्ट्र के संसद सदस्यों, विधान सभा एवं स्थानीय विभाग के सदस्यों ने इस मांग के लिए पत्र लिखे, ज्ञापन दिये लेकिन अभी तक वह मांग पूरी नहीं हुई। यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो फिर लोग पृथक सौराष्ट्र की मांग कर सकते हैं।

जिस तरह देश में 10-20 वर्षों से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह प्रदेशों में हाई कोर्ट बैंच दी गई है, उसी तरह सौराष्ट्र में भी अलग हाई कोर्ट बैंच दी जाये। जब सौराष्ट्र अलग था तब हाई कोर्ट थी, तो इस उचित मांग को तुरन्त ही हाई कोर्ट स्थापित कर पूरी की जाए।

[अनुवाद]

(तीन) बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्कों में 'बायोस्फीयर सेन्टर' स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं भारत सरकार का ध्यान देश में बाघों के अनधिकार शिकार की घटनाओं में वृद्धि होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। एशिया के अधिकतर भागों में बाघों को मार डालने के पश्चात् शिकारियों ने अब भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है।

बाघों का शिकार वाणिज्य और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बाघ के शरीर के प्रत्येक भाग का उपयोग पारम्परिक औषधियों और अन्य प्रकार की औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। वर्ल्डवाइड फंड फार नेचर इण्डिा (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) द्वारा 1995 में किए गए एक आंकलन के अनुसार वाणिज्य उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष 32 से 40 बाघों को मारा जाता है। शिकारी लोग बाघ परियोजना क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर बाघों की हत्या करते हैं। चाहे यह शिमलीपुर अथवा रणथम्भौर, अथवा कोई अन्य बाघ संरक्षित वनों ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकारियों को निरापद घूमने की अनुमति है।

वन क्षेत्र में कमी आना भी बाघों की संख्या कम होने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। वर्ष 1952 से 1980 तक भारत में लगभग 1.15 मिलियन हैक्टेयन वनों की हानि हुई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि हम रिक्तिकरण से बाघों को बचाना चाहते हैं तो-वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए। प्रसिद्ध सिमलीपाल वन में एक बाघोस्फेयर केन्द्र स्थापित किया जाए। प्रत्येक और हर एक राष्ट्रीय पार्क में ऐसे बायों स्फेयर केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि उड़ीसा में महानदी गॉर्ज अभ्यारण में पदमातोल और टिकरापाड़ा क्षेत्रों को शामिल करके एक राष्ट्रीय पार्क बनाया जाए।

[हिन्दी]

(चार) नेपाल की ओर से बिहार में बहने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण के मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : बिहार में गंगा नदी के उत्तर में बहने वाली सभी प्रमुख सहायक नदियां नेपाल से आती हैं। इनमें से गंडक बागमती, कमला, कोशी और अधवारा समूह की नदियां उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष भयानक बाढ़ आती है जिससे जान और माल की भारी क्षति होती है। नेपाल सीमा पर किसी भी नदी में कोई ऊंचे तटबन्धों की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण बाढ़ और भंयकर रूप धारण कर लेती है। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए ऊंचे तटबन्धों का उपाय करना जरूरी है। जल संसाधन पर भारत-नेपाल उप-आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अब तक जल संसाधन का विकास करने हेतु कोई उत्साह नहीं दिखाया है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण एवं ऊंचे तटबन्धों के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से शीघ्र बातां कर समस्या का समाधान शीघ्र करे।

[अनुवाद]

(पांच) तमिलनाडु में अरियालुर और सेलम के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री ए. राजा (पैरम्बलूर) : महोदय, पैरम्बलूर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पैरम्बलूर तिरूवालूर जिले का भी मुख्यालय है जो पिछले वर्ष ही नया बनाया गया है। तमिलनाडु में यह अकेला जिला है जो पैरम्बलूर में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे समस्त संसदीय क्षेत्र में रेल मार्ग केवल अरियालुर कस्बे से होकर गुजरता है जो पैरम्बलूर से 30 कि.मी. दूर है। अरियालुर स्टेशन पर 'पल्लव', 'पांडियन' 'मदुरा महल' और 'वारडाई' जैसी एक्सप्रेस रेल गाड़िया नहीं ठहरती हैं और इन रेलगाड़ियों का मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं है।

इसी प्रकार, मेरे संसदीय क्षेत्र का तुरैयार नामक ताल्लुक मुख्यालय और म्युनिस्पल कस्बा नामाकल भी जहां तमिलनाडु में पर्याप्त रूप से लारी का प्रयोग किया जाता है, अभी तक रेल सम्पर्क से नहीं जुड़ा है। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से इन कस्बों को रेल सेवा से जोड़े जाने की मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अत्यन्त आवश्यकता है और इस मांग पर न तो अभी तक कोई विचार किया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अरियालुर, पैरम्बलूर, तुरैयार और आसपास कस्बों से होकर अरियालुर से सेलम तक एक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाए और इस रेल लाइन का निर्माण होने तक अरियालुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली हर एक्सप्रेस गाड़ी को वहां पर एक मिनट का ठहराव दिया जाए जो यात्री और मालगाड़ी दोनों के द्वारा अन्य स्टेशनों की तुलना में अधिक राजस्व दे रही हैं।

(छह) बिहार की सकरी जलाशय परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने और इसे पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बिहार का अपर सकरी जलाशय योजना से जुमई, शेखपुरा, नालन्दा, नवादा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला की कुल 83,325 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग के टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्ष 87-88 के मूल्य सूचकांक के आलोक में 18,373 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राशि के अभाव में योजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। यह योजना जनहित में है।

अतः सरकार से आग्रह है कि अपर सकरी जलाशय योजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करें।

(सात) महाराष्ट्र एरेनडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक डाकघर खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल (इरन्डोल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एरेनडोल (महाराष्ट्र) में विशेष रूप से आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर 4-5 किलोमीटर तथा कई जगहों पर 15-20 किलोमीटर दूर है जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा डाक सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। इन क्षेत्रों में डाक वितरण का भी नितान्त अभाव हैं। महीनों में लोगों को उनके पत्र मिल पाते हैं जिसके कारण अनेक नौजवान नौकरी पाने से भी वंचित रह जाते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि महाराष्ट्र के एरेनडोल संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक डाकघर खोलने के लिए आदेश पारित करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र के लोग डाक सुविधा का लाभ उठा सकें।

(आठ) पूर्वोत्तर राज्यों की भांति हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने पिछले महीने पूर्वी राज्यों का दौरा किया जिसमें उन्होंने राज्यों की योजनाओं और यहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए (पैकेज प्रोग्राम) देकर जगह जगह घोषणा की है कि इस क्षेत्र के राज्यों को करोड़ों रुपया यहां की समस्याओं को दूर करने हेतु दिया जाएगा। जिससे यहां के पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार को सराहना की। परन्तु हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया गया क्योंकि यह राज्य शान्ति स्थापित राज्य और उग्रवादिता से दूर है। परन्तु अब इस क्षेत्र में भी पुस्तक पुस्तिकाओं में यह भावना काफी जोर पकड़ रही है कि जिन क्षेत्रों

में उग्रवादिता है, सरकार उन्हीं क्षेत्रों की मदद कर रही है, न कि शान्तिप्रिय राज्यों की।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश, जो पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर से घिरा हुआ है, के लिए भी इसी तरह किया जाए जैसे पूर्वी राज्यों एवं पंजाब व जम्मू-कश्मीर के लिए किया गया है।

अपरान्ह 2.25 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

(एक) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा मद संख्या 9 उठायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा का उत्तर दें।

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चित्त बसु द्वारा आवश्यक वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लगभग 21 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण सवाल पर सदन में चर्चा हुई है और यह सवाल आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे गेहूं के मूल्य का सवाल हो, आटे के मूल्य का सवाल हो, सभी मानवीय जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। मैंने इस चर्चा में उठाए गए बिंदुओं पर गौर किया है।

सबसे पहले मैं जन-वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, सोफ्ट कोक, केरोसिन आयल के मूल्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये चीजें केन्द्र सरकार द्वारा पी.डी.एस. के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से एक का भी दाम जन-वितरण प्रणाली के अंदर नहीं बढ़ा है। आप कह सकते हैं कि ये मूल्य तो जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाली वस्तुओं के हैं, हम तो खुले बाजार में इनकी भारी मूल्य वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा।

आटा आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। गेहूं पी.डी.एस. में हम राज्यों को 402 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देते हैं। राज्य उस पर अपनी पर्चेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि व्यय भार लगाकर उसको सस्ते गल्ले की दुकानों पर वितरित करते हैं। चीनी का दाम पूरे भारत में नौ रुपये पांच पैसे प्रति किलो है। यही एक ऐसी वस्तु है जिसका कंज्यूमर प्राइस केन्द्र सरकार तय करती है, बाकी अन्य चीजों पर राज्य सरकारें अपना-अपना मार्जिन बिठाकर जनता को मुहैया कराती हैं। पामोलीन आयल 24 रुपये प्रति किलो बल्क, सोफ्ट कोक 175 रुपये प्रति टन है, यह सिर्फ बिहार और वैस्ट बंगाल में दिया जाता है। इसलिए पी.डी.एस. में न सरकार ने दाम बढ़ाया है, न ही हमने किसी राज्य का एलोकेशन घटाया है।

जब से मैंने इस विभाग का कार्यभार सम्भाला है, किसी भी राज्य को पी.डी.एस. को जो उसकी आबादी के आधार पर मांग है, हमने उसको आफटेक के आधार पर आबंटन किया है, किसी का घटाया नहीं है। जहां तक खुले बाजार का मामला है, गेहूं और आटे की कीमत में वृद्धि हुई है, जिस पर इतनी व्यापक चर्चा यहां हुई। इसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनका मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि जो स्वाभाविक वृद्धि हुई, उसका अलग फैक्टर है और नहीं होनी चाहिए उसके बारे में मैंने अपने वक्तव्य में जिक्र किया था कि मैं पारदर्शिता में विश्वास करता हूं। इसलिए मैं सदन में कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मूल्य वृद्धि के एक कारण में यह भी है कि किसानों का हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। यह जरूरी भी था, क्योंकि सभी पक्षों के माननीय सदस्यों की और पूरे सदन की इस पर सहमति थी। अगर हम किसानों को उनके उत्पादन का समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तो उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इससे उत्पादन बाधित होगा। इसलिए उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए एम.एस.पी. बढ़ाना जरूरी है। उसके चलते 5.5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। 5.5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि गेहूं पर हुई तो वह एम.एस.पी. के कारण हुई। इसको बढ़ाने में तथा किसानों के व्यापक हित में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।

पेट्रोलियम पदार्थों में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। यातायात के खर्च में जो वृद्धि हुई है उसके चलते चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में गेहूं की सी.आई.सी. नहीं बढ़ी है, वह स्थिर रही है और उसके चलते पांच प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है। जहां तक उत्पादन का सवाल है पिछले साल गेहूं का उत्पादन और वसूली कम हुई। उत्पादन का जहां तक सवाल है वह तो वर्षा पर निर्भर करता है। पिछले साल 31 लाख टन कम उत्पादन हुआ और भारत सरकार जो वसूली करती है वह 41 लाख टन कम हुई, जिसके चलते आठ प्रतिशत मूल्य-वृद्धि हुई है। लेकिन उसके बाद जो वृद्धि हो रही है उसके कारण बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण आठ प्रतिशत मूल्य-वृद्धि हुई है।

शेयर मार्किट में मंदी रहने के कारण लोगों ने पैसा वहां लगा दिया है। उनका अनुमान था कि इनके दाम बढ़ेंगे क्योंकि उत्पादन कम हुआ था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने समय पर कारगर कदम नहीं उठाए। सरकार ने जो कदम उठाए हैं मैं उनका विवरण आगे दूंगा। शेयर बाजार की मंदी के चलते लोगों ने इस तरफ पैसा लगाकर जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ाया है। इस देश में कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जिनकी सांठगांठ जमाखोरी और कालाबाजारियों से है जिनके कारण आटे की कीमत बढ़ाकर कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है क्योंकि इस देश के धरती-पुत्र प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी किसानों के हमदर्द हैं और संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अकाल और अभाव को मिटाने का संकल्प किया है।...**(व्यवधान)**

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये किसी आसमान से टपके हैं, सभी धरतीपुत्र हैं।...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : असलियत को स्वीकार कीजिए। आटे के दाम बढ़ाकर जमाखोरी और कालाबाजारियों द्वारा संयुक्त मोर्चे को सरकार के खिलाफ एक हौवा खड़ा किया गया है। मैंने असलियत का अपने वक्तव्य में जिक्र किया है। सरकार को बदनाम करने के लिए मंहगाई का एक हौवा खड़ा किया गया है। लेकिन सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ दृढ़-संकल्प है। हमने उनके खिलाफ बहुत ही जोरों में कार्रवाई शुरू की है जिसके कारण दाम गिरने शुरू हो गये हैं। मैंने सारी जगहों से रिपोर्टें मंगाई हैं।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : चंडीगढ़ में 10 रुपये किलो आटा मिल रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पहले आप सुन लीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें सारी बातों की जानकारी है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पहले पूरी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिये। प्रभु दयाल जी आप बैठ जाईये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मंत्री जी कहना चाहते हैं कि आपको सारी साजिश की जानकारी है। जानकारी है तो फिर ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आगे बता रहा हूं कि कहां-कहां कीमतें कम हुई हैं...**(व्यवधान)** मैं इस संबंध में बिल ला रहा हूं ...**(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : आप बोलने से पहले सुन तो लीजिये। आप बाद में बोलियेगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : इसका मतलब है कि आप भी साजिश में शामिल हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार दिनों में...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात का ध्यान रखें कि अपनी बात कहते वक्त प्रेस की तरफ देखने की कृपा न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको कह रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गेहूं के थोक भाव में गिरावट आयी है। दिल्ली में गेहूं का दाम टूटा है। तीन तारीख को सरकार की तरफ से जो प्रयास हुये हैं, कल, से आज तक की रिपोर्ट के अनुसार जो मिनिमम मूल्य 755 रुपये क्विंटल और मैक्सिमम 775 रुपये क्विंटल था, वह घटकर...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : मैं रिटेल मूल्यों की बात कर रही हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं रीटेल प्राईस पर आ रहा हूं। यदि नहीं समझें तो मैं क्या करूं? वह होल प्राईस घटकर मिनिमम 635 रुपये और मैक्सिमम 645 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। इस प्रकार 120 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गये हैं। आज मुम्बई और हापुड़ में...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये कितनी परेशानी हो रही है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी इंटरवेंशन चल जाता है, हर बार नहीं होना चाहिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं धैर्य से सुन रहा था। हापुड़ उत्तर भारत की बड़ी अनाज मंडी है। वहां पर न्यूनतम मूल्य 730 रुपये और अधिकतम 750 रुपये प्रति क्विंटल था जो क्रमशः घटकर 610 रुपये और 620 रुपये रह गया है। इस प्रकार 120 रुपये प्रति क्विंटल में कमी आयी है।

एक माननीय सदस्य : आपने छापे कहां-कहां मारे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी उस पर आ रहा हूं। मैंने समय रहते इन बातों का जिक्र किया है। सरकार तभी से सतर्क और सचेत है जब से मैंने कार्यभार पद संभाला है। इसका परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वरना ज्यादा मूल्य बढ़ सकते थे...**(व्यवधान)**...मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि 25 जून को कृषि मंत्रालय की जानकारी से बताया गया कि इस बार 31 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। उसी दिन और उसी क्षण मैंने फैसला लिया कि एक छंटाक गेहूं का निर्यात नहीं होगा और न ही हुआ है। एफ.सी.आई. ने सम्पूर्ण रूप से गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। आगे चलकर 5-6 जुलाई को चीफ मिनिस्टर्स का कांफ्रेंस हुआ जिसमें कहा गया कि राज्यों में पी.डी.एस. के लिये अनाजों का डायवरसन हो रहा है, इसको रोकने के लिये मैंने मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकृष्ट किया और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासकों या राज्यपालों का ध्यान भी खींचा।

एक माननीय सदस्य : डायवरसन से क्या मतलब?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : डायवरसन का मतलब अनाज दूसरों राज्यों में भेजना। अनाज तो जाता है सस्ते गल्ले की दुकानों के लिये लेकिन चला जाता है व्यापारियों के पास और उसमें ब्लैक मार्किटिंग हो जाती है...**(व्यवधान)**...इसके बाद 22 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि यदि काला बाजार आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन चाहते हैं तो केन्द्र सरकार पूरी तरह से तैयार है, आप अपने सुझाव भेजिये तो हम कारगर फैसला लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस पत्र में साफ-साफ लिखा था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यापारी और अवांछित तत्व आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने में फिर से लिप्त हैं।

आप अपने अधिकारियों को, फील्ड कार्यकर्ताओं को सूचित कर दें और यह सूचित करें कि ऐसी जमाखोरी और होर्डिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यह मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और इतना ही नहीं, मैंने यह भी कहा कि समय रहते इस रोक लगाई जाए और राज्य द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर हमें सूचित किया जाए और सुझाव भी दिया जाए। यह मैंने मुख्य मंत्री को 22 जुलाई को पत्र लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने समय से कार्रवाई नहीं की। क्या यह समय से कार्रवाई नहीं है। यह 22 जुलाई का पत्र है। शुरू में ही जब उत्पादन कम हुआ तब से ही हम सचेत हैं और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सतर्क हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो ओपन सेल की बिक्री थी एफ.सी.आई. के जरिये, वह 1994 से शुरू हुई थी। पहले यह प्रथा नहीं थी। यह इसलिए शुरू हुई कि बाजार भाव में संतुलन बना रहे। पी.डी.एस. में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है जन वितरण के लिए आबंटित करने की, लेकिन ओपन सेल 1994 से शुरू हुई। जब ओपन सेल की तरफ ध्यान गया तो मैंने कहा कि इसमें भी परिवर्तन करेंगे। अभी माननीय सदस्या नहीं हैं। वे उस दिन बहुत शोर से बोल रही थी। पेपरवेट को भी कुछ लोग हिमालय का पहाड़ बना देते हैं। हमारी वह आदत नहीं है। अभी माननीय सदस्य सुषमा जी नहीं हैं इसलिए मैं नहीं कहूंगा। मैं उनको कहूंगा कि ओपन सेल में मैंने साफ कहा कि स्ट्रीमलाइन करना है और हमने स्ट्रीमलाइन डायरेक्टिव्स मंत्रालय से एफ.सी.आई. को भेजे कि इसमें तीन सदस्यीय समिति बनाओ। इसमें हर स्टेट के डायरेक्ट ऑफ फूड सदस्य होंगे ताकि अपने राज्यों की मांग को देख सकें कि ओपन सेल में कितनी आवश्यकता है उसको बताएं। एक सदस्य अकाउंट के होंगे और एक एफ.सी.आई. के एल.आर.एम. होंगे। रोलर फ्लोर मिल वालों का रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, मिल चल रही है या नहीं, या यूं ही दरख्वास्त कर दी है, इसकी जांच करें। इसमें यह भी लिमिट होगी कि 200 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं ओपन सेल में नहीं दिया जाएगा। इस समिति को यह भी हिदायत दी कि 200 मीट्रिक टन से ज्यादा किसी भी बड़ी आटा चक्की वाले को नहीं दिया जाए। इसी में छोटी चक्की वालों को भी प्रायोरिटी मिलेगी। वह भी गेहूं लेना चाहते हैं तो उनको भी छूट दी जाए। पहले छोटी चक्की वालों को बड़ी मुश्किल होती थी और उनको बड़ी मिल वालों के पास जाना पड़ता था। अब उनको कोई परेशानी नहीं है। 1 तारीख से 7 तारीख तक वह आवेदन दें और 7 तारीख से 14 तारीख तक उसका निष्पादन होता है। इसकी जिम्मेदारी भी उस समिति पर बांधी हैं। यदि कोई इस तरह की शिकायत है तो तीन सदस्यीय समिति इसके लिए जिम्मेदार होगी। ओपन सेल में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी ने बाद में आवेदन किया और उसको पहले दे दिया या किसी के प्रेशर पर दिया तो इसके लिए सरकार जाच करने के लिए तैयार है। जो मामले मेरे पास आए हैं उनकी गहन छानबीन करके मैंने दो मामले सी.बी.आई. को दे दिये हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि सरकार ने शुरू से सतर्कता नहीं बरती। हमने शुरू से सतर्कता बरती है और अनाज के कम उत्पादन को देखते हुए जो भी पोसिबल स्टेप्स थे सभी हमने उठाए हैं। पहले चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में मैंने अनाज के डाइवर्शन की बात को रखा और इसके बाद 7 अगस्त को स्टेट फूड मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में मैंने साफ साफ इस बात का जिक्र किया और सभी मंत्रियों को कहा कि आप अपने राज्यों में अनाज के डाईवर्शन को रोकें। अनाज सस्ते गल्ले की दुकानों पर नहीं पहुंच पाता। आम तौर पर यही शिकायत लोक सभा और राज्य सभा में दोनों सदनों में हमें सुनने को मिल रही है। और यह पहले भी जनता की शिकायत रही है। हम लोग भी जमीन से आये हैं, गरीब लोगों के बीच से आये हैं। यह आम शिकायत रही हैं, इसकी बड़ी आलोचना हुई है और इसी आलोचना के चलते हमने जन-वितरण प्रणाली को गरीबोन्मुखी बनाया है। जो प्रोजेक्ट हम अभी बना रहे हैं, वह अभी अंतिम रूप में है, उसका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को कम दामों पर अनाज देने का सवाल भी हमने उठाया। डाइवर्शन, कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य स्तर पर, जो भी शिकायत मिली थी, उसको हमने देखा। इतना ही नहीं, इसके बाद हमने यह भी फैसला लिया है और वह फैसला है फूड ग्रेन कंट्रोल ऑर्डर। हमने 30 सितम्बर 1994 के फूड ग्रेन कंट्रोल लाइसेंसिंग आर्डर को निरस्त करने के आदेश को वापस ले लिया है। इस आर्डर के जरिये पहले गेहूं की कोई लिमिट नहीं थी, कोई भी व्यापारी या व्यवसाय करने वाले लोग जितना चाहें गेहूं, आटा या गेहूं का प्रोडक्ट रख सकते थे। लेकिन हमने इस आदेश को निरस्त कर दिया है।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : यह आदेश कब किया है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी आठ तारीख को हमने आदेश किया है। पिनाकी मिश्र जी माफ करियेगा मैंने राज्यों को 22 जुलाई को पत्र लिखा है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। यह लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनतंत्र में राज्यों से भी राय लेनी पड़ती है। हम राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार देने में विश्वास रखते हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : राज्यों की राय कब आई है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : राज्यों की राय नौ नवम्बर को आई है। नौ तारीख का मैं आपको पत्र भी दिखा सकता हूं। किसी की आठ तारीख को भी आई है और किसी की अक्टूबर के लास्ट वीक में आई है। जब राज्यों की राय आई है, कुछ राज्यों की चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो सारी कलई खुल जायेगी। ...**(व्यवधान)** तो सभी राज्यों को होर्डिंग लिमिट का आदेश जारी हो चुका है और राज्यों में इसको कार्यरूप देने के लिए सभी राज्यों में होर्डिंग सीमा निर्धारित हो। लाइसेंसिंग का कंट्रोल अब सभी डिसप्ले करें, दुकानों में स्टाक पोजीशन डिसप्ले करें। इस आदेश में स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार ने फैसला लिया है कि सभी दुकानदार, जो गेहूं रखने या बेचने वाले हैं, स्टाक डिसप्ले करें। स्टाक ही नहीं, यदि उनके पास गेहूं का प्रोडक्ट है, तो इस संबंध में भी जानकारी दें और कितने दामों पर बेच रहे हैं उसकी भी जानकरी दें। तो इस तरह हमने होर्डिंग लिमिट बांध दी है और इसके बाद हमने एक और फैसला लिया है कि गेहूं का जो प्रोडक्ट या वह ओ.जी.एल. में था। गेहूं उत्पाद जैसे आटा, मैदा, सूजी

हमने इसको रेसट्रिक्टिड सूची में डाल दिया है। अब इसका एक्सपोर्ट भी धड़ल्ले से नहीं चल सकता। इसको भी बंद करने के लिए लिख दिया है। हमने जब यह कार्रवाई की तो इसके बाद एक और फैसला लिया है कि सभी राज्यों की जो सहकारी संस्थाएं, जो भारत सरकार के अधीन हैं जैसे सुपर बाजार या केन्द्रीय भंडार, इस तरह की संस्थाओं को भी हमने कहा है कि वह जितना गेहूं लेना चाहेंगे, हम उनको गेहूं देंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि छः रुपये चालीस पैसे से ज्यादा पर बिक्री नहीं होगी। इसका मूल्य निर्धारित किया है, जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत हैं। आप सभी सुपर बाजार चले जाइये, ठीक है आप नॉर्थ एवेन्यू से आते हैं या माननीय सदस्य या सदस्या आप चलकर देखिये सुपर बाजार या केन्द्रीय भंडार में प्रतिदिन कितनी बिक्री होती है और इतना ही नहीं दिल्ली में 218 दुकानें हैं। वैसे तो यह काम राज्य सरकार का था लेकिन दिल्ली में हमने पहल की है। क्योंकि दामों को सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया है इसलिए एक विशेष और वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में की गई है और दिल्ली में केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार की 218 दुकानों की संख्या है ...**(व्यवधान)** मैं किसी भी माननीय सदस्य को आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि सुपर बाजार में यह आपको छः रुपये चालीस पैसे मिलेगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी नहीं पूछिये, बाद में पूछियेगा।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : दिल्ली में लोकल सरकार जिम्मेदार है, केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसके बाद में सुपर बाजार की स्थिति बताना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** आप जो कुछ कह रहे हैं, गलत है। आप म्यूज पर मत जाईए। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं। मैंने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में पहले आप सुन लीजिए। सुपर बाजार की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 4050 से 5000 बैग्स आटा 64 रुपए में 10 किलो प्रति बैग के हिसाब से बिक रहा है यानी 6 रुपए 40 पैसे प्रति किलो की दर से। दिल्ली के विभिन्न मुहल्लों में हमारे मोबाइल वैन्स जा रहे हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है और वहां भी आटा बिक रहा है ...**(व्यवधान)** सुपर बाजार की 218 शाखाओं के अलावा 31 मोबाइल वैन्स चल रहे हैं। केवल दिल्ली में हम विशेष पहल कर रहे हैं क्योंकि यहां केन्द्र सरकार के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : आपके जो ट्रक आते हैं, वे एक घंटे के लिए भी नहीं रूकते ...**(व्यवधान)** आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में प्रश्न पूछ लीजिए; पहले मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं दिल्ली की मदनगीर, पश्चिमपुरी और अम्बेडकर नगर कालोनियों में खुद गया हूं और वहां इंसपैक्शन किया है। वहां हमारी तीन मोबाइल वैन्स गयी थी क्योंकि सुपर बाजार की दुकान दूर थी। वहां लोग लाइन लगाए खड़े थे और 6 रुपए 40 पैसे प्रति किलो की दर से आटा ले रहे थे, बोर्ड लगा हुआ था ... **(व्यवधान)** लाइन तो लगेगी ही, क्योंकि गरीब लोगों की कालोनी है। हमने कहा है कि झुग्गी-झोंपड़ी इलाकों को प्राथमिकता दी जाए, स्लम इलाकों में प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी, हम दूसरे इलाकों की तरफ जाएंगे लेकिन प्रथम चरण में उन इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो झुग्गी-झोंपड़ी इलाके हैं स्लम इलाके हैं।

उसके बाद मैं लोधी रोड पर गया जहां राजीव गांधी कैम्प है। वहां भी मैंने काफी लोगों को लाइन में लगकर आटा लेते हुए देखा। वहां काफी झोंपड़-पट्टी हैं, गरीब लोग रहते हैं। मैंने खुद जाकर वहां चैकिंग की है और मैं हाउस के बाद, जो भी समय बचेगा, 7.00 बजे के बाद, खुद जाकर चैकिंग करूंगा, इन्सपैक्शन करूंगा-इसका मैं आपको वचन देता हूं और निश्चित रूप से मैं इस मामले में पहल कर रहा हूं। अभी हमने दिल्ली में व्यवस्था की है ...**(व्यवधान)**

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में पूछ लीजिए। पहले मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाने दीजिए।

श्रीमती रजनी पाटिल : मेरे पास यह पर्ची है, मैंने 83 रुपए का 5 किलो की दर से आटा सुपर बाजार से लिया है ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैं आपको बाद में एलाव कर दूंगा। जो कुछ पूछना है, आप बाद में पूछ लीजिए

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह मैंने दिल्ली के लिए विशेष योजना के बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ यदि अन्य राज्य सरकार चाहें ...**(व्यवधान)** मैं वहीं आ रहा हूं ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आपकी बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे साथ चलिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैं आपको बाद में एलाव कर दूंगा ...**(व्यवधान)** इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है। किस रूल के अंडर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं? मैं बाद में एलाव करूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इतना ही नहीं, दिल्ली प्रदेश के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है लेकिन अगर कोई राज्य सरकार हमसे कहेगी ...**(व्यवधान)** मैं चुनौती के साथ आपको निमंत्रण देता हूं और स्वागत करूंगा अगर किसी सुपर बाजार या केन्द्रीय भण्डार में 6 रुपए 40 पैसे किलो से ज्यादा रेट पर आटा मिलता हो तो आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं चैक करूंगा। माननीय सदस्य मुझे लिखकर दें, मैं जांच कराऊंगा।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : माननीय सदस्या के पास सुपर बाजार की पर्ची है ...**(व्यवधान)** हो सकता है कि आपके पास रिकार्ड में जानकारी न हो ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, अगर माननीय सदस्य इस तरह की शिकायतें, जो भी उनके पास हों, मुझे लिखकर भेजें, मैं उसकी जांच कराऊंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमने राज्यों को भी कहा है कि यदि राज्य के अंदर कोई उपभोक्ता सहकारी संस्था गेहूं को लेकर एक निश्चित मूल्य 6.40 रुपए प्रति किलो आटा बेचना चाहे, तो हमने आदेश दिए हैं कि उनको भी गेहूं उपलब्ध करवाया जाए। यह सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है। दिल्ली के लिए तो विशेष व्यवस्था की ही है, लेकिन यदि राज्य भी चाहें, तो वे ले सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो सारा देश एक समान है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी राज्यों की ऐसी कोआपरटिव कंजूमर सोसायटीज गेहूं लेना चाहेंगी, उनको गेहूं दिया जाएगा लेकिन उनको यह अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वे उस निर्धारित मूल्य से अधिक रेट में गेहूं का आटा नहीं बेच सकेंगी।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सेल्स टैक्स का क्या होगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यहां पर जो बात कही जा रही है वह "नो प्राफिट नो लास बेस" पर की जा रही है।

मैं अग्रवाल साहब को राशन की दुकानों की दिल्ली की स्थिति के बारे में बताने से पहले जो हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उनके विषय में बताना चाहता हूं। हमने अभी 20 लाख टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अलावा हम कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं क्योंकि उत्पादन कम हुआ है इसलिए हमने यह निर्णय लिया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास पी.डी.एस., "मिड डे मील" कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त गेहूं है।

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी, दोपहर का भोजन कहां मिल रहा है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वह योजना एच.आर.डी. मिनिस्ट्री की है, हमारी नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक सदस्या बहुत देर से खड़ी हैं और बार-बार कह रही हैं कि उन्होंने कल 10.30 रुपए किलो गेहूं खरीदा है और मंत्री जी यहां कुछ और ही कह रहे हैं, ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी माननीय सदस्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमने 20 लाख टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है ताकि कीमत पर नियंत्रण किया जा सके और फूड सफीशियेंसी बनी रहे तथा हम नियमित रूप से फूड की सप्लाई बनाए रख सकें जो कि हमारी जिम्मेदारी है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पी.डी.एस. के लिए गेहूं की कमी नहीं थी, लेकिन पिछले साल खुले बाजार में जो गेहूं का भाव कम था उसका कारण यह है कि पिछले साल हमने खुले बाजार में 11-12 लाख टन गेहूं सप्लाई किया था जबकि इस साल हमने सिर्फ 5-6 लाख टन ही गेहूं सप्लाई किया है क्योंकि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। इसलिए खुले बाजार में कम किया जा रहा है। अतः इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए हमने यह निर्णय किया है कि हम 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करेंगे और इसके साथ-साथ यह निर्णय भी लिया है कि जो आटा चक्की वाले हैं, जो रोलर फ्लोर मिल वाले हैं वे यदि चाहें, तो वे सभी आयात कर सकते हैं, लेकिन एपीडा के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा।

अपराह्न 2.59 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी, मेरी आप सलाह मानें आयात बिलकुल न करें, नहीं तो आप भी स्कैम में फंस जाएंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई या मुसीबत हो, कृपा करके आयात मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : माननीय नीतीश कुमार जी, आप किसान के बेटे हैं, और आप ही आयात के लिए मना कर रहे हैं। यदि आयात नहीं किया जाएगा, तो मुनाफाखोरी पर कंट्रोल कैसे कर सकेंगे?

श्री नीतीश कुमार : मैं किसान का बेटा हूं, तभी मना कर रहा हूं कि आयात मत कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : आयात नहीं करेंगे, तो जमाखोरों को लाभ होगा।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश का गेहूं बाहर नहीं जा पायेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आज 16 तारीख है। परसों 13 और 14 तारीख को जो छापामारी हुई ...**(व्यवधान)** जो होर्डिंग लिमिट लगाने का जो अधिकार राज्यों को दिया, उसके तहत उत्तर प्रदेश में, माननीय सदस्य ने अभी जो मुद्दा उठाया, इन तीन दिनों के भीतर 2,271 छापे मारे गये हैं और जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, सारे के सारे कागजी हैं। एक भी छापा नहीं पड़ा है। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमने इसके चलते कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान तेज किया है। जो केस दर्ज हुए हैं, वह 28 हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। ...**(व्यवधान)** उनकी संख्या 34 है। ...**(व्यवधान)** धीरे-धीरे हम सबको पकड़ेंगे। ...**(व्यवधान)** जो दुकानें निलम्बित हुई हैं। ...**(व्यवधान)** सस्पेंड दुकानों की संख्या

62 है और जब्त की गयी प्रतिभूति की राशि 38,850 रु. है। जब्त किये गये गेहूं का जो मूल्य आंका गया है, वह 6,350 रुपये है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि मंत्री जी बोल रहे हैं जब तक वह अपनी बात खत्म नहीं कर लेते, आपको नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने जो भी फैसला लिया है, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। जब तक वह पूरी बात नहीं कर लेते तब तक आप कैसे बोल सकते हैं। उन्हें जवाब पूरा करने दीजिए और उसके बाद ही अन्य विषय लिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ...**(व्यवधान)** जो कालाबाजारी है, उस पर हम शीघ्र ही नियंत्रण करेंगे। सरकारी इच्छाशक्ति से हम नियंत्रण करेंगे। उस दिशा में कार्यवाही शुरू है। ...**(व्यवधान)** और हम सभी राज्यों से अनुरोध करते हैं चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, बम्बई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी राज्यों में इस तरह की कार्यवाही हो तो कोई कारण नहीं है कि आटे का दाम कृत्रिम तरीके से बढ़ जायेगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, इनका कहना सही है लेकिन दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह सारा बिगड़ा हुआ है ...**(व्यवधान)** जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह दिल्ली सरकार के अंडर आता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मंत्री जी सही कह रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर आपका क्या कंट्रोल है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, अग्रवाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)** राशन की दुकानों पर अनाज पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, वह राज्य सरकारों की है और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकारों को खाद्यान्न आवंटित करना। ...**(व्यवधान)** सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज पहुंचाना केन्द्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ...**(व्यवधान)** इसलिए पिछले माह हमने 60 हजार टन दिल्ली प्रदेश को आवंटित किया है। ...**(व्यवधान)** आप सुन तो लीजिये। ...**(व्यवधान)** आप कालाबाजारी पकड़िये। आपकी सरकार दिल्ली में है, आप उनसे बात करिये। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : बाजार में गेहूं के दाम नहीं गिरे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोशी जी, मैंने जो कहा, उसे आपको समझना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप उन्हें प्रश्न पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : दिल्ली को गेहूं नहीं मिल रहा है। ...**(व्यवधान)** भाव गिरे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : दिल्ली में सारा सिस्टम बिगड़ा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अग्रवाल जी ने जो कहा, उसे मैं गंभीरता से लेता हूं।

अग्रवाल जी ने जो सवाल उठाया है। ...**(व्यवधान)** बात तो सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)** काम होंगे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : कब शुरू होंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सात दिन के भीतर हो जाएंगे। ...**(व्यवधान)** आप देखते रहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप सभापति को संबोधित कीजिए। आपको उन्हें प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहना चाहिए। आपको वही कहना है, जो आपके पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अग्रवाल जी ने राशन की दुकान के बारे में जो शिकायत की है। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आप बताइए क्या बंगाल में गेहूं के दाम गिर गए हैं? ...**(व्यवधान)** सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय खाद्य निगम की है। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : राश की दुकानों में जो राशन नहीं पहुंचता है, मैं उसे गंभीरता से लेता हूं। इसलिए मैंने उन राज्यों से भी बराबर अनुरोध किया है। ...**(व्यवधान)** यह राज्य सरकार का नियंत्रण है। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपने कहा था कि दो दिन में जांच करके बता देंगे। दो दिन की जगह छः दिन हो गए। क्या हुआ उसका? ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी को रिप्लाई देने दीजिए। उसके बाद यदि आप कुछ क्लैरीफिकेशन चाहते हैं तो पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

आप सभापति को सम्बोधित करें और जो कहना चाहते है कहें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जोशी जी बोलते हैं तो मुझे एक बात याद आ जाती है। ...**(व्यवधान)** मैं गांव से आता हूं। जब जोशी बोलने लगे तो मुझे गांव की एक बात याद आ गई। गांव में एक कहावत है-

चलनी दुशलक्ष बरनी के
जिनका स्वयं सहस्त्र छेड़।

जोशी जी, आपको पता नहीं होगा। जांच की जानकारी आई। जो रिपोर्ट थी, सातवां दिन परसों पूरा हो रहा है। मैंने सदन के सामने जो वचन दिया था, मैं पूरी जानकारी के साथ आपको अवगत करवाऊंगा। जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही भी सुनिश्चित करके जाऊंगा। ...**(व्यवधान)** भ्रष्टाचार से संयुक्त मोर्चे की सरकार का कोई समझौता नहीं होगा चाहे हमको किसी भी दूरी तक जाना पड़े। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, एफ.सी.आई. के तीन मामले मेरे ध्यान में लाए गए। आपको ताज्जुब होगा, बहुत बड़े-बड़े लोग इस जगह बैठे हुए हैं। मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी विभागीय मंत्री ने अपने ही विभाग को सी.बी.आई. में भेजा हो तो कोई उदाहरण बता दीजिए। मैं आज सदन के सामने डंके की चोट पर कहता हूं, डी.पी.यादव ने पटियाला में जहां एफ.सी.आई. के गोडाउन में शार्टेज हुई थी, उसे सी. बी.आई. को भेज दिया है। सी.बी.आई. इनवैस्टीशन कर रही है। इसलिए उसकी बाबत ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। दूसरा मामला करनाल का है, जो जयप्रकाश जी रोज उठाते रहते हैं। ये लोक दल के जमाने से हमारे दोस्त हैं। करनाल के मामले में भी मैंने सी. बी.आई. के ओफेंस सेल में भिजवा दिया है। जबकि आप मेरे लिए कोताही बरतने की बात कहते हो। मेरे लिए पद बड़ी चीज नहीं है। सरकार के लिए हमें जनता के विश्वास और सहकार की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करता हूं और कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई भी मामला आपकी जानकारी में हो या आए तो मुझे सूचित करें। ...**(व्यवधान)** आपकी जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई थी।

श्री नीतीश कुमार : एक बार जोशीजी का जवाब दे दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वही दे रहा हूं। जोशी जी के मामले में ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन (चंड़ीगढ़) **:** इनका मामला नहीं है, इनके द्वारा उठाया गया मामला है।

एक माननीय सदस्य : *

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : *

सभापति महोदय : यादव जी, आपको रिप्लाई देना है, आप रिप्लाई दें। माननीय सदस्य आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं तो उनको रिप्लाई समाप्त होने के बाद बताएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आपका आदेश मानता हूं। ... **(व्यवधान)**

श्री थावरचन्द गेहलोत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय सदस्य के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है उसे कार्यवाही से निकाला जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य यह नहीं बता रहे हैं कि वह किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे आपके दिशा-निर्देश में काम नहीं करना है। आपको सभा की मर्यादा बनाये रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जायें। माननीय मंत्री खड़े हुए हैं। कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) **:** मैं जयपुर से आ रहा हूं। राजस्थान सरकार ने 500 टन गेहूं गोदाम में रखने के आर्डर दिए थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को जवाब देना है।

(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने उस नियम को उद्धृत नहीं किया है, जिसके अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। अतः, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, यह अपने रूल में है। यहां जोशी जी पर आरोप लगाया गया है, उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभापति प्रक्रिया की जांच करेंगे और अगर यह उचित नहीं लगता तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जायेगा। मैं अपना विनिर्णय सुना चुका हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। सभापति पहले ही यह निर्णय दे चुके हैं कि अगर उसमें कुछ अनुचित हुआ तो उसे जांच के पश्चात् निकाल दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : रूल 377 के अंतर्गत मैं पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी आपको जवाब में जो कहना है वह कहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह प्रश्न उठाया जा चुका है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य जोशी जी ने जो कहा है ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : 60 हजार टन राजस्थान को बेच दिया गया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी आप सदैव अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आपको सदस्यों के नाम उच्चारित करने और फिर उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो तीसरा मामला मेरी जानकारी में आया है न्यायालय से उसको जांच के आदेश दिए गये हैं। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी के पीछे जो सदस्य महोदय बैठे हैं वे क्या बात कर रहे हैं। क्या वे अपने माननीय सदस्य को मना नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे पहले ही निकाला जा चुका है। कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने एक अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करने के लिए कहा है। दो-तीन दिन के समय में जांच के बारे में की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। ...**(व्यवधान)** दिल्ली प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे गोदामों में 36204 टन गेहूं हमारे पास है। माया पुरी से लेकर सी.टी.ओ., आंखला, नरेला, धेवरा, आर.पी.बाग, शक्ति नगर के गोदामों में हमारे पास 36284 टन गेहूं है। ऐफ.सी.आई. के गोदामों में हमारे पास 66689 हजार टन गेहूं मौजूद है। इसके साथ-साथ 3684 हजार टन चावल मौजूद है। एक महीने में हम दिल्ली को 60 हजार टन अलॉट करते हैं लेकिन दिल्ली प्रदेश कभी 46 और कभी 47 हजार टन गेहूं ही उठाता है। इस बार 48 हजार टन उठाया है। कम इसलिए उठाया है क्योंकि दिल्ली में राज्य सरकार के पास गोदामों का अभाव है, वे ट्रक मुहैया नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि जितने ट्रक आप हमें देंगे हम उतना अनाज आपको देंगे। वे कहते हैं कि 2 हजार टन से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप केवल डेढ़ हजार टन ही उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : और कितना समय आपको चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पांच मिनट और चाहिए। जितना मर्जी गेहूं दिल्ली सरकार उठाना चाहे उठा लें, हम देने में सक्षम हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : दिल्ली सरकार ने आपको जो पत्र लिखा है उसके अनुसार क्या आप गेहूं देने के लिए तैयार हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिल्कुल देने को तैयार हैं। 28 तारीख को माननीय सदस्या ने जिसका जिक्र किया था। मैंने 3-4 तारीख को दिल्ली सरकार के फूड मिनिस्टर के साथ बैठक की थी। हमने कहा था कि तीन हजार टन आप प्रतिदिन हमसे लीजिए लेकिन उन्होंने कहा

* कार्यवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि हमारे पास ट्रक नहीं हैं ओर न ही गोदाम हैं, हम रखेंगे कहां? हम दो हजार टन से ज्यादा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमने दो हजार टन देने का प्रतिदिन फैसला किया है।

वह भी पूरा की पूरा नहीं उठ रहा है। इसलिये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जितना गेहूं ऐलोकेट करते हैं, वह पूरा का पूरा उपलब्ध कराया जाये और राशन की दुकानों पर नहीं पहुंचता है, जैसाकि श्री अग्रवाल जी ठीक ही कह रहे थे, वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है लेकिन आबंटित कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नैटवर्क से सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुंचाये। इसके अलावा मानिटरिंग करने के लिये भी ...**(व्यवधान)**

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह जानकारी सभी राज्यों के लिये है या सिर्फ दिल्ली पर कानसंट्रेट कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं अंत में एक और निवेदन करूंगा कि...

सभापति महोदय : यह कोई क्वश्चन-आन्सवर सैशन नहीं है। आपको जो कहना है, वह कहिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, अभी सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये ऐलोकेट करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह नहीं बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

आप तो वरिष्ठ नेता है, आप कुछ सोचिये। कानून तो कुछ बनना चाहिये।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति महोदय, उत्तरप्रदेश में

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि कानून तो बनना चाहिये, हां वह तो बनना चाहिये।

सभापति महोदय : आप बैठिये। मंत्री जी को पूरा करने दीजिये।

श्री गंगा चरण राजपूत : ...**(व्यवधान)** *

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राजपूत जी, आपकी टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। मंत्री जी के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, कुछ राज्यों में, चाहे व उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रान्त हो, पर पी.डी.सी. में दिया जाने वाला अनाज घटाया नहीं है बल्कि बढ़ाया गया है और जिस राज्य ने मांग की है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके तुरंत पूर्ति की गयी है। मैं पी.डी.सी. की दुकानों को और मजबूत बनाने की दिशा में माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जिन राज्यों को आबंटित किया गया है, उसमें दिल्ली क्षेत्र को 48 हजार टन दिया गया है और उस हिसाब से वहां एक परिवार को 16 किलो मिलना चाहिये था, नहीं मिला है और जैसा श्री अग्रवाल जी ने कहा है, यह मैं स्वीकार करता हूं कि वहां नहीं दिया गया है। मैं सरकार से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की अपेक्षा करता हूं। मैंने विभाग की टीम भेजकर अनुमानों की जानकारी की है और मैं यह रहस्योद्घाटन कर रहा हूं कि वहां पर सिर्फ 33 प्रतिशत लोगों को ही राशन की दुकानों पर अनाज मिला है। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कम्पलीट करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। राज्य सरकार ही काला बाजार के लिये जिम्मेदार है क्योंकि वहां केवल 33 प्रतिशत लोगों को ही राशन में गेहूं मिल रहा है।

सभापति महोदय : अभी आपने 5 मिनट में समय बताया था, वह हो गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राशन की दुकानों के लिये दस हजार करोड़ रुपये की सबसिडी दी जा रही है।

6000 करोड़ रुपया लगता है फूड डिपार्टमेंट से और 4000 करोड़ केरोसीन ऑयल पर भारत सरकार सबसिडी देती है। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपया सबसिडी खर्च होती है राशन की दुकानों पर गल्ला पहुंचाने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जितना लाभ जरूरतमंद और गरीब लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसलिए मैं माननीय सदस्य और सदन से अपेक्षा रखता हूं कि अपने-अपने राज्यों में उस दिशा में पहल करें और निगरानी समिति बनाने के लिए भी मैंने डायरेक्टिव जारी किया है। सभी राज्यों को गाइडलाइन दी हैं कि वह नगर पंचायत से चुने हुए, ब्लाक से चुने हुए लोग उस समिति में रखें। ग्राम मुखिया या सामाजिक कार्यकर्ता या ब्लाक कार्यकर्ताओं की समिति बनाकर ब्लाक स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर निगरानी को सघन किया जाए ताकि 33 प्रतिशत से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को अनाज पहुंचे ...**(व्यवधान)** आपकी जितनी समझ है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पिनाकी मिश्र जी ने कुछ सवाल उठाए थे बफर स्टाक नोर्म्स के विषय में। उन्होंने कहा था कि बफर स्टाक नोर्म्स एक दशक पुराने हैं। माननीय सदस्य बहुत जागरूक सदस्य हैं। बफर स्टाक मात्र 1989-90 में निर्धारित किया गया और यह हर पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बफर स्टाक निर्धारित करने के लिए गाइडलाइन्स हैं। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो 1997 से लेकर 2002 की अवधि के लिए वैलिड होगी। उसकी अनुशंसा में बढ़ती जनसंख्या का ध्यान रखा जाता है। बफर स्टोक का नया ढांचा निर्माण के अंतिम चरण में है।

श्री पिनाकी मिश्र : मंत्री जी 30 सेकंड के लिए आप यील्ड करें। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप एक चीज रेकागनाइज करते हैं कि नहीं कि इस साल दो मिलियन टन व्हीट हमने इंपोर्ट किया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले साल दो मिलियन टन व्हीट इंपोर्ट किया। चार साल पहले शुगर ऐक्सपोर्ट किया और दो साल पहले फिर शुगर इंपोर्ट किया। यह सिस्टम फेल्योर नहीं तो क्या है? बफर स्टोक का सिस्टम फेल्योर नहीं है तो क्या है? आप देखिए कि छः महीने पहले जब आपको मालूम था कि दो मिलियन टन शीर्टेज है तो आप अब इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी ने कहा वह सही कहा है।

[अनुवाद]

हम गेहूं घोटाले की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

[हिन्दी]

बाहर की मल्टीनेशनल्स कारगिल ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हाउस के लिए कोई नियम-कानून होना चाहिए। आप मंत्री जी को अपना रिप्लाई देने के लिए मौका दीजिए और समाप्त होने के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप मेरी मदद कीजिए। अगर आप बीच में खड़े हो जाते हैं और स्पष्टीकरण मांगते हैं।

[अनुवाद]

फिर वह कोई अन्य प्रश्न उठाते हैं, इस प्रकार से सभा में कोई सार्थक चर्चा अथवा वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री पिनाकी मिश्र : लेकिन वह अपनी बात कह चुके हैं।

सभापति महोदय : लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे आपको भी बताना होगा ...**(व्यवधान)** मंत्री जी अपने वायदे के अनुसार दिए गए समय में अपना उत्तर पूरा करें। उसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ प्रश्न रखने की अनुमति दी जाये ...**(व्यवधान)** उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए ...**(व्यवधान)** कृपया सभा को गंभीरता से लीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, माननीय सदस्य की शंका निर्मूल हो जाएगी क्योंकि माननीय सदस्य शायद हम लोगों के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। हमने पहले ही जिक्र किया था कि यह संयुक्त मोर्चा की सरकार किसी भी तरह से किसी भी मामले में भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कर सकती है। मैंने उस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जहां हमें जानकारी मिली है। जहां तक आयात-निर्यात का मामला है, देश में जरूरत होती है तो आयात किया जाता है और जब देश में सरप्लस अनाज होता तो निर्यात किया जाता है। इसलिए माननीय सदस्यों की शंका निर्मूल और निराधार है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में देश की जनता को सफीशिएंट अनाज पहुंचाना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।

इसके लिए हम किसी दूरी तक जा सकते हैं। गरीब लोगों के अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार किसी भी दूरी तक जा सकती है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, खाद्य मंत्री ने जो स्टेटमैंट दिया है वह काफी विस्तृत स्टेटमैंट दिया हैं मेरा निवेदन है उनको जो एक जांच का मामला दिया है उसमें एक बात और जोड़ रहा हूं कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के मेडका से जो गेहूं उठाया गया उसमें आपके खाद्य निगम के अधिकारियों ने 15 रुपये प्रीमियम के नाम पर प्रति बोरी के हिसाब से वसूला है। कृपया इसकी भी जांच करवायें कि आपके डिपार्टमेंट में यह प्रीमियम किस बात का लिया गया है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में जो आप गेहूं दे रहे हैं, वह कृपा करके राजस्थान के व्यापारी को राजस्थान में ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ मैम्बर हैं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : स्थानीय खाद्य निगम के पास गेहूं मौजूद है तो महाराष्ट्र के व्यापारी को महाराष्ट्र में, पंजाब के व्यापारी को पंजाब में गेहूं देने के लिए आप निर्देशित करें, पंजाब में जाकर राजस्थान का व्यापारी गेहूं ले तो यह न्यायोचित नहीं है, इसको आप देखें।

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, मंत्री जी का लम्बा उत्तर हम लोग सुनते रहे लेकिन इनका उत्तर संतोषजनक नहीं है और इनके उत्तर से बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। गेहूं की कमी है, ऐसा मंत्री जी ने बताया है ...**(व्यवधान)** आप भी लैक्चर दे डालिये, आपको कौन रोकता है।

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी आप जानकार हैं।

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी ने जो अपने जवाब के सिलसिले में यह जानकारी सदन को दी कि 20 लाख टन गेहूं का आयात यह करने जा रहे हैं। गेहूं का कितनान बड़ा संकट है, उनके जवाब से यह पता नहीं चल रहा है। कीमतों के ऊपर फिर यह नियंत्रण कर रहे हैं। यह सब कुछ करने के बाद और किस परिस्थिति में यह गेहूं के आयात का फैसला कर रहे हैं जब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ चुकी है और अब यह गेहूं को मंगाने का फैसला कर रहे हैं। तो मैंने इनको सचेत किया कि फूंक-फूंक कर कदम रखिये। अगर गेहूं कम पैदा हुआ है तो चावल ज्यादा पैदा हुआ है। देश के लोगों को विश्वास में लेकर जो हमारे पास है उसी को ठीक ढंग से वितरण करके हम कुछ दिन कष्ट झेलकर काम चला सकते हैं। मैं इसीलिए यह बात बोलने आया हूं कि माननीय सदस्य ने एक सांसद के रूप में और हम सब मिल करके श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में बम्बई के बंदरगाह पर गेहूं के आयात के खिलाफ आंदोलन करने, सत्याग्रह करने के लिए गये थे। हमने कहा था "गेहूं आयात मत करो, हम उतरने नहीं देंगे" और वही आज सरकार में मंत्री बनकर यह निर्णय ले रहे हैं। सभापति महोदय, जमाखोरों ने एक अभाव का ऐसा संकट पैदा किया है और आपने भी खुद कहा है कि गेहूं का कृत्रिम अभाव है और इस कृत्रिम अभाव को प्रशासनिक उपायों के जरिये और दृढ़संकल्प के साथ निपटायें लेकिन आप बाहर से गेहूं मंगाकर देश की जो विदेशी मुद्रा है, गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसको आप गेहूं में लगा रहे हैं। अंततोगत्वा अगले वर्ष उसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ेगी और अगली बार किसान की कमर टूटेगी। इसलिए मैं आपसे विनम्रता के साथ अंतिम वाक्य कहकर आपको सचेत करना चाहता

हूं कि कहीं आगे आने वाले दिनों में कोई गेहूं का व्हीट स्कैम सामने न आ जाए और आपको पेरशानी का सामना करना पड़े।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंत्री जी ने सारी बातें खुले तौर पर यहां हाउस में कही। यह बात सही है कि दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। यह गेहूं भी दे रहे हैं और आटा भी सुपर बाजार के माध्यम से दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस गरीब आदमी को वह गेहूं और आटा मिलना चाहिए, अगर दिल्ली की सरकार उसको देने में नाकामयाब रहती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी अखबारों के माध्यम से या अपने डिस्ट्रीब्यूशन सैन्टर्स के माध्यम से या अपने ट्रकों के माध्यम से गरीब आदमियों तक जरूरी सामान पहुंचाएंगे, अगर दिल्ली सरकार इस काम में कामयाब नहीं होती, फेल हो जाती है तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे? क्या आप ऐसे कदम उठा रहे हैं?

सभापति महोदय : ठीक है। आप बैठिए ...**(व्यवधान)**

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति जी, मैं एक मिनट लूंगा। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 3.36 बजे

इस समय श्री अमर पाल सिंह सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

अपराह्न 3.36 बजे

इस समय श्री अमर पाल सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : आप एक या दो मिनट तक बोलें।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कृपया अपना भाषण संक्षिप्त और विशेष तथ्यों तक सीमित रखिए।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मैंने अपनी चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की आर्थिक दुर्दशा हो रही है। मिल वाले उनके दाम नहीं दे रहे हैं। वे लोग हाई कोर्ट में गए। मैंने उस दिन सुझाव दिया था कि मिल वालों की मनमानी रोकने के लिए पांच हजार क्विंटल तक जो खंडसारी इकाइयां क्रशिंग करती हैं, उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, उन्हें लाइसेंस से मुक्त कर देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप कृपया अपना उत्तर जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने दिल्ली के बारे में तो बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ निवासियों के लिए आपने क्या व्यवस्था की? उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपका ध्यान निरतंर आकर्षित करते आये हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी, अब आप जवाब दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी एक माननीय सदस्य ने प्रीमियम के बारे में सवाल उठाया ...**(व्यवधान)** ओपन सेल में जो गेहूं दिया जाता है ...**(व्यवधान)** पहले 415 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया जाता था ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से, विरोधी दल के एक या दो वरिष्ठ सदस्य भी यह बात अपने सदस्यों को स्पष्ट कर दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, अभी चेयर से कहा गया था कि सभी को मौका दिया जाएगा ...**(व्यवधान)** यह तो कोई बात नहीं हुई ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : या तो आप स्वंय सभा की कार्यवाही विनियमित कीजिए या फिर आपको अध्यक्षपीठ के निर्णय पर निर्भर करना पड़ेगा। मैं प्रत्येक को खड़े होने और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मंत्री महोदय अपना उत्तर जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, मैं एक सैकेंड लूंगा। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ...**(व्यवधान)** मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी.डी.एल. में जो गेहूं दिया जा रहा है, क्या गरीब लोगों के लिए गेहूं की कीमत घटाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि खुले बाजार में बड़े व्यापारी जिस भाव पर गेहूं बेचते हैं, वह गरीबों के लिए बहुत महंगा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने प्रीमियम के बारे में सवाल किया। मैं एक मिनट में बोलना खत्म कर देता हूं। पहले ओपन मार्केट में 415 रुपए प्रति क्विंटल

गेहूं एफ.सी.आई. देता था जिसे बढ़ाकर हमने 441 रुपए किया, फिर 490 रुपए किया तथा जिसे और बढ़ाकर 490 रुपए प्रति क्विंटल पर अब गेहूं दिया जा रहा है। इसमें हमने सबसिडी कम कर दी।

चूंकि यह गेहूं ओपन मार्केट में दिया जा रहा है इसलिए मैंने इस सब्सिडी को घटा दिया है।

सभापति महोदय : मंत्री जी, मैंने जोशी जी, नीतीश कुमार और अग्रवाल साहब को अलाऊ किया है। इसलिए उन्होंने जो पाइंट उठाए हैं, उनका ही जवाब दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैंने पहले जोशी के पाइंट के बारे में बताया है कि प्रीमियम की कोई बात नहीं है। जो सहकारी संस्थाएं लेना चाहती हैं उनकी कोई अरनेस्ट मनी नहीं लगेगी, लेकिन जो अन्य संस्थाएं लेना चाहेंगी उनको 10 प्रतिशत अरनेस्ट मनी देनी होगी। ...**(व्यवधान)**

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, सदस्यों के सवालों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सदस्यों ने गेहूं की कीमत कम करने के बारे में पूछा, तो मंत्री जी संतोष जनक उत्तर नहीं दे पाए। जब सदस्यों ने गेहूं की उपलब्धता के बारे में प्रश्न किया, तो मंत्री जी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में सदन में बैठे रहने का क्या औचित्य है? इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो मंत्री जी जवाब दें या जिन-जिन सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, उनको लिखित उत्तर दें। ...**(व्यवधान)**

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, मंत्री जी का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। देश में गेहूं की स्थिति खराब है। लोगों को गेहूं खाने के लिए नहीं मिल रहा है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी, जो-जो पाइंट माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, वे आपने नोट तो किए होंगे। मेरा सुझाव रहेगा कि आप उनको लिखित में उत्तर भेजें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, सभापति महोदय।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोशी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया अपने सदस्यों से कहिये कि वे बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार आप इस सभा की प्रक्रिया को जानते हैं। मंत्री महोदय, तैयार हैं और मैंने भी उनसे कहा है। मंत्री महोदय ने उन सब बातों को नोट कर लिया होगा जोकि यहां पर उठायी गई हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय हमने इम्पोर्ट के बारे में कहा है। यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्वाइंट है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, कृपया बैठ जायें।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, चूंकि हम मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, हम बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 3.44 बजे

इस समय डा मुरली मनोहर जोशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अपराह्न 3.44$^{1}/_{2}$ बजे

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 पर आगे विचार करेगी और उसे पारित करेगी।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, यह सारी दिल्ली सरकार की कार्यवाही है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमारा दूसरा विषय है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह तो यही है लेकिन जो लोग नारे लगा रहे थे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शिवप्रकाशम् खड़े हुए हैं ।

***श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम** (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। सभी भारतीय भाषाओं के लिये विशेषकर प्राचीन और कलात्मक भाषाओं के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये उठाया गया कदम स्वागत योग्य है।

हम में से कुछ की यह धारणा बन गई है कि वे अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में नजरंदाज करते। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अंग्रेजी ने ही इस देश को आज के रूप में एकीकृत किया। अंग्रेजी से पूर्व और अंग्रेजों के आने से काफी पहले उर्दू ने देश के प्रमुख भागों को एकीकृत किया था।

उर्दू भाला कला और संस्कृति की उसकी मान्य परम्परायें, भारतीय समाज में अंगीकृत हो गई हैं। अन्य भाषाओं के साहित्य की

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तुलना में उर्दू साहित्य का निश्चित रूप से ही स्वागत योग्य प्रभाव रहा है। उदाहरणार्थ तमिल में एक महाकाव्य सीरा पुराणम् है जिसे उमारू पुल्लवर ने लिखा है शायद यह किसी भी भारतीय भाषा में एक पैगम्बर के बारे में अपने प्रकार का एकमात्र महाकाव्य है। सीरा पुराणम् का अर्थ है महान महाकाव्य। यह केवल तमिल भाषा में है।

मेरा यह विचार है कि उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से निश्चित रूप से देश की एकता में योगदान होगा और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनायेगा। इससे तुलनात्मक साहित्य में शोध करना भी सुनिश्चित होगा। तब अन्य भाषाओं के साहित्य के साथ मेल मिलाप भी संभव होगा। इससे देश के विभिन्न भागों के छात्रों को एक छत के नीचे आने का अवसर प्राप्त होगा। वे एक साथ कार्य कर सकते हैं। इससे शैक्षिक और शोध के वातावरण को सृजित करना भी संभव होगा। इस कार्यवाही और इस विधेयक का स्वागत करते हुए, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनको ध्यान में रखे।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, देश के दक्षिणी भाग, जिसका मध्य एशिया देशों के साथ पुराने समय से ही सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध थे। हमारे भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत के पुरातन इस्लामी और इसाई समाज के साथ संबंधों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं डालते। मुझे आशा है कि इस उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से इस खाई को भरने पर ध्यान केन्द्रित होगा। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सामज विज्ञान, इतिहास और संस्कृति पर शोध अध्ययन शुरू किए जायेंगे।

तमिलनाडु में वेल्लोर और आसपास के अरकोट क्षेत्र के साथ तिरूनेल्लवेल्ली और रामनाद जिलों में तथा केरल में मालापुरम क्षेत्र सहित पश्चिमोत्तर समुद्रतटीय क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या काफी अधिक है। इन क्षेत्रों के अरब देशों के साथ पुरातन संबंध है। बहुत पहले से इनके अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेलापालायम, तूतीकोरिन कायलपटनम, अबिरामपट्टनम कीलाक्करई, और काडयानेल्लूर महत्वपूर्ण मुस्लिम जनसंख्या बहुल शहर है। अनेक मुस्लिम बहुल गांव और अनेक दरगाहें भी वहां स्थित है। कभी तंजौर कहे जाने वाले तंजौर में नागौर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।

मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। दुर्भाग्य से उर्दू भाषी जनसंख्या में भी उत्तर-दक्षिण के विभाजन की भावना लक्षित होती है। फारसी देशों के माध्यम से आये उर्दू भाषी लोग तथा उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों, जिनका संबंध पुरातन अरब देशों से था, के लोगों पर उर्दू का प्रभाव अलग-अलग पड़ा है। यह उर्दू विश्वविद्यालय इन दो वर्गों को एक स्थान पर ला सकता है। इससे देश की एकता सुदृढ़ होगी। मैं मंत्री महोदय से इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करना उचित ही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय आप तमिलनाडु और केरल दोनों में ही इस उर्दू विश्वविद्यालय के विस्तारक केन्द्र स्थापित करने पर भी विचार कर सकते हैं। प्रस्तावित उर्दू विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्वायत्त केन्द्र देश के उन क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। मैं शिक्षा के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध तिरूनेल्लवेल्ली में इस विश्वविद्यालय का एक विस्तारक केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि केरल और तमिलनाडु में शिक्षा का माध्यम उर्दू है। अतः यह बताने आवश्यकता नहीं है कि यह उर्दू विश्वविद्यालय उन लोगों तक भी पहुंचे।

मैं आशा करता हूं कि इस उर्दू विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली शियाओं सुन्नियों, लेबाइस और राउथर्स के रूप में अपने मतभेदों का राग अलापने वाले सभी विद्वानों और मुसलमानों को एक स्थान पर लाने का काम करेगी। उन सभी लोगों को जो उर्दू में रूचि रखते हैं, उर्दू भाषा संबंधी शिक्षण और शोध सुविधा प्रदान की जायेगी। इस देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने में उर्दू एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस संबंध में उर्दू विश्वविद्यालय एक व्यापक भूमिका निभा सकता है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी (बेलगांव) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं पूर्ण रूप से खुश हूं कि सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू के एक प्रसिद्ध विद्वान श्री मौलाना आजाद के नाम पर रखा है।

महोदय, इस सन्दर्भ मे मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। कित्तूर चेनन्मा पहली महिला थी जो देश की आजादी के लिए लड़ीं। मैं अनुरोध करता हूं कि कित्तूर रानी चेनन्मा, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, के नाम पर कित्तूर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं ऐसी स्टेट से आता हूं जहां उर्दू हमारी राज्य भाषा है। जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से हैं-कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख। राज्य भाषा होने के बावजूद भी उर्दू की आज वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सरकार का 90 प्रतिशत से भी ज्यादा कामकाज अंग्रेजी में चलता है। उर्दू को कोई पूछना नहीं है। उर्दू की डैवलपमेंट के लिए किसी तरह की कोई कोशिश वहां पर नहीं हो रही है। पिछले लगभग पचास वर्षों में लगातार उर्दू जानने वाले लोगों की कमी हुई और उसके बाद कोई डैवलपमैंट नहीं हो सकी। इसलिए जहां आप इस विश्वविद्यालय का निर्माण उर्दू को अच्छी जुबान बनाने के लिए कर रहे हैं, उर्दू की प्रगति हो, इस दृष्टि से कर रहे हैं, वहां मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमने इसके

लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है? हमने यहां तक कहा है कि उर्दू में जो टैक्नीकल एजूकेशन है, जो इस बिल की मंशा थी

[अनुवाद]

"राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक का उद्देश्य मुख्यतः उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने तथा उसका विकास करने और परम्परागत शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उर्दू में व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करना है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम उर्दू को रोजी-रोटी के साथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे यहां यह हाल है कि पहले कोर्ट का सरकारी कामकाज उर्दू में होता था। वहां पर आज भी रैवैन्यू का सारा कामकाज उर्दू में चलता है लेकिन पटवारी नहीं मिल रहे हैं। उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उर्दू पढ़ने के बाद शायद हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि जब तक आप इसे रोजी-रोटी के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक उर्दू का विकास नहीं हो सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हमारी रियासत में उर्दू का बहुत हास हुआ है। हमारी मंशा है कि हमने उर्दू को कभी भी अलग लैंग्वेज नहीं माना। उर्दू और हिन्दी दोनों जुड़वां बहने हैं, हम ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन जिस तरह से यह बिल लाया गया है, उसमें आपका स्यूडो सैकुलरिजम साफ दिखाई देता है। गांधी जी के नाम पर हिन्दी को साथ जोड़कर बिल लाया गया तो उर्दू को साथ जोड़कर मौलाना आजाद के नाम पर दूसरा बिल लाया गया। इससे यह साफ दिखता है कि आपका दिमाग किस तरह चलता है। हम चाहते हैं कि उर्दू की प्रगति हो लेकिन उसकी प्रगति के लिए ईमानदारी से सब व्यवस्था की जाए। उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाए और उर्दू को पूरी तरह से रोजी-रोटी के साथ जोड़ा जाए तभी उसका विकास हो सकेगा।

मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, इस बिल के ऊपर कई साथियों ने अपनी-अपनी बात कही है। मुझे मंत्री जी से इतना ही कहना है कि उत्तर भारत में इस्लामिक स्थान के रूप में दो स्थान जाने जाते हैं, एक बरेली है और दूसरा देवबंद। इन दोनों स्थानों पर मुख्य रूप से उर्दू में कार्य होता है और बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। अगर हम उर्दू का संवर्द्धन चाहते हैं तो हमें इन दो स्थानों पर विशेष ध्यान देना होगा कि कैसे जो यहां पर व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनके माध्यम से इन विद्यालयों में उर्दू को बढ़ावा दिया जा सके। हैदराबाद में रहकर यहां पर कैसे तालमेल हो पायेगा, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बरेली का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे मालूम है कि बरेली में जो केन्द्र हैं, आदरणीय हजरत आला परिवार का, उसे सब लोग देश के और विदेश के जानते हैं, अगर उनके नाम से इस विद्यालय को चलाते तो एक पहचान बनती और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता।

हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से उर्दू के माध्यम से उद्योग में, व्यवसाय में और अन्य क्षेत्रों में कार्य करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल तुष्टिकरण के तहत कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए यह किया जा रहा है। इसका वास्तविक उद्देश्य शायद कुछ और क्यों न हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बारे में जो इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, जिनकी इस क्षेत्र में ज्यादा रूचि है, उनसे आप विचार-विमर्श करते कि कैसे इसका अधिकतम उपयोग हो सकता है, तब आपको निर्णय लेना चाहिए था, तभी हम इस पर सही दिशा दे पायेंगे और कुछ कर पायेंगे।

मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत में बरेली और देवबंद, इन दो स्थानों की विचारधाराएं चल रही हैं, जिसको देश के ही नहीं बाहर के लोग भी मानते हैं, उसको किस रूप से इससे जोड़ा जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह याद रखें कि 4 बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : मैं दो अथवा तीन मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। विभिन्न सदस्यों द्वारा पहले ही उठाये गये मुद्दों के अतिरिक्त मैं दो अथवा तीन बातें बताना चाहता हूं। इस अधिनियम में उप कुलपति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अपराह्न 3.58 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, हम मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और मैं इस सभा में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस विधेयक में दो अथवा तीन बातों को शामिल करना चाहता हूं जिन पर विचार नहीं किया गया है।

पहले, इस विधेयक में उप-कुलपति के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न अधिनियमों और संशोधनों के अन्तर्गत शिक्षाविदों का यह विचार रहा है कि 65 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति को उप कुलपति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस विधेयक में उप कुलपति की आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उस दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच की जाये।

दूसरे, कार्यकारी परिषद के सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय, जिनका नाम देश के ऐसे महान नायक के नाम पर रखा गया है, मैं उर्दू में स्नातक की और विशेषज्ञों के शिक्षण वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध होना चाहिए। मैं यह नहीं देख पाया हूं कि क्या कार्यकारी परिषद में उन लोगों के लिए कोई उपबंध है।

उदाहरणार्थ, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम में हमारी अलग-अलग श्रेणियां हैं। कुछ लोग शिक्षण संकाय द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, कुछ सदस्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और कुछ सदस्य विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। मुझे इस विधेयक में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिला है। मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यकारी परिषद को ऐसा मत बनाओ जिसमें सदस्य केवल मंत्री अथवा किसी उच्चतम महानुभावद द्वारा ही मनोनीत किये जये। कृपया अलग-अलग श्रेणियों अर्थात उस क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए भी उपबंध किया जाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विश्वविद्यालय को केवल राजनीतिज्ञों से ही न भरा जाये। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण राजनैतिक नेता हो सकता है लेकिन यदि उसकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है तो मैं सादरपूर्वक यह कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च निकायों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उर्दू के क्षेत्र में अध्यापकों स्नातकों और विशेषज्ञों को निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

तीसरे, अब यह देखा गया है कि विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वायत्तता का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी जानकारी में कतिपय मामले आये हैं जहां राज्य सरकारों में विश्वविद्यालयों के आन्तरिक कार्यकरण को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया है। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सरकार का विश्वविद्यालयों पर अधिक अधिकार नहीं हो।

अपराह्न 4.00 बजे

अन्तिम निर्णय कार्यकारी परिषद और अन्य ऐसे प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार को कार्यकारी परिषद द्वारा किये गये निर्णय को तब तक रद्द करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए जब तक यह भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत नहीं हो।

मैं प्रति उप-कुलपति के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा 16 वर्षों तक विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव रहा है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट में था। यह प्रति उप कुलपति उप कुलपति का विरोधी बन जाता है। प्रति कुलपति के कार्यालय में सभी गतिविधियां उप-कुलपति के खिलाफ होती हैं। कृपया इस विचारधारा को आगे न बढ़ायें। इसमें कई समस्या उत्पन्न होंगी।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस दृष्टिकोण से इस विधेयक की जांच की जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 4.01 बजे

विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर घोषणा-पत्र के संबंध में भारत का दृष्टिकोण

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, पहले ही चार बज गये हैं। हम विश्व व्यापार की सिंगापुर घोषणा के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्री राज्य सभा के बाद विवाद का उत्तर दे रहे हैं। यह 16.25 बजे तक समाप्त हो जोयगी। इसलिए 16.30 बजे मंत्री महोदय यहां होंगे।

अब संसदीय कार्य मंत्री सभा पटल पर वक्तव्य रख सकते हैं क्योंकि यह वक्तव्य सुबह पहले ही परिचालित किया जा चुका है। उसके पश्चात हम सीधे वाद-विवाद आरम्भ कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं श्री बोला बुल्ली रमैया की ओर से विश्व व्यापार संगठन की सिंगापुर उद्घोषणा के संबंध में भारत के दृष्टकोण के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

विवरण

जैसाकि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में 9-13 दिसम्बर, 1996 को किया गया। यह सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले मराकेश करार के अनुच्छेद 4:1 के अनुसरण में आयोजित किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक प्रत्येक दो वर्षों में एक बार होगी। इस समय डब्ल्यू टी ओ में पर्यवेक्षक स्तर के 34 सरकारों के सदस्य तथा 49 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों के अलावा 128 सदस्य हैं।

सिंगापुर में प्रमुख विचार विमर्श डब्ल्यू टी ओ के भावी कार्यक्रम पर केन्द्रित था जिसमें नए मुद्दे भी शामिल थे। नए मुद्दों में शामिल थ :—

1. महत्वपूर्ण श्रम मानक
2. निवेश
3. प्रतिस्पर्धा नीति

इस सम्मेलन में क्वाड देशों अर्थात् यू एस ए, कनाडा, यूरोपीय समुदाय और जापान द्वारा प्रायोजित सूचना प्रौद्योगिकी करार पर भी विचार-विमर्श हुआ।

अब मैं माननीय सदस्यों को इन नए मुद्दों पर सिंगापुर में हुए विचार-विमर्शों के परिणामों के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं।

महत्वपूर्ण श्रम मानकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण देशों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था कि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण श्रम मानकों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए डब्ल्यू टी ओ में कार्य-प्रोग्राम शुरू करने हेतु सिंगापुर में आदेश प्राप्त किए जाएं। कई अन्य विकासशील देशों के साथ भारत की स्थिति यह रही कि जहां अलग-अलग देश अपनी घरेलू नीति के जरिए श्रम कल्याण के विकास और श्रम अधिकारों पर निगरानी रखने के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध हैं, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों का मुद्दा एक ऐसा विषय है जिसका निदान केवल आई एल ओ द्वारा किए जाने की जरूरत है और श्रम मानकों को लागू करने के लिए व्यापार उपायों के इस्तेमाल के प्रश्न को सीधे ही अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसी राय का उल्लेख नवम्बर, 1996 में जी-15

नेताओं की हरारे विज्ञप्ति में भी किया गया था। माननीय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इस विषय पर एक सकारात्मक आम सहमति के निर्णय पर पहुंचा गया जैसाकि निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रदर्शित है जो घोषणा का एक भाग है :-

> "हम अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य महत्वपूर्ण श्रम मानकों का पालन करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) इन मानकों को बनाने और इनके बारे में कार्रवाई करने के लिए सक्षम निकाय है और इनके संवर्धन हेतु इसके कार्यों में हम अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। हमारा विश्वास है कि व्यापार वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि एवं विकास से तथा और अधिक व्यापार-उदारीकरण से इन मानकों को बढ़ावा मिलेगा। हम संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए श्रम मानकों के प्रयोग को अस्वीकार करते हुए यह मानते हैं कि देशों के तुलनात्मक लाभ, विशेषकर, कम-मजदूरी वाले विकासशील देशों के लाभ को किसी भी तरह से इस मामले में न घसीटा जाए। इस बारे में हम यह बात नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ और आई एल ओ सचिवालय अपने वर्तमान सहयोग को जारी रखेंगे।"

चूंकि डब्ल्यू टी ओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस संगठन का सर्वोच्च निर्णयकर्ता निकाय है; इसलिए उपर्युक्त वक्तव्य से श्रम मानक के प्रश्न के प्रति डब्ल्यू टी ओ का रूख स्पष्ट होता है। इससे विकासशील देशों को फिर से पर्याप्त आश्वासन मिल गया है कि उनके खिलाफ संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए श्रम मानक मुद्दे का प्रयोग न तो अभी किया जाएगा और न ही भविष्य में। भारत समेत जिन विकासशील देशों ने इस प्रतिपादन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है, उन्होंने महसूस किया है कि यदि उपरोक्त संकल्पना को मंत्री-स्तरीय घोषणा में शामिल करने के बजाय केवल अध्यक्ष के समापन भाषण में ही शामिल किया जाता तो ये परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे।

सन् 1995 के आरंभ में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) जिसमें 28 विकसित देशों का प्रतिनिधित्व है, इस बात पर सहमत हुआ था कि निवेश प्रवाह को सुगम बनाने के लिए निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार को तैयार करने के लिए ओ ई सी डी देशों के बीच वार्ता शुरू की जाए। कुछ ही महीनों के पश्चात् प्रमुख ओ ई सी डी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ शिष्टमण्डलों ने डब्ल्यूटीओ में अनौपचारिक रूप से यह सुझाव देना शुरू कर दिया कि ओ ई सी डी द्वारा तैयार किए जा रहे ऐसे करार के बजाय, जिसे वे बाद में सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, डब्ल्यू टी ओ में ही इसी प्रकार का कार्य करना बेहतर रहेगा जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देश प्रतिनिधित्व करते हैं।

इन सुझावों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया निरन्तर यही रही है कि:-

(एक) ओ ई सी डी देशों के बीच होने वाले किसी भी करार का सरोकार ऐसे देशों से ही है और इनकी सभी डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के लिए स्वतः ही कोई सार्थकता नहीं हो सकती है।

(दो) यद्यपि निवेश का व्यापार से कोई सरोकार हो सकता है लेकिन विकास के साथ इसका कहीं अधिक संबंध और प्रभाव है और व्यापार तथा निवेश के विकासात्मक आयामों का विश्लेषण करने के लिए सर्वोत्तम संगठन अंकटाड है।

(तीन) इस बात का निर्णय करना प्रत्येक अलग-अलग देश पर निर्भर करता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उसकी अपनी क्या नीति-योजना होनी चाहिए और कोई एकल निवेश ढांचा उन देशों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(चार) यदि देशों के बीच निवेश पूंजी के प्रवाह को उदार बनाने का कोई प्रयास किया जाता है तो, इसके साथ-साथ श्रमिकों के पारगमन की नीति को भी उतना ही उदार बनाना होगा, जोकि उत्पादन का एक और प्रमुख कारक है।

सिंगापुर मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में, प्रायोजक देश अर्थात् कनाडा और जापान ने सभी विकसित देशों और साथ ही अनेक विकासशील देशों के समर्थन से, व्यापार और निवेश के संबंधों पर विचार करते हुए निवेश से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक शैक्षिक प्रक्रिया शुरू करने के अपने प्रस्ताव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुस्पष्ट रूप से कहा कि निवेश मुद्दे की किसी प्रकार की जांच शुरू करने के लिए सिंगापुर में दिए जाने वाले किसी नए आदेश पर हम सहमत नहीं हो सकते हैं और इन मामलों को पहले अंकटाड द्वारा जांच किए जाने को हम तरजीह देंगे। 9 दिसम्बर, 1996 के अपने पूर्ण वक्तव्य में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डब्ल्यू टी ओ को अपने आपको व्यापार के मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए और सदस्य देशों में घरेलू उत्पादन व्यवस्थाओं से संबंधित मामलों पर अनाधिकार हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय निवेश नीतियां अनन्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की सक्षमता के अन्तर्गत आती हैं। **इस संबंध में हमारे द्वारा अपनाए गए सुदृढ़ रुख के फलस्वरूप, डब्ल्यू.टी.ओ. में निवेश अध्ययनों की शुरूआत करने संबंधी प्रस्ताव के प्रायोजकों और समर्थकों को अपनी स्थिति को कम करना पड़ा और डब्ल्यू.टी.ओ. सचिवालय की सलाह से सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव के अनुसार चलना पड़ा कि यह अध्ययन केवल ट्रिम्स समझौते के अनुच्छेद 9 के विशेष प्रावधान सहित डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के मौजूदा ढांचे के अन्तर्गत ही शुरू किया जा सकता है।** डब्ल्यू.टी.ओ. में ट्रिम्स (व्यापार संबंधी निवेश उपाय) समझौते का मौजूदा अनुच्छेद 9 निम्नानुसार है :-

> "वस्तु-व्यापार संबंधी परिषद्, डब्ल्यू टी ओ समझौते के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों के अन्दर इस समझौते के प्रचालन की समीक्षा करेगी तथा, इसके मूल पाठ में

संशोधनों के लिए मंत्री-स्तरीय सम्मेलन को यथोचित सुझाव देगी। इस समीक्षा के दौरान वस्तु व्यापार संबंधी परिषद् इस बात पर विचार करेगी कि क्या इस समझौते में निवेश नीति एवं प्रतिस्पर्द्धा नीति के प्रावधान जोड़े जाएं अथवा नहीं"।

मौजूदा डब्ल्यू.टी.ओ. प्रावधानों के अन्तर्गत किए जाने वाले किन्हीं अध्ययनों के संबंध में भी हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अध्ययनों के परिणामस्वरूप वार्ताओं की कोई प्रक्रिया स्वतः ही शुरू नहीं हो जानी चाहिए और **भविष्य की तारीख में वार्ताएं करने का अगर कोई निर्णय होता है तो वह डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों की सुस्पष्ट आम सहमति पर ही आधारित होगा। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि व्यापार और निवेश संबंधों पर कार्य केवल मौजूदा डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते और उसके प्रावधानों के ढांचे के तहत ही किया जाना चाहिए और नए सिरे से बिना किसी सुस्पष्ट आम सहमति के इस अध्ययन के परिणामस्वरूप वार्ताएं नहीं होनी चाहिए। भारत ने निवेश के इस अति संवेदनशील क्षेत्र में भविष्य में किसी कार्य के बारे में अपने अधिकारों को न केवल कायम रखा है बल्कि उसे आगे भी सुदृढ़ किया है।**

प्रतिस्पर्धा नीति के मुद्दे के बारे में परिणाम, जिस पर **मौजूदा डब्ल्यू टी ओ प्रावधानों** के उसी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किए जाने की जरूरत है, उसे भी भारत के विचार से उसी प्रकार से संतोषजनक माना जा सकता है। अन्तिम मंत्री स्तरीय निर्णय में, सुस्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रतिस्पर्द्धा नीति संबंधी कार्यदल प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रक्रियाओं पर भी विचार करेगा। भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा आग्रह करने पर प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रक्रियाओं को कुछ विकसित देशों द्वारा कड़े विरोध के बावजूद शामिल किया गया। इस प्रकार विकासशील देशों को यह अवसर मिलेगा कि वे ट्रांसनेशनल निगमों की प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के मुद्दे को और प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रभावों वाले व्यापार-नीति उपायों के मुद्दों को उठा सकेंगे जैसे विकासशील देशों से आयातों के विरूद्ध विकसित देशों द्वारा शुरू की गई प्रति-पाटन (एंटी डम्पिंग) कार्रवाई का मुद्दा।

प्रस्तावित और अधिक उदारीकरण के क्षेत्र में, जहां कुछ देशों ने बहुपक्षीय सूचना प्रौद्योगिकी समझौता तैयार करने का विचार प्रस्तुत किया, हमारा यह विचार था कि विश्व-स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करना सामान्य रूप से लाभकारी होगा और घरेलू उत्पादकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की शर्त पर भारत चरणबद्ध रूप से टैरिफ कटौती के कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में विचार कर सकता है। इसके साथ-साथ, भारत ने बहुपक्षीय चर्चाओं के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था कि अगर विश्व-व्यापी सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ किया जाना है तो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दक्ष व्यक्तियों के आवागमन के नियमों का भी उदारीकरण किया जाना चाहिए। इसका यह परिणाम हुआ कि वार्ता का समय कम होने तथा सीमित कवरेज, जिस पर भारत विचार कर सकता था, की वजह से हम आई.टी. समझौते में शामिल नहीं हुए, जिसकी शुरूआत सिंगापुर में देशों के एक समूह द्वारा की गई थी।

महोदय, मैं निश्चित रूप से यह आशा करता हूं कि मेरे वक्तव्य में दिए गए उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से माननीय सदस्यगण संतुष्ट और पुनः आश्वस्त होंगे कि सिंगापुर मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में, हमारे राष्ट्रीय हितों की पूरी सुरक्षा हुई है और भारत ने कुछ मुद्दों पर अपनी सैद्धान्तिक स्थिति के बारे में किसी को संदेह की स्थिति में नहीं रखा है जिन पर भविष्य में भी मजबूती से कायम रहने की हमारी मंशा है। आप देखेंगे कि भारत ने अपने प्रमुख हितों के संबंध में किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं किया है बल्कि वे अन्य देश ही थे जो निवेश और महत्वपूर्ण श्रम मानकों के क्षेत्रों में **नए आदेशों** की मांग करते आ रहे थे और उन्हें भारत तथा कुछ अन्य देशों द्वारा किए गए कड़े विरोध के सामने बहुत हद तक अपने रूख में नरमी लानी पड़ी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रमेन्द्र कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर सदन में बोलने की अनुमति दी है। मैंने माननीय मंत्री के बयान को देखा है, पढ़ा है। क्या बयान को पढ़ने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो प्रतिनिधि-मंडल सिंगापुर गया उसको मंत्री-परिषद की ओर से क्या ब्रीफ था-इसकी चर्चा इस स्टेटमेंट में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व-व्यापार संगठन का काम क्या है? मेरी समझ से तो विश्व-व्यापार-संगठन का काम व्यापार के बारे में विचार-विमर्श करना है। आप इसकी प्रोसीडिंग को देखें, उसकी घोषणा को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार के अलावा दूसरे विषयों पर भी उसने विचार किया है और दूसरे विषयों पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी सहमति या असहमति का इजहार किया है। मंत्री महोदय के स्टेटमेंट में भी यह लिखा हुआ है।

सिंगापुर में प्रमुख विचार-विमर्श डब्ल्यू.टी.ओ. के भावी कार्यक्रम पर केन्द्रित था। इसमें नये मुद्दे भी शामिल थे जैसे लेबर-स्टेंडर्ड, वेज-पॉलिसी, प्रतिस्पर्धा-नीति आदि। मेरा कहना यह है कि इससे तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिन मुद्दों के लिए विश्व-व्यापार संगठन का गठन हुआ था, उन मुद्दों से विश्व-व्यापार संगठन हटने लगा है। उसने धीरे-धीरे उन मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है जो मुद्दे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं। हो सकता है कि हमारा शिष्ट मंडल जाने-अनजाने किसी जाल में फंस गया हो। ऐसा लगता है कि विश्व-व्यापार संगठन दुनिया की एक सुप्रीम गवर्नमेंट बन गयी है और उसकी पीछे अमरीका गवर्न करने के लिए तैयार है। क्या अब हम अपने देश की नीति, अपने देश का व्यापार खुद तय करेंगे या विश्व-व्यापार संगठन तय करेगा। क्या हमारी नीतियां अमरीका के इशारे पर होंगी?

अध्यक्ष महोदय, मुख्य बिन्दु यह है कि इस संबंध में हमारे देश के जो सिद्धान्त या नीति थी, उस पर पूरी सहमति थी या नहीं? क्या हमारा शिष्टमंडल इस सहमति से हटकर किसी दूसरी ओर गया? यदि

आप इसे देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारे शिष्टमंडल की मान्य नीति थी, उससे हटाकर अमीरों के प्रति झुकाव की प्रवृत्ति है। हम तो जिन्दगीभर गरीबों के बारे में चर्चा करते आये हैं लेकिन इस देश के उद्योगपति ने ऐसा करना शुरू कर दिया। सिंगापुर डैक्लरेशन में यही कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाईम्स का 14.12.96 का एक सम्पादकीय है। हमने जिन्दगीभर गरीबों की चर्चा की है, वे नहीं कर रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तान के उद्योगपति का एक हिस्सा इस डैक्लेरेशन से सहमत नहीं है। उसे इस बात पर शक है कि आगे चलकर विश्व व्यापार संगठन से भारत की आर्थिक सार्वभौमिकता को खतरा न हो जाये। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि देश में विदेशी निवेश मात्र 2 परसेंट है और बाकी 26 परसेंट हम अपनी सेविंग्स से करते हैं। हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्द्धा की नीति से संबंधित हो या यह कह सकते हैं कि इसका अप्रत्यक्ष संबंध विदेश व्यापार से है परन्तु यह तो हमारे देश की नीति से संबंधित है लेकिन जब इसके बारे में हमारे देश में नहीं, देश की पार्लियामेंट में नहीं और देश के आन्तरिक मामलों पर चर्चा विश्व व्यापार संगठन में हो तो यह आपत्तिजनक बात है। हो सकता है कि इस पर चर्चा दो वर्ष के बाद होगी और फिर क्या मालूम यह सरकार रहेगी या कोई और आयेगी, इस दुनिया की क्या स्थिति होगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज थोड़ा झुके हैं, कल और ज्यादा झुकेंगे? फिर धीरे-धीरे हमारी आर्थिक आजादी, सार्वभौमिक नीति सब खतरे में नहीं पड़ जायेंगे? आज मैं सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि इसकी इस संबंध में क्या नीति है? इस संबंध में हमने विश्व व्यापार संगठन में अपने देश के हित की क्या बात की है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम अपने देश से बाहर रॉ-मैटीरियल भेजते हैं और वह भी सस्ते दामों पर। लेकिन दूसरा देश उसे फिनिश गुड्स बहुत महंगे दामों पर देता है। क्या हम विश्व व्यापार संगठन में इसकी चर्चा कर सकते हैं? क्या हम इन कीमतों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? इस तरीके से जो डैक्लेयरेशन में कहा गया है। क्या इस बारे में विश्व व्यापार संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने वर्तमान सहयोग को जारी रखेंगे क्योंकि यह कहा गया कि लेबर स्टैंडर्ड के बारे में आई.एल.ओ. जो निर्धारित करेगा, उसे दुनिया मानेगी? क्या उनका सचिवालय आपस में विचार-विमर्श करेगा? इसका अप्रत्यक्ष अर्थ होगा कि डब्ल्यू.टी. ओ. ने आई.एल.ओ. में उसके फंक्शनिंग या उसके निर्णय में दखल देना शुरू कर दिया है?

डब्लू.टी.ओ. सुपर पावर है इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर आई.एल.ओ. के लेबर स्टैण्डर्ड में भी वह परिवर्तन कर दे। तब क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल ने जो कहा है कि हमने लेबर स्टैण्डर्ड्स के क्लोज को नहीं माना है पर लेबर स्टैण्डर्ड के प्रश्न पर इस बात को मान लिया कि डब्लू.टी.ओ. का सचिवालय आई.एल.ओ. के सचिवालय से इस संबंध में विचार करेगा। डब्लू.टी.ओ. कौन होता है आई.एल.ओ. के साथ विचार-विमर्श करने वाला? लेबर स्टैण्डर्ड के बारे में बात करने वाले ये कौन होते हैं? ये दुनिया के दादा हैं। ये टर्म्स डिक्टेट करेंगे और यदि यह हो गया तो क्या होगा? तब तो हमारे देश में हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। हमारे लोग कहां जाएंगे? अमेरिका तय करेगा कि हमारा कौन सा सामान बिकेगा और कौन सा सामान नहीं बिकेगा, हमें क्या सामान बनाना है और क्या सामान नहीं बनाना है? क्या हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को अमेरिका के आगे समर्पित कर दें? यही मुख्य प्रश्न है और इसी के मसले में डिक्लेयरेशन में जो कहा गया है कि दो ग्रुप बनाए गए हैं, इन दो ग्रुपों की क्या आवश्यकता थी? यह इस बात को बता रहा है कि सीधा-सीधा नहीं, धुमा-फिराकर ही सही, इनडायरेक्ट तरीके से ही सही, जो देश के मान्य सिद्धांत हैं, उनमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। हो सकता है सबजैक्ट इतना कठिन और टेढ़ा-मेढा है कि बहुत लोग और शायद हमारे मंत्री लोग भी नहीं बूझे हों। हमारे देश में नयी बात शुरू हो गई है कि भारी-भारी जो हाकिम अफसर लोग हैं, रिटायर होने के बाद कोई आई.एम.एफ. में चले जाते हैं और कोई वर्ल्ड बैंक में चले जाते हैं, कोई किसी की कनसलटेन्सी में चला जाता है। कहीं उसका भी इसमें आभास तो नहीं मिल रहा है? हमें डर लग रहा है कि हम देश के भविष्य को नहीं देखते हैं। हम अपने भविष्य को देखकर दूसरों के दबाव में आकर कि रिटायर होने के बाद हम भी कुछ ठीक-ठाक रहें ऐसा न करें। संविधान में मंत्री बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम आपकी चेयर पर रहते, तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाते कि मंत्री बनने का भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एम.पी. बनने का क्वालिफिकेशन है, मंत्री बनने का नहीं है। जो एम.पी. बन गया वह मंत्री भी बनेगा। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मंत्री तो बिना एम.पी. बने भी हो सकता है।

श्री रमेन्द्र कुमार : जोशी जी, आपको अनुभव है। आप 13 दिन के लिए ही बने थे मगर बने तो थे। ...**(व्यवधान)** हमारे संविधान में मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं बिहार से आता हूं। वहां एक सेक्रेटरी ने मंत्री से कहा कि हमने नोट भिजवा दिया है। मंत्री जी जल्दी से क्वार्टर पर गए और वह "नोट" देखने लगे। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेन्द्र कुमार उनका संदर्भ मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : आप भी बहुत दिन से पार्लियामेंट में हैं। थोड़ा बहुत हमें भी अनुभव है। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : नोट का क्या हुआ?

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : नोट वाले मामले में आप ज्यादा अनुभवी हैं। दो ग्रुप बनाने की बात कही गई है। दो ग्रुप किसलिए बनें और दो ग्रुप का क्या काम हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रमेन्द्र कुमार जी, कृपया एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य को सभा में इस प्रकार का कोई समाचारपत्र नहीं पढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : गेहूं के भाव देख रहा था। ...(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार : दो ग्रुप बनाने की बात कही गई है। हमारी नीति में शिफ्ट है। और हमारे डेलीगेशन को इस बात को मानना नहीं चाहिए था और यह जो डिक्लेरेशन में जो दो सब-ग्रुप्स की बात कही गई है, इसका मैं विरोध करता हूं। इसी के साथ-साथ जैसा हमको लगा कि जो हमारे देश की सर्विस है, वित्तीय सर्विस है, उसके बारे में चर्चा की गई है और उसके लिए भी कुछ स्टडी करने की बात उसमें कही गई है और मेरी समझ में वह स्टडी भी हमारे देश के हित में नहीं है और मंत्री जी तो यहां हैं नहीं, वह राज्य सभा में बोल रहे हैं, मंत्री जी को इस संबंध में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अब यह कहा जाता है कि हमारा देश अकेला पड़ जाता, आइसोलेशन से बचने के लिए हमने अपने स्टैंड में थोड़ा सा शिफ्ट किया तो आगे भी आइसोलेशन से बचने के लिए क्या हम ऐसी शर्तों को स्वीकार कर लें, ऐसी डिक्लेरेशन को सहमति व्यक्त कर दें जो हमारे देश के हित में नहीं है। जो वहां किया गया है वह भी हमारे देश के हित में नहीं है और इसीलिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में देश के जो मान्य सिद्धांत हैं, जिस बात पर हमारा देश एक है, उस पर किसी भी हालत में हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। यही कहकर मैं सरकार के बाकी के बिंदुओं पर अस्वीकृति की मांग करता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आभारी हूं कि इस पर सदन में गंभीर चर्चा की जा रही है और श्री रमेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न उठाये हैं वे बहुत ही तर्कसंगत हैं, देश की आर्थिक स्वाधीनता से संबंधित हैं, देश के भविष्य से संबंधित हैं। जब सिंगापुर सम्मेलन के लिए हमारी सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल के जाने की चर्चा हुई थी, उसी समय फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने इस बारे में उनसे मिलकर चर्चा की थी और उस संसदीय प्रतिनिधिमंडल में मेरे साथ श्री अशोक मित्रा, श्री जयपाल रेड्डी, श्री जॉर्ज फर्नांडीस और श्री ए.बी.वर्धन ये सभी लोग जो विभिन्न राजनैतिक दलों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सिंगापुर सम्मेलन के प्रति बहुत आशंकित थे, बहुत चिंतित थे। उनहोंने सबने मिलकर मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से गंभीर चर्चा की थी और हमने उनको यह अवगत कराया था कि सारा देश इस बारे में बहुत चिंतित है कि सिंगापुर सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो प्रस्ताव लाये जाने वाले हैं वे प्रस्ताव भारत जैसे देश के लिए बहुत हानिकारक हैं और अगर किसी तरह से गैट का विस्तार किया गया, उसका स्कोप बढ़ाया गया तो यह सर्वथा अनुचित होगा। गैट की जो संधि हुई थी उस संधि में इस प्रकार के ट्रिम्स का कोई उल्लेख नहीं था जो इनवेस्टमैंट से संबंधित ट्रेड के बारे में ट्रेड से संबंध स्थापित करे। ट्रेड के बारे में गैट ठीक बात करता है। गैट को बात करने का अधिकार है लेकिन यह इनवेस्टमैंट और ट्रेड का कोई संबध नहीं है। हमने बार-बार कहा था कि निवेश एक अलग बात है और इसको आप आप ट्रेड में क्यों जोड़ रहे हैं, यह एक साजिश है जिसके तहत इनवेस्टमैंट को ट्रेड से जोड़ा जा रहा है। हमने पूछा कि यह बतायें कि इनवेस्टमैंट और ट्रेड और इनवेस्टमैंट और डेवलपमैंट इनके संबंध क्या हैं। बहुत कुछ खोजबीन करने के बाद इतना ही पता लगा कि कुछ जो इन्ट्राफर्म ट्रेड हैं उसके अलावा और कोई संबंध इस इनवेस्टमैंट का ट्रेड के विस्तार से नहीं हैं। इन्ट्राफर्म ट्रेड किसमें होता है। यह मल्टीनेशनल कारपोरेशन में होता है। उन कारपोरेशंस में होता है जो अपना पूरा उत्पादन एक जगह पर नहीं करते। कुछ कहीं से करते हैं, कुछ कहीं से करते हैं और मिलाकर फिर बाद में अपनी कॉमोडिटी को, अपने उत्पाद को बेचते हैं। तो उनके बीच में इनवेस्टमैंट को लेकर और उनके ट्रेड को लेकर कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं वह सामान्य ट्रेड नियमों के आधार पर उसका फैसला करे। उसे इन्वैस्टमेंट से क्यों जोड़ा जा रहा है। यह बात हमने आग्रहपूर्वक कही थीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक चीज है। उसी तरह खतरनाक है जैसे मारकेश ट्रीटी के अंत में यह कोशिश की गई थी कि उसमें इन्वैस्टमेंट को जोड़ दिया जाए, एन्वायरमेंट, सोशल कन्सल्ट तथा लेबर को जोड़ दिया जाए। ये सारी बातें उसमें कही गई थी। हमने उस समय भी कहा था कि हमारे प्रतिनिधि ने इस पर आवाज नहीं उठाई। मारकेश संधि के समापन समारोह में डायरेक्टर जनरल महोदय ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने संकेत दिया था कि आगे चलकर गैट में इस पर चर्चा हो सकती है, डब्ल्यू.टी.ओ. में चर्चा के लिए यह विषय आ सकता है। हमें तब भी आश्चर्य हुआ था कि हमारे प्रतिनिधि वहां चुप क्यों रहे। यह प्रश्न अब नहीं खुल सकता, यह प्रश्न अब जोड़ा भी नहीं जा सकता लेकिन इस प्रश्न को जोड़ने की बराबर कोशिश चल रही है। उसके कारण बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने बहुत सोच-समझकर गैट नामक संस्था, जिसके अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. बनी है, का विकास किया था।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से नहीं, असल बात यह थी कि जिस समय यूरोप, अमेरिका और जापान की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से उनके सामने कठिनाइयां आ रही हैं, कई सैक्टर्स में विकासशील देशों में भी विकास हो रहा है, जैसे सौफ्टवेयर सैक्टर में भारत जैसे देश काफी आगे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के मामले में हमारे जैसे देश आगे जा रहे हैं, औटोमोबाइल के मामले में एक समय अमेरिका सबसे ऊपर था लेकिन आज वह अपने स्थान से गिर गया और जापान उसमें प्रवेश कर रहा है, दवाइयों के मामले में हमारे देश में पहले पेटेंट कानून था, जिसके मुताबिक हम बहुत सस्ती दवाएं निर्मित कर रहे थे जिससे मल्टी-नेशनल कम्पनियों को परेशानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने 1986 से लगातार इस बात की कोशिश की कि वे सब मिलकर एक नए उरूग्वे राउण्ड में जितनी वार्ताएं हो रही थीं, उसमें नए विषय का प्रवेश कराएं।

अपराह्न 4.22 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उसमें पेटेन्ट, इन्वैस्टमेंट और लेबर आदि को जोड़ने की कोशिश उन्होंने की। इस संबंध में एक डाक्यूमेंट "बेसिक फ्रेमवर्क आफ गैट प्रोविजन्स आन इन्टेलेक्युजल प्रापर्टी राइटस" है। उसमें यूरोपियन,

जापानी एण्ड युनाइटिड स्टेट्स की बिजिनैस कम्युनिटी के एक विचार रखा, उसमें एक संस्था यूनिसै है यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल एण्ड एम्पलायर्स कंफैडरेशन ऑफ यूरोप, जो 1958 में बनी थी, उसके 22 देशों के 33 मैम्बर फैडरेशन हैं, जिसका सैक्रेटेरिएट ब्रसेल्स में है, उसमें तमाम यूरोपियन यूनियन की बिजिनैस एण्ड इंडस्ट्रीज की बड़ी-बड़ी शार्क शामिल हैं, कुछ दूसरी संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं जैसे जापान की फैडरेशन ऑफ इकॉनौमिक आर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जापान के जितने बड़े-बड़े उद्योगपति और मल्टीनेशनल कार्पोरेशन्स हैं, उन सबने मिलकर इस संस्था को बनाया है और उनका उद्देश्य सारी दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाना और जापान के हितों की रक्षा करना है। एक तीसरी संस्था इसमें और शामिल है-आई.पी.सी यानी अमेरिकन इंटेलैक्चुअल प्रौपर्टी-उसमें कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिन्हें सारी दुनिया जानती है कि किस तरह वे सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

ब्रिस्टन मेवेस कंपनी लि., ई.आई. ड्यू पॉट डे नीमोर्स एण्ड कंपनी एफ.एम.सी. कारपोरेशन, जनरल इलैक्ट्रिक कं., जनरल मोटर्स कारपोरेशन, हेवलेरट-पैकर्ड कं., इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जॉनसन एण्ड जॉनसन, मेर्क एण्ड कं., इंक., मान्सोन्ये, फीजर इंक., रॉकवेल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और 'वारनर कम्यूनिकेशन्स इंक.'।

[हिन्दी]

ये लोगों से मिलकर दो साल तक कहते रहे, इस डाक्यूमेंट में उसका जिक्र है कि दो साल तक उन्होंने एक्सरसाइज की—यह कार्यवाही व्यापक रूप से उसी प्रकार का बौद्धिक संपदा कौल लाने से की दृष्टि की गई, जिसे ये तीन निजी क्षेत्र के संस्थान गेट बहुपक्षीय व्यापार समझौतों उरुग्वे दौर में अपनाना चाहेंगे। यह गैट उपबंधों के संबंध में निजी क्षेत्र को सर्वसम्मति से विकसित करने के लिए इन तीनों संगठनों के लगभग दो वर्ष के निकट सहयोग की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है।

[हिन्दी]

यह उस डाक्यूमेंट का रहस्य है जो सबको उपलब्ध है। अगर आप उसे देखें तो आई.वी.आर. और ट्रिप्स के संबंध में उसमें जो कुछ सुझाव दिए गए हैं, वैसे के वैसे सुझाव अमेरिका की सरकार और यूरोप की सरकारों ने गैट के अंदर बोलने शुरू किए और बराबर हमारे देश के ऊपर दबाव डाला ताकि भारत को इस बात के लिए मजबूर करें कि हम उन्हीं सारी शर्तों को मान लें।

उस समय ट्रिप्स के मुताबिक, जितने सुझाव उन्होंने दिए थे वे पूरे के पूरे शामिल नहीं हो सके जो ट्रेड रिलेटेड इंटैलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स के सारे सुझाव उसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने एक स्ट्रांग पेटेंट रिजीम की बात कही थी जिसे आपकी सरकार ने मान लिया और बड़ी मुश्किल से वह पेटेंट का कानून राज्य सभा में रुका हुआ है और अब फिर वह कानून समाप्त हो गया है, लेकिन कोशिश की जा रही थी उस समय भी कि एक स्ट्रांग पेटेंट रिजीम देश पर लागू की जाए, क्यों, क्योंकि इन तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े संगठनों ने, इस बात की कोशिश की क्योंकि वे उनके अधिकारों की रक्षा करते थे। वही आज इस ट्रिप्स के लिए किया जा रहा है। आज इनवैस्टमेंट के नाम पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने प्रश्नचिन्ह आकर खड़ा हो गया है। वे अमेरिका में इनवेस्टमेंट कहां करें? यूरोप में इन्वेस्टमेंट कहां करें? उनके यहां इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटयू आ गया है। उनके यहां आज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको अमेरिकन कौंसिल आन इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स ने जो लिखा है, अमेरिका में आज हालत क्या है, उनके यहां बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी घट रही है। उनके यहां इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए वे चाहते हैं कि वे बाहर जितना इन्वेस्टमेंट चाहें जिस रूप में कर सकें, उतना करें ताकि वे मुनाफा कमा सकें। इसके साथ-साथ उसके पीछे उद्देश्य क्या हैं, वे आगे इस रिपोर्ट में कहते हैं:—

[अनुवाद]

नौवें दशक के मध्यकाल के दौरान श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अमरीका में 8.4 मिलियन अधिक रोजगार गंवा बैठे। 3.8 मिलियन, जो इस रोजगार में तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रहे, उनमें से 64.8 प्रतिशत लोगों को या तो नया रोजगार नहीं मिला या फिर अंशकालिक रोजगार मिला अथवा ऐसा रोजगार मिला, जिसमें उनकी आय पूर्व आय से कम थी।

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट है जिसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं कि वहां क्या हालत हो रही है और किस तरह से आज अमरीका में अनएम्पलायमेंट बेहिसाब चला हुआ है। यही हालत करीब-करीब सारे यूरोपीय देशों की बनी हुई है।

मैं आपके सामने आई.एल.ओ. की रिपोर्ट रखना चाहता हूं तब आपको यह रहस्य समझ में आएगा कि इस तरह के समझौते क्यों करवाए जा रहे हैं और हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आई. एल.ओ. 1995 की है वर्ल्ड एम्पलायमेंट। इसमें वह कहता है-

[अनुवाद]

वर्ष 1974 और 1985 के बीच यूरोपीय समुदाय देशों में तेल की कमी के कारण आई मंदी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी काफी सीमा तक बढ़ी हालांकि इस बीच आये उतार-चढ़ावों के दौरान ई.एफ.टी.ए. (एकटा) देशों में काफी सीमा तक स्थिर रही।

इसमें आगे कहा गया है-

अंततः, 1990-94 की अवधि के दौरान संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाली सामान्य मन्दी से पूर्व काल के दौरान श्रम बाजार में हुए सभी सुधारों को व्यर्थ कर दिया। वर्ष 1994 के दौरान बेरोजगारी पुनः अपने 1985 वाले स्तर पर आ गई और यहां तक कि अधिकांश यूरोपीय देशों में उससे भी अधिक हो गई: पूर्व सोवियत गणराज्य में विघटन के समसामयिक प्रभाव के अंतर्गत, जिसने फिनलैंड को प्रभावित किया, स्वीडन और नार्वे में अधिक और लंबे समय तक

चलने वाली मंदी तथा स्विस मंदी के कारण **एफ्टा** में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी।

[हिन्दी]

यह आई.एल.ओ. की रिपोर्ट कहती है। यह किसी भारत के अर्थशास्त्री या किसी राजनीति की रिपोर्ट नहीं है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आगे चलकर इस रिपोर्ट में कहा गया है-

[अनुवाद]

> "इस प्रकार अमरीका ने यूरोपीय देशों के मुकाबले विकास के अनुपात में अधिक रोजगार का सृजन किया परन्तु इससे उत्पादकता-लाभ की तुलना में वास्तविक मजदूरी में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई।"

[हिन्दी]

और इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया है कि आज अमरीका में लोएस्ट प्राडक्टिविटी है और लोएस्ट वेजेज हैं। और आगे चलकर यह रिपोर्ट कहती है-

[अनुवाद]

अपेक्षाकृत सरल रूप में, हम इस अपर्याप्त विकास के प्रत्युत्तर के तीन अलग-अलग तरीके परिभाषित कर सकते हैं :—

- अमरीकी मॉडल : कार्यकारी निर्धन लोगों का एक संपूर्ण वर्ग तैयार करने के मूल्य पर श्रमिकों के एक बड़े भाग को रोजगार प्रदान करके निम्न आय में भागीदारी।
- स्वैन्डीनैवियन मॉडल-बढ़ते हुए दबावों और कम हो रहे सरकारी वित्त के मूल्य पर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के सृजन द्वारा संतोषजनक शर्तों के अंतर्गत सभी को रोजगार की गारंटी देना;
- यूरोपीय मॉडल-बेरोजगारों की बड़ी संख्या, जो अभी भी बढ़ रही है, के लिए कीमती बेरोजगार लाभ प्रणाली के माध्यम से उन लोगों की, जिन्हें इस रोजगार में विकास के सभी लाभ तथा अच्छी आय प्राप्त हो रही है, की आय तथा कार्यचालन शर्तों का संरक्षण तीनों मॉडलों अमरीकी, यूरोपीय और स्कैन्डीनेवीयन की असफलता का सबसे मुखर लक्षण वर्ष 1973 से उनके आर्थिक विकास का प्रबंधन है।

यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट, 1995 है।

[हिन्दी]

ये सारे के सारे देश, इनकी अर्थव्यवस्था यह खुद खतरे में पड़ी हुई है। इनके सामने एम्पलायमेंट पैदा करने के लिए, मार्केट पैदा करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के रास्ते निकालने के लिए और उस इन्वेस्टमेंट का प्राफिट अपने यहां लाने के लिए आज रास्ते तलाशने की जरूरत है और इसलिए रास्ते तलाश रहे हैं। यह जो डाकुमेंट है, इसमें दो बातें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्रवेश करवा दी हैं, जिनका उल्लेख अभी श्री रमेन्द्र कुमार जी ने किया और वह यह कि आप एक स्टडी ग्रुप बना दें। यह तो अंगुली पकड़ कर पौंचा पकड़ने का एक तरीका है। आज स्टडी ग्रुप बनाएंगे, कल को कहेंगे कि इस पर जरा थोड़ी सी चर्चा हो जाए, कल कहेंगे कि गोष्ठी हो जाए फिर परसों कहेंगे कि अच्छा अब आप इसको इसमें शामिल कर लें।

हर समय आपके हाथ को कहीं न कहीं ऐंठेंगे। कहीं न कहीं आपके ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगायेंगे। आपको धमकायेंगे। आपके व्यापार को रोकने की कोशिश करेंगे और इन बातों को पेश करने के लिए पूरा यत्न करेंगे। अगर स्टडी ग्रुप में जिन बातों पर विचार करने के लिए बात कही गयी है, वह मान ली जायेगी तो उसका बड़ा भारी नुकसान इस देश को उठाना पड़ेगा। हमारे देश को ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। वह क्या चाहते हैं? वह यह चाहते हैं कि विदेशी कम्पनियां और स्वदेशी कम्पनियों को लैवल प्लेईंग फील्ड दे दिया जाये। हम मांग कर रहे हैं लैवल प्लेईंग फील्ड देने की। उसका अर्थ यह है कि हमारे और उनके बीच जो विषमतायें हैं, उनके बराबर आ जायें और हम समान रूप से ताकतवर बनकर लैवल फील्ड पर काम करें। वे कहते हैं कि हमें इन्वैस्टमैंट पर लैवल फील्ड दिया जाये। यानी हम इस देश में चाहे जहां, जिस क्षेत्र में चाहे जिस आईटम को बनाने की सुविधा प्राप्त करें और चाहे जितना मुनाफा अपने-अपने देशों में ले जा सकें। मेरे पास वह डाकुमेंट है जो यूरोपियन यूनियन ने प्रस्तावित किया था। जिसका मतलब सिर्फ यही है कि आप सारी दुनिया के इंकमटैक्स कानून को एक जैसा बना दें। सारी दुनिया के इन्वैस्टमैंट कानून को एक जैसा बना दें। सारी दुनिया की इंडस्ट्रियल पालिसी एक सी बना दें और ये लोग यहां आयें, पैसा बचायें और सोशल ओब्लीगेशन के यहां से चले जायें। चाहे जितना पैसा ले जायें तो पार्लियामैंट क्या करेगी? अगर इंकमटैक्स का कानून डब्ल्यू.टी.ओ. बनायेगा तो हम और आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उस पर मोहर लगायेंगे। हम सिर्फ एक क्लाईंट बनकर यहां बैठे हैं। देश स्वाधीन रहेगा मगर सरकार डब्ल्यू.टी.ओ. की पराधीन बनी रहेगी। वे फैसला करेंगे कि आपको इन्वैस्टमैंट की यह छूट कितने प्रतिशत देनी है, आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि आप डब्ल्यू.टी.ओ. को मान चुके हो। वे फैसला करेंगे कि कौन सा सामान किस देश में वे बनायेंगे और आपको मंजूर करना पड़ेगा। आप उसको इंकार नहीं कर सकते। अगर यह सवाल है तो आपकी आर्थिक स्वाधीनता कहां जायेगी? भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में यह सवाल उठाया था कि भारत की आर्थिक स्वाधीनता पर खतरा है। इसी सदन में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन जी ने भाषण देते हुए कहा कि भारत की आर्थिक स्वाधीनता पर खतरा है और देश को उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें आश्चर्य है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद इस देश की सरकारों ने आर्थिक स्वाधीनता को बचाने का कोई रास्ता नहीं अपनाया और बराबर एक के बाद एक आर्थिक स्वाधीनता को खतरे में डालते चले जा रहे हैं। बराबर एक के बाद एक सारे देश को बेचते जा रहे हैं।

यह तो आर्थिक स्वाधीनता को बचाये रखने का कोई रास्ता नहीं है और उस तरफ बैठे हुए जितने मित्र हैं, चाहे सोमनाथ बाबू हो, निर्मल बाबू हो या बसुदेव बाबू हो, इस बारे में उनका क्या रुख है? जब हम इसका विरोध कर रहे थे तो इस तरफ बैठे हुए दल के नेता लोगों ने हमारा साथ दिया था। श्री वाजपेयी जी ने 1994 में जिस यह गैट संधि हो रही थी तब रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली को सम्बोधित करते हुए जिन खतरों की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट किया था, वे सारे खतरे आज हमारे सामने उपस्थित हो गये और तमाम देशों के लोगों ने इस डंकल प्रस्ताव की और गैट संधि की आलोचना की थी। वे तमाम लोग आज वहां सामने बैठे हुए हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि उसके बाद आपने किस तरह से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। किस तरह से आप यह मानने के लिए तैयार हो गये कि दो स्टडी ग्रुप बना दिये जायें जो आगे चलकर डब्ल्यू.टी.ओ. के मार्गदर्शक सिद्धांत बन जायें। इसका क्या डिस्प्यूट सैटेलमैंट है, इसका क्या जिक्र है, कहीं कुछ पता नहीं है। अमरीका तो कहता है कि अगर तीन और फैसले हो जायेंगे, जो मेरे कानून के खिलाफ होंगे, मेरे हितों के खिलाफ होंगे तो मैं गैट से वापिस आ जाऊंगा। मैं डब्ल्यू.टी.ओ. को नकार दूंगा। आज स्थिति यह है कि अमेरिकन कानून डब्ल्यू.टी.ओ. को सुपरसीड करता है। आप वहां क्या स्वीकार करके आये हैं? जो कुछ वे करेंगे उसके बाद तो अमेरिकन कानून लागू नहीं होता। क्या आपने वहां सुपर 301 को हटाने की आवाज उठाई? क्या आपने लैबर मूवमैंट को सारी दुनिया में थ्रू ऑउट सारी दुनिया में खुला करने के लिए कोई आवाज उठाई? जो ग्लोबलाईजेशन की बात की जा रही है तो उस ग्लोबलाईजेशन का मतलब क्या है? उनकी पूंजी यहां आये, उनका मुनाफा यहां से वहां चला जाये, उनका सामान यहां बिकने के लिए आये लेकिन हमारी श्रम शक्ति, हमारे टेलेंट, हमारे डाक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक, ये वहां न जाने पायें। ये तो अजीब ही मार्केट थ्योरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको हम खुला बाजार कैसे कह सकते हैं? मार्केट फोर्सिस कैसे कह सकते हैं? ग्लोबलाईजेशन का मतलब क्या है? अगर ग्लोबलाईजेशन सिर्फ वनवे ट्रैफिक है कि उधर आयेगा लेकिन इधर का उधर नहीं जायेगा और आप ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार करके आते हैं तो यह देश के हित में नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी भी तौर पर इस डब्ल्यू.टी.ओ. के स्कोप को बढ़ाये जाने की बात है, इसका आधार बढ़ाया जा रहा है तो यह सवाल उसके अंदर क्यों नहीं उठा? फिर लेबर मौबलाईजेशन का सवाल क्यों नहीं उठा? इस बारे में बहस क्यों नहीं की गयी कि सुपर 301 हटना चाहिए।

ये सवाल हैं जिनको देश जानना चाहता है कि भारत के प्रतिनिधिमंडल ने वहां क्यों ऐसा किया और इन सारी चीजों को स्वीकार कर लिया।

यदि इसके अंदर लेबर के मामले हों तो आई.एल.ओ. कम्पीटैंट बॉडी है। लेबर स्कैंडल्स के बारे में जो कुछ वे फैसला करें, जैसा अभी रमेन्द्र जी ने कहा, वही स्वीकार होने चाहिए। इन्वैस्टमैंट के और ऐसे जो ट्रेड रिलेटेड मामले हैं, वह अंकटार्ड क्यों नहीं करता। आप अंकटार्ड को भी एक तरफ करना चाहते हैं, आई.एल.ओ. को भी एक तरफ करना चाहते हैं और धीरे-धीरे यू.एन.ओ. को भी एक तरफ करना चाहते हैं। जो अमरीका की नीयत हमें दिखाई दे रही है और जिस तरह से वह यू.एन.ओ. के साथ व्यवहार कर रहा है, हमें साफ नजर आ रहा है कि कालांतर में यू.एन.ओ. का स्थान डब्ल्यू.टी.ओ. लेगा। डब्ल्यू.टी.ओ. के ऊपर केवल यूरोपियन यूनियन, अमरीका और जापान का कब्जा होगा। इसके अलावा बाकी सारी दुनिया उनके आर्थिक साम्राज्य के नीचे तबाह हो जाएगी। इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर फाईबर के बारे में बात कही जाती है, टैक्सटाइल के बारे में बात कही जाती है तो टैक्सटाइल्स के संबंध में तो आपने सिर्फ थोड़ी सी चिन्ता व्यक्त कर दी है। बाकी और तो कुछ स्पैसीफिक बात उसमें नहीं कही। जो बैरियर्स आज हमारे टैक्सटाइल्स पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो कोई स्पैसीफिक बात नहीं कही गई है। मैंने स्टेटमैंट देखा है। सिर्फ इतना ही है कि हमें चिन्ता है। टैक्सटाइल हमारे देश के विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने उसके हितों का कोई समर्थन इसमें नहीं किया है, उसके बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है। फिर इसमें आप कहते हैं तो यह पर्यावरण को व्यापार और विकास से जोड़ना है ऐनवायरमैंट उन देशों ने खराब किया, पर्यावरण को उन्होंने दूषित किया। सबसे अधिक ऐटॉमिक रेडियेशन्स और सबसे अधिक ऐफ्लूऐंट दुनिया के वातावरण में यदि कहीं से आए हैं तो वे उन देशों की टैक्नौलोजी से आए हैं। पिछले 30-40 सालों में उन्होंने जिस तरह की टैक्नोलौजी अख्तियार की है, उससे हालत यह है कि ग्रीनलैंड जैसे द्वीप में भी आज डी.डी.ई.टी. की परसैनटेज टौलरैंस से अधिक है। ग्रीनलैंड का कोई मतलब नहीं है, सिविलाईजेशन वहां से बहुत दूर है, बहुत थोड़े लोग वहां रहते हैं, इंडस्ट्री भी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल ऐफ्लूऐंट जो उन्होंने आज सारे पर्यावरण में फेंका है, उसका नतीजा वहां है। ग्रीन हाउस इफैक्ट क्या हमने पैदा किया है। ग्रीन हाउस इफैक्ट तो सब उनकी देन है। सारी दुनिया के ऐनवायरमैंट को उन्होंने खराब किया है। सारे कैमिकल्स को उन्होंने खराब किया है। दुनिया के समुद्र के किनारे की मछलियों को मारने की जिम्मेदारी उन देशों की है जिन्होंने अपनी कैमिकल इंडस्ट्री के तहत सारे ऐफ्लूऐंट समुद्र में फेंक दिए जिसका नतीजा यह है कि लाखों, करोड़ों की मात्रा में विश्व की सबसे अच्छी मछलियां चली गई। वह एक अलग प्रश्न है। सारे समुद्र का बैलैंस खराब हो गया। वायु का प्रदूषण उन्होंने किया है। जल का प्रदूषण उन्होंने सबसे अधिक किया है और आज हमारे ऊपर ऐनवायरनमैंटल सारे कंसीडरेशन्स लगाने की बात करते हैं और उसे ट्रेड से जोड़ना चाहते हैं। कहेंगे कि आपके गेहूं, चावल, फल हम नहीं लेते। आप फाइटो सैनिटरी कंडीशन्स का पूरे तौर पर पालन नहीं करते। यह बात हमारे ऊपर कही जाएगी और हमारे ट्रेड पर बैरियर्स लगाए जाएंगे। ऐनवायरमैंट तो उन्होंने खराब किया है। आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर लादने की बात कही जा रही है। डैवलपिंग नेशन्स को उसमें बांधा जा रहा है। मैं इसे उचित नहीं मानता। जब वे यह कहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. एक इंटरनैशनल एजैंडा है और हरेक नेशन के लिए एक नैशनल एजैंडा ऐनवायरनमैंट पर लगाएं, यह

बहुत खतरनाक बात है। यह हमारे हित में नहीं है। हमारी प्रौद्योगिकी को नष्ट करने की बात है क्योंकि आज जिन कंडीशन्स को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसकी तरफ बढ़ने में हमें अभी थोड़ा समय लगेगा। खराब उन्होंने क्रिया है सफाई तो हमें करनी होगी। लेकिन उसके लिए जो समय हमें चाहिए, वह समय भी नहीं देना चाहते और हमारे ऊपर वे कंडीशन्स लगाना चाहते हैं जो उनके व्यापार को तो आबादित रख सकेगी लेकिन हमारे व्यापार को रोक देगी। अभी हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने चाईल्ड लेबर के सवाल उठाकर हमारी सारी कारपैट इंडस्ट्री तबाह की है। आप जानते हैं कि आज एक विदेशी संस्था जब तक उसके ऊपर सैर्टीफिकेट नहीं देती हमारा कारपैट बाहर नहीं जा सकता। क्यों? ये परिस्थितियां आप स्वीकार करते जा रहे हैं। कल को हमारी जैम्स एंड ज्वैलरी के ट्रेड पर भी वे कह सकते हैं कि जिस जगह बैठकर सुनार काम कर रहा है वहां ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाई-ऑक्साइड ज्यादा है या फलॉ पॉलूशन है। इसलिए हम इस ज्वैलरी को नहीं लेते। आपका सारा इंटरनेशनल ट्रेड समाप्त हो जाएगा।

सर्विसेस के बारे में कहा। वहां जो फाईनैंशल सर्विसेस हैं और उनकी तरफ से जो सर्विसेस हैं, जिनको वे लाना चाहते हैं इंश्योरैंस, और बैंकिंग में तो वे आ ही गए हैं, बाकी सर्विसेस में भी आना चाहते हैं। उसके लिए वे डैडलाइन रखते हैं। कि इस तारीख तक सारी बात पूरी हो जानी चाहिए। कब तक वे इस बारे में फैसला करेंगे कि लेबर मोबीलाइजेशन, लेबर मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाये, यह अनिश्चित काल तक टलता जायेगा, यह कैसा समझौता आप स्वीकार कर रहे हैं। इस देश के हित में आप क्या करना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं। फिर आपने वर्किंग ग्रुप की स्टडी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेज की बात की, इसका मतलब तो यह है कि हमारे ऊपर सारी कंडीशंस वे लाद देंगे और हम उन कंडीशंस को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वे कहेंगे, वह प्रोक्योरमेंट स्टेंडर्ड आपको पालन करना पड़ेगा और अगर आप पालन नहीं कर सकेंगे तो आपके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अहित होगा, वह बढ़ नहीं सकता। वैसे ही हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घट रहा है, हमारा एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट्स बराबर हैं, इस अप्रैल से सितम्बर तक के महीने के जो आंकड़े आये हैं, उनमें आपका एक्सपोर्ट घटा है? यह तमाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दुनिया के अन्दर जिस तरह से हुआ है, यह बढ़ता रहता और हमारा व्यापार उसके अनुरूप उसके अनुपात में बढ़ता रहता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती और मैं आपकी इस बात को मान लेता कि इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते से हमारे जैसे देशों का कोई हित हुआ है।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की और इन तमाम धन्नासेठ देशों की असली मंशा क्या रही है। यह आज की मंशा नहीं है। यह मंशा इन लोगों की बहुत पुरानी रही है कि हमारे जैसे तमाम देशों को ये अपने कब्जे में रख सकें और इन तमाम देशों के अन्दर वे अपना एक अबाधित राज्य स्थापित कर सकें। सन् 1750 से 1900 तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में हम लोगों का शेयर कैसे घटा और जो तब हुआ, वही आज 1900 से 2000 तक हो रहा है, क्योंकि आजकल जिस तरह से हमारा शेयर घट रहा है, उसको तो सब जानते हैं। 1758 में यू.एस.ए. का शेयर वर्ल्ड ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में केवल 0.1 परसेण्ट था और बीसवीं सदी के शुरूआत में 23.6 परसेंट हो गया था, जो अब और बढ़ गया है। जापान का 3.8 परसेंट था, चाइना का 32.8 परसेंट था, जो घटकर 6.2 रख दिया गया है और यह तमाम साम्राज्यवादी नीतियों का, आर्थिक नीतियों का परिणाम है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मिले हुए थे, तब हमारा ट्रेड शेयर 24.5 परसेण्ट था, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में घटकर 1.7 परसेंट रह गया था और आज भी दो और 2.5 परसेंट के आसपास लटका हुआ है, इससे अधिक नहीं है। तो कौन सा लाभ इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते से हमारे जैसे देशों को हो रहा है, कितना व्यापार हमारा बढ़ा है? क्या इंटरनेशनल ट्रेड शेयर हम इन दो सालों में प्राप्त कर सके हैं, यह मैं जानना चाहूंगा? अगर इस देश का शेयर 2.5 परसेंट से बढ़कर 10 परसेंट हो गया होता तो मैं समझता कि इन समझौतों का लाभ हमारे देश को है और आप ये जो कुछ बातें कर रहे हैं, ये देश हित में हैं। यह नहीं है, देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घट रहा है, देश का एक्सपोर्ट घट रहा है, देश का एम्पलायमेंट घट रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। इसके अलावा पिछले पांच सालों में ये तमाम नीतियां उन्होंने चलाई थीं, राव साहब की सरकार ने और जिनको आपके वित्त मंत्री बहुत ही फेथफुल्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका नतीजा हमारे सामने यह है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन समझौतों से आपने देश का कौन सा हित किया? यह समझौता आपको नहीं मानना चाहिए था, आपने देश के हितों के साथ भारी अपराध किया है। मैं इसका विरोध करता हूं और सदन इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, देश इसको कभी भी स्वीकार नहीं करे सकता।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : डब्ल्यू.टी.ओ. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अत्यन्त सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। इसीलिये हो सकता है चीन प्रवेश करना चाहता हो। आप इस निष्कर्ष पर क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमारा इसमें सम्मिलित होना एक गलती रही है यदि संभव हो, तो इसमें से हम बाहर आ जायें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने यह बहुत पहले कह दिया था और मेरे दल ने यह बहुत पहले कह दिया था।

[हिन्दी]

जिस तरह से डब्ल्यू.टी.ओ. में जो शर्तें रखी गई थीं, वे ठीक नहीं थीं और अगर हम सब मिलकर यह तय करें, क्योंकि यह केवल एक पार्टी का सवाल नहीं है, अगर सारा देश इस बात को तय करता है, सारे इसको तय करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. हमारे देश के हित में नहीं है, हमें उससे वापस आना चाहिए, तो जरूर वापस आना चाहिए, मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि इस डब्ल्यू.टी.ओ. से वापस आने के लिए हिम्मत चाहिए और मैं समझता हूं कि उस समय आप हमारे कम्युनलिज्म को भूल जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम सभी एक साथ इसे कर सकते हैं। हमारे पास बाहुबल है।...**(व्यवधान)**। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप साम्प्रदायिक होने से रुक जायेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : जब डब्ल्यू.टी.ओ. से वापस आ जाएं तब निर्मल बाबू कहते कि वापस तो आ जाते लेकिन सेक्युलर फोर्सेज आफ दी वर्ल्ड युनाइटेड है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु हम लोग सब एक साथ होकर उनसे लड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात हमारी शर्तों पर कहेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) **:** तब आप यह कहते कि हम कम्युनल प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप डब्ल्यू.टी.ओ. से नहीं बच सकते हैं। आपको इन सब मामलों में खींचा जायेगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) **:** एक हिम्मत के साथ बात होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं जो इन देशों का विचार रहा है, तमाम धनी देशों ने जिस तरह से हमारे जैसे देशों को कालोनी बनाया, उसका मिजाज इंग्लिश इकोनोमिस्ट जैवंस ने 1865 में किया था, वह जाहिर होता है। मैं वह आपको बताना चाहता हूं। यह पाल केनेडी की पुस्तक है।

[अनुवाद]

"प्रोपेरिंग फॉर दि 21 सेन्चुरी" उसके पेज नं. 9 से मैं कोट कर रहा हूं :—

"उत्तर अमेरिका और रूस हमारे खेत हैं। शिकागो और ओडेसा हमारे अनाज के भण्डार हैं। कनाडा और बाल्टिक वन हमारे लकड़ी के वन हैं। ऑस्ट्रेलेशिया हमारे भेड़ के फार्म हैं अर्जेन्टीना और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी प्रायद्वीप हमारे बैल के क्षेत्र हैं, पेरू अपनी चांदी भेजता है और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाता है; हिन्दू और चीनी हमारे लिये चाय उगाते हैं और कॉफी, चीनी और मसाले ये सभी इंडीज में हैं। स्पेन और फ्रांस हमारे वाइनयार्ड है और मेडीटेरेनियन हमारे फलों के बाग हैं और कपास के खेत जो काफी लम्बे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में थे अब वे विश्व में किसी नमी भूभाग पर बनाये जा सकते हैं।"

[हिन्दी]

आज भी वही करना चाहते हैं, सिर्फ इसमें ब्रिटेन को हटा दीजिए, यूरोपियन यूनियन को रख दें, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को रख दें तो ये यही चाहते हैं कि हम चाय-कहवा, कच्चा माल सप्लाई करते रहें, कॉटन ग्रो करते रहें, गन्ना पैदा करते रहें, मसाले पैदा करते रहें और वे दुनिया में ऐश करते रहें। यह है उसका रहस्य-जो आज एक नया निजाम, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया पर लादी जा रही है। बात 1865 में कही थी और वही बात आज भी सन् 2000 तक भी उनके दिमाग में बैठी हुई है। आप सोचते हैं कि क्यों समर्थन कर रहे हैं। आप दुनिया के तृतीय देशों का नेतृत्व क्यों नहीं करते, दुनिया के गरीब और कुचले लोगों का जो इस एक अंतर्राष्ट्रीय दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं, उनका नेतृत्व क्यों नहीं करते। हिम्मत के साथ आगे आइए। जैसी हिम्मत के साथ आपने सी.टी.बी.टी. में अपना दृष्टिकोण लिया था, जिससे पूरे देश को साहस मिला था और देश ने प्रशंसा की थी, हम वैसी ही हिम्मत की अपेक्षा अब भी कर रहे थे। सारे दलों ने कहा था कि हिम्मत दिखाइए और उसका विरोध कीजिए। हमें उस समय यह लगता था कि आप वहां जाएंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के हितों पर आघात करें, लेकिन मैं रमेन्द्र जी से बिलकुल सहमत हूं कि जो हमारे देश के ऐसे अफसर हैं जो डरते हैं, घबराते हैं कि यहां से रिटायरमैंट के बाद उनका आई.एम.एफ. और विश्व बैंक का प्रोस्पैक्ट है, भविष्य है, वह धूमिल हो जाएगा।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) **:** उनके बच्चों का भी जो जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उनके बच्चों का भी हो जाएगा, जैसा कि कल्पनाथ जी कह रहे हैं। उनका तो हो ही जाएगा। कृपा करके आप इन तमाम नौकरशाहों से ऊपर उठकर सोचें, देश के हित में सोचें। हम चाहते हैं हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी स्टील की है, यह बनाना स्पाइन से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा संघर्ष हमें और आपको करना है, देश को तैयार करना है। मैं समझता हूं एक मौका था जब आप एक मैसेज देश को और सारे जगत को दे सकते थे कि हिंदुस्तान फिर से खड़ा हो रहा है, हिंदुस्तान अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, हिंदुस्तान किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, किसी के दबाव में नहीं आना चाहता। अगर वहां पर हिम्मत के साथ ऐसा दृष्टिकोण रखते तो सारी दुनिया आपके पीछे आने को तैयार होती और भारत का नेतृत्व सारी दुनिया में स्वीकार्य होता। मुझे दुख और निराशा है कि आपने इस सिंगापुर सम्मेलन में इन दो चीजों को स्वीकार करके देश के साथ भारी अपराध किया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखने की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। बाकी जो मैंने बिंदु बताए हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सबने भी हमें निराश किया है। हम नहीं समझते कि डब्ल्यू.टी.ओ. का दो वर्ष बाद पुनरीक्षण हुआ था इससे हमारा हितसाधन हुआ है या हम हिम्मत से पेश कर सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समझौते के सारे बिंदुओं से अपनी असहमति व्यक्त करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सारा सदन इसका एक स्वर से विरोध करे और डब्ल्यू.टी.ओ. को संदेश दे कि भारत की संसद सम्प्रभुतासम्पन्न है। मैंने अमेरिका के लोगों से बात की और उनसे कहा कि आप अपने सुपर 301 को क्यों नहीं हटाते, तो उनके एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि यह हमारी स्टेचुअट बुक में है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे सॉवरन वाले हैं।

मैंने उनसे कहा-आप 23 करोड़ की संप्रभुता रखते हैं, हमारी संसद 96 करोड़ की संप्रभुता रखती है। हमारी संसद किसी भी हालत में किसी से कम नहीं है। इसलिए आज अगर इस संप्रभुता को ठीक ढंग से हिम्मत के साथ वहां काम में लाते, तो मेरा विश्वास है कि आप भारत का नाम ऊंचा कर सकते थे। यह मौका आपने खो दिया। यह हमेशा हुआ है कि देश जो कुछ करना चाहता है, सरकार कई बार उलट जाती है और देश की इच्छाओं के विपरीत, देश की आशाओं और आकांक्षाओं के विपरीत आचरण करके, मुझे अफसोस है कि सिंगापुर में यही दुर्घटना फिर से इस देश के साथ दोहराई गई है।

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह अच्छी बात है कि सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन, जिसमें भारत भी भाग ले रहा था, के सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था, उस पर बारीकी से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं करता कि भारत को विश्व व्यापार संगठन में भाग नहीं लेना चाहिए था या इसकी सदस्यता त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार का सुझाव उस समय भी दिया गया था जब इस सभा ने उरुग्वे वार्ता सम्मेलन में डंकल प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए विचार-विमर्श किया था।

हमें आज के युग में यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि कोई भी देश विश्व से अलग थलग होकर नहीं रह सकता। जब डंकल प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे और सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह याद रखना चाहिए कि भारत उस सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले 103 देशों में से एक था और उनमें केवल विकसित देश ही नहीं थे अपितु बहुत से विकासशील देशों ने भी डंकल प्रस्तावों में भाग लिया था और यहां तक कि चीन ने भी डंकल प्रस्तावों, जिन्हें इस सौदे में शामिल किया गया था, में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। अतः विश्व व्यापार संगठन के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 9 के अनुसार सम्मेलन प्रति वर्ष होगा और यह सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। इस सम्मेलन में 128 देशों ने भाग लिया। यह कहना सही नहीं है कि उसमें केवल विकसित देश ही थे। इस सम्मेलन में बहुत से बड़े और छोटे विकासशील देशों ने भी भाग लिया था। निःसंदेह, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा मंत्र है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू ढंग से चलता है। निःसंदेह, इसका यही उद्देश्य था। लेकिन साथ ही, हमें यह भी नहीं भुलाना चाहिए कि हमें अर्थव्यवस्था, विकास, निवेश और व्यापार के उदारीकरण के नाम पर, विकासशील देश अपने यहां विकसित देशों को आर्थिक प्रभुत्व की अनुमति न दे सकते। जब भारत जैसा विकासशील देश इस सम्मेलन में भाग ले रहा हो, उस समय परिप्रेक्ष्य यही होना चाहिए। इस सम्मेलन में विचारार्थ आये मुख्य विषयों में से एक यह था कि क्या श्रम मानदंड को संरक्षणवाद के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विभिन्न देशों का आर्थिक विकास एक समान नहीं है। अपने अत्यधिक पूंजी निवेश के कारण विकसित देश कुछ लाभ उठाने के साथ-साथ उनसे श्रेष्ठ होने की भावना रखते हैं। वे संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण की लागत वहन कर सकते हैं। उनके पास धनराशि प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इसके साथ ही, विकासशील देशों में निःसंदेह कुशल श्रमिकों को उनके श्रम के बदले कम मजदूरी दी जाती है।

अगर यह मान भी लिया जाये कि आर्थिक उदारीकरण के नाम पर विकासशील देशों के मजदूरी मानदंड अथवा श्रमिक मानदंड वैसे ही होने चाहिए जैसे इसे विकसित देशों द्वारा अपनी संरक्षणवाद की नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तो भारत ने सदैव ही इसका विरोध किया है। भारत ने अन्य सभी विकासशील देशों के साथ इस पर आपत्ति की है। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कम से कम इस स्थिति का औचित्य बताया गया है, दोहराया गया है। सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों के सम्मेलन में अब इस पर सहमति व्यक्त की गई है कि श्रम-मानदंड, जिन्हें विकसित देश अपनाने पर जोर दे सकते हैं, को संरक्षणवादी नीति के साधन के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दूसरे शब्दों में, अगर सिंगापुर में मंत्रियों के सम्मेलन की कोई वैधता है तो और मुझे आशा है कि यह स्वीकार्य होगा क्योंकि सभी देश मंत्री स्वर पर दि गए इस महत्वपूर्ण आश्वासन का ध्यान रखेंगे क्योंकि यह एक विश्व व्यापार संगठन का एक शीर्ष निकाय है कि श्रम मानदंडों, संरक्षणकारी उपाय के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किए जायेंगे। अन्य शब्दों में, विकसित देशों ने विचार किया कि इस प्रक्रिया के द्वारा वे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ कर सकते हैं और निम्न मजदूरी के मानदंड के कारण, वे यह तर्क दे सकते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था को संरक्षणवाद की भी आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो निवेश के प्रवाह पूंजी-निवेश में लाभकारी स्थिति के कारण विकासशील देश भी उसका समान रूप से दावा कर सकते हैं। क्योंकि फिर विकासशील देशों को भी विकसित देशों के विरूद्ध इसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होगी। सिंगापुर में हुए सम्मेलन में मंत्रियों के आश्वासन द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

यह भी स्वीकार किया गया है कि विकासशील देशों की निम्न मजदूरी लागत नीति पर कोई निवेश प्रश्न नहीं कर सकता। निम्न मजदूरी नीति पर प्रश्न नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक देश का अपना श्रम विधान है, प्रत्येक देश की अपनी मजदूरी नीति है अपने कल्याण संबंधी विधान है, जिनका उद्देश्य उनकी अपनी समस्याओं से निपटना है और अगर आवश्यक हो तो उन्हें श्रमिकों की समस्याओं और किसी देश विशेष की श्रमिक स्थिति के अनुरूप बनाना है। ऐसी कोई भी पूर्व-निर्मित नीति नहीं बनाई जा सकती, जिसे सभी देश स्वयं: ही स्वीकार कर लें। अतः किसी देश की मजदूरी लागत नीति, जो भी हो, उस पर कोई अन्य देश प्रश्न नहीं उठता सकता।

लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। हालांकि सिंगापुर सम्मेलन में मंत्री स्तर पर मूल मुद्दों के संबंध में आश्वासन दिया गया है कि न तो श्रम-मानदण्डों को संरक्षणवाद के हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और न ही निम्न मजदूरी नीति पर-प्रश्न किया जा सकता है, तथापि उसमें एक खंड है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन के बीच पत्राचार होता रहेगा। सिंगापुर सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया है कि अगर मजदूरी संबंधी निर्णय लिया जाना है, तो वह विश्व व्यापार संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकार क्षेत्र में होगा जो किसी देश विशेष की आर्थिक स्थिति के संबंध में विचार करेगा कि मजदूरी नीति में किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को अनदेखा करने में विश्व व्यापार संगठन सक्षम प्राधिकरण नहीं है। उस मामले में भी, यह सुनिश्चित है कि विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार के विकास के नाम पर किसी देश विशेष, चाहे वह विकासशील देश हो अथवा नहीं, की मजदूरी निर्धारण संबंधी घरेलू नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही, जब हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन के बीच होने वाले पत्राचार पर नजर डालते हैं तो मेरे दिमाग में एक आशंका उठ रही है।

अपरान्ह 5.00 बजे

यह पत्राचार किसलिए किया जाना है? अगर यह पत्राचार रिकार्ड के कुछेक मामलों और कुछ पत्रों तक ही सीमित रहता है तो फिर इसक बारे में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन के बीच हुए पत्राचार पर हम कड़ी निगरानी रखते हैं कि कहीं पत्राचार के आदान-प्रदान में वे मजदूरी नीति अथवा श्रम मानदंडों जैसे किसी नीतिगत निर्णय पर विचार करना न शुरू कर दें। अगर दोनों संगठनों में पत्राचार हो तो यह दस्तावेजों अभिलेखों तक ही सीमित हों अन्यथा नहीं। दोनों संगठनों में पत्राचार के नाम पर मजदूरी नीति अथवा श्रम मानदंडों के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यह बात सरकार को भी स्पष्ट होनी चाहिए कि पत्राचार के नाम पर इस प्रकार का कोई प्रयास न किया जाए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस सभा को आश्वासन देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन के बीच पत्राचार के संबंध में प्रारूप तैयार करते समय इसी बात का ध्यान रखा गया था। उन्हें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन इस पत्राचार के माध्यम से किसी प्रकार मजदूरी नीति अथवा श्रम मानदंडों के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेने में हस्तक्षेप न करे।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जहां विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन संबंधी एक बहुपक्षीय समझौता लागू करने का प्रयास किया है। मैं इससे सहमत हूं कि निवेश में वृद्धि करने का मामला विश्व व्यापार संगठन अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, अपितु निवेश-वृद्धि का मामला ऐसा है, जिसका संबंध प्रत्येक देश विशेष की घरेलू नीतियों से होता है। विकासशील देश को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह कितना और किस सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित कर सकता है। संपूर्ण विश्व की अंतर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी नीति का तैयार करना और निर्देश देना सिर्फ उन्हीं विकसित देशों का ही कर्तव्य नहीं है जो ओ.ई.सी.डी. के सदस्य हों, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे देश की अपनी आर्थिक समस्यायें हैं और हम निवेश की अपनी नीति अपनाकर ही अपनी समस्यायें सुलझा सकते हैं। हम विकासशील देशों पर तानाशाही नहीं चला सकते। हम किसी विकासशील देश को यह नहीं बता सकते कि उनकी निवेश नीति क्या होनी चाहिए। लेकिन साथ ही, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है तो उन रुकावटों को जो काफी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध पहुंचाती है, सरल करना पड़ेगा। प्रशुल्क और गैर-शुल्क क्षेत्रों में आये भेदभाव, जो व्यापार प्रवाह में अक्सर बाधा उत्पन्न करता है, को हटा दिया जाये अथवा कम से कम विनियमित कर दिया जाये तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को काफी सीमा तक आसान बनाया जा सकेगा।

कोई भी ऐसी नीति, जो इस प्रकार के भेदभाव को कम करने का प्रयास करती है, का स्वागत है, लेकिन साथ ही, हमें यह नहीं भुलना चाहिये कि उदारीकरण के नाम पर हाल ही में एक प्रयास किया गया है कि विकसित देश जब यह देखते हैं कि उनका बाजार ठप्प होने लगा है तो वे अपना आर्थिक प्रभाव उन क्षेत्रों में फैलाते हैं जिनका विकासशील देशों द्वारा अभी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि उन्हें विकासशील देशों की घरेलू अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की अनुमति न दी जाये। सिंगापुर सम्मेलन में यह बात बड़े स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा चुकी है।

विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया है कि अगर कोई निर्णय किया जाता है तो इसमें सभी देशों की स्पष्ट सर्वसम्मति आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में, कोई भी निर्णय जो ओ.ई.सी.डी. और 28 विकसित देशों द्वारा लिया गया है, उसे किसी भी प्रकार से विकासशील देशों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अगर निवेश के संबंध में कोई नीति तैयार की जाती है तो इसमें सभी पक्षों की स्पष्ट सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी। अतः अगर कोई पक्ष, कोई विकासशील देश इससे सहमत नहीं होता, तो वह उस पर बाध्य नहीं होगा। अतः यह विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है।

इसके साथ-साथ ही, हालांकि आरंभ में विकसित देशों ने जो दृष्टिकोण अपनाया था, उससे वे धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं, तथापि एक व्यवस्था यह की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश के संवर्द्धन के संबंध में एक अध्ययन किया जाये। मैं नहीं जानता कि कोई अध्ययन कैसे और क्यों किया गया और हमारे देश को उससे क्यों सहमत होना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। फिर, इस वक्तव्य के अनुसार, इस अध्ययन का विस्तार निवेश नीति के नये क्षेत्रों तक नहीं किया जा सकता। लिखित रूप में यह जैसा है, अच्छा है। लेकिन साथ ही, अगर कोई अध्ययन किया जाता है, विशेषज्ञों के समूह द्वारा कोई अध्ययन किया जाता है और वह दल निवेश नीति के विस्तार अथवा उसमें संशोधन संबंधी कुछ सुझाव देता है, जिनका विकासशील देश पर प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे विचार से, इसके दुःखद परिणाम होंगे। इस प्रकार के किसी अध्ययन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और ऐसे किसी मामले में इस बात की बड़ी निगरानी की जानी चाहिये कि जो अध्ययन किया जाये, वह अपना कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के स्तर से बाहर न ले जाये। अगर ऐसा नहीं होता, तो भी भविष्य में कोई ऐसा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, जहां अध्ययन के नाम पर निवेश नीति के विस्तार अथवा संशोधन के संबंध में कुछेक सुझाव दिये जायेंगे और यह विकासशील देशों को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न यह होगा कि इसे स्वीकार किया जाये अथवा नहीं। हमारे देश को इस प्रकार के किसी खंड को शामिल किये जाने का विरोध करना चाहिए।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जून, 1991 से मई,

1995 तक बल्कि जून, 1995 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान, यह देखा गया है कि उदारीकरण की नीति अपनाने से हमारे निर्यात अप्रत्याशित स्तर 26 प्रतिशत तक बढ़ गये थे; देश के आर्थिक विकास में, हमारा औद्योगिक विकास 12 प्रतिशत के अपने शीर्ष स्तर तक जा पहुंचा था; हमारी मुद्रास्फीति घटकर पांच प्रतिशत रह गई थी; हालांकि शुरू में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 2 अरब डालर था, यह बढ़कर 20 अरब डालर से भी अधिक हो गया था। अगर इसका परिणाम यही रहा, तो फिर आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ही वर्तमान विघटन का कारण है?

इस समय हमारी औद्योगिक विकास की दर 12 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गई है; और अब यह आठ प्रतिशत होगी।

हम देखते हैं कि हमारे निर्यात 26 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गये हैं। आने वाले महीनों में हमारी क्या स्थिति होगी, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान एक महीने में 350 मिलियन डालर से 50 मिलियन डालर पर आ गया। हम यह नहीं कह सकते कि यह दशा पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई किसी आर्थिक नीति का परिणाम है। यह वर्तमान सरकार का कुप्रबंध है, जिसने इस देश को इस आर्थिक बदहाली तक पहुंचाया है। कुछेक महीनों में पूंजी बाजार में गिरावट आई और देश में बचत में कोई वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक बदहाली और भी अधिक होने वाली है।

अगर वर्तमान सरकार विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। हम अलग-थलग होकर नहीं रह सकते। संरक्षणवाद को विकसित देश आवृत रूप में अपनाये हुए हैं। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि अमरीका के पास सुपर 301 खंड है। यह और कुछ नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से संरक्षणवादी नीति है। वे उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण और सारे विश्व में धनराशि के मुक्त प्रवाह के विकास की बात करते हैं, लेकिन अमरीकी संहिता में सुपर 301 जैसे खंड इस प्रकार की धारणाओं के विरूद्ध जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के संवर्द्धन पर जोर देना चाहिये। अमरीका द्वारा इस प्रकार का खंड हटा देना चाहिये। यह विकसित देशों की ओर से वास्तव में एक अच्छा संकेत होगा।

महोदय, मैं वर्तमान सरकार को इस बात के प्रति सावधान करना चाहूंगा कि जब तक यह सरकार उस नीति का पालन करती है, जिसे पूर्व सरकार ने शुरू किया है, निःसंदेह तब तक हम इस सरकार को समर्थन देंगे। लेकिन उन्हें इससे आश्वस्त नहीं होना चाहिये अथवा इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि वर्तमान सरकार जो कुछ भी करेगी, उसी को कांग्रेस अपना समर्थन प्रदान करेगी। प्रत्येक मौके पर हम कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के संदर्भ में इसके कार्यों की जांच करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं कुछ विवेकपूर्ण ढंग से किए गये निर्णयों, जिन पर मैं पहले ही बोल चुका हूं, का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष जी, वैसे सिंगापुर में क्या हुआ, कैसे भारत सरकार के प्रतिनिधि वहां देश के हित की रक्षा करने के बजाय अमेरिका और उनके समर्थकों के सामने झुक गए, यह इसकी चर्चा है। लेकिन सिंगापुर में इस चर्चा को क्या हुआ, वहां तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। पिछले कुछ सालों से अमेरिका का विशेषकर बड़े उत्पादक देशों का हमला उन राष्ट्रों पर, जिनको अंग्रेजी में हम डवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डैवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उन पर चल रहा है। इसके पीछ एक बहुत बड़ा दर्शन भी है। एक बहुचर्चित दस्तावेज है जिस पर तीन साल पहले हमारे देश में भी चर्चा हुई थी। वह दस्तावेज हारवर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत नामी प्रोफेसर सैमुअल हण्टिंगटन ने लिखा था, जिसका नाम था-"द चेन्जिंग सैक्यूरिटी ऐनवायर्नमेंट एण्ड अमेरिकन नेशनल इंटरैस्ट्स।" मैं उसके दो-तीन वाक्य यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं चूंकि हम लोग जब ऐसे मुद्दों पर जो सिंगापुर में हुई दुर्घटना जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उसको केवल एक क्षणिक चीज करके ही न देखें।

हंटिगटन ने लिखा था और यह अमरीका की नीति के बारे में वह लिख रहा है। हंटिगटन अमरीकी नागरिक है, बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर सोचने वाला और लिखने वाला हारवर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और वह जब कोई बात लिखता है तो कोई एक लेख के तौर पर नहीं लिखता है, वह एक नीति-निर्देशन के तौर लिखता है और उसके साथ कुछ तथ्यों को भी रखता है, वह कहता है :

[अनुवाद]

"अन्य सभ्यताओं की तुलना में पाश्चात्य सभ्यता एक असाधारण शक्ति का केन्द्र बिन्दु है। उसके महाशक्तिशाली विरोधी हट गये हैं। पश्चिमी राज्यों के बीच सैन्य कार्यवाही के बारे में सोचा नहीं जा सकता है और पश्चिमी सैन्य शक्ति का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। जापान को छोड़कर पश्चिम को कोई आर्थिक चुनौती नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सुरक्षा संस्थानों और जापान के साथ आर्थिक संस्थानों पर प्रादुर्भाव है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सुरक्षा के मामले प्रभावी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के निर्देशों पर हल कर लिये जाते हैं। विश्व आर्थिक मामले संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान के निर्देशों पर हल कर लिये जाते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ असाधारण निकट संबंध बनाकर रखते हैं और कम शक्तिशाली तथा गैर पाश्चात्य देशों को अलग रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में लिये गये निर्णयों में पश्चिम के हितों को झलक मिलती है और उसे विश्व समुदाय की आकांक्षाओं के रूप में विश्व में दर्शाया जाता है "विश्व समुदाय" शब्दों को सुभाषित रूप में "मुक्त विश्व" के स्थान पर लगा दिया गया है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विश्व शक्तियों के हितों और कार्यों का विश्व में वैध बनाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पश्चिमी देश

अपने आर्थिक हितों का संवर्द्धन करते हैं और स्वयं को उचित लगने वाली आर्थिक नीतियों को अन्य राष्ट्रों पर थोपते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी आखिरी वाक्य इस प्रकार है:

[अनुवाद]

"प्रभावी रूप में पश्चिम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों को इस प्रकार विश्व को चलाने में उपयोग करते हैं जिससे पश्चिमी प्रभाव बनाये रखने, पश्चिमी हितों की रक्षा करने और पश्चिमी राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना सुनिश्चित हो सके।"

पता नही आपके अधिकारियों ने आपको कभी यह पढ़ने के लिए दिया था या नहीं।

अपराह्न 5.18 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुये)

सभापति महोदय, इसकी जरूरत है क्योंकि किस दिशा में दुनिया चल रही है और डब्ल्यू.टी.ओ. जिसको अमरीका ने बहुत ही सख्ती करके बनाया था, गैट को हटाकर डब्ल्यू.टी.ओ. को बनाया था ताकि केवल व्यापार की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न हो, बल्कि अन्य चीजों को भी आर्थिक और उसके साथ जुड़े हुए हर प्रकार के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को जिस प्रकार उसको इस्तेमाल करना है, तो इसी एक मकसद से अमरीका ने इसको बनाने में पहल की थी और उसके पीछे जो दर्शन था वह हंटिगटन अमरीका की ओर से बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुका है और अगर उसे हम नहीं समझेंगे तो जो आज आपने यह बयान यहां पर दिया है, ऐसा ही बयान देकर कि हमने तो बड़ी जीत पाई है, हम हारे नहीं हैं, यह कहकर खुद को भ्रमित करेंगे, दुनिया को भ्रमित नहीं कर पायेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है हम लोगों को उन्होंने कहां तक पहुंचाया है। लेकिन मंत्री जी ने खुद एक बयान दिया था और यह उनका बयान 12 दिसम्बर के फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू को "दी मुलाकात" में आया था। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री बी.बी. रमैया कहते हैं:

[अनुवाद]

भारत के वाणिज्य मंत्री श्री बोला बुल्ली रमैया ने कहा है :

"अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से विदेशी निवेशकों को स्वतः ही एशिया में अपने आपको स्थापित करने का अधिकार मिल जायेगा...

अब मंत्री महोदय इन शब्दों को याद रखें। "एशियाई सरकारों का निवेशों की जांच करने का सार्वभौमिक अधिकार। ये शब्द आपके हैं, उनके नहीं हैं जो स्वदेशी की बात करते हैं" और उनके नहीं हैं जो सम्प्रभुता के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि लोग यह कहना चाहते हैं कि हम एक भिन्न दुनिया में रहते हैं और अभी भी हमने नई दुनिया की शर्तों को माना नहीं है, इत्यादि।

[हिन्दी]

ये आपके शब्द थे।

"निवेशों की जांच करने के एशियाई देशों की सरकारों के सार्वभौमिक अधिकारों को छीनना।"

[अनुवाद]

आगे आपने कहा है—

[अनुवाद]

"यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देशों को अपने निवेश प्राथमिकताओं का पता लगाने की अनुमति दी गई है। वे हमसे अधिकार ले नहीं सकते। वे नहीं ले सकते थे। आपने उस अधिकार को छोड़ दिया था।"

[हिन्दी]

सभापति जी, हम ऐसा नहीं कहते कि ये नहीं लड़े। वहां हमारे लोगों ने खूब आवाज की, बहुत लड़े, हम मानते हैं, कि लड़े मगर हमारी शिकायत यह नहीं है कि आप लड़े या नहीं लड़े, हमारी शिकायत इस बात को लेकर है कि ये शरण क्यों गए, आपने शरणागति क्यों स्वीकार की? आपने कहा कि हम अकेले पड़ गए थे लेकिन क्या भारत को नेतृत्व सिंगापुर देगा, क्या हम मलेशिया और इंडोनेशिया के चेले बन जाएंगे और वे देश हमें बताएंगे कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। वे किनकी ओर से ऐसा बोलते हैं, किनके हित में बोलते हैं-हम नहीं जानते। क्या उन्होंने आपसे बात की, आपको समझाया था क्योंकि आपने जो बयान फार ईस्टर्न इकॉनौमिक रिव्यू को दिया, उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि इस पर हस्ताक्षर करने से कोई नुकसान होना है, आप किसी गलतफहमी में हैं, इससे आपकी सौवरेनिटी पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्या उन्होंने आपको समझाया था। किस आधार पर आपने उनका नेतृत्व स्वीकार किया?

यहां आइसोलेशन की बात बार-बार कही जा रही है। आप हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं? हिन्दुस्तान आइसोलेशन का मतलब जानता है लेकिन यहां आइसोलेशन की बात नहीं थी, नेतृत्व की बात थी। आप आइसोलेट नहीं होते, आप विश्व को बताते कि हंटिगटन ने अमेरिका के लिए जो दर्शन बनाकर रखा है, उन्होंने जो तथ्य बताये हैं, उनका सामना करने की ताकत हिन्दुस्तान नाम के देश में है और वह ताकत सिंगापुर तक पहुंच चुकी है। उससे क्या होता? अगर हम नहीं जानते तो कुछ नियमों को आप हमें भी सिखाइए। जब आप कहते हैं हमें मंजूर नहीं, तो फिर सिंगापुर में वोट होता। उसमें अगर आप अकेले हो जाते तो उस डिक्लेयरेशन को स्वीकार करने के लिए, वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए वहां वोटिंग हो जाता। यदि वह बहुमत से पास हो जाता तो हो जाने देते, उससे क्या नुकसान होता, कम से कम इतनी बात तो दुनिया के सामने जाती कि भारत के विदेश व्यापार मंत्री

ने अकेले खड़े होकर कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है। उससे हम लोगों को नुकसान नहीं होता। बार-बार यहां जिस आइसोलेशन की बात कही जा रही है, हम आइसोलेट नहीं होते। दो साल बाद, जब यह वर्किंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट बनाकर आया था, आपके सामने बोलने के लिए वह नैतिक अधिकार होता कि हमने उसका समर्थन नहीं किया, हम यहां भी उसका विरोध करते हैं-ऐसा कहने का आपको मौका मिल जाता लेकिन आपने उसे भी छोड़ दिया। उसकी क्या जरूरत थी? कोई आपके ऊपर सख्ती नहीं कर सकता था, ओरिजिनल ट्रिम एग्रीमेंट के हिसाब से दो साल का समय आपके पास था फिर आप शरण में क्यों गए? इसका जवाब आपके बयान में हमें कहीं देखने में नहीं आया, कहीं नहीं मिला।

मैं नहीं जानता कि आप हरारे गए या नहीं गए लेकिन प्रधान मंत्री जी गए थे-भले ही उन्होंने अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने से इसे जोड़ा लेकिन वे गए थे और उन्होंने वहां बयान दिया, बहुत मजबूती से बयान दिया। वे हरारे में बोले-

[अनुवाद]

एक प्रेस वक्तव्य में श्री देवेगौड़ा ने कहा :

> इस बात पर सहमति थी कि विषय को समझने के लिए तथा विकासशील देशों पर इसके कार्यान्वयन के लिए निवेश समझौते को अंकटाड जैसी संस्था द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिये।

श्रमिक मानदण्डों पर श्री देवेगौडा ने कहा :

> यह व्यापार से संबंधित मामला नहीं है और इसे अगले महीने सिंगापुर में डब्ल्यू.टी.ओ. की मंत्री स्तरीय बैठक में नहीं लाना चाहिये।

[हिन्दी]

यह तो वहां जी-15 की बनी हुई एक संयुक्त राय थी। तो किस के लिए आप लोग सारे सम्मेलनों को करते हैं? क्यों परिवार और हम सब 50-60 लोग पिकनिक के तौर पर जाते हैं? क्या हमारे परिवार के लोगों को घुमाने के लिए जी-15, जी-77 आदि के ये सब सम्मेलन होते हैं? और अन्त में जाकर शरण हो जाते हो जब अमेरिका सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि खबरदार, दस्तखत करो। वहां जाकर शरण हो जाते हैं।

सभापति जी, मैं गुस्से से कह रहा हूं। मुझे भी यह ठीक नहीं लगता है कि मैं इस प्रकार से बोलूं, लेकिन मैं क्या कहूं? हरारे का क्या मतलब था? कितनी बेइज्जती आज हमारी दुनिया के सामने हो रही है? कौन हमारी इज्जत करेगा? अमेरिका ने जी-15 के एक-एक देश को दबा लिया। मान लिया, कोई तौर-तरीके अपनाए, आर्म ट्विस्टिंग की, कोई सौदे किए। लेकिन आपके सामने तो कोई सौदे नहीं हुए और हम जानते हैं कि नहीं हुए। आपको केवल दबाने का काम हुआ और दूसरों को इस्तेमाल किया। उन लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती है? और जी-15 और जी-77 के देशों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। हमारे देश की कौन सी इज्जत बचती है? सिंगापुर में हम लोगों की इज्जत को इस सरकार ने क्या भारी चोट नहीं पहुंचाई? ये क्या कर रहे हैं क्या यह इन लोगों को नहीं मालूम?

सभापति जी, हमें इस बयान को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिसको लेकर आपके अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोगों ने लेबर के बारे में काफी पाया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सौदे किए वह कोई आपकी जीत नहीं है। मेरे पास यह ओरिजिनल ड्राफ्ट का हिस्सा है, जो लेबर के ऊपर है और जिसको डब्ल्यू.टी.ओ. के डायरैक्टर जनरल श्री रनाटो रूगियेरो ने पहले ही तैयार कर रखा था कि इसमें क्या लिखना है। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। जो उनका ओरिजिनल ड्राफ्ट है, जो उन्होंने वहां सबमिट किया था, जिसके ऊपर इनका समझौता हो गया है—

> हम कम वेतन वाले देशों के प्रतिस्पर्धी लाभ के प्रश्न को नहीं रख रहे हैं न ही व्यापार समाधान को हम प्रमुख श्रम मानक लागू करने के लिये उत्तर मान सकते हैं। हम श्रम अधिकारों के संवर्द्धन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रमुख भूमिका मानते हैं।

[हिन्दी]

अब देखिए सौदा कहां हुआ है, इसमें लिखा है। हम मानते हैं कि कोर लेबर है। उसके बारे में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है, जिसको हम व्यापार आदि को बढ़ाने में इस्तेमाल करें, लेकिन यह जो आपका समझौता हो गया और जिसको आपने इसमें लिखकर हम लोगों को बांटा है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि जब आप इसको कबूल करते हैं, और ये ही रनाटो रूगियेरो ने अन्त में इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

> हम अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रमुख श्रम मानकों का अनुपालन करने हेतु अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं।

[हिन्दी]

डिफाइन किया है। किस ने डिफाइन किया है? क्या इसमें कोई फुट नोट है? क्या इसके ऊपर आपने कोई विशेषाधिकार प्राप्त किया है कि कोर लेबर स्टेंडर्ड कौन-कौन से हैं जिनको वे रिकागनाइज करते हैं अपने कमिटमेंट में? फिर आगे, यह उनका ओरिजनल ड्राफ्ट है सभापति जी, इसमें उन्होंने यह कहा था—

[अनुवाद]

> वन श्रम अधिकारों के संवर्द्धन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रमुख भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.टी.ओ. ने चाहा था और यह आपने कबूल किया। उन्होंने यह दस्तावेज आपके सामने रखा। आपने चिल्लाया, कुछ उन्होंने काटा और कुछ जोड़ा और उन्होंने जो जोड़ा वह यह है-

[अनुवाद]

इस संबंध में हम नोट करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सचिवालय वर्तमान सहयोग को जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

उसका कोलोबरेशन कहां था, कब था? आपका खुद का दस्तावेज है। आपका हरारे का दस्तावेज है जहां आपने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि डब्ल्यू.टी.ओ. से कोई मतलब नहीं है। पूरा आई.एन.ओ. का काम है। इसमें डब्ल्यू.टी.ओ. का नामोनिशान तक नहीं है। इस दस्तावेज में जो बयान दिया, तो फिर डब्ल्यू.टी.ओ. को वहां क्यों घुसने दिया गया। आप कह रहे हैं कि हम लोग लेबर स्टैंडर्डस के मामले में जीत गये और आप यह कबूल करके आये कि डब्ल्यू.टी.ओ. और आई.एन.ओ. दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यह भी नहीं करेंगे, कर रहे हैं और वह काम जारी रहेगा। क्या आपको यह अधिकारियों ने नहीं बताया कि इन सारे कामों में अमरीका किस प्रकार की चालबाजी करता है। उसका जो मकसद है, उसको पूरा करने के लिए वे क्या क्या बोलते हैं? क्या-क्या कदम उठाते हैं? क्या यह बात आपको नहीं बताई? क्या यह पुनरावृत्ति नहीं हो रही है कि उरूग्वे राउंड में इस प्रकार हुआ था। हम लोग सर्विसेस, इंटलैकचुअल प्रापर्टी और एग्रीकल्चर के बारे में, इन सब मामलों में व्यापार का मामला नहीं मानते हैं और अलग से हम लोग रोज शाम को बात करते जाये और बात करते-करते अंत में गैट भी खत्म हो गया और जो हम नहीं चाहते थे, जिसके लिए तीन-चार साल पहले यह देश, देश के भीतर और देश के बाहर तक हर जगह पर लड़ा था। इन सब चीजों में 1989 में हम लोगों ने शरण ली और आज फिर उसी पिटे पटाये रास्ते पर चलने लगे।

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस चीज को ये लोग लैबर स्टैंडर्डस में जीत पाये हैं, उसमें जीत वगैरह की कोई बात नहीं है। हम लोग इसमें बहुत पीटे गये हैं और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से इसमें से बाहर आने का रास्ता हम लोगों को मिलेगा। जहां तक मल्टीलेटरटल इन्वैस्टमैंट का मामला है, असल में यह मल्टीलेटरल न होकर युनीलैटरल है क्योंकि अमरीका का कहना है कि हमें अपनी पूंजी को जहां चाहे उस देश में जिस तरह से चाहें उस तरह से ले जाने का अधिकार होना चाहिए और यह तर्क भी दिया जा रहा है। ट्रिम्स में यह बात बहुत पहले से शामिल थी। हम लोग कहते हैं कि ट्रिम्स में यह बात बहुत पहले से शामिल नहीं थी। ट्रिम्स में इन्वैस्टमैंट से संबंधित दो बातें शामिल थी। पहली बात यह शामिल थी कि कोई भी देश दूसरे देश पर अपनी पूंजी ले जायेगा। जिस देश में वह जाना चाहेगा तो वह देश कुछ शर्तें लगायेगा और वह शर्तें कुछ पोजटिव होंगी और कुछ नेगटिव होंगी। पोजटिव इस मायने में कि वह तय करेगा कि कितनी पूंजी आनी चाहिए, देश के किन इलाकों में जानी चाहिए, किस आधार पर वहां आनी चाहिए। उस प्रकार की कुछ पोजटिव शर्तें लगेंगी और कुछ नेगटिव शर्तें इस मायने में लगेंगी कि एक बार पूंजी आ गयी तो फिर वह पूंजी आने पर उसका मुनाफा कितना बाहर जा सकता है, कितनी देश में रहनी चाहिए। उस पूंजी के चलते जो कोई भी चीज देश में पैदा होगी उसमें से कितना निर्यात होना चाहिए, कितनी मात्रा में देश में रहना चाहिए आदि-आदि कुछ पोजिटिव और कुछ नेगटिव शर्तें मात्र ट्रिम्स में हैं। इसके अलावा, ट्रिम्स में हम अपने पूरे अधिकार को लेकर आपके देश में जाकर पूंजी लगवायेंगे, ऐसा किसी भी शब्द में, किसी भी संकेत में भी ट्रिम्स के एग्रीमैंट में नहीं था। आज ट्रिम्स का स्वरूप बदलने के लिए आप लोगों ने कबूल किया।

सोमनाथ जी ने बहुत बड़ा सवाल यहां पर पूछा है। फिलोग्राम बात को आप छोड़ें क्योंकि जो फोरम है, पार्लियामैंट्री फोरम, इंटलैकचुअल प्रापर्टी और पेटेंट ये सारी चीजों का जो फोरम है उसमें कहीं छुआछूत की राजनीति नहीं है। हम लोग सब एक साथ बैठकर वहां पर बातें करते हैं। कुछ निर्णय लेते हैं। श्री मुरली मनोहर जोशी इस फोरम के अध्यक्ष हैं। श्री अशोक मित्रा उसके फाउंडर मैम्बर हैं। श्री जयपाल रेड्डी उसके फाउंडर मैम्बर हैं तथा ए.बी. बर्टन उसके मैम्बर न होते हुए भी उसमें लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। वहां किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। सोमनाथ बाबू जी ने जो प्रश्न यहां पर छेड़ा, हम समझते हैं कि इस प्रश्न के ऊपर जरूर सोचना चाहिए क्योंकि यह नहीं चल सकता कि हिन्दुस्तान को इस तरह से दबा दिये जाने की बात हो। इस बात को कबूल नहीं किया जा सकता।

अब जो कहा जाता है कि व्यापार में अगर हम पीछे रह गए, अगर दुनिया के साथ अपने को नहीं जोड़ा तो हम दुनिया में कहां रहेंगे, विदेशी मुद्रा चाहिए आदि-आदि बातें लाई जाती हैं। मैं मंत्री जी से और सरकार से जानना चाहता हूं, वे हमें बताएं। यह प्रश्न अभी जोशी जी ने भी यहां पर पूछा है, लेकिन मैं कुछ ठोस बातों के साथ पूछना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में हिन्दुस्तान का निर्यात बढ़ रहा है, पिछले दो सालों में बढ़ा है, पिछले पांच सालों में बढ़ा है या कल बढ़ने की गुंजाइश है। यह सैंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनौमी (सीएमआईई) का इस महीने का दस्तावेज है। हमारे निर्यात का आंकड़ा है, पिछले साल और इस साल दोनों का, क्योंकि हम दिसम्बर के महीने में हैं, उन्होंने यहां पर अगस्त महीने के आंकड़े दिए हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो निर्यात है, वह सब्जी, चावल, गेहूं, मछली, मांस इन सब चीजों का है। इसमें हमारा निर्यात 2 बिलियन 884 मिलियन डॉलर का है। यह इस साल का अप्रैल से अगस्त तक का हमारा निर्यात है। यह एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का है। फिर मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में हमारा निर्यात 9 बिलियन 767 मिलियन डॉलर है। मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यह सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या चीज है। सबसे अधिक 1 बिलियन 833 डॉलर, डायमंड कट एंड पॉलिश का 1 से 1.5 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर का डायमंड लाकर कच्छ, सूरत या मुम्बई में बैठकर बच्चे कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम करते

हैं। पूरे साल में वैल्यू ऐडेड जोड़कर 1 से 1.1 बिलियन डॉलर आती है। यह मेहनत है। यह छोटे बच्चों के हाथों से और कुछ बड़े लोगों के हाथों से होने वाला काम है। इसमें आपके पास कोई कम्पीटशन नहीं है। आप दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग एंड कटिंग का काम करके भेज रहे हैं। रेडीमेड गारमैंट्स कॉटन इनक्लूडिंग ऐक्सैसरीज 1 बिलियन 260 मिलियन डॉलर, कॉटन यार्न फैब्रिक्स मेड अप एट. 1 बिलियन 240 मिलियन डॉलर, मशीनरी एंड इंसट्रूमैंट्स 429 मिलियन डॉलर। कहां हैं हम लोग? कौन सी चीज हिन्दुस्तान से बनकर बाहर जाएगी।

वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं है। मैंने कल मुम्बई में दिए हुए उनके भाषण का एक वाक्य पढ़ा। वे बोलते हैं कि हम अब उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं जिनकी अभी तक कोई च्वाइस नहीं थी। उन्होंने दो उदाहरण दिए। क्या च्वाइस थी लोगों के सामने? ऐम्बैसडर एंड ऐम्बैसडर, इंडियन एयरलाइन्स एंड इंडियन एयरलाइन्स। च्वाइस यही थी। ये दो शब्द उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए। ऐम्बैसडर की जगह मर्सीडीज बैन्ज और इंडियन एयरलाइन्स के साथ कम्पीटशन में और कोई बड़ी देशी, विदेशी एयरलाइन्स नहीं दिखाई दी। यही तक उनकी सोच है। उनको यह नहीं मालूम कि हिन्दुस्तान में वे लोग भी हैं जिनकी च्वाइस रात को बिना खाए सोने या जो हाथ में मिले, वह खाकर सोने की है। उनके बारे में उनको सोच नहीं आई। उन्होंने जब यह कहा तो एक मजेदार बात हो गई। कल मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का सम्मेलन था। किसी ने उनसे पूछा कि क्या विदेश वकील भी यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वे नहीं आने चाहिए।

उनकी जरूरत नहीं है, उसपर बहुत ज्यादा सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने तत्काल कह दिया, क्योंकि ये खुद वकील हैं, वहां उनको कम्पीटशन नहीं चाहिए, वहां उनको च्वाइस नहीं चाहिए, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है।...**(व्यवधान)**

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं जब इस बात को कह रहा हूं, तो सरकार को नहीं, मैं कहूंगा कि देश को आज सोचना चाहिए कि जिस जाल में हम लोग फंसे हैं, इसमें से कैसे हम लोग बाहर निकलें, मैं यह नहीं कहता हूं कि ये मंत्री लोग बैठकर करेंगे, मैं यह नहीं कहता हूं कि नौकरशाह करेंगे, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि केवल पार्लियामेंट इस पर कोई भी बात तय कर सकती है, लेकिन यह मामला देश के सामने जाना चाहिए। क्योंकि, अगर जैसे हॉटिगटॉम कहते हैं कि उन लोगों का इरादा हमेशा के लिए हमें दबाकर रखना और राज करना है। किसी भी क्षेत्र में उनका मुकाबला करने की बात जब कोई मुझे करता है, तब मुझे परेशानी हो जाती है, हम तो बार-बार कहते हैं कि अमेरिका के केवल दो सबसे बड़े मल्टी नेशनल कारपोरेशंस, नम्बर एक जनरल मोटर्स, नम्बर दो एक्सोन या नम्बर तीन को पकड़ो तो फोर्ड मोटर्स। इनमें से नम्बर एक और दो अथवा नम्बर एक और तीन, ये दो जब एक हो जाते हैं तो हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय से ज्यादा उन लोगों का व्यापार है और इनके सामने हम लोग कम्पीट करेंगे, हम विश्व में जाएंगे? ये फिक्की वाले वही बोलते रहे, ये सी.आई.आई. वाले वही बोलते रहे। लेकिन अब ये रो रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि दुनिया के सामने कम्पीट करने के लिए हमारे पास न वह टैक्नोलोजी है, न वह टैक्नोलोजी बननी है, क्योंकि जो भी टैक्नोलोजी ट्रांसफर होता है, वह सैकिंड हैंड या थर्ड हैंड होता है और जो उनकी आज की टैक्नोलोजी है, वह कभी कोई ट्रांसफर नहीं करने वाला है और चुराने की आपमें क्षमता नहीं है, जो एक जमाने में जापानियों में थी।

इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर मेरी प्रार्थना है कि नम्बर एक-डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में पुनश्चः सोचना जरूरी है और उस पर सोचा जाये और यह मामला लोगों में ले जाया जाये। गांधी जी ने अंग्रेजों का सामना किया था, महासाम्राज्य का सामना किया था, विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य का सामना किया था, लोगों के बीच में जाकर किया था, सिंगापुर में नहीं, हरारे में नहीं और मंत्रिमंडल में और उन अधिकारियों के साथ बैठकर, गप मारकर लोगों के बीच में जाकर किया था। आज वह वक्त आया है कि इस देश की आजादी, इस देश की आपकी सार्वभामिकता, इन सारी चीजों को ख्याल में रखकर लोगों के बीच में जाने का वक्त आया है और इस मुद्दे पर हम लोगों को लोगों के बीच में जाना चाहिए और दरम्यान यह जो आप सिंगापुर में तय करके आये हैं, इसमें से कैसे निकला जा सकता है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि गला फंसाने का काम आपने किया है। धन्यवाद।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, सभी तरफ पूछे जा रहे प्रश्न अब दो हैं। पहला "किसने विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के लिए कार्यसूची निर्धारित की थी?" और दूसरा प्रश्न है कि "क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार से प्राप्त निर्देश के आधार पर कार्य किया था अथवा नहीं?" इन दोनों विषयों पर हमें सरकार से उत्तर की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन की द्विवार्षिक बैठक के लिए निर्मित कार्यसूची में कई मुद्दे थे। कार्यसूची मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन समझौतो जैसे (1) नौवहन, (2) दूरसंचार (3) वित्तीय (4) उपचारात्मक उपायों और नए व्यापार मुद्दों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना था। इससे जो बात सामने आयी थी वह थी कि कार्यसूची में नए मामलों के अन्तर्गत तीन मामलों का वर्चस्व था। वहीं मुख्य केन्द्र बिन्दु थे और इसे माननीय मंत्री के वक्तव्य में भी स्वीकार किया गया है।

दूसरा प्रश्न है "किसके निर्देश पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने कार्य किया था?" प्रतिनिधियों को निर्देश अवश्य मिला होगा कि व्यापारिक मामले हमारे लिए मुख्य विषय हैं और ऐसे मुख्य विषयों में से एक विषय वस्त्रों का था।

इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि वस्त्र समझौते का क्या हुआ। क्या मांग थी? क्या हम इसे उठाना चाहते थे अथवा नहीं?

महोदय, बहु रेशा समझौते के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के कार्यसूची के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्री जी के वक्तव्य में भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि पाकिस्तान हमारे साथ था और वह भी हमारे साथ वस्त्र संबंधी प्रश्न को उठाना चाहता था।

कुशल व्यवसायियों के संबंध में, मेरा तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों से है, आई टी ए संबंधी चर्चाओं में क्या दिया गया है?

हालांकि हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, क्या हुआ था? इसके बारे में अनियमित चर्चा हुई है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे कुशल व्यक्तियों की गतिविधियों को भी उदारीकृत किया जाना चाहिए लेकिन इसे वार्तालाप समय और सीमित प्रसारण दोनों के अभाव के कारण बन्द करना पड़ा। भारत इस पर विचार करने में समर्थ नहीं था और हम आई टी ए समझौता में भी शामिल नहीं हुए थे। इस मांग का क्या हुआ? किसने हमारा साथ दिया? क्या हम इस प्रश्न पर भी एकांकी है? ये प्रश्न है जिसे पूछा जा रहा है। जन शक्ति आन्दोलन की हमारी मांग को क्या हुआ?

संयुक्त राष्ट्र अमरीका हमेशा से बहुपक्षीयवाद, उदारीकरण उन्मुक्तता और सभी इन चीजों के बारे में उपदेश देता रहा था। क्या उन्होंने यह बताया था? क्या वह जनशक्ति आन्दोलन के संबंध में इसे प्रकट करने के लिए सहमत हुए थे? क्या वे हमारे व्यावसायियों को अपने देश में भेजने के लिए राजी हुए थे? उस पर क्या हुआ? ऐसी बातों का हमारे वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है। वे कह रहे हैं कि मुख्य केन्द्र बिन्दु मूल श्रम मानकों, निवेश, प्रतिस्पर्द्धा नीति जैसे नए मामलों पर था लेकिन हमारी कार्यसूची को क्या हुआ था?

हमारा आदेश-पत्र हमारे कार्यसूची पर आधारित था, वहां इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन हमने सुना है कि श्रीलंका सहित कुछ पड़ोसी देशों ने अन्त तक हमारा साथ दिया। पाकिस्तान ने भी कई मुद्दों पर हमारा साथ दिया। मलेशिया ने हमारा साथ छोड़ दिया; हो सकता है उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली हो। लेकिन कुछ प्रश्न हैं यहां तक कि हरारे में कुछ लोगों ने कहा कि मलेशिया अपनी स्थिति बदल लेगा और हमारे नेताओं को चेतावनी भी दी थी। वह सब अभिलेख में है। भारत सरकार जानती थी कि मूल श्रम मानकों का प्रश्न उठेगा। क्या यह एक नया प्रश्न है? क्या यह बिल्कुल आरम्भ से नहीं आया था? क्या यह प्रश्न उरुग्वे विचार विमर्श में नहीं आया था? क्या यह माराकश में नहीं आया था? हमें पता था कि यह आएगा। लेकिन अन्त में हमने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया। किसके आदेश-पत्र पर? क्या भारत सरकार सहमत थी? अत्यन्त गम्भीर घटनाएं हो गई हैं। हमने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही एक अकेला संगठन है और अब हम इससे सहमत हैं कि विश्व व्यापार संगठन ऐसे मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ बातचीत जारी रखेगा। वे इसे ऊपर से नीचे गिरना नहीं समझते। वे इसे विजय मानते हैं।

मुझे इसकी बिल्कुल चिन्ता नहीं है कि पूर्व में क्या हुआ था। सिंगापुर में जो हुआ वह चिन्ताजनक है लेकिन अधिक चिन्ताजनक बात इस सरकार का आत्मसंतोष है। अत्यधिक चिन्ताजनक बात यह है कि वे अभी तक नयी संजीदा परिवर्धनों के साथ स्वयं को नहीं लगा सके हैं। क्या उन्होंने कोई वैकल्पिक रणनीति तैयार की है? वे जानते हैं क्या होने वाला है। वे जानते थे कि ओ ई सी डी देशों के विचार विमर्श में क्या हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने किसी वैकल्पिक रणनीति को तैयार करने में कभी भी गम्भीरता नहीं दिखाई।

महोदय, हम कह रहे हैं कि हमने सहमति दी है कि हम बहुपक्षीय निवेशों के संबंध में दो अध्ययन दल गठित करेंगे। वे निरीह अध्ययन दल हैं। क्या विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंत्र को छोड़कर विश्व में कहीं कोई ऐसा अनुष्ठान है? हमें बताया गया कि हमें इस अध्ययन दल को किसी वार्ता का मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें इस शिक्षाप्रद प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं बताया गया। इस शिक्षाप्रद प्रक्रिया द्वारा वे तीसरी दुनिया के देशों से अलग हो रहे हैं। कभी कभी वे उन्हें कुछ देते हैं, कभी-कभी वे कई तरीकों से उन्हें प्रभावित करते हैं, कभी-कभी वे अपने नेताओं को प्रभावित करते हैं; और कभी-कभी वे उनके दफ्तरशाह को प्रभावित करते हैं। हम सभी इन बातों को जानते हैं। अब वे कह रहे हैं कि वे इन अध्ययन दलों की सिफारिशों से सहमत नहीं होंगे।

हमें कहा गया है कि यहां तक कि घोषणा पत्र में इस स्पष्ट सर्वसम्मति के बारे में सकारात्मक वर्णन किया गया है। इसका क्या अर्थ है? अस्पष्ट सर्वसम्मति एक चीज है। कोई भी उसकी आपत्ति नहीं करेगा। क्या इसका अर्थ सर्वसम्मति है? इसका क्या अर्थ है। यह इसके बारे में आश्वस्त होना चाहता है। यह सरकार कह रही है कि वह इस स्पष्ट सर्वसम्मति से सहमत है लेकिन महोदय इसकी भिन्न-भिन्न व्याख्याएं आ रही हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ नेताओं ने इसकी अलग व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि भारत की परवाह किये बिना वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के मामले में हुआ था। 210 मुद्दों में से हमने केवल 40 मदों पर साथ देने का प्रयास किया है। अन्त में समझौते में 400 मदों को अन्तिम रूप दिया गया था। उन्होंने कहा कि समय का अभाव है हमने कहा कि हमें प्रारूप पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। वास्तव में हम 600 बिलियन बाजार की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के इस प्रश्न में ही उलझे रहे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ जहां हमारे हित में संलग्न हैं, की उपेक्षा की गई। हमारे पास कुशल व्यावसायिकों और अन्य इन बातों के प्रश्न को आरम्भ करने को उठाने का आदेश पत्र भी था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इसकी उपेक्षा की। इसका वक्तव्य में भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यह प्रश्न इतना चिन्ताजनक क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विशेष उद्देश्य के साथ इसे विश्व पर छाने वाले, बाजार पर कब्जा करने वाले, अन्य औजार के रूप में की गई थी और टी आर आई पी द्वारा हमारी स्वदेशी क्षमता, हमारी अपनी प्रौद्योगिकी और सभी चीजें नियन्त्रित की गयी हैं। हमारे सामने एक रास्ता खुला था। यह आश्चर्यजनक था, एक राष्ट्रीय प्रभुता सम्पन्न सरकार के रूप में हमारे सामने 40 विकल्प हैं। पहले हमारे पास निवेश के क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में और सभी ऐसी चीजों के बारे में विकल्प थे। अब वह रास्ता भी बन्द होने वाला है। हमारा क्या होगा? क्या वे हमारी रूचि के अनुसार निवेश करेंगे? नहीं। यह विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीयकरण से भी परे चला गया है। वे सब कुछ के लिए आदेश देंगे। क्या वे उन क्षेत्रों में आगे आएंगे, जहां हमें विदेशी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी? हमें विदेशी प्रौद्योगिकी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए।

हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? क्या यह आधारभूत संरचना में आएगा अथवा महत्वहीन न्यूनतम क्षेत्रों में आएगा जहां हमें उनकी अत्यन्त अथवा शीघ्र आवश्यकता नहीं होगी? वे इन सब कुछ का निर्धारण करेंगे।

विद्युत क्षेत्र में काफी विवाद सामने आया था। दूरसंचार और कई ऐसे क्षेत्रों में क्या आपने पाया कि वे धीरे-धीरे अपनी शर्तें हम पर लादने का प्रयास कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल प्रौद्योगिकी के संबंध में हमारे प्रभुतासम्पन्न चयन अधिकार और निवेश के क्षेत्र पर पाबन्दी है और हमें इससे कष्ट उठाना पड़ रहा है बल्कि हमारे घरेलू उद्योग को भी हानि होगी। सिंगापुर घोषणा पत्र पर सी.आई.आई. की प्रतिक्रिया क्या है?

सी आई आई ने अपनी नवीनतम अध्ययन में सिंगापुर घोषणापत्र के उन तक पहुंचने से भी पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि यह घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होगा। एफ आई सी सी आई ने आरम्भ में इसका यह कहकर समर्थन किया था कि मूल श्रम मानक और अन्य सभी प्रकार की चीजों के संबंध में यह एक स्वागतयोग्य पहल है। आज आपने देखा कि घोषणापत्र के ब्यौरों का अध्ययन करने के पश्चात् उनकी प्रतिक्रिया भी बदल रही है।

हमें इस सिंगापुर घोषणापत्र अथवा समझौते के परिणामस्वरूप कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की बरबादी होगी। हमारी सबसे बड़ी चिन्ता का विषय क्या है? यह सरकार जहां तक इसकी आर्थिक प्रभुसत्ता और प्राधिकार का संबंध है, अपनी स्थिति को कमजोर कर रही है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता दांव पर लगा गई है। क्या भारत के लोग उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि दिल्ली में प्रारम्भिक बैठक में उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जहां तक मूल श्रम मानक, निवेश प्रतिस्पर्द्धा नीति आदि का संबंध है उन्हें कभी हथियार नहीं डालने चाहिए।

सीटीबीटी पर हमारे पक्ष के संबंध में हमें गर्व है कि यद्यपि हम अकेले हैं। इस सदन में और उसके बाहर तथा हरारे में भी हमने सिद्धांत बनाया है। किसने इस प्रतिनिधिमण्डल को मूल श्रम मानक, निवेश और प्रतिस्पर्द्धा नीति के संबंध में अपनी स्थिति मूलतः परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया है?

जब मैंने इस मामले को उठाया था तो माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वहां जो हुआ था उसके बारे में उन्हें ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि निवेश के संबंध में हमारा प्रतिनिधिमण्डल खुश नहीं था। वित्त मंत्री भी अप्रसन्न थे। सरकार भी अप्रसन्न थी लेकिन वक्तव्य में कहा गया "कि यह विजय थी। किसने हथियार डाले हैं?" अन्य देशों ने हथियार डाले हैं, भारत ने समझौता नहीं किया है। किसने समझौता किया है? अन्य देश, जो नए अधिदेश की मांग कर रहे थे, ने समझौता किया है। यह अत्यन्त गम्भीर बात है।

इसकी सबसे संजीदा बात यह है कि सरकार इसके लिए गंभीरता से नहीं सोच रही है कि किस प्रकार से नई परिस्थिति को बनाया जाए। उन्हें किस हालात में हथियार डालने चाहिए, यह एक बात है। सरकार को उन सभी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन यह उतार-चढ़ाव, यह विचलन, हथियार डालना, कूटनीतिक अथवा नया कूटनीतिक शब्द प्रपंच से कुछ भी करें लेकिन यह एक प्रकार से हथियार डालना था। और हथियार डालना है। हम इसके बारे में अधिक चिन्तित हैं। अभी भी समय है और इस सरकार को हल निकालना चाहिए, राष्ट्रीय सर्वसम्मति से चर्चा की जानी चाहिए...**(व्यवधान)**

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल कृपया एक मिनट के लिए रुकें।

अभी छह बजे हैं। यदि सभा की सहमति हो तो इस विषय पर चर्चा समाप्त करने के लिए सभा का समय आज सात बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : इस पर कल विचार किया जायेगा।...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि सभा का समय तब तक बढ़ा दिया जाये जब तक इस सम्पूर्ण चर्चा को पूरा न कर लिया जाये और उसका उत्तर न दे दिया जाये। लेकिन चूंकि सभा के स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, अतः हम आज सात बजे तक बैठ सकते हैं। कल विदेश नीति, अनुपूरक अनुदानों की मांगों, उत्तर प्रदेश बजट और खेलकूद पर भी चर्चा की जायेगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी राजनीतिक दलों द्वारा 10.00 बजे तक बैठे रहने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

चूंकि सभापति द्वारा आज सात बजे तक बैठने का अनुरोध किया गया है और बसों की हड़ताल के कारण कर्मचारी भी अपने स्थानों पर वापस जाने में कुछ समस्याओं का सामना करेंगे, अतः हम आज कम से कम एक घन्टा और बैठ सकते हैं, ताकि हम इस चर्चा को समाप्त कर सकें। और उसका उत्तर कल दिया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा की क्या राय है?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम आज सात बजे तक बैठ सकते हैं। अन्यथा सभी विषयों पर चर्चा पूरी करना कठिन हो जायेगा। किसी भी स्थिति में हमें एक घन्टे से अधिक नहीं बैठना चाहिए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसलिए आज यह सभा सात बजे तक बैठेगी।

श्री रूपचन्द पाल कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को कुछ आत्मपरीक्षण की आवश्यकता है। उसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर वैकल्पिक नीति का पता लगाना होगा।

पहले ही अत्यधिक हानि हो चुकी है और कई खतरे आने वाले हैं क्योंकि ओईसीडी कार्यसूची में वे केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहेंगे; वे इस धरती पर व्यापार की लगभग प्रत्येक मानवीय गतिविधि से संबद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। उदाहरणर्थ, सामाजिक खंड, जिसके लिए वे आरम्भ से ही प्रयास कर रहे हैं और अब कम से कम

वे इसका उल्लेख करने में सफल हो गये हैं। अब मानव अधिकारों और पर्यावरण के संबंध में प्रश्न है। वे विश्व-व्यापार संगठन की कार्यसूची में इन सभी प्रश्नों को शामिल करने का बार-बार प्रयास करेंगे। हमारे पास सकारात्मक विकल्प होना चाहिए। जिससे न केवल हमारे हितों की रक्षा होगी बल्कि विश्वसनीयता भी प्राप्त होगी ताकि हम विकासशील देशों को इकट्ठा कर सकें और विशेषकर सयुक्त राज्यों और अन्य ओ ई सी डी देशों जैसे ?? राष्ट्रों जो बाजार का उपयोग करने और विकासशील देशों के बाजार पर कब्जा करने तथा उन्हें हर सम्भव तरीके से अपने वश में करने को आतुर हैं, के आक्रमण से पहले उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हे नेतृत्व प्रदान कर सकें।

सरकार के लिए मेरी दलील यह है कि अभी भी न केवल क्षति की प्रतिपूर्ति करने बल्कि ऐसी सकारात्मक कार्यसूची का पता लगाने का भी प्रयास करने का पर्याप्त समय है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और विश्व में अन्य विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, इस माननीय सभा में हाल ही में सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के भारत की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति दृढ़ होती जा रही है। व्यापक परीक्षण निषेध संधि के संबंध में भारत के अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानित निर्णय ने यह दिखाया है कि भारत स्वयं निर्णय ले सकता है और गुट-निरपेक्ष नीति को जारी रख सकता है जिसका अनुसरण वह वर्षों से करता आ रहा है।

अब, मारकेश समझौते से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया है और इसने समझौते के कतिपय उपबंधों के प्रति इसके 128 सदस्यों की वचनबद्धता की ओर संकेत किया है और समझौते के अंतर्गत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक होने और समझौते के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा किए जाने की आशा है।

अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम उपायों से उनके संबंध, समझौते में शामिल होने के लिए नए और हाल में किए गए प्रयासों, मूल श्रम मानक और निवेश तथा प्रतिस्पर्धा नीति से संबंधित कतिपय विवादास्पद मुद्दे सामने आये हैं। कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि भारत इस विषय के संबंध में पहले अनेक अवसरों पर लिये गये अपने आधार से मुकर गया है। यह भी सच है कि इस समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के कारण हम समझौते के उपबंधों की शर्तों से बंधे हुए हैं और विभिन्न उपबंधों को क्रियान्वित करना हमारा नैतिक और विधायी दायित्व है। परंतु हमें यह देखना है कि इन उपबंधों ने हमें किस सीमा तक प्रभावित किया है अथवा दूसरे शब्दों में, हाल ही में हुए सम्मेलन में हमारे देश द्वारा लिए गए निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की तुलना में हमारी प्रभुसत्ता और हित को कहां तक प्रभावित किया है।

हम इन व्यापार संधियों के बारे में भी जानते हैं, नीतियां जिनका हमने अनुसरण किया है, पहले क्षेत्रीय व्यवस्था में हुए व्यापार समझौतों और इस समझौते में हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ कतिपय अन्य व्यवस्था को जारी रखा जाए।

यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस संधि में मूल श्रम मानकों को निर्धारित करने जैसे कतिपय मुद्दों के संबंध में अथवा हाल में हुए सम्मेलन में हमारे देश का दृष्टिकोण देश के हितों के लिए अच्छा नहीं रहा है। लेकिन, दूसरी ओर हम मंत्री स्तरीय उद्घोषणा प्रारूप के विषय से और माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य से यह देख सकते हैं कि हमने जो निर्णय लिया है वह अमरीका, जापान और कनाडा सहित विकसित देशों जिससे 28 देशों का समूह बना है और विशेषरूप से उन देशों की इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है जिनसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बना है, जिसने वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों पर निवेश प्रवाह सुगम करने हेतु निवेश बहुआयामी समझौते के लिए कुछ विचार-विमर्श करने की पहल की थी। हमारे देश तथा अन्य कई विकासशील देशों, जिन्होंने इसका समर्थन किया, की पहल से इसमें विशेषरूप से ठहराव आया।

श्रम मानकों को निर्धारित करने संबंधी मुद्दों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर छोड़ दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जहां तक श्रम मानक निर्धारित करने का संबंध है वहां विकासशील देश विशेषरूप से हमारे जैसे देशों के हितों की रक्षा की जाए और ये मुद्दे विकासशील देशों के हितों को प्रभावित न करें ताकि विकसित देश, विकासशील देशों के हितों के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय कर सकें। इस माननीय सभा में उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाना चाहिए कि हमारे देश ने व्यापार संबंधी मुद्दों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर कड़ा रवैया अपनाया है, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और समझौते के उपबंधों, जो पहले ही विश्व व्यापार संगठन में किए जा चुके हैं, के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय न लिया जाए। हमारे पास व्यापार संबंधी निवेश उपायों जैसे अन्य संवेदनशील मुद्दे भी हैं जिन पर आगे कार्यवाही करने हेतु चर्चा की जानी है।

मुझे अभी भी याद है कि उस समय जब हम "गैट" में शामिल हुए थे और हमने उस संधि पर हस्ताक्षर किये थे और बाद में विश्व व्यापार संगठन के गठन को भी स्वीकार किया था तो हमने कहा था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में बिल्कुल अलग-अलग नहीं रहेंगे तथा हम अपनी अर्थव्यवस्था को विशेषकर व्यापार विकास और वाणिज्य के सम्बध में अन्तर्राष्ट्रीय शर्तों और संधियों से जोडेंगे।

अपराह्न 6.12 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

प्रारूप मंत्रीय घोषणापत्र में विकासशील देशों द्वारा उठाए गए मामले और मूल श्रम मानकों के सम्बंध में भी चर्चा हुई थी। इसमें कहा गया है :-

> "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) इन मानकों को बनाने और इनके बारे में कार्रवाई करने के लिए

सक्षम निकाय है और इनके संवर्धन हेतु कार्यों में हम अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। हमारा विश्वास है कि व्यापार वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि एवं विकास से तथा और अधिक व्यापार-उदारीकरण से इन मानकों को बढ़ावा मिलेगा। हम संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए श्रम मानकों के प्रयोग को अस्वीकार करते हुए यह मानते हैं कि देशों के तुलनात्मक लाभ, विशेषकर, कम-मजदूरी वाले विकासशील देशों के लाभ को किसी भी तरह से इस मामले में न घसीटा जाए। इस बारे में हम यह बात नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ और आई एल ओ सचिवालय अपने वर्तमान सहयोग को जारी रखेंगे"।

विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को निम्नलिखित के बारे में वचनबद्धता के नवीकरण के रूप में वर्जित किया गया है :-

"एक स्वच्छ, समाज और अधिक खुली नियम आधारित प्रणाली, सामान के में व्यापार शुल्क और गैर शुल्क अवरोधों की समाप्ति और प्रगतिशील उदारीकरण;

सेवाओं में व्यापार का प्रगतिशील उदारीकरण; सभी प्रकार के संरक्षणवाद की अस्वीकृति; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बधों में भेदभाव, पूर्व व्यापार को समाप्त करना;

विकासशील और अति कम विकसित देशों को जोड़ना; और अर्थव्यवस्थाओं को बहुपक्षीय प्रणाली में परिवर्तन और अधिकतम सम्भव स्तर की पारदर्शिता।"

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसमें यह भी बताया गया है :-

"हमने देखा कि विश्व व्यापार संगठन के देशों के व्यापारिक संबंध क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी संख्या, क्षेत्र और दायरे में काफी विस्तार हुआ है। ऐसी पहल उदारीकरण को अधिक बढ़ा सकती है और कम विकसित विकासशील और परिवर्ती अर्थव्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में शामिल करने में सहायता कर सकती है। इस सन्दर्भ में हम विकासशील और कम विकसित देशों के वर्तमान क्षेत्रीय समझौतों की महत्ता को नोट करते हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का विस्तार और सीमा से यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि क्या विश्व व्यापार संगठन के अधिकार और उत्तरदायित्व की प्रणाली, जैसाकि यह क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से सम्बन्धित है, को आगे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। इस बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रमुखता को स्वीकार करते हैं जिसमें क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के विकास की रूपरेखा शामिल है और हम यह सुनिश्चित करके के लिए कि क्षेत्रीय समझौते इसके अनुपूरक हैं और इसके नियमों के अनुकूल है, हम अपनी वचनबद्धता का नवीकरण करते हैं। इस सम्बन्ध में हम इसको स्थापना का स्वागत करते हैं और क्षेत्रीय व्यापार समझौते सम्बन्धी नई समिति के कार्य का अनुमोदन करते हैं।"

जब हम घोषणा पत्र के समग्र संयोजना और हमारे देश द्वारा लिए गए सुसंगत रूख को देखते है तो हमें हमेशा यह बात देखने को मिलती है कि हमारे देश ने जो पक्ष लिया है वह उस पक्ष के अनुरूप जो हम इन मामलों में लेते रहे हैं। इस स्थिति में हमें अन्य चीजें भी देखनी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं जब सभी समझौतों की शर्तें लागू हो रही हैं। अब हम महसूस करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, विशेषकर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारे लिए आवश्यक है कि नई व्यवस्था से विद्यमान क्षेत्रों को विकसित किया जाए। इसलिए हमें स्वयं को तैयार करना है।

हमारे वरिष्ठ सदस्य आई टी आई जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति के बारे में बता रहे थे। हम भी ऐसे संगठनों के बारे में बता सकते हैं। हमें कुछ मुख्य क्षेत्रों का भी संरक्षण करना है ताकि भविष्य में प्रतिस्पर्द्धा की दौड़ में हमारी आधारभूत सुविधाएं अथवा हमारे मुख्य उद्योग अपनी पहचान न खो दें और उस क्षेत्र में देश को क्षति न हो।

ये कुछ पहलू हैं। मैं माननीय सदस्य की बात सुन रहा था जो विद्यमान आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे थे। यह सत्य है कि विद्यमान सरकार उदारीकरण की नीति का अनुपालन कर रही है जो 1991 में और उसके बाद अपनाई गई थी।

इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि कुछ उदाहरण हैं। विशिष्ट मामलों में मैंने देखा है कि यद्यपि उत्पादों की गुणवत्ता में प्रौद्योगिकीय रूप से सुधार हुआ है परन्तु इसके साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में रोजगार के सम्बन्ध में बिल्कुल वृद्धि भी नहीं हुई हैं।

हमारे पास राष्ट्रीय नवीकरण कोष है। बजटीय प्रावधान वर्ष दर वर्ष किये जा रहे हैं। उदारीकरण के पश्चात नए परिदृश्य को मद्देनजर रखकर रोजगार, श्रमिकों की स्थिति का भी ध्यान रखा होगा। आई टी आई, एच एम टी जैसी इकाइयों का भी एक सामाजिक उद्देश्य है। वे इस उद्देश्य का पालन कर रही हैं। विदेशों में अथवा देश के भीतर से निवेश द्वारा अनियन्त्रित निजीकरण के लिए अनुमति देते हुए इसको भी ध्यान में रखा जाए।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं ये बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सरकार द्वारा लिए गए पक्ष का स्वागत करता हूं।

मैं सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वह यह देखे कि देश के उद्योग और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और संक्रमण काल ने पश्चात् उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए हमें आवश्यक प्रारंभिक कदम भी उठाने हैं।

अपराह्न 6.20 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 6.21 बजे

विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण—जारी

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति जी, आज हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं संश्लिष्ट विषय पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि 23 जनवरी, 1995 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम मंत्रियों का पांचवां अधिवेशन हुआ था जिसमें श्रम मानकों पर कुछ निर्देश जारी किए गए थे। उसमें जो सर्वसम्मत राय बनी, वह इस संयुक्त घोषणा-पत्र के पृष्ठ 34 पर अंकित है।

[अनुवाद]

यह 'श्रम मानकों के उन्नयन' के अन्तर्गत उल्लिखित है :—

> "सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ आई एल ओ परिपाटियों को जोड़ने के किसी भी प्रयास का विरोध आई एल ओ ने भीतर, व्यापारिक मामलों से जोड़े बिना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की समीक्षा, उन्नयन और सशक्त बनाना"

[हिन्दी]

जब माननीय मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सदन में उठेंगे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सिंगापुर जाने से पहले क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम मंत्रियों के अधिवेशन में जो निर्देश जारी किया गया था, उस घोषणा-पत्र के वाक्यों को पढ़ा था? इसके साथ ही, अब विभिन्न अखबारों ने जो राय व्यक्त की है, उस दिन शून्य काल के दौरान जो बातें सामने आईं, बिजिनैस स्टैन्डर्ड ने पहले यह समाचार प्रसारित किया था कि भारत पूर्व-निर्धारित नीतियों से हल्का-सा पीछे हट रहा है लेकिन आज वह अपने सम्पादकीय में कहता है-

[अनुवाद]

सिंगापुर से संदेश :

> "विकासशील देशों के ऐसे सन्दर्भ के विरोध के मामले में लगभग सर्वसम्मति के बावजूद घोषणा में श्रम मानकों का मामला उठा था"

फिर अंत में वह कहता है-

> सिंगापुर सम्मेलन में यह देखा गया था कि भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने यह दोहराया था कि डब्ल्यू टी ओ को तथाकथित नए मामलों, जैसे श्रम मानक और एम ए आई को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति जी, जो वक्तव्य हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है उसमें कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य महत्वपूर्ण श्रम मानकों का पालन करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। जब आप वचनबद्धता को दोहराते हैं तो यह इजाजत आपको किसने, कब और कहां दी कि श्रम मानकों के निर्णित सिद्धांतों की समीक्षा के लिए कोई ग्रुप, उप-समिति, अध्ययन दल या कार्य-दल बनाया जाए-इसे आपने कैसे मान लिया, किसके आदेश थे, कहां निर्णय हुआ, क्या किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मंत्रि-परिषद् का वह निर्णय था या किसी ने आपको दिल्ली से महत्वपूर्ण नीति सिद्धांतों के बदलाव का कोई संकेत दिया-इसे मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह ऐसा मामला है और मेरी मान्यता है कि इस सदन में बैठा हुआ कोई राजनैतिक दल किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं है।

सभापति महोदया, इस सदन में बैठा हुआ प्रत्येक राजनीतिक दल, राष्ट्रीय अखंडता, सम्प्रभुता और अपनी एकता, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम सांस तक हम अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते हैं। किसी भी कीमत पर घुटने टेक कर, जहां सार्वभौमिकता पर खतरा नजर आएगा, वहां हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई थी कि आपने यह समझौता किया? आप वहां से वापस आ सकते थे। आपकी इज्जत दुनिया के मंच पर बढ़ जाती। आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं? ऐसे मामले पर आप कैसे झुक गए। जो मामला आज अत्यन्त संवेदनशील है, वहां आप झुक गए। फिर आप लेबर स्टेंडर्ड पर झुक गए। फिर आगे आपने सेवा-विस्तार के संबंध में कह दिया कि हम फरवरी 1997 में मूल दूरसंचार के बारे में वार्ताओं के सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तथा अप्रैल 1997 में वित्तीय सेवाओं के बारे में वार्ताएं करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बाजार की वचनबद्धता हो सके और सहमत ढांचे में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आपने तो काल-बद्धता स्वीकार कर ली है। जब हमारा सत्र चल रहा है। राज्य सभा बैठी है। लोक सभा बैठी है। काल-बद्धता का कोई आदेश, कोई जनादेश क्या आपने प्राप्त किया? इससे आगे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। फिर अन्त में आपने और लिख दिया कि करारों और निर्णयों के भाग के रूप में हम अनेक प्रावधानों पर सहमत हुए। किस-किस में आप सहमत होकर चले आए-कृषि सेवाएं, सीमा शुल्क मूल्यांकन, आयात लाइसेंसिंग, लदान पूर्व जांच आदि आदि। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदया कि ये सारे तथ्य कहां से कैसे और किसके निर्देश से मिले और विदेश नीति निर्धारण की जो जवाबदेही होती है वह आपने कैसे पूरी की? अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कार्य-सूची तैयारी भी एक रणनीति का कार्य है।

सभापति महोदया, मुझे स्मरण है, मैंने अखबारों में पढ़ा था, यहां जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम सम्मेलन हुआ था जिसमें तत्कालीन श्रम

मंत्री और वर्तमान अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा, जो कांग्रेस सरकार में उस समय श्रम मंत्री थे, उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आई। इस तरह के जो विवादित सवाल होते हैं, जो हमारे आन्तरिक मामले होते हैं, जो हम स्वयं तय करेंगे, जिनको हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर श्रम नीति और सेवा नीति के अनुसार तय करेंगे, उनके बारे में अनेक देशों से पहल-कदमी करके उन्होंने सर्वसम्मत घोषणा पत्र तैयार करवाया था। आज आपने कलम की एक नोंक पर उन तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पानी फेर दिया और आपने वहां जाने से पहले ऐसे अनुभवी लोगों से कोई विचार-विमर्श तक नहीं किया? इसके कारण आज आप राष्ट्र के सामने शंका के घेरे में आ गए हैं।

सभापति महोदया, मंत्री जी के साथ वार्तालाप करने के लिए जो सचिव गए थे, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि यह भारत की विजय है। लगता है जैसे मंत्री जी कहीं लड़ाई पर गए और वहां से विजय हासिल करके विजय पताका फहराते हुए आए और अपने सचिव के द्वारा अखबारों में बयान दिला दिया कि हमारी विजय हुई। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि सिंगापुर में हम किसके आगे हारे या जीते इस बारे में विभागीय प्रवक्ता जब सदन चल रही है, तो महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य पहले लोक सभा में, राज्य सभा में देना चाहिए था, उसके बाद बाहर कोई वक्तव्य दिया जा सकता है। इसके पूर्व किसने आपके सचिव को ऐसा वक्तव्य देने के लिए अधिकृत किया कि हम जीत कर आए हैं और जीत के मारे सीना फुला कर कह रहे हैं?

महोदया, हमारी जो पूर्व वैदेशिक नीति रही है, प्रथम प्रधान मंत्री, स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक जो हमने दुनिया में अपनी हैसियत बनाई है, अपनी अस्मिता की रक्षा की है, अपनी अखंडता और सार्वभौमिकता के नाम पर भारत वर्ष के सामने दूसरे देश नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और झुकते हैं और कहते हैं कि आप डटे हुए हैं। पूरे जमाने में सी.टी.बी.टी. के ऊपर आप डटे रहे, इसके लिए दुनिया में हमारा नाम हुआ और देश के अंदर गांवों के अंदर भी साधारण लोग, किसान मजदूर भी विदेश मंत्री गुजराल साहब का गुणगान करते रहे कि उन्होंने दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके और संयुक्त राष्ट्र में जो उन्होंने दृढ़ता के साथ भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, उसके कारण संयुक्त मोर्चे की सरकार की इज्जत बढ़ी।

आपको सिंगापुर में क्या हो गया? यदि आप कमजोर थे तो आप गुजराल साहब को अपने साथ ले जाते। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने साथ ले जाते लेकिन आपका तो उस तरह से कोई अस्तित्व ही नहीं बना। आपने बहुत जग हंसाई की।

सभापति महोदया, मैं अनुभव करना चाहूंगा कि सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे कि सिंगापुर में इन्होंने जो घुटना टेकू समझौता किया है, उसको हम सभी सर्वसम्मत से निरस्त करते हैं, रद्द करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : धन्यवाद, महोदया। सिंगापुर स्वयं में लक्ष्य नहीं है। सिंगापुर ने हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र प्रभुतासम्पन्न आर्थिक विकास के लिए कुछ अशुभ बातें प्रस्तुत की हैं। प्रश्न यह नहीं है कि सिंगापुर में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। प्रश्न केवल सिंगापुर के कांफ्रेंस हॉल के दायरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। महोदया, इसके दूरगामी प्रभाव हैं। जब उद्घोषणा को भारत सहित अन्य देशों ने स्वीकार किया तो मैंने सोचा कि यह कुछ ऐसी बातों की हरी झंडी है जोकि हम अपने देश में विशेषरूप से आर्थिक क्षेत्र में नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बैंक, बीमा, अन्य वित्तीय संस्थानों सहित हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योग का विराष्ट्रीयकरण करने के लिए स्वीकृति है। अतः, प्रश्न केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि इस संशोधन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने से हमारी जीत हुई है अथवा हार। इस समय हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता दाव पर लगी है।

हर कोई जानता है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन केवल ऐसे माध्यम हैं जिन्होंने अमरीका और इसके सहयोगी देशों के हित को बढ़ावा दिया है। गत समय में विश्व व्यापार संगठन पर अमरीका के केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में भी विश्वव्यापी हित को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य माध्यम के रूप में कार्य हेतु दबाव डाला गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अमरीका के पास विश्वव्यापी रणनीति है और वे समझते हैं कि यह देखना उनके राष्ट्रीय हित में है कि विश्व के प्रत्येक देश पर विश्वव्यापी रणनीति थोपी जाए। वे भविष्य का सपना देखते हैं, वे आने वाले कल का सपना देखते हैं। जहां केवल अमरीका होगा और जो हमेशा शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र रहेगा। इसका तात्पर्य है कि दो ध्रुवीय, बहुध्रुवीय के स्थान पर केवल एक ध्रुवीय होना चाहिए और अमरीका विश्व पर शासन करे। विश्व बैंक के कतिपय अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अनेक अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि इन संगठनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों के तथाकथित राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

महोदया, भारत एक स्वतंत्र, प्रभुतासम्पन्न और गणतंत्र देश है। हमें विकास के अपने पथ का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। हमें विकास का अनन्य अधिकार अथवा मार्ग चयन का अधिकार है। कोई भी हम पर विकास का मार्ग विशेष नहीं थोप सकता। अनेक अवसरों पर मैंने इस सभा में पूर्व सरकार की नई आर्थिक नीतियों के विपरीत परिणाम के बारे में लगभग विस्तारपूर्वक बताया है और मेरे अनुसार यह एक विनाशपूर्ण मार्ग है और यह मार्ग इस त्रिकम द्वारा दिखाया गया हैं। अब यह त्रिकम आ गया है, पहले यह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और "गैट" थे।

महोदया, हमने नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना है। नियोजित अर्थव्यवस्था से कुछ प्रगति हुई है, निःसंदेह वांछित सीमा तक नहीं, परंतु हमने प्रगति की है। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ स्थिरता आई और भारत की अर्थव्यवस्था में वे सभी गुण हैं जो विदेशों के दबावों का मुकाबला कर सके। नियोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हैं आत्मनिर्भरता, आत्मसामर्थ्यता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का चयन करने का अधिकार और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए कार्य करना है। इसका सुस्पष्ट उद्देश्य न्याय देना है। योजना आयोग का उद्देश्य केवल विकास

करना नहीं है वरन् विकास के लाभों का वितरण करना भी है। एक अन्य अवसर पर मैंने आंकड़े देकर स्पष्ट किया था कि इन नई आर्थिक नीतियों अथवा तथाकथित संरचनात्मक समायोजन नीतियों, जिन्हें लेटिन अमरीका के अनेक देशों, अफ्रीका और एशियाई देशों ने अपनाया है, ने रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए हैं। इसे बेरोजगारी का विकास कहा गया है। विकास हुआ है परंतु रोजगार नहीं है। यह एक खतरनाक रास्ता है। यह निराशाजनक है, मैं कहूंगा कि सिंगापुर में हमने अपनी स्थिति को और कमजोर बनाया है जो अंततः हमें और अधिक संकट में डालेगी।

महोदया, नई आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक समायोजन नीतियां आर्थिक इमारत का मूलभूत आधार हुआ करती थीं। इन नीतियों अर्थात् नई आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक समायोजन नीतियों में मुख्य नींव बाजारीकरण और विश्वव्यापीकरण है। वस्तुतः, विश्व व्यापार संगठन का सीमारहित विश्व चाहता है जहां विश्व के प्रत्येक भाग से, हर कोई अपना अपलब्ध और निवेशयोग्य अतिरिक्त माल ला सके। इसका अर्थ है कि यह भारत सहित तृतीय विश्व के अनेक देशों के विकास को विकृत करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम बाजारीकरण और विश्वव्यापीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका लक्ष्य अंततः हमारी योजना को विफल करना हैं।

हमारी आठवीं योजना पूरी होने वाली है और नौवी योजना शुरू होने वाली है और यह नियोजित अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी क्योंकि तथाकथित सीमारहित विश्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश (हस्तक्षेप) करेगा। देश की जनता के हित में नियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को विकृत कर देगा।

अतः, सिंगापुर स्वयं में लक्ष्य नहीं है। सिंगापुर ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अशुभ बातों का प्रस्ताव किया है। उद्घोषणा में आदेश दिया गया है कि विदेशी निवेश और व्यापार के बीच सम्पर्क का अध्ययन किया जाए। सब जानते हैं कि 'ट्रिम' इनमें निवेश उपाय लाना चाहता है। हमने 'टिम' के कतिपय उपबंधों का विरोध किया है। सभा ने इसका विरोध किया है और उन्हें इसका विरोध करना था परंतु अलग तरीके से अर्थात् गुप्त रूप से। 'ट्रिम' के सिद्धांतों को जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया है। जितनी मुझे जानकारी है, स्वीकार किया जा रहा है। यह 'ट्रिम' का अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा हरारे में दिए गए भाषण, जो मेरे पास है, को यहां उद्धृत करना नहीं चाहता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यापार और विकास अलग-अलग है। व्यापार और विकास के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। भारत व्यापार और विकास के बीच सम्पर्क बनाने के सभी प्रयासों का विरोध करेगा। अब इन्हें भारत सरकार की नीति के उल्लंघन में स्वीकार किया गया है जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। परंतु आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच से उद्घोषणा को उचित सम्मान नहीं दिया है।

विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को एकीकृत करने के प्रश्न पर हमारी सरकार का रवैया स्पष्ट है, कम से कम इस सभा का रवैया स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पृथक हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही केवल प्राधिकृत और मान्यताप्राप्त मंच है जो श्रम मानक के बारे में बात और चर्चा कर सकता है। श्रम मानकों पर विचार करने हेतु अब हम विश्व व्यापार संगठन को गुप्त रूप से यहां लाए हैं। सबसे हल्की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करने के लिए यह तरीका उपयोगी नहीं है। यह वांछनीय नहीं है और मेरे विचार से यह अवांछनीय है।

अंत में, भारत इतना कमजोर नहीं है जितना कि वाणिज्य मंत्री समझते हैं। भारत की 90 करोड़ की जनता, श्रम गुण, प्रौद्योगिकी विकास वाला, जिसे हम प्राप्त कर पाए हैं, इतना कमजोर नहीं है। हम एशियाई बाघ के पीछे पागल हो सकते हैं। उन्हें बाघ ही रहने दें। लेकिन हमें शांति से रहने दो, एक प्रगतिशील गणतंत्र हमारे देश की सम्पूर्ण जनता का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए वचनबद्ध है। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह गलत होगा यदि हमने व्यापार परमाणु परीक्षण निषेध संधि की विचारधारा को जाने दिया।

आर्थिक नीति के संबंध में भी व्यापक परीक्षण निषेध संधि की भावना ही दर्शायी जाए। सरकार को आर्थिक विकास के लिए हमारी पसंद का मार्ग चुनने के लिए खड़ा होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें हमारे राष्ट्रीय हितों की बलि न देनी पड़े।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

13 दिसम्बर को इस सभा में खलबली मच गई। सभा में, सभी भागों से काफी रोष था क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर सम्मेलन में अचानक करवट बदल ली। आज, सिंगापुर के विश्व व्यापार संगठन की उद्घोषणा पढ़ने के पश्चात् पता चला कि क्या हुआ। हमें महसूस हुआ कि रोष पूर्णतः औचित्यपूर्ण था और यह चूक हुई कि हम अपनी कही हुई बात से मुकर गए। हमने माननीय श्री जार्ज फर्नांडीज को काफी गुस्से में देखा। मैं भी बहुत क्रोधित था, यद्यपि मैं इसके बारे में चिल्लाता नहीं हूं। लेकिन गुस्सा पूर्णतः औचित्यपूर्ण था।

अधिकांश मुद्दे प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मैं उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ हम सिंगापुर सम्मेलन होने से पहले कहते रहे वह सिंगापुर सम्मेलन में जो कुछ हुआ उससे बिल्कुल अलग था। उद्घोषणा की अंतर्वस्तु के प्रति उतना ही रोष था जितना इसमें कतिपय परिवर्तन अथवा निर्देश, सिंगापुर सम्मेलन में पहुंचने के बाद आपके बदले हुए रवैये के प्रति था। यह एक आदत बनती जा रही है। जब हमारे देश के प्रतिनिधि सम्मेलन में जाते हैं तो यह माना जाता है कि वे वहां पर हमारे देश के विचार ही नहीं वरन् देश की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में भी बतायेंगे और सरकार वहां जो कुछ कहती है और यहां जो कुछ पहले कह रही थी और वहां उनकी उपलब्धि क्या रही, इन दोनों बातों के बीच तालमेल अवश्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच में जो उनकी

उपलब्धि होती है वही हमारे देश के बारे में विश्व का दृष्टिकोण होता है।

हम इस बात के लिए इतने नाराज क्यों हैं? उसमें भारत का नाम कहां भी नहीं लिया गया है। उद्घोषणा सभी विकासशील देशों के विरूद्ध है। लेकिन हम बहुत नाराज हैं क्योंकि सरकार, मैं और देश महसूस करता है कि हम तीसरे विश्व के सबसे कम विकसित देशों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में हम उनका पथ-प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारे अंदर इस प्रकार की असफलताओं के कारण एक प्रकार का असंतोष है। पहली बात मैं यहीं बताना चाहता हूं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में भली प्रकार प्रश्न रखे जा चुके हैं। हम इस बात से पूर्ण रूप से इंकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रख्यापित श्रम मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का सम्बन्ध समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे मंत्री जी के कहे गये पहले और अंतिम वाक्य को देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि वह संपर्क अभी भी है और आगे भी रहेगा। हम निवेश और प्रतिस्पर्धा के साथ व्यापार संबंधों का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी-समूहों की व्यवस्था करने संबंधी पेरा 20 को भी अस्वीकार करते हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। स्पष्ट और सरल शब्दों में यह बात स्पष्ट हो चुकी है। विश्व व्यापार संगठन कोई शोध एजेंसी नहीं है। इसका उद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के अध्ययन करने के लिए नहीं है। जबकि पहले ही इस बात की व्यवस्था है कि दो वर्षों के पश्चात् विश्व व्यापार संगठन का काम देखा जायेगा और आगे वर्ष 1999-2000 में इसका मूल्यांकन किया जायेगा, तो फिर उसमें अध्ययन की क्या आवश्यकता है।

इसमें जल्दी क्या है। इसमें जो शामिल किया गया है, वह इतना अच्छा नहीं है। यही बात व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर भी लागू होती है। लेकिन उसमें एक-दो बातें, विशेष रूप से 'सरकारी अधिप्राप्ति में स्पष्टता' के सम्बन्ध में पैरा 21 पर भली प्रकार प्रकाश नहीं डाला गया है। इसमें कहा गया है :—

> "राष्ट्रीय नीतियों के मद्देनजर सरकारी अधिप्राप्ति संबंधी परिपाटियों में स्पष्टता के समबन्ध में अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापना, और, इस अध्ययन के आधार पर ऐसी बातें तैयार की जाती हैं, जिन्हें किसी उचित समझौते में शामिल किया जा सके।"

वास्तव में इसका तात्पर्य यह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय निविदाकर्ताओं का आमंत्रित करना चाहिये। आप हमारी बात सुनिए। अब सरकारी कार्य में भी, कोई बाहर की एजेंसी व्यापार स्पष्टता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए इस देश से बाहर जा रही है। मैंने यह विचार किया कि अब तक हम केवल अपनी सरकार के कार्यों में स्पष्टता लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब यह कार्य विश्व व्यापार संगठन करेगा। इससे मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, वह बहुत मौलिक नहीं है लेकिन मेरे विचार में यह एक आदत बन गई है। यह प्रारूप हमारे पास आज सुबह ही आया है। इसमें एक प्रश्न था, "जब आप इसे पसंद नहीं करते, तो आप विश्व व्यापार संगठन से अलग क्यों नहीं हो जाते? आप गैट और इससे संबद्ध बातों को भुला क्यों नहीं देते? स्वयं के लिए ही समस्या उत्पन्न करने वाली इस चीज को हम क्यों रखें? क्या इससे निपटने का कोई तरीका हम विकसित कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि इसे गलत तरीके से अपनाया गया हैं। इसमें समयावधि का प्रश्न है। जब हम गैट का प्रारूप देखते हैं, तो हमें कुछेक बातें ऐसी दिखाई देती हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते और हम उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके पश्चात् हम विश्व व्यापार संगठन पर आते हैं, जो गैट का ही एक अंश है। इसमें कुछ और भी गलत बातें शामिल की गई हैं और हम इन पर हस्ताक्षर करते हैं। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो हमेशा चलती रहती है। इससे कैसे निपटा जाये। हमें इससे निपटने का कोई तरीका ढूंढना होगा।

दो वर्ष में हम जिनिवा में एक और सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें भी हम इसी प्रकार असफल हो जायेंगे या हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिसके द्वारा इस समस्या से निपटा जा सके? इसमें बहुत से विषय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गैट समझौते में कम विकसित देशों के हक में उपाय किए हैं। यद्यपि उन्होंने इन उपायों को स्वीकार किया था फिर भी कम विकसित देशों ने इन्हें संयुक्त राष्ट्र के उपायों के रूप में अभिज्ञात किया था क्योंकि जब तक वे उपर्युक्त उपायों से निर्धारित सामान्य नियमों का पालन करते हुए उस श्रेणी में रहें तब तक उनसे केवल यही अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने अपने विकासों, वित्तीय व्यापारिक आवश्यकताओं और अपनी प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षमताओं के अनुरूप अपने अपने वायदों, बाध्यताओं और रियायतों को लागू करें। यह बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन 'गैट' का ही एक भाग है। यह 'गैट' से अलग नहीं है। इसीलिए, हमें इस असंगति से निपटने का कोई तरीका निकालना होगा। मैं यह कह सकता हूं कि हमे स्वयं को क्रिकेट के मैच जीतने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हम क्रिकेट मैच जीत रहे हैं क्योंकि उसमें खेलने वाले व्यवसायिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उस स्तर तक पहुंच कर अपनी योग्यता को साबित किया है और उस टीम में कोई अपर-सचिव उप-सचिव और सचिव नहीं खेल रहे हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं। हमने "बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी संसदविदों के मंच" पर भी चर्चा की है। उसमें ऐसे अनेक लोग हैं, जो अधिक नहीं तो इतने योग्य तो हैं ही कि वे सलाह दे सकते हैं, जो सरकारी दायरे से बाहर झांक सकते हैं, जो ऐसी नीति तैयार कर सकते हैं जिससे हम इन मुद्दों को सुलझा सकें।

वर्ष 1998 में कार्य का विभाजन दो भागों में होना चाहिए जिसमें उन क्षेत्रों को महत्व और प्राथमिकता दी जाये जो हमारे हित में हों। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे पास वह सूचना औद्योगिकी संबंधी सुझाव हैं, जिसे 28 देशों ने पारित किया है और जिसे सिंगापुर-उद्घोषणा में भी लाया गया है। जबकि वस्त्र पहनावा और अन्य बातें हमें परेशान कर रही हैं, कोई भी व्यक्ति उन पर 2000 ई. तक लगाये गये शुल्क में कमी करने अथवा उसे समाप्त करने पर विचार नहीं कर रहा है और यहां आपने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मदों से 2000 ई. तक शुल्य हटाया जाना चाहिए। कैसा विचित्र तर्क है।

यहां पैरा 5 में बताया गया है :—

> "हम कम विकसित देशों में सीमान्तीकरण की समस्या को सुलझाने और कुछेक विकासशील देशों के लिए इसके खतरे के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं"

प्रत्येक चार-पांच वाक्यों के पश्चात यह इसी बात को दोहराता है, विकासशील देशों और कम विकसित देशों के महत्व के बारे में जो उल्लेख है उसे मैं यहां पढ़ सकता हूं। लेकिन उसमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ठोस प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। हम केवल यही कह रहे हैं कि 'यह गलत है और हम यह नहीं करेंगे, हम वह नहीं करेंगे। हम अपने ठोस प्रस्ताव क्यों नहीं रख रहे हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कुशल श्रमिकों के आवागमन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम केवल इससे इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम इसकी तिथि का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मुक्त व्यापार की कोई व्यवस्था है तो आप यह किस प्रकार के मुक्त व्यापार पर विचार कर रहे हैं जबकि हमारी सीमाएं उन्नति कर रहे हमारे नवयुवकों के लिए कारागार की भांति आडे आ रही हैं? वे उससे आगे बढ़कर मुक्त व्यापार क्यों नहीं कर सकते? हम ये सभी बातें कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे यही प्रश्न पूछना है।

अतः मैं माननीय मंत्री से इस गम्भीर समस्या पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। हमें यह विचार छोड़ना होगा कि हमें केवल विरोध करना है। बल्कि भविष्य में होने वाले सम्मेलनों में, हमें अभी से शुरूआत करके छह माह में अर्थात् अगले सम्मेलन से डेढ़ वर्ष पूर्व इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि वे कौन-कौन से मुख्य मुद्दे हैं, जो हम उस दौरान उठायेंगे। और इसके लिए यहां चर्चा होनी चाहिए। इन मुद्दों से निपटने के लिए, उसकी तैयारी हेतु हमारे पास एक सुदृढ़ संस्थान होना चाहिए। मेरे विचार में हमारी तैयारी बहुत खराब है। यह भावनापूर्ण है। ज्योंही हम सिंगापुर गये तो हमने पाया कि हमारे दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया गया है क्योंकि मलेशिया ने अपनी स्थिति बदल ली है। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है।

अपने देश के विशेषज्ञों को बुलाओं और उनकी सेवा तथा सहायता लो और छः महीने की अवधि में हमें अपनी योजना बना लेनी चाहिए। जब हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें इसको सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्या हम इससे दूर भाग जायें? निश्चत ही, मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है। लेकिन वर्तमान में मेरी शिकायत यह है कि हम इसको सुलझाने में सक्षम नहीं हैं।

मेरे विचार से इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो कुछ सिंगापुर में हुआ है, वह व्यापार के बारे में नहीं था। यह प्रभुत्ता के बारे में था। और यह प्रभुत्ता वास्तव में एक दूसरा अवतार अर्थात् आर्थिक अवतार है। विकासशील और कम विकसित देश हमारे साथ आ सकते हैं यदि वे यह महसूस करें कि हम उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में, हमें अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि सिंगापुर और उससे पहले हुए कार्यों से किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि हम उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

अपराह्न 7.00 बजे

हमें सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना होगा, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास हर चीज है। इसलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि आप बुरा न मानें तो पहले ही सात बज गये हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 7.0$^{1}/_{4}$ बजे

सदस्य की गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्रीमती गीता मुखर्जी) : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को यह जानकारी देनी है कि पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा, नागपुर, महाराष्ट्र में 15 दिसम्बर, 1996 का निम्नलिखित फैक्स संदेश प्राप्त हुआ है :-

> "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री बनवारी लाल पुरोहित, लोक सभा सदस्य को भारतीय दण्ड संहित की धारा 143, 341 के साथ पठित बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत अपराध संख्या 214/96 में 15 दिसम्बर 1996 को 16.15 बजे पुलिस स्टेशन कोराडी, नागपुर सिटी, महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया। सदस्य को 15 दिसम्बर 1996 को 23.30 बजे न्यायिक हिरासत में प्रतिप्रेषित किया गया।"

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : क्या सभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना सम्मान का विषय है?

सभापति महोदय : उन्होंने यह बताया कि उन्हें आपको सादर सूचित करना है" यह उद्धरण चिन्ह में है। ऐसा प्रतीत होता है श्री बनवारी लाल पुरोहित को गिरफ्तार करके पुलिस उपायुक्त सम्मानित हुआ। यही उन्होंने कहा है।

यह सभा कल, 17 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1996/25 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।